राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दो सौ बीसवां दिवस [संख्या: 25

शुक्रवार,

17 सितम्बर 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री अमीन खां।

ऊंट को राज्य पशु का दर्जा

470. श्री अमीन खां (शिव): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने के पश्चात् उक्त का किस प्रकार संरक्षण हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा होने के पश्चात् भी इनकी संख्या में कमी आयी है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में दिनांक 16.09.2016 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। उसके पश्चात् ऊंटों के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास के लिए निम्नांकित कार्य किये गये:-

(i) भामाशाह पशु बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक कुल 10 हजार 430 ऊंटों का बीमा किया गया, जिसमें से 1 हजार 567 ऊंटों की मृत्यु होने के कारण 6 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपयों के क्लेम पारित कर ऊंट पालकों को वितरित किये गये।

(ii) ऊंट पालकों को ऊटों में प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोडियों के पालन पोषण हेतु तथा ऊंटों की संख्या में वृद्धि के लिये उष्ट्र विकास योजना संचालित की गई, जिसमें 20 हजार 800 उष्ट्र पालकों को पंजीकृत कर 42 हजार 580 टोडियों को पंजीकृत किया गया तथा राशि रुपये 24 करोड़ 91 लाख की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

(पशुपालन मंत्री)

(iii) राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम 2015 के तहत ऊंट के वध एवं बिना अनुमति के राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके तहत 117 ऊंटों की तस्करी में बरामदगी दर्ज हुई है तथा 21 व्यक्तियों की गिरफ्तारी दर्ज हुई है।

(iv) ऊंटों में तिबरसा रोग के नियंत्रण के लिए नियमित रूप से उष्ट्र कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें माह मार्च, जुलाई एवं अगस्त 2021 में कुल 1 हजार 495 उष्ट्र कल्याण शिविर आयोजित कर 70 हजार 469 ऊंटों की चिकित्सा कर कुल 14 हजार 309 ऊंट पालकों को लाभान्वित किया गया।

(2) जी हां। पशुगणना प्रति पांच वर्ष में करवायी जाती है। वर्तमान में पशुगणना 2019 अनुसार देश के कुल ऊंटों की संख्या का लगभग 84.43 प्रतिशत ऊंट राजस्थान में हैं। पशुगणना अनुसार गत 30 वर्षों से ऊंटों की संख्या में नियमित तौर पर गिरावट का मुख्य कारण निरंतर यांत्रिक संसाधनों का विकास व ग्रामीण स्तर तक उच्च स्तर की परिवहन सुविधा का उपलब्ध होना है।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न है और छोटा-सा ही प्रश्न है। मंत्री जी ने गवर्नमेंट रिकार्ड पर जो बात है, वही पढ़कर सुनायी है। उन्होंने अपनी ओपिनियन से जवाब नहीं दिया है। मैं स्पष्ट चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार ऊंट को राज्य पशु से मुक्ति दिलायेगी? मगर आप इससे मुक्ति नहीं दिलायेंगे। आपने करीब छह हजार ऊंटों का मरना कबूल किया है, यह तो वह कबूल किया है, जिनका बीमा हुआ है, हजारों पशु मर गये। ये ऊंट बाहर चले गये। आगे राजस्थान में एक भी ऊंट नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री अमीन खां (शिव): प्रश्न यह पूछता हूं कि इन ऊंटों को जिंदा रखना है और ऊंट को गरीब लोग पालते हैं। इस बात को देखते हुए ऊंट को राज्य पशु घोषित करने की नौबत क्यों आयी?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि स्पष्ट है कि अधिनियम, 2015 आने के बाद न तो हम इसे स्टेट से बाहर ले जा सकते हैं, न माल ढो सकते हैं। यह बात सही है कि ऊंटों के संरक्षण के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं सदन को यह जरूर बताऊंगा कि आने वाले

(श्री लालचन्द कटारिया)
सत्र में, जो कमेटी ने फैसला किया है और माननीय सदस्यों की राय ली गयी है। उसके अनुसार हम अधिनियम, 2015 में कुछ संशोधन करेंगे और यह तय करेंगे कि उसमें आवाजाही रहे और ऊंट को किसान वापस अपने घरों में रखें। यह बात सही है कि वर्तमान समय में ऊंट के रखरखाव में ऊंट पालक और खेतों में काम करने वाले जो किसान थे, उन्होंने सब ने इस अधिनियम के आने के बाद ऊंटों से एक तरह से अपना नाता तोड़ लिया है। मैं सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले सत्र में जो रिपोर्ट और ड्राफ्ट तैयार है, उसको हम पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, राज्य पशु डिक्लेयर करने से क्या फायदा और नुकसान है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अधिनियम, 2015 बना, उस समय इसी सदन ने राज्य पशु घोषित किया। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे सहमत हों तो हम इसमें पूरा संशोधन भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: राज्य पशु घोषित करने से क्या लाभ होता है? जिस पशु को घोषित नहीं करते हैं, उसका क्या होता है और जिसको घोषित करते हैं, उसमें क्या अंतर आता है?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना समझ चुका हूं। मुझे भी आज दिन तक मालूम नहीं चला कि उस टाइम की जो स्थिति रही है, 2015 में इसे राज्य पशु क्यों घोषित किया गया? जो भी परिस्थितियां उस समय बनी होंगी, क्योंकि मैं तो सदन में नहीं था। मेरा तो निवेदन है कि हम इसमें संशोधन करें और यह बात सही है कि वर्तमान में जो स्थिति ऊंटों की है, उसे देखते हुए इनके संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में बजरी का अवैध खनन

471. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में सुप्रीम कोर्ट का स्टे होने के उपरान्त भी बनास नदी में अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में अवैध बजरी दोहन को लेकर बजरी माफियाओं के विरुद्ध विगत दो वर्षों में कोई कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो कब-कब, क्या कार्यवाही हुई? विगत दो वर्षों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उक्त विधान सभा क्षेत्र की बनास नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन पर पूर्णत: रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2017 से पर्यावरण अनुमति एवं रिप्लेनिशमेन्ट स्टडी के बिना खनिज बजरी के खनन पर रोक के उपरान्त विधान सभा क्षेत्र कपासन की बनास नदी में अवैध रूप से चोरी-छिपे बजरी खनन किया जाता है, उक्त अवैध खनन का कारण खनिज बजरी की मांग व आपूर्ति में अन्तर है, जिनमें दोषियों के विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54 एवं 60 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई है। विधान सभा क्षेत्र कपासन में स्थित बनास नदी से खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम एवं माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु खान विभाग के अधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियों एवं जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्व, परिवहन, पुलिस, वन एवं खान विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित कर, गठित विशेष जांच दलों (SIT) द्वारा नियमित एवं औचक चैकिंग/जांच की जाती है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 16.11.2017 से 31.08.2021 तक अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के कुल 448 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

दर्ज प्रकरणों की संख्या			**कुल प्रकरण**	**दर्ज एफ.आई. आर. की संख्या**	**कुल वसूल राशि (शास्ति/ कम्पाउण्ड)**
अवैध खनन	**अवैध निर्गमन**	**अवैध भण्डारण**			
13	409	26	448	59	441 लाख

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र कपासन के पुलिस थानों में अवैध बजरी

(खान मंत्री)

दोहन में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। गत दो वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.08.2021 तक 51 प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	**दर्ज एफ.आई.आर.**	**माननीय न्यायालय के आदेश से वसूल की गई जुर्माना राशि (लाखों में)**
2019-20	40	34.00
2020-21	4	4.00
2021-22	7	4.00
योग	**51**	**42.00**

दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु बजरी के अवैध खनन पर पूर्णत: रोक लगाने बाबत राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। प्रदेश में खनिज बजरी का सस्ता एवं सुलभ विकल्प उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.01.2021 को राजस्थान एम-सेण्ड नीति जारी करते हुए आकर्षक प्रावधान किये हैं, जिनमें एम-सेण्ड इकाई स्थापित करने हेतु प्रत्येक जिले में मेसेनरी स्टोन के डेलिनियेट किये गये प्लाट में से दो प्लाट का आरक्षण, ओवरबर्डन डम्प्स का नीलामी से आबंटन एवं डी.एम.एफ.टी. की राशि में छूट, राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25 प्रतिशत मात्रा में एम-सेण्ड के उपयोग की अनिवार्यता तथा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के परिलाभ सम्मिलित हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के समीपस्थ भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील में बजरी के खनन पट्टे में खनन की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जालौर जिले में भी दो खनन पट्टों में बजरी खनन की अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकार के उक्त निर्णयों से खनिज बजरी के अवैध खनन पर काफी हद तक अंकुश लगा है। राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन सहित प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही एवं रोकथाम हेतु प्रयास किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश 16/11/2017 से बनास नदी में बजरी खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है? प्रतिबंध होने के बावजूद भी रोजाना 400 से 500 साधन जिसमें डम्पर, ट्रेलर, ट्रैक्टर, जेसीबी इस कारोबार में लगे हुए हैं, जिससे नदी का जलस्तर खतम हो गया, आसपास के इलाके खतम हो गये और सड़कें भी टूट गईं और सरकार को दस से बीस लाख रुपये की रोजाना राजस्व की आय होती, वह भी खतम हो गयी। क्या सरकार अवैध बजरी के कारोबार को रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करना चाहती है? माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं। प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं है। इतना साधन होने के बाद भी ठोस कार्यवाही नहीं है जबकि पांच एसडीओ बैठते हैं आसपास, पांच थाने, पांच तहसीलदार, इतना लवाजमा है। क्या सरकारी तंत्र ही इस कारोबार को बढ़ावा देने में लगा है?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य जी ने कहा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश 16/11/2017 से बजरी खनन पर प्रतिबंध है। इसके लिए राज्य का पक्ष बड़ी मजबूती से वहां पर हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा रखा गया है।

दूसरा, जो निजी खातेदारी में लीज दी, बड़ी लीज के लिए हमने पूरी कानूनी प्रक्रिया करके तीन लीज अभी भीलवाड़ा जिले में, जालौर जिले में दो, तीन बड़ी लीज चालू कीं ताकि वैध बजरी का रास्ता प्रशस्त हो सके। एम-सेण्ड नीति लागू की, उसमें शिथिलताएं दीं। वह मैंने अभी सदन को उत्तर में जानकारी दी। साथ ही, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जी की अवैध खनन के ऊपर जो चिंता है, वह वाजिब है। अवैध खनन बरसों से होता है। पिछली सरकार के समय में हुआ, आज भी हुआ, इससे हम इंकार नहीं कर सकते लेकिन मैं इस मौके पर माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि आपने क्या प्रभावी कार्यवाही की, इसके लिए मैं आपके माध्यम से थोड़ा-सा बताता हूं।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार में 2 साल 9 माह में अवैध खनन के विरुद्ध जो कार्यवाही की है और भाजपा की गत सरकार के जो 2 साल 9 माह थे, उसकी तुलना मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं। इस अवधि में हमारे द्वारा सभी अवैध खनन के खिलाफ 32 हजार 522 प्रकरण बनाए और

(श्री प्रमोद भाया)

भाजपा सरकार के समय मात्र इस अवधि में 12 हजार 439 प्रकरण बनाए गए थे। इसी अवधि में हमारे द्वारा 2 हजार 639 एफआईआर दर्ज की गयीं, भाजपा सरकार के द्वारा 2030 एफआईआर दर्ज की गयी थीं। इसी तरह हमारी सरकार के द्वारा 32 हजार 529 वाहन मशीनरी जब्त की है, भाजपा सरकार के द्वारा 10 हजार 441 वाहन इस अवधि में जब्त किये गये थे। अध्यक्ष जी, इसी अवधि में 236 करोड़ की पैनल्टी विभाग के अधिकारियों ने वसूल की और भाजपा सरकार के द्वारा 75 करोड़ की वसूली की गयी थी।

अध्यक्ष महोदय, केवल हम बजरी की बात करें तो यह भी मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार इस अवधि में हमारी सरकार द्वारा अवैध बजरी के 23 हजार 391 प्रकरण दर्ज किये हैं जबकि पिछली सरकार में इस अवधि के दौरान मात्र 5 हजार 670 प्रकरण बजरी के दर्ज किये थे। हम बजरी की एफआईआर की बात करें तो इस अवधि में 2 हजार 178 बजरी के मामलों की एफआईआर दर्ज कराई गई और गत सरकार के द्वारा केवल मात्र 634 एफआईआर दर्ज की थी बजरी की। हमारी सरकार के द्वारा 23 हजार 689 वाहन, मशीन जब्त की हैं जबकि गत सरकार के समय मात्र 5 हजार 146 वाहन जब्त किये थे।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं। प्लीज, डोंट इंटरवीन। आप सुनना नहीं चाहते तो बंद कर दें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): बजरी के 155 करोड़ रुपये पैनल्टी वसूली की गयी और भाजपा सरकार के समय मात्र 19 करोड़ वसूल की गयी थी। हमने 2 वर्ष 9 माह में लगभग 6 विशेष अभियान चलाए, उसमें जिला कलेक्टर को, वन विभाग को, पुलिस को सभी विभागों को शामिल किया गया और गत सरकार के द्वारा इस अवधि में केवल मात्र दो बार अभियान चलाए गए थे। सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्ण कटिबद्ध है। फिर भी माननीय सदस्य जी की कोई व्यक्तिगत शिकायत हो तो वे मुझे देंगे तो मैं उस पर जांच करवाकर सख्ती से कार्यवाही करवाऊंगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो कपासन क्षेत्र का इन्होंने कहा, ये जेसीबी, डम्पर, ट्रैक्टर कई प्रकार के वाहन हैं, मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समय में इस जगह कितनी जेसीबी जो चल रही थीं, वे आपने पकड़ी हैं और उनमें से कितनों को छोड़ा है और कितनी आज भी थाने में पड़ी हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एफआईआर की पूरी डिटेल दे चुका हूं। फिर भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा, मैं विस्तृत रिपोर्ट, पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ में सहकारी समितियों का गठन

472. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 1 जनवरी, 2019 से अब तक कितनी सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियां भवन व गोदाम विहीन हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2019 से अब तक कितनी सहकारी समितियों के भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई व उक्त के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? इनमें से कितने कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 1 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक चार (देराजसर, सांवतसर, सत्तासर, समंदसर) सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) वर्तमान में श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 2 समितियां भवन व गोदाम विहीन हैं, जिनका नामवार विवरण निम्नांकित है-

क्र.सं.	**नाम समिति**
1.	सत्तासर जीएसएस
2.	सावंतसर जीएसएस

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2019 से आज दिनांक तक कुल 6 समितियों में भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक भवन व गोदाम के लिए 12 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(सहकारिता मंत्री)

इनमें से 2 समितियों में निर्माण कार्य पूरे कर लिये गये हैं तथा 2 समितियों में निर्माण कार्य अपूर्ण है एवं 2 समितियों में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, विवरण निम्नानुसार है-

विवरण	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22
स्वीकृत गोदाम	2	2	2
निर्मित गोदाम	2	0	0
निर्माणाधीन गोदाम	0	2	0
कार्य प्रारम्भ नहीं	0	0	2

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष जी, मैं सरकार से, मंत्री से यही जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हर राजस्व ग्राम में सहकारी समिति गठित करने का विचार रखती है, भवन के साथ-साथ?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जैसी बजट घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय की है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष 500 नई जीएसएस बनाई जा रही हैं। चार साल में दो हजार बनाई जाएंगी और प्रयास किये जा रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जीएसएस निर्मित हो जाए।

प्रश्न संख्या 473

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 474

अगला प्रश्न। श्री दानिश अबरार।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

475. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की पंचायत छोटी बिजौलिया के गांव तिखी में 500 घरों से अधिक की आबादी होने के उपरांत भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है? क्या सरकार उक्त गांव में नवीन

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र से वंचित गांवों की आबादी को ध्यान में रखते हुए नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत छोटी बिजौलिया के गांव तिखी की आबादी 239 थी, जबकि भारत सरकार स्तर से 400 से 800 की आबादी पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रावधान निर्धारित है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की अनुमति नहीं है। भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनबाड़ी खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है।

(2) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की अनुमति नहीं है। भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनबाड़ी खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है।

नवीन आंगनबाडी केन्द्रों की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखे गये जिनके संबंध मे अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि तिखी गांव में 500 से ज्यादा आबादी रहती है। वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मान रहे हैं तो वहां पर जब जनसंख्या की जनगणना होगी तब तक वहां आदमी शिक्षा से वंचित रहेंगे या सरकार उनके लिए कुछ छोटी मिनी आंगनबाड़ी या कुछ खोलने की मंशा रखती है?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय जब तक नई गाइडलाइन के आधार पर जनसंख्या की बात नहीं होगी, तब तक इस गांव की महिलाओं व बच्चों को नजदीक के केन्द्र मानगढ़ से जोड़ा हुआ है, जहां से सरकार की हर योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है आंगनबाड़ी की चाहे मिनी आंगनबाड़ी की, भारत सरकार की अनुमति के बिना, किसी भी प्रकार की घोषणा हम यहां नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बहुत ज्वलंत है। पिछले ढाई-तीन वर्षों में जब भी विधान सभा का सत्र चलता है, कई माननीय सदस्यों की यह मांग रहती है कि नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएं। मैं आपके माध्यम से हमारे पक्ष व विपक्ष के तमाम सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि सभी लोग भारत सरकार के मंत्री जी को व प्रधान मंत्री जी को, पत्र का एक हैशटेग चलाए, इस तरह से 200 सदस्य केन्द्र सरकार को पत्र लिखें कि राजस्थान के अन्दर नवीन आंगनबाड़ियों की जरूरत है और अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना। (अनुपस्थित)

अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत में पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन

477. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में सिंचाई पाइप लाइन (PVC+HDPE) देने हेतु कितने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए तथा उक्त आवेदनों में से कितने आवेदनों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई? कृषकों के नाम सहित ग्रामवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त वित्तीय वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र को सिंचाई पाइप लाइन योजना के तहत कितनी राशि आबंटित की गई? उक्त आबंटित राशि में से कितनी राशि का उपयोग हुआ तथा कितनी राशि शेष रही? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई? कारणों सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में सिंचाई पाइप लाइन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26 पत्रावलियां पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं जिसमें से 13 पत्रावलियों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 10 पत्रावलियों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। 3 पत्रावलियां कृषकों के द्वारा पाइप लाइन स्थापना नहीं करने के कारण निरस्त की गईं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6 पत्रावलियां पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुईं जिसमें से सभी 6 पत्रावलियों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। कृषकों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत में सिंचाई पाइप लाइन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 1 लाख 16 हजार 664 तथा वर्ष 2020-21 राशि रुपये 57 हजार 175 का आबंटन किया गया, जिसमें सम्पूर्ण राशि का उपयोग हुआ तथा कोई राशि शेष नहीं रही। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सोजत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 16 आवेदकों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी, जिसका कारण पत्रावलियों का विभागीय दिशा-निर्देशानुसार नहीं होना रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त सभी 6 आवेदकों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी, कोई भी आवेदन निरस्त नहीं हुआ। कृषकों की कारण सहित सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि दिशा-निर्देश क्या थे और पत्रावलीवार बताएं, किन-किन दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की गई? वर्ष 2019-20 में 26 पत्रावलियां देने के बावजूद, दो वर्ष बीत जाने के बाद, मात्र 10 वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, इसका कारण बताएं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात कही है, दिशा-निर्देशों की कापी मेरे पास है, आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पर यह बात सही है कि जिन 16 कृषकों को अनुदान नहीं मिला, उनकी सूची भी मैंने मंगवाई है। मैं आपको वह दे दूंगा। उसके कारण लिखे हुए हैं कि किस तरह से इन्होंने कागजों में ऑनलाइन कमियां रखीं, वह सूची मेरे पास है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है कि पैसों की कमी के कारण हुई। ऑनलाइन पोर्टल पर इन्होंने पत्रावलियां पेश कीं,

(श्री लालचन्द कटारिया)

उसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। 16 व्यक्तियों के गांव सहित एड्रेस मेरे पास हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विभाग के अधिकारियों को मैंने कहा है, वह आपसे सम्पर्क करेंगे। यह 16 व्यक्ति रहे हैं, यदि यह पोर्टल पर पुन: एप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर इनको अनुदान दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा में नवीन खेल स्टेडियम का निर्माण

476. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में खेल स्टेडियम के लिए कितनी भूमि कहां-कहां आबंटित है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये खेल स्टेडियम के निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में खेल स्टेडियम के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के नाम उनियारा में 5.90 हैक्टेयर भूमि खसरा नं. 1277 आबंटित है।

(2) बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना) विकास कार्यक्रम-2015 के तहत तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, धन्यवाद। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेजर ध्यानचन्द खेल

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

स्टेडियम जो योजना बनाई है, अगर उसमें मैं मेरे अंशदान की राशि देता हूं, तो क्या मंत्री जी इस योजना को मेरे विधान सभा क्षेत्र उनियारा में लागू करेंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जैसे ही विधायक महोदय का प्रपोजल आता है, मेजर ध्यानचन्द स्टेडयम की योजना के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से पहली लिस्ट में आपका स्टेडियम निकालने का काम खेल विभाग करेगा।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद सर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

सरस डेयरी, जयपुर में मिलावटी दूध प्रकरण

478. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्ष में सरस डेयरी, जयपुर में मिलावटी दूध के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण की जांच की गई है? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये? दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। विगत दो वर्षों में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर के दौसा स्थित अवशीतन केन्द्र पर 18 दुग्ध समितियों/संकलन केन्द्रों का निम्न स्तर का दुग्ध पकड़ा गया है। विवरण प्रदर्श-अ पर संलग्न है।

विगत 2 वर्षों में जयपुर दुग्ध संघ के एक टैंकर आरजे-29 जीए-7871 दिनांक 02.07.2020 को डेयरी डाक पर आया था, जिसकी जांच करने पर निम्न गुणवत्ता का दूध पाया गया। जांच में आर.एम. वैल्यू 19.2 थी जो कि निर्धारित मापदण्डों से कम थी, जिसे अस्वीकार कर नष्ट करवा दिया गया था। रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श-ब पर संलग्न है। उपरोक्त दूध जो बी.एम.सी. यथा चांदुसा एवं नायला की ढाणी का था। दोनों बी.एम.सी. से प्राप्त दूध की जांच करने पर गुणवत्ता में सही पाये गये थे। बी.एम.सी. का दूध सही था, टैंकर मालिक नायला की ढाणी का था। नायला की ढाणी बी.एम.सी. को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दिया गया था।

(गोपालन मंत्री)

इस प्रकरण की जांच एस.ओ.जी. द्वारा की जा रही है। संघ के रिकार्ड के अनुसार जांच का अंतिम रूप से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण से सम्बन्धित वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

विगत दो वर्षों में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर के एक ही टैंकर में निम्न स्तर का दुग्ध पकड़ा गया था। शेष जिला दुग्ध संघों के अवशीतन केन्द्रों पर निम्न स्तर के दूध का टैंकर नहीं पकड़ा गया है।

(2) निम्न स्तर का दूध भेजने वाली 18 दुग्ध समितियों/संकलन केन्द्रों से तत्काल दूध लेना बन्द कर दिया गया। विवरण प्रदर्श-स पर संलग्न है।

अत: निम्न गुणवत्ता का दूध देने वाले दुग्ध उत्पादकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा की जाती है, जिससे समिति से सिर्फ उच्च गुणवत्ता का दूध भेजे। जयपुर डेयरी संयंत्र में समिति नायला की ढाणी का दूध निम्न गुणवत्ता का प्राप्त हुआ। इसका वाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या दूध के अवशीतन केन्द्रों पर नियमित जांच की जाती है, तो उक्त जांच के मापदण्ड क्या हैं? उक्त दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए किस लेवल के अधिकारी कार्यरत हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न है, उक्त प्रकरण में जो दूध पकड़ा गया, उसकी जांच एसओजी ने सीएमएचओ- 2^{nd} को दी, उसने तो कहा कि दूध शुद्ध है। सरस डेयरी के एमडी ने कहा कि दूध में मिलावट थी। इसका क्या कारण है, दोनों की अलग-अलग रिपोर्ट क्यों है? तीसरा, एसओजी.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तीन क्वेश्चन...

श्री अध्यक्ष: जवाब ही नहीं आएगा। एक-एक पूछोगे, तीन पूछोगे, जवाब आ जाएगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा ठीक है, दुबारा परमिशन दोगे न आप?

श्री अध्यक्ष: दो प्रश्न पूछ चुके आप।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि दूध की जांच तीन स्तर पर होती है। प्रथम स्तर जहां दूध इकट्ठा किया जाता है, सामान्यतया बी.एम.सी. मशीन। द्वितीय स्तर अवशीतन केन्द्र, पहले अवशीतन केन्द्र बनते थे परन्तु नई तकनीक बी.एम.सी. आने के बाद इनका बनना लगभग बंद हो गया है, पुराने कुछ चालू हैं। तीसरा स्तर डेयरी प्लांट, जांच के प्रकार। वैसे तो डेयरी प्लांट पर विस्तृत जांच की सुविधा है। वहां जांच के विशेषज्ञ भी उसकी जांच करते हैं, परन्तु सामान्यतया तीनों स्तर पर निम्न प्रकार की जांच मुख्य रूप से की जाती है।

बी.आर. टेस्ट जिसकी स्वीकार्य रेंज 42.5 से 44 तक है, आर.एम. वेल्यू 27 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का तेल व दुर्गंध आदि नहीं होनी चाहिए।

उक्त जांचों के लिये निम्न उपकरण काम में लिये जाते हैं। लैक्टोमीटर, मिल्कोटेस्टर, मिल्क एनैलाइजर, अन्य आधुनिक मशीनें, जो डेयरी प्लांट में उपलब्ध हैं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा कि सी.एम.एच.ओ. और डेयरी की जांच में अंतर है। मैं इसकी विस्तृत जांच करके माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और। एक मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकरण को एक साल हो गया अभी तक एस.ओ.जी. की जांच पूर्ण नहीं हुई। इसके क्या कारण हैं, कब तक एस.ओ.जी. की जांच पूरी हो जाएगी?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.ओ.जी. ने स्वयं संज्ञान लेकर परिवाद दर्ज किया था। उसके लिये हम भी एस.ओ.जी. को दुबारा निवेदन करेंगे कि जल्दी उसकी जांच का निस्तारण करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह सांखला।

गुलाबपुरा की स्पिनफैड स्पिनिंग यूनिट के श्रमिकों का समायोजन

479. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 में स्पिनफैड स्पिनिंग यूनिट, गुलाबपुरा के श्रमिकों को यूनिट बन्द हो जाने के कारण अन्य विभागों में

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

समायोजन करने का निर्णय पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त श्रमिकों का अन्य विभागों में समायोजन अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त श्रमिकों को भी गंगापुर, श्रीगंगानगर की यूनिटों के श्रमिकों की तरह अन्य विभागों में समायोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं। मंत्रिमण्डल आज्ञा 131/2016, दिनांक 21.11.2016 में मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन के बिन्दु सं. 7(3) में लिये गये निर्णय अनुसार स्पिनफैड के योग्यताधारी श्रमिकों एवं स्टाफ कर्मचारियों की अन्य सहकारी संस्थाओं/निगमों/पंचायती राज संस्थाओं/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में रिक्त पदों पर प्रथमत: प्रतिनियुक्ति की जाकर समायोजन का निर्णय लिया गया है।

(2) जी नहीं। मंत्रिमण्डल आज्ञा 131/2016, दिनांक 21.11.2016 में मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन के बिन्दु सं. 7(3) में लिये गये निर्णय अनुसार स्पिनफैड के योग्यताधारी 353 श्रमिकों एवं 42 कर्मचारियों का समायोजन विभिन्न सहकारी संस्थाओं/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर दिया गया है। समायोजन से शेष 321 श्रमिकों एवं 9 कर्मचारियों में से 268 कार्मिक/श्रमिक विभिन्न विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जिनके विभिन्न सहकारी संस्थाओं/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में समायोजन के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। समायोजन से शेष श्रमिकों एवं कर्मचारियों के विभिन्न सहकारी संस्थाओं/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में समायोजन के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि स्पिनफैड की दो इकाइयां हैं, गंगापुर और गुलाबपुरा। दोनों एक ही जिले में होने के बावजूद 25.02.2021 को गंगापुर के 135 श्रमिकों का समायोजन किया गया और गुलाबपुरा के शेष बचे 174 श्रमिक जो आज भी गुलाबपुरा एस.डी.एम. कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, उनको क्यों नहीं किया गया है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, छंटनी के अनुसार जो श्रमिक शेष हैं, उनका चार्ट मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। जितनी संख्या आप बता रहे हैं, उतने श्रमिक नहीं हैं। धरने पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, लेकिन जो संख्या हमारे पास उपलब्ध है, उसके अनुसार आंकड़े आपको प्रस्तुत कर दिये हैं।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है, जिनका समायोजन किया गया, जैसा आपने बताया, वे श्रमिक आज भी अपने गांव से 400-500 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। क्या उनके साथ भी सेलैरी में भेदभाव किया जा रहा है। रुपये 8500/- में वे नौकरी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि "एक दाम-एक काम", एक ही विभाग में उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): उस समय जब निर्णय लिया था तत्कालीन सरकार ने, उसके अनुसार अलग-अलग विभागों में उनको प्रतिनियुक्ति देनी थी। उनको प्रतिनियुक्ति दी भी, लेकिन दूर के कारण, कम तनख्वाह के कारण वे लोग नहीं गये हैं। यह समस्या मेरे सामने आई है। उसके लिये प्रयासरत हैं कि गांव के आस-पास जो जगह खाली होगी, वहां रिक्त स्थानों पर उनको नियुक्ति जगह दे-दी जाएगी।

प्रश्न संख्या 480

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राकेश पारीक।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के तहत अलवर को केन्द्र से आबंटित राशि

481. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला अलवर के लिए केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई व उसके क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विगत तीन वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार से प्राप्त उक्त राशि का समय

(श्रीमती सफिया जुबेर)

पर उपयोग नहीं होने के कारण करोड़ों की राशि लैप्स हुई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? अलवर जिले के अधिकारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अलवर जिले के लिये निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गईः-

(राशि रुपये में)

वर्ष	**कुल उपलब्ध राशि**
2016-17	17,41,142
2017-18	32,23,000
2018-19	24,00,000
2019-20	24,50,000
2020-21	25,00,000

भारत सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ गाइडलाइन के अनुसार राशि का आबंटन किया जाता है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) गत तीन वर्षों में निम्नानुसार राशि प्राप्त एवं व्यय की गईः-

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**कुल प्राप्त राशि**	**व्यय राशि**
1.	2018-19	24,00,000	4,15,878
2.	2019-20	24,50,000	14,73,364
3.	2020-21	25,00,000	12,17,178

(3) वर्षवार उपलब्ध करायी गयी राशि में से व्यय उपरान्त अवशेष बची राशि बैंक खाते में जमा रहती है। अतः राशि लैप्स नहीं हुई है एवं न ही कोई अधिकारी दोषी है।

(4) कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में केन्द्र सरकार के द्वारा शुरू हुई थी, इसका मकसद था बेटियों पर बढ़ते हुए अत्याचारों को रोका जाए और बच्चियों को शिक्षा से जोड़ा जाए लेकिन मुझे लगता है कि इस योजना का महिलाओं को इतना लाभ नहीं मिला। क्या आपके माध्यम से यह पता चलेगा कि 2015 के बाद महिला अत्याचार कम हुए हैं और क्या साक्षरता की दर बढ़ी है?

दूसरा सवाल यह है कि राशि तो आती है, सब जिलों में आती है, लेकिन इसका व्यय नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि इस राशि को हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं? क्या पता इस राशि को हम खर्च करते तो किसी बच्ची की जिन्दगी बच जाती या बहुत-सी बच्चियां शिक्षा से जुड़ जातीं तो क्या इस राशि का खर्च न होना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य ने यह चिंता व्यक्त की है कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बच्चियों का चहुंमुखी विकास किया जाए, उनको शिक्षा के स्तर से जोड़ा जाए लेकिन इस योजना के तहत भारत सरकार का जो पैसा आता है, 50 लाख रुपये प्रति जिले के लिए आता है। वह पैसा सिर्फ प्रचार-प्रसार के लिये खर्च किया जाता है, उनमें कोई ठोस कार्य नहीं होते। साथ ही भारत सरकार द्वारा जिलों को आबंटित बजट एवं व्यय विवरण संधारित करने वाला जो पोर्टल है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वह राज्य सरकार के साथ शेयर नहीं किया जाता। इस कारण राज्य सरकार के स्तर पर पर्यवेक्षण सम्भव नहीं हो पा रहा कि कितना खर्च हुआ है। डाइरेक्ट कलेक्टर के अकाउंट के अन्दर यह पैसा आता है और कलेक्टर ही इसकी नोडल एजेंसी है जो कार्य विभाजन करते हैं कि इस 50 लाख को किस तरह से खर्च किया जाएगा।

मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो पैसा आता है, वह प्रथम किश्त 25 लाख रुपये खर्च होती है, तब दूसरी किश्त जारी होती है लेकिन भारत सरकार, 2015 से लेकर अभी तक हम बात करें तो हर वर्ष इस राशि को अलग-अलग समय पर आबंटित करती है। कभी अगस्त के अन्दर इस राशि की प्रथम किश्त आ रही है, कभी अक्टूबर में इस राशि की प्रथम किश्त आ रही है। अभी वर्तमान वर्ष की अगर हम बात करें तो अभी सितम्बर का माह चल रहा है और हमारी प्रथम किश्त इस साल की भारत सरकार द्वारा नहीं भेजी गई। कलेक्टर्स अगर प्रोग्राम भी बनाएं, हम लोग भी

(श्रीमती ममता भूपेश)

अगर आई.ई.सी. के प्रोग्राम बनाएं तो हमें यही ध्यान नहीं रहता कि भारत सरकार कब पैसा भेजेगी, किस आधार पर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर इन सब चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समय-समय पर भारत सरकार को कई तरह के प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें ठोस कार्यों के लिये, कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिये कि अगर आप टायलेट्स बनाने की अनुमति दें, जो बच्चियां अच्छी पढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं उनको अगर हम प्रोत्साहन के रूप में लैपटाप्स अगर दें तो शिक्षा का स्तर हमारे राज्य में बढ़ेगा। कभी हमने डी.बी.टी. की भी बात की है कि जो बच्चियां शिक्षा के अन्दर श्रेष्ठ आ रही हैं, उनको हम पैसा डाइरेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसका भी लैटर हमने भेजा। पोर्टल में शामिल करना, जो मैंने आपको चिंता व्यक्त की कि पी.एफ.एम.एस., (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) का जो पोर्टल है, जो भारत सरकार और कलेक्टर के बीच में ही है, उसमें राज्य सरकार का कोई मोनिटरिंग सिस्टम नहीं है। उस पोर्टल में राज्यों को शामिल करने के लिये भी हम लोगों ने पत्र भेजा लेकिन उसका भी भारत सरकार ने हमें किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि हमने भारत सरकार से यह भी कहा कि 50 लाख रुपये आप हमें दे रहे हो तो कम से कम 5 लाख रुपये कलेक्टर को एडवांस अपने स्तर पर खर्च करने की अनुमति भी दी जाए, जिससे स्वविवेक से इसको विभाग या कलेक्टर खर्च कर सके लेकिन उसकी भी कोई अनुमति भारत सरकार ने हमें नहीं दी, जिनके पत्रों का हवाला मेरे पास है, आप कहें तो मैं इसको टेबल कर दूंगी।

हमें भी चिंता है कि राजस्थान के अन्दर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बच्चियों को हम अच्छा माहौल दे पाएं, शिक्षा का स्तर सुधार पाएं और जो अपराधिक घटनाएं होती हैं, उनके प्रति चिंता के लिये उनको एक नये-नये प्रोग्राम्स ला पाएं लेकिन पैसों का आबंटन समय पर नहीं होने की वजह से कभी सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर में प्रथम किश्त आती है तो हम अगली किश्त मांग ही नहीं पाते। उससे पहले ही फाइनेंशियल ईयर खतम हो जाता है। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि आपने जो चिंता व्यक्त की वह बहुत उपयोगी और जरूरी चिंता है लेकिन भारत सरकार को बार-बार पत्र लिखने के बावजूद भी हमें किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही है जिससे राज्य से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के पैसे को पूरी

(श्रीमती ममता भूपेश)

तरह से खर्च कर पाएं और राजस्थान की बच्चियों को हम एक अच्छा माहौल इस प्रोग्राम के माध्यम से दे पाएं।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हम जिले में पचास लाख का बजट ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी केन्द्र सरकार से क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि विधान सभा में 33 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को और 33 प्रतिशत का आरक्षण संसद में दिलाने में कोई मदद कर पाएंगे हमारी, मैं यह सवाल विपक्ष से पूछना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न से संदर्भित नहीं है। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-3 में यह जवाब दिया कि राशि लैप्स नहीं होती है, बैंक में जमा है तो जो गाइडलाइन उन्होंने दे रखी है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो भी इस गाइडलाइन की पूर्ति कर रहे हैं और आपके पास पैंडिंग एप्लीकेशन है, या तो आप यह कहें कि कोई पैंडिंग एप्लीकेशन नहीं रही तो बात समाप्त हुई। अगर आपके पास पैंडिंग एप्लीकेशन थी, गाइडलाइन्स की पूर्ति करती थी और यह बजट लैप्स नहीं होता है तो केवल खर्च करोगे तो ही पैसा देंगे और अगर खर्च नहीं करोगे तो पैसा देंगे कैसे?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी जो चिंता व्यक्त की है, प्रोग्राम आते हैं इस विभाग के माध्यम से, कभी पोषाहार सप्ताह मनाया जाता है, कभी जागरूकता सप्ताह मानाया जाता है, कभी साक्षरता माह मनाया जाता है तो वह सारे प्रोग्राम्स हम लोग अपने समय पर करते हैं लेकिन उन प्रोग्राम्स के समय में पैसा नहीं भेजते। पुराना पैसा नए प्रोग्राम में हम लोग खर्च नहीं कर सकते, उसकी भारत सरकार की गाइडलाइन है। वह यह नहीं कि 25 लाख हमारे खाते में डाल दिये और आपकी इच्छा हो जब आप खर्च करो। उसको उन्होंने बांध रखा है, पोर्टल के माध्यम से कि यह पैसा आप फलां चीज में ही खर्च करेंगे। अगर हमारा वह समय निकल गया तो उसके बाद वह पैसा बचा ही रह जाएगा। उसको खर्च करने की कोई उपयोगिता नहीं बन पाती है। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आपने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत

(श्रीमती ममता भूपेश)

रेलेवेंट प्रश्न है लेकिन आप भी एक सुझाव मुझे भी दीजिए और भारत सरकार को भी लिखिए कि इनके अन्दर परिवर्तन करे जिससे यह पैसा राजस्थान की ही नहीं पूरे देश की तमाम बच्चियां इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हो पाएं। गवर्नमेंट आफ इंडिया किसी प्रकार का कोई यह नहीं करती कि आप इस पैसे को मन में आए जैसे खर्च कर सकते हैं बल्कि उनकी गाइडलाइन है और समय भी उन्होंने निर्धारित कर रखा है। यह पांच लाख तब खर्च करने हैं, यह दस लाख तब खर्च करने हैं। (व्यवधान) आपको क्या पूछना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, जब गाइडलाइन उन्होंने दे रखी है तो आप उन गाइडलाइन्स की पालना करने के लिए नीचे तक अगर सूचना करोगे तो निश्चित रूप से उस गाइडलाइन की पालना करते हुए बच्चियां उसका लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगी। या तो उनको ठीक प्रकार से आप समय पर जानकारी नहीं देते हैं या वह इसको समझ नहीं पा रहे हैं। पैसा आपके पास है, सरकार ने आपको दे रखा है तो कहीं न कहीं डिपार्टमेंट और उन बच्चियों के बीच में कोई गैप है, जिसके कारण से इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, यह पैसा फालतू जा रहा है।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपके माध्यम से यह बोला कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो पोर्टल बनाया हुआ है वह भारत सरकार का खुद के पास में उसका आपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में नहीं है। हमें तो इसकी यह भी जानकारी नहीं मिल पाती है कि किस जिले में कितना पैसा खर्च हो पाया है। भारत सरकार को हमने यह पत्र लिखे हैं, इनके माध्यम से भारत सरकार हमें उस पोर्टल में जोड़े जिससे हम जिलों को देख पाएं कि कलेक्टर के माध्यम से पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रमेश चन्द मीना।

लॉकडाउन के कारण हुए बेरोजगारों को रोजगार

482. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए एवं अन्य राज्यों से वापस लौटे मजदूरों, कारीगरों एवं अन्य कामगारों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना बनाने की घोषणा की गई

(श्री रमेश चन्द मीना)

थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

(2) सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2020 से माह दिसम्बर, 2020 तक राज्य में ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमियता (श्री अशोक): (1) जी हां। कोविड-19 की आपदा की घड़ी में श्रमिकों के पलायन एवं लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के बंद रहने से राज्य में आने वाले प्रवासियों के सामने रोजगार का तथा उद्योगों के सामने जन-शक्ति की उपलब्धता का संकट आने पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं श्रम विभाग के समन्वित प्रयासों से राजस्थान में उपलब्ध सभी सेवा श्रेणियों यथा जन-शक्ति, श्रमिक, नियोक्ताओं का मास्टर डेटा बेस बनाकर राजकौशल पोर्टल का लोकार्पण दिनांक 05.06.2020 को किया गया था। उक्त पोर्टल के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलवाने तथा उनका कौशल बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

राजकौशल पोर्टल पर नियोक्ता द्वारा 2223 जन-शक्ति में रुचि दर्शायी गयी है तथा 1935 जन-शक्ति का प्राथमिक रूप से चयन किया गया है।

(2) रोजगार विभाग द्वारा मासिक कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन कर माह अप्रैल 2020 से माह दिसम्बर 2020 तक कुल 6144 व्यक्तियों का प्रारम्भिक चयन कर रोजगार सहायता उपलब्ध करवाई गई। विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर 1459 युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि करौली जिले में कहां-कहां शिविर लगाये गये, किस-किस शिविर में कितने-कितने लोगों का चयन किया गया और उनके नाम की सूची उपलब्ध करवा दें तो ठीक, पर यह शिविरों की संख्या और यह लोगों के नाम और सैकण्ड मेरा प्रश्न यह है कि बाड़मेर और जैसलमेर में शिविरों की संख्या जीरो क्यों रही?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है तो करौली में पांच शिविर हुए, उसमें कुल लाभान्वित 63 थे और प्रारंभिक चयन भी 63 का हुआ। जैसलमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ और बाड़मेर, इनमें कोई शिविर आयोजित नहीं हुआ और यह बिलकुल चिंताजनक विषय है। इसका मुख्य कारण यह भी रहा कि मार्च, 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया। रोजगार विभाग, कौशल विभाग क्योंकि ट्रेनिंग और मेले, पब्लिक वहां पर इकट्ठी होती है तो इस प्रकार के आयोजन पर अक्टूबर माह तक एस.ओ.पी. के तहत उन पर बैन रहा। जब नवम्बर में यह खुली तो उस समय 2020 का समाप्त होने का समय आ गया तो निश्चित रूप से यह दो-तीन जिले खाली रह गये और आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

डग के पशु अनुसंधान केन्द्र में छात्रावास का निर्माण

483. श्री कालूराम (डग): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में पशु अनुसंधान केन्द्र में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए डिग्गी निर्माण का कार्य हुआ था, जो अब भी अपूर्ण है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पशु अनुसंधान केन्द्र डग में महिला छात्रावास की सुविधा नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त केन्द्र में महिला छात्रावास खुलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनुसंधान केन्द्र में अधिकारियों व कर्मचारियों के पद काफी समय से रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। पशुधन अनुसंधान केन्द्र, डग में डिग्गी (1 करोड़ लीटर क्षमता) का निर्माण कार्य राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के स्तर से

(पशुपालन मंत्री)

वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ किया गया था, जिसके निर्माण कार्य पर अब तक 30 लाख 2 हजार का व्यय किया जा चुका है। डिग्गी निर्माण कार्य के बीच पत्थर आने के कारण खुदाई कार्य में बाधा आ रही है।

जी हां। कार्य पूर्ण करने में लगभग 90 लाख रुपये का व्यय होना संभावित है। निर्माण कार्य को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पूर्ण करवाया जा सकेगा।

(2) जी हां। वर्तमान में पशु अनुसंधान केन्द्र, डग में महिला छात्रावास निर्मित नहीं है।

जी हां। पशुधन अनुसंधान केन्द्र में महिला छात्रावास आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोले जाते हैं।

(3) जी हां।

जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह से यह पूछना चाहता हूं कि आपने 2017-18 में कार्य प्रारम्भ किया था, 30 लाख रुपये उस पर खर्च हो चुका है और एक पत्थर नहीं हटा उसके बीच से तो डिग्गी का पत्थर कब हटेगा?

एक, पशुधन अनुसंधान केन्द्र में कितना श्रम पर खर्च हुआ है, कितना सामग्री में खर्च हुआ है? डिग्गी वहां पर खुदी नहीं है, मैं खुद मौके पर गया हूं और डिग्गी का वहां एक टोकरी भर लो इतनी भी मिट्टी नहीं है। ठेकेदारों ने डिग्गी का जो मलबा निकाला, उससे उसका रोड बनाया है और अपना कालेज बनाया है, उसमें भराव किया है, न कि वहां पर कोई डिग्गी बनी है। डिग्गी में जो 30 लाख रुपये खर्च किये गये, यह सारा ही भ्रष्टाचार है। ए.ईएन., जे.ईएन., एक्स.ईएन. जिन लोगों ने यह एम.बी. भरी है, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने का क्या आप विचार रखते हैं या उनको निलम्बित करने का विचार रखते हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह एक करोड़ लीटर क्षमता की डिग्गी बनाने का टेंडर मैसर्स राजश्री कंस्ट्रेक्शन कम्पनी, ग्राम पोस्ट मोई सदा, तहसील-बुहाना, जिला झुंझुनूं को दिया गया और यह टेंडर होने के बाद में इसकी जो मियाद काम को पूरा करने की थी, वह 22.11.2017 थी और वह काम आज तक भी पूरा नहीं हुआ है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जब यह टेंडर हुआ तो मेरे ख्याल से यह लगता है जो मैंने मालूम किया है, कल मैंने वहां की फोटो भी मंगवाई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 30 लाख लीटर के आसपास पानी वहां पर भरा हुआ है अभी उस डिग्गी में पर यह बात सही है कि ठेकेदार ने जब टेंडर लिया तब उसको यह पता नहीं था कि इसमें नीचे रॉक्स आ जाएगी। जो पैसा 22 लाख रुपये बचा हुआ है वह तो है ही विभाग के पास में पर मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करता हूं कि मैंने वी.सी. महोदय से बात की है, सात दिन के अन्दर एक कमेटी जाएगी और वह आपको भी पहले सूचित करेंगे। वह कमेटी वहां रहेगी डग के अन्दर, आपको पहले सूचित करेंगे, आपसे समय लेंगे, आप वहां पर मौजूद रहना। जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ तो कार्यवाही होगी ही होगी। परन्तु दिसम्बर तक जो कार्य अधूरा रहा है, क्योंकि कम्पनी वालों ने यह कहा है हमारे को कि हम यह काम करने के लिये तैयार हैं। जो राशि एक्स्ट्रा दिलवाने की बात है, उसकी व्यवस्था हम करेंगे और दिसम्बर तक इसको हम पूरा कर देंगे। पर चूंकि हम चाहते हैं कि जो पानी उसमें भरा हुआ है उस पानी का हम यूज करें, क्योंकि वह बरसात का पानी है, चने की अगली फसल होगी। जैसे ही व्यवस्था आप वहां बताएंगे उन अधिकारियों को, वे आपके साथ मिलकर सारी व्यवस्था को आपके अनुरूप करेंगे।

मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं और आपको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि यह काम काफी पुराना था और आपने मुझसे पहले भी पत्राचार किया है और मैंने भी नीचे आदेश दिये हैं, पर अब इसको टाइम-बाउंड कर दिया गया है, दिसम्बर तक इसको पूर्ण कराएंगे और जो राशि व्यय होगी, उस पर खर्च करेंगे।

श्री कालूराम (डग): मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप काफी प्रयास करते हैं काम करने का, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी इसमें कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं। बाकी अधिकारियों ने जो गलत सूचना दी, डिग्गी खुदी नहीं है, वह मिट्टी सिर्फ भराव के लिये गयी है और वहां डिग्गी का काम ही नहीं हुआ है। मैं खुद मौके पर गया हूं अगर डिग्गी की मिट्टी निकलती तो वहां मिट्टी तो होनी चाहिए। नम्बर दो मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब आपको कह दिया कि आपको मौके पर बुलाएंगे, जांच हो जाएगी, कार्यवाही हो जाएगी। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही जानना चाहता हूं कि जब आपने इसका वर्क-आर्डर दिया होगा, तो वह कितने अमाउंट का वर्क-आर्डर था और उसमें से आप जो बता रहे हो कि 30 लाख रुपया इस पर खर्च हो चुका है, तो वर्क आर्डर कितने का दिया था, 30 लाख रुपया खर्च हो गया है और केवल एक पत्थर आ जाने के कारण वह काम रूक गया है तो एक तो वर्क-आर्डर का पैसा कितना था, उसमें से इतना खर्च हुआ तो अब क्या वहां पर बाकी रह गया?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में यह टेंडर की कापी है, जिसमें टोटल वर्क-आर्डर है 51 लाख 70 हजार 978 रुपये का। यह वर्क-आर्डर दिया और इसकी मियाद भी थी काम पूरा करने की, यह वर्क-आर्डर हुआ 23.3.2017 को, और इसके कार्य पूर्ण होने की जो डेट थी वह थी 22.11.2017, उसी में पूरा होना था। यह बात सही है कि कहीं-न-कहीं कमी रही है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसकी जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कालूराम जी।

श्री कालूराम (डग): नम्बर दो, पशु अनुसंधान केन्द्र में एक डिप्लोमा का होस्टल बना हुआ है, वह 100 सीटों का है। 50 सीट एक साल में बच्चों की आती है, दूसरे साल में 50 बच्चियों की, तो वहां 33 प्रतिशत के हिसाब से महिलाओं की 33 सीटें बनती हैं तो वहां पर बच्चियों के रहने के लिये छात्रावास नहीं है। वह आप कब तक बनवा देंगे? 15 सीटें वहां डाक्टर की और कुछ स्टाफ की हैं, उसमें से मात्र एक सीट भरी हुई है तो इन खाली सीटों को कब तक भर देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। दुबारा बोल दें। आपने सुन ली उनकी बात।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): हां, मैं जवाब दे देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वहां जो किसान प्रशिक्षण केन्द्र है, उसको छात्रावास बना रखा है, जो मेरी जानकारी में है। 14 छात्राएं वहां अध्ययनरत हैं और बाकी जो होस्टल की बात आप कह रहे हैं, उसके लिये मैंने कुलपति महोदय से बात की है, उन्होंने कहा है कि 40 छात्राओं के लिये होस्टल का प्रपोजल भेज रहे हैं, वह अभी भेजने के बाद में वित्त विभाग से बात करेंगे। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

जिलों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से विकास कार्य

484. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बनाये गये डी.एम.एफ.टी. फण्ड का उपयोग उस जिले के विकास कार्यों में किया जाता है? यदि हां, तो विगत दो वर्षो में प्रदेश के किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि उक्त फण्ड में जमा हुई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के सभी जिलों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड में प्राप्त राशि का उपयोग उन जिलों के विकास कार्यों पर ही किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले में, कितनी-कितनी राशि के, कितने-कितने विकास कार्य करवाये गये और शेष राशि का क्या उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अजमेर में विगत दो वर्षो में डी.एम.एफ.टी. फण्ड में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई और उससे जिले में कब-कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे विकास कार्य करवाये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में जमा राशि का उपयोग खनन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं फायदे के लिए किया जाता है। खनन से व्यक्ति एवं क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं, जो उसी जिले अथवा अन्य जिलों में निवास करते हों। डी.एम.एफ.टी. फण्ड में विगत दो वर्षों में जमा राशि का वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश के सभी जिलों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड में प्राप्त राशि का उपयोग खनन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित एवं फायदे के लिए राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है। प्रदेश में विगत दो वर्षों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से स्वीकृत किये गये विकास कार्यों की संख्या एवं राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। ट्रस्ट फण्ड की शेष राशि का उपयोग सम्बन्धित जिलों के द्वारा डी.एम.एफ.टी. नियमों के अनुसार किया जाता है।

(3) अजमेर जिले में विगत दो वर्षों में डी.एम.एफ.टी. फण्ड में प्राप्त

(खान मंत्री)

राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है। उक्त राशि में से विगत दो वर्षों में करवाये गये विकास कार्यों का वर्षवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि डी.एम.एफ.टी. से कार्यों की स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है एवं इसके सदस्य कौन-कौन हैं? विगत दो वर्षों में अजमेर में डी.एम.एफ.टी. की कितनी बैठकें बुलायी गयी हैं और बिना बैठकों के कितनी स्वीकृतियां जारी की गयीं? खण्ड-2 में यह पूछना है।

श्री अध्यक्ष: एक-एक प्रश्न पूछें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.एफ.टी. की जो संरचना है, समय-समय पर डी.एम.एफ.टी. की संरचना में परिवर्तन आया और परिवर्तन किया गया। जिला गवर्नर कौंसिल, अध्यक्ष जिला कलेक्टर, लोक सभा सांसद, क्षेत्रीय विधायकगण, राज्य सभा सांसद और सदस्य अधिकारीगण और नामित सदस्य, इसके सदस्य होते हैं। साथ ही, अजमेर की बैठक के बारे में पूछा है तो अजमेर की बैठक बुलायी गयी। निश्चित रूप से वहां पर बैठकें कम हुईं, क्योंकि बीच में पंचायती राज चुनाव और नगरपालिका चुनाव और लोक सभा चुनावों की आचार संहिता के कारण समय पर बैठकें नहीं हो पायीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य लाम्बा जी।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): बिना बैठक के कितनी स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। खण्ड 3, डी.एम.एफ.टी. फण्ड में जो राशि दो वर्षों में आयी, उसमें से कितनी राशि स्वीकृत की गयी एवं कितने कार्य पूर्ण हुए हैं?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर की जो आपने जानकारी चाही स्वीकृत राशि की, वर्ष 2019-20 की कुल स्वीकृतियां 568 और स्वीकृत राशि 61.51 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 की कुल स्वीकृतियां 231 और स्वीकृत राशि 23.96 करोड़ रुपये। इसमें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रताप सिंह जी, माइक का कंट्रोल गरम है क्या? सोच की बात है यह? मंत्रीजी बोलें।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): आपके क्षेत्र में जो कार्य स्वीकृत हुए 2019-20 में 500 स्वीकृतियां 80 लाख रुपये और 2020-21 में 11 स्वीकृतियां और 21 लाख रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डी.एम.एफ.टी. कार्यों की स्वीकृतियां जिला गवर्नर कौंसिल द्वारा की जाती हैं और माननीय सदस्य भी उस कौंसिल के सदस्य हैं और उसमें राज्य सरकार का सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जहां तक स्वीकृति की प्रक्रिया है तो कोई अर्जेंट अगर कार्य होते हैं तो सक्षम अध्यक्ष के द्वारा मंजूर भी कर दिये जाते हैं और बाद में उसका अनुमोदन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत अफसोस के साथ पूछ रहा हूं डी.एम.एफ.टी. का आपके पास जो पैसा है, जो आपने हमको सूची दी है, उसमें आपने 2019-20 का 31 मार्च तक का दिया है 1,016 करोड़ रुपया और इसी तरह से आपने 2020-21 का दिया है 1,073 करोड़ रुपया। इसी में आपने जो उदयपुर को दिया है, वह पहले साल में 137 करोड़ और दूसरे साल में 125 करोड़ और आपने जो परिशिष्ट दो दिया है, उसमें 2019-20 में खर्चा जीरो और 2020-21 में स्वीकृति आपकी जीरो। केवल और केवल अभी एक काम की आपने स्वीकृति दी, जिस पर 14 करोड़ रुपया, जो हास्पिटल में एक मशीन दी है, मंत्रीजी जिसकी घोषणा करके आये। दुर्भाग्य से उदयपुर में ही मेरे हिसाब से 263 करोड़ रुपया आपके पास पैंडिंग पड़ा है, ऐसे ही बाकी जिलों का भी है। मैं अभी इन सारे आंकड़ों को आपने सामने रख रहा हूं। आप तो यही बता दीजिए कि आखिर यह इतना पैसा उदयपुर जिले का पड़ा था तो आपने जीरो, जीरो और अभी 14 करोड़ की हास्पिटल में मशीन की सैंक्शन निकाली, जो मंत्री महोदय की मीटिंग में हुआ था, उसके आगे भी बाकी विधायकों ने प्रस्ताव दिये थे, लेकिन किसी का भी कोई स्वीकृत नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है। पैसा आपके पास है, लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है और जो गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछना है कि नहीं?

(12.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में उदयपुर में यह जो पैसा आपको प्राप्त हुआ है, आपकी मीटिंग कब-कब हुई, कब-कब प्रस्ताव लिये और आपने कब-कब इसको खर्च किया?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया, जिला हनुमानगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति एवं बढ़ते नशे के कारोबार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत किसानों को डिग्गी निर्माण पर वर्ष 2018 के बाद सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर तथा बाड़मेर बार्डर पर खुलेआम बायोडीजल की तस्करी किये जाने से सरकार को हो रही राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मेंद्र कुमार, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मैन कैनाल पर 1965 से पूर्व निर्मित पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का फसल बीमा होने के बावजूद भी मुआवजा राशि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के विभिन्न विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त होने से आमजन को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बाबु लाल (झाडोल), सदस्य की ओर से उदयपुर जिले में कम बारिश होने से किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, जिनको बात करनी हो, पीछे अपने हां ना पक्ष की लॉबी है।

(8) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली की

(श्री अध्यक्ष)

रोहट तहसील में वर्ष 2017 में हुई अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा अभी तक नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों की की जा रही उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती इन्दिरा देवी, सदस्य की ओर से मेड़ता सिटी से जसनगर तक की 20 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त सड़क होने के बावजूद राजमार्ग पर वाहनों से टोल वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के अरनेठा, समिधि, गंभीरा एवं मानपुरा के किसानों का फसल बीमा लाभ फर्जी तरीके से गिरोह द्वारा उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से जवाई नदी पर पोसालिया के आगे जोयला डायवर्जन बनाने की योजना प्रक्रियाधीन होने से विधान सभा क्षेत्र आहोर के 50 गांवों के सूखाग्रस्त होने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से प्रदेश में आर.ए.एस. भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण व्यवस्था में हो रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में हो रहे झूठे मुकदमों के दौरान राजीनामे के नाम पर लाखों रुपये वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से पोंग बांध में पानी का लेवल होने के बावजूद भी खरीफ की फसल की सिंचाई के लिए रेगुलेशन तय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से अलवर एवं भिवाड़ी में फिरौती

(श्री अध्यक्ष)

के लिए लगातार हो रही फायरिंग से आमजन में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से सिरोही जिले में किसानों के विद्‍युत कनेक्शन लम्बित होने से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में तख्तगढ़ व सुमेरपुर शहर में एलजी कोड नहीं खुलने से किसानों को किसान निधि सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद नहीं किये जाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि एवं बाढ़ के कारण खरीफ की फसल को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(22) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्षा नहीं होने से फसलें पूर्ण रूप से नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(23) श्री कन्हैया लाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से नगरपालिका, मालपुरा में चल रहे जमीनी जिहाद को रुकवाकर हिन्दू व जैन समुदाय के व्यक्तियों का पलायन रोकने के सम्बन्ध में।

(24) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(25) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(26) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा व छीपाबड़ौद क्षेत्र ल्हासी पेयजल परियोजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(27) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों की माली हालत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(28) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकारी सेवा में ओ.बी.सी. सहित अन्य आरक्षित श्रेणी के लिए पदों की त्रुटिपूर्ण गणना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(29) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में बारिश नहीं होने से पश्चिमी राजस्थान के जिलों के किसानों की फसलें नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(30) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में भारी बारिश से किसानों की नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(31) श्री नरेंद्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बारिश से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(32) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में किसानों को समय पर कृषि अनुदान की योजनाओं का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(33) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन व कृषि अनुदान की अन्य योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना देवी, श्री नरेंद्र नागर, श्रीमती संतोष एवं श्री नारायण बेनीवाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की नगरपालिका, मालपुरा में चल रहे जमीनी जिहाद को रुकवाकर हिन्दू व जैन समुदाय के व्यक्तियों का पलायन रोकने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायत रूपावाल, चौपड़ा एवं चड़वास के बीच से राजमार्ग का निर्माण किये जाने से पंचायत मुख्यालयों पर जल भराव की निकासी हेतु सड़क के दोनों छोर पर नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कार्यरत यूनानी चिकित्सकों को विभाग में समायोजित कर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में रीको इंडस्ट्रियल एरिया खोलने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर में सीवरेज एवं पाइप लाइन बिछाने में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का पुनः निर्माण करवाने तथा सीवरेज को मकानों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी को चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल एवं साहवा लिफ्ट कैनाल परियोजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) सुश्री दिव्या मदेरणा, सदस्य की ओर से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं होने वाले व्यय का भुगतान जिला परिषद् स्तर पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से पाली जिले में पेयजल एवं सिंचाई हेतु स्थाई समाधान किये जाने हेतु जवाई बांध के पुनर्भरण योजना को त्वरित गति दिये जाने के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह बिलकुल गलत परम्परा है। अपने स्थान पर बैठें, please, be seated.

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से फतेहपुर व रामगढ़ कस्बे में आवारा पशुओं से आमजन को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में।

(10) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पेयजल की समस्या का निराकरण किये जाने हेतु जनता जल मिशन योजना में शीघ्र कार्य स्वीकृत किया जाकर कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तथाकथित परिवाद की समाप्ति एवं न्यायालय की स्वीकृति होने के पश्चात् भी वांछित प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती कल्पना देवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

लाडपुरा में भारी बारिश से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 2 से 4 अगस्त के बीच में कोटा जिले में भारी वर्षा हुई। इन 3 दिनों में ही लगभग 2716 एमएम बारिश गिरी है जिसमें लगभग 400 एमएम बारिश केवल लाडपुरा में आयी है। बारिश के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई जगह बाढ़ आयी, कई जगह जलमग्न होने के कारण किसान की फसल डूब गयी और दुकान एवं घरों के अन्दर पानी आने के कारण भारी नुकसान हुआ है। सड़क और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। इसके कारण से कई गांवों का शहर से सम्पर्क टूट गया।

माननीय अध्यक्ष जी, इस बाढ़ के कारण समस्या तो काफी आयी पर मैं केवल कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहती हूं, जिसके लिए मैंने आपके माध्यम से इस सदन में पहले भी यह समस्या रखी थी, पर फिलहाल उनका कोई समाधान नहीं हुआ।

सबसे पहले मैं रंगपुर पंचायत के गंगायचा के बारे में कहना चाहती हूं

(श्रीमती कल्पना देवी)

कि यह गांव चम्बल के किनारे होने के कारण हर बारिश में कटता जा रहा है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी यहां कोई समाधान नहीं निकाला गया है। बार-बार मुझे यह जवाब दिया जाता है कि पैसे की कमी के कारण हम यहां की सुरक्षा दीवार नहीं बना सकते हैं। इस बार तो मुझसे यह भी कहा गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति है जिससे जान-माल को खतरा है तो आप इनके घर खाली करा दीजिए। घर खाली तो करा देंगे पर कहां जाएंगे यह ग्रामवासी, इसका प्रबंध किया है कि नहीं प्रशासन ने? इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा।

दूसरा, मैं पुलिया के बारे में कहूं, दो मुख्य पुलिया हैं, एक नोटाणा की पुलिया जो किशनपुरा पंचायत में आती है, यह बारिश में हर साल डूब जाती है। इसके लिए भी मैंने बार-बार कहा है। पूरा गांव टापू बन जाता है। काफी परेशानी आती है क्योंकि मेडिकल सुविधा के लिए भी वे ग्रामवासी बाहर नहीं आ सकते। पहले भी एक महिला की मृत्यु इसी कारण हो गई है। इस बार तो यह पुलिया टोटली क्षतिग्रस्त हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि आप 2-4 महीने में इसका समाधान कर रहे हो। अभी तो कह रहे हैं कि प्रस्ताव बनेगा, पीडब्ल्यूडी देखेगी, सोचेगी, तब तक इस गांव का पूरा आवागमन बंद है। इस गांव के लोग सब्जी बेचने के लिए शहर आते हैं। इसमें इनके बहुत दिक्कत और परेशानी आ रही है।

दूसरी मुख्य पुलिया श्यामपुरा की है, जो 28 गांवों को जोड़ती है। मैं इस पुलिया के बारे में मैं कोई सनसनी नहीं पैदा करना चाहती, पर इस बार ऐसा हुआ है कि जिस परिस्थिति में गांव वाले श्मशान जाते हैं, इतनी परेशानी होती है कि जब वह श्मशान जा रहे थे तो शव ले जाते समय वह शव पानी में भी गिर गया, लेकिन प्रशासन अभी तक वहां जा ही नहीं पाया और देख ही नहीं पाया कि यहां कैसी समस्या है।

तीसरा, कालोनी और दुकानों में पानी भराव के कारण नुकसान हुआ है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां घर का पूरा राशन नष्ट हो गया। कई परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए जो सामान इकट्ठा कर रखा था, वह भी नष्ट हो गया था। नगर निगम के वार्ड गोवर्धनपुरा में नन्द किशोर सुमन जी की बेटी जिया को अपनी जान खोनी पड़ी, उसके घर का मकान गिर गया क्योंकि वहां नाले का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसी बातें सुनकर के मेरा मन बहुत व्यथित होता है।

(श्रीमती कल्पना देवी)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हम राजनीति नहीं करें। हम सब यहां जन-प्रतिनिधि हैं। बस एक मिनट। दो चार उपाय, जो हम किसान के लिए समय पाबंद करते हैं, मुआवजे के लिए समय सीमा तय करते हैं कि इतनी समय सीमा में आप आवेदन करें तभी आपका मुआवजा होगा। उसी तरह से अगर आप प्रशासन को भी पाबंद करें कि वह एक तय समय सीमा में सर्वे भी करने जाएं ताकि जल्द से जल्द सर्वे होकर उनको मुआवजा समय पर मिल जाए।

दूसरा, जो सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका निर्माण प्रायोरिटी पर लिया जाए ताकि इन गांवों का शहर से सम्पर्क तुरन्त हो जाए।

तीसरा, जिन मकानों में पानी भरने से नुकसान हुआ है और जिन दुकानदारों का सामान नष्ट हुआ है, उनको भी मुआवजा दिलाने का विचार रखें। माननीय यूडीएच मंत्री से मेरा विशेष आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि जिस तरीके से वे कोटा में विकास कर रहे हैं, एक तरफ वह रंगपुर पंचायत में गंगायचा की ओर भी अपनी दया की दृष्टि रखें और एक सुरक्षा दीवार गंगायचा में भी बनाएं ताकि वह पूरा गांव बच सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र नागर।

खानपुर में बारिश से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

अध्यक्ष महोदय, 15 जून से बरसात का सीजन मानते हैं। 15 जून के आसपास हाड़ौती में बरसात हुई। बरसात होने की वजह से किसानों ने अपनी फसल की बुआई कर दी। 15 से 22 तारीख तक किसानों ने अपनी फसल की बुआई की। उसके बाद बरसात लम्बे समय तक नहीं आने की वजह से जिन किसानों ने बुआई की थी, उनकी फसल सूखने के कगार पर थी। लगभग 90 परसेंट किसानों की फसल सूख चुकी थी। पूरी जुलाई में बरसात नहीं हुई। अगस्त की 5 और 6 तारीख को, सिर्फ 24 घंटे में पूरे झालावाड़ जिले में इतनी बरसात हुई, विशेष रूप से खानपुर तहसील, असनावर तहसील और झालरापाटन की कुछ तहसील में 190 एमएम की बरसात 24 घंटे में हुई।

इतनी बरसात होने की वजह से वहां पर बहने वाली जो नदियां हैं, खानपुर में रूपली नदी है, पास में गोलाना में खारड नदी है, कुजाड़ नदी है,

(श्री नरेन्द्र नागर)

काली सिंध नदी है, परवन नदी है, इनमें इतना पानी आया कि जिन लोगों की उम्र 80, 85 साल है, उन्होंने भी इतना पानी कभी नहीं देखा। नदियों के पेरेलल जितने भी गांव हैं, उन गांवों में आज तक के इतिहास में इतना पानी नहीं आया। लोगों का जितना भी माल घर पर सुरक्षित रखा था कि माल तैयार करके बरसात के बाद वह बेच सकें। उनकी आवश्यकतानुसार माल बेच सके, उन किसानों का जितना भी माल घर पर रखा चाहे लहसुन हो, चाहे सरसों हो, चाहे अन्य फसल है, वह सारी फसल डूबने की वजह से नष्ट हो गई।

साथ ही, प्रोपर खानपुर से रूपली नदी निकलती है। वहां व्यापारियों को पता था कि 3 फीट, 2 फीट, कभी भी इतिहास में आया तो उतना पानी आया था। वे 3 फीट की जगह 4 फीट से ऊपर सामान हटाकर के सुरक्षित हो गए ताकि नुकसान नहीं हो। हालात यह बने कि लगभग 8 से 10 फीट तक पानी आया और उन व्यापारियों का सारा माल नष्ट हो गया। व्यापारी घर से दुकानों पर नहीं पहुंच सके। इस प्रकार के हालात बने। पूरे क्षेत्र में फसल लगभग 2 दिन तक डूबी रही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी के चैम्बर हैं, माननीय सदस्य चैम्बर में जाकर बात कर सकते हैं।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): फसलों के डूबी रहने की वजह से इस प्रकार के हालात बने कि उनकी सारी फसल नष्ट हो गई। जो किसान पहले फसल बो चुके थे, उनके फसल में फूल आ रहे थे, वह सब नष्ट हो गए। उसके बाद हम सबने जिला प्रशासन से भी मांग की कि यह जो हालात अब बने हैं, इस प्रकार के हालात भविष्य में न बनें, इसके लिए कहीं न कहीं ठोस उपाय हमें करना चाहिए। उसमें बात निकलकर के आई कि जो नदियां हैं, उनमें जो अतिक्रमण हो रहे हैं, वह निश्चित रूप से हटें। चूंकि खानपुर उपखण्ड स्तर का शहर है, बड़ा कस्बा है। झालावाड़ जिले में सबसे बड़ा कस्बा है। सबसे बड़ी पंचायत है। उसके लिए प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम बने। ड्रेनेज का डायवर्जन चैनल बने जिससे खानपुर को बाढ़ से बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, वहां एक मेगा हाई-वे और निकलता है, इतना पानी पहले कभी नहीं आया है, उस हाई-वे में भी कहीं न कहीं निकास की प्रोपर व्यवस्था हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले। जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है फसल दिख रही है, उसके बावजूद उनमें फलियां नहीं हैं, उसकी तुरन्त

(श्री नरेन्द्र नागर)

गिरदावरी कराकर के उन्हें अच्छा पैसा मिले। जिन कंपनियों के माध्यम से किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कर रखा है फसलों का, उसका 25 परसेंट पैसा तो तुरन्त उन किसानों के खाते में आए। उन बीमा कंपनियों को पाबंद किया जाए जो कि हमेशा बचना चाहती हैं। वह किसानों को समय पर अच्छा मुआवजा दें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में किसानों को कृषि अनुदान की योजनाओं का लाभ न मिलना

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसान खेती पर निर्भर हैं। वे खेती करके ही अपना जीवन-यापन करते हैं। सरकार यदि किसान हित की बात करती है तो किसान अपने हक के लिए सिंचाई के पानी के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में आईजीएनपी से किसानों को सिंचाई का पानी मिलता है लेकिन जहां सिंचाई के पानी का रेगुलेशन 6 माह पहले तैयार होता था, वर्तमान हालात तो ऐसे हो गये हैं कि पहले एक-एक महीने का रेगुलेशन अधिकारी कार्यालयों में बैठकर तय करते थे, अब तो 10-10 दिन का रेगुलेशन तैयार करने में लगे हुए हैं।

सिंचाई विभाग के अधिकारी चीफ, एसई अपनी मनमानी करते हैं। सरकार का सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है। ऐसा लगता है कि सिंचाई विभाग को सरकार ने राम भरोसे छोड़ रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करती हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाकर राज्य सरकार इसका प्रस्ताव बनाकर केन्द्र को भेजे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके।

बीबीएमबी में हमारे प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व हो जिससे हमारे किसानों के हक की बात को रखकर पानी दिलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रस्ताव क्या दिया है और बोल क्या रहे है? प्रस्ताव अनूपगढ़ में खाद, बीज, पेस्टिसाइड के सम्बन्ध में है, उसके बारे

(श्री अध्यक्ष)

में बोलो। अपन पूरा आईजीएनपी पर जा रहे हैं। स्पेसिफिक पाइंट पर बोलें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): किसानों से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: आपने लिखकर दिया है। किसानों का नहीं है, जनरल मांग नहीं है। नियम 50 में जो आपने लिखकर दिया है, उसी पर बोलना है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): जी। आज किसानों को खाद, बिजली के लिए भी अपन कह सकते हैं कि अपना जो बीजान होता है उसका भी खर्चा पूरा नहीं होता है। खाद, बिजली के लिए भी उनको भटकना पड़ता है।

सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान में भी किसानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं। उनको सिंचाई, पानी की सुविधा भी दी जाए। सिंचाई पानी के अभाव में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो आपने लिखा, उसी पर बोलने का है। नियम 50 में आपने जो लिखकर दिया है, वह मेरे पास है। उसमें आपने लिख रखा है, खाद, बीज, पेस्टीसाइड, अनूपगढ़ के लिए। आपकी पूरी डिमांड के लिए नहीं है। कृपया जो लिखकर दिया है, उसी पर बोलें, अगली बार आप ध्यान रखें। धन्यवाद आपको।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): मेरी सरकार से मांग है।

श्री अध्यक्ष: हो गई आपकी बात। श्री नारायण बेनीवाल।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन व कृषि अनुदान योजनाओं का लाभ न मिलना

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में नागौर सहित प्रदेश भर में राष्ट्रीय बागवानी मिशन व कृषि अनुदान की अन्य योजनाओं में किसानों को समुचित लाभ न मिल न पाने के कारण हो रही समस्याओं पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से राजस्थान पत्रिका में छपी इस खबर की ओर दिलाना चाहता हूं कि किसान जाग गये, अब तो जागो सरकार, आज न केवल नागौर बल्कि प्रदेश की जनता की निर्भरता कृषि पर है। अधिकतर क्षेत्र असिंचित हैं और सिंचाई के साधन सीमित होने के कारण सरकारें किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(श्री नारायण बेनीवाल)

और कृषि अनुदान की अन्य योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की बात करती है लेकिन मैं आपका ध्यान इन योजनाओं में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा आवेदन आने के कारण अनुदान आदि से वंचित रहे किसानों को इसका पूर्ण लाभ न मिल पाने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि केवल नागौर जिले में विभागीय आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2021 तक प्याज भण्डारण हेतु 4200 से अधिक आवेदन लम्बित पड़े हैं। बागवानी के लिए किसानों का रुझान अत्यधिक है लेकिन किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे सरकार की अनुदान की योजनाओं का समय पर समुचित लाभ न मिलने के कारण कहीं न कहीं किसानों को निराश होना पड़ता है। बावजूद इसके नागौर जिले में किसानों ने 300 से ज्यादा हैक्टेयर में अपने स्वयं के खर्चे पर बागान भी स्थापित किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार तत्काल प्रभाव से नागौर सहित प्रदेश भर में बागवानी मिशन व कृषि अनुदान की अन्य योजनाओं में किसानों ने जो आवेदन कर रखे हैं, उनमें अनुदान से वंचित किसानों को लाभ दिलवाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बढ़ावें ताकि नए बगीचों की स्थापना हो सके, जल स्रोतों के विकास के लिए, संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन हाउस संरचना व उद्यानिकों में यंत्रीकरण तथा समन्वित फसलोत्तर प्रबंधन आदि हेतु किसानों को आवेदन करने पर अनुदान आदि का लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि आप हमेशा जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात करते आये हैं तो आप जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक वर्मी कम्पोस्ट की सिर्फ 793 जो यूनिटें हैं उनको आपने अनुदान दिया, इसके अलावा जल संग्रहण ढांचों का निर्माण जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please be specific. I will not allow it. ऐसा नहीं होगा।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): कच्चे हौज और डिग्गी हैं...

श्री अध्यक्ष: बागवानी पर बोलें, जो लिखकर दिया है, उस पर बोलें। जनरल डिबेट नहीं है। जनरल डिमांड नहीं है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): ये बागवानी के ही हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कच्ची डिग्गी का जो आप निर्माण कर रहे हैं, इसके अन्दर 63 हजार रुपये का अनुदान जो किसानों को मिल रहा है और जल हौज पर 1 लाख रुपये का, उसको बढ़ाकर 1 लाख और 1.5 लाख रुपये किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री कन्हैया लाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मालपुरा नगरपालिका क्षेत्र में चल रहा जमीनी जिहाद

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मालपुरा का कस्बा मालपुरा एक अति संवेदनशील कस्बा है। यहां वर्ष 1950 से लगातार साम्प्रदायिक घटनाएं होती रही हैं, जिन्होंने दंगों का रूप भी ले लिया और इनमें अब तक 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसके चलते प्रशासन ने भी हार मानकर सार्वजनिक जुलूसों, रैलियों व कार्यक्रमों के स्थान व रास्ते बदलने के आदेश जारी किये और साम्प्रदायिक तनाव के कारण लगातार आदेशों की पालना पर जोर दे रहे हैं।

अब मुस्लिम समुदाय द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत हिन्दू समुदाय के मकानों व जमीनों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कई गुना अधिक दर पर हिन्दू समुदाय की कालोनी के बीचोंबीच एक मकान व भूखण्ड खरीदते हैं। अवैध एवं अनधिकृत रूप से खरीदे गये मकान में ये लोग रहना प्रारम्भ कर देते हैं और फिर आसपास स्थित हिन्दू समुदाय के अन्य परिवारों से आये दिन लड़ाई झगड़े करते हैं और उन्हें डराते-धमकाते हैं तथा हिन्दू समुदाय की बहिन बेटियों को देखकर अश्लील हरकतें करना ओर अश्लील वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं जिससे हिन्दू परिवारों में असुरक्षा और भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते अब तक लगभग 600-800 हिन्दू परिवार इन बस्तियों से पलायन कर चुके हैं1

नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नम्बर 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23 और 27 मुस्लिम बस्ती से सटे होने के कारण हिन्दू समुदाय के परिवार

(श्री कन्हैया लाल)

अत्यधिक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से इन वार्डों से अत्यधिक परिवार पलायन कर चुके हैं और शेष बचे परिवार भी पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। वार्ड नम्बर 12 व 21 जो पूरी तरह जैन समाज के वार्ड हैं जिनमें दिगम्बर व श्वेताम्बर समाज के बड़े-बड़े मंदिर हैं, जिनमें दादाबाड़ी, तेरहपंथियान मंदिर प्रमुख हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इन मंदिरों में जाने वाले रास्तों तथा मकानों की सीढ़ियों पर खरीदे हुए मकानों की छतों से मांस-मछली की हड्डियां फेंकते हैं।

उक्त घटनाओं को लेकर हिन्दू समुदाय द्वारा उपखण्ड अधिकारी को जब ज्ञापन देकर अवगत करवाना चाहा तो उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने ज्ञापन लेने से मना करते हुए हिन्दू समुदाय पर ही मुकदमे कायम करवा दिये। अभी हाल ही में महावीर चौक में रिण्डल्या निवासी हेमराज शर्मा के मकान को तय राशि से अधिक मूल्य पर मकान खरीदा और बिना रजिस्ट्री मुस्लिम परिवार ने निवास करना और जैन समाज को परेशान करना और भयभीत करना प्रारम्भ कर दिया।

अत: माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका, मालपुरा में चल रहे जमीनी जिहाद को रुकवाकर हिन्दू व जैन समुदाय के गरीब लोगों के पलायन को रोकने के लिए अविलम्ब ठोस कानून बनाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत की रूपावाल, चौपड़ा व चड़वास ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल भराव की निकासी

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सोजत विधान सभा क्षेत्र के रूपावाल, चौपड़ा, चड़वास ग्राम पंचायतों में राज्य राजमार्ग 58 गुजरता है। इस राजमार्ग के निर्माण होने के पश्चात् इन तीनों ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह राजमार्ग इन पंचायत मुख्यालयों के मध्य से होकर गुजरता है। राजमार्ग से सम्बन्धित अधिकारियों से बात करने पर भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। चौपड़ा ग्राम पंचायत में तो गरीबों के मकान जल भरने के कारण गिर गये हैं

(श्रीमती शोभा चौहान)

तथा दूसरी ओर नाली निर्माण करने वाली कम्पनी द्वारा सड़क के दोनों छोर पर नाली निर्माण का कार्य भी अभी तक नहीं किया गया है।

मेरा इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उक्त वर्णित जनहित के सम्बन्ध में कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री वाजिब अली (अनुपस्थित)। श्री रोहित बौहरा।

राजाखेड़ा में रीको इण्डस्ट्रियल एरिया की स्थापना

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा में राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए नया रीको इण्डस्ट्रियल एरिया खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। मुझे खेद है कि आज दिन तक बहुत धीमी गति से कार्यवाही चल रही है जबकि बजट घोषणा के छह महीने बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त बजट घोषणा के लिए तुरन्त जमीन चिह्नित करके रीको इण्डस्ट्रियल एरिया खोलने का श्रम करावें। यह इण्डस्ट्रियल एरिया आगरा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर है और यहां नये उद्योग लगाने के लिए आगरा और धौलपुर के व्यवसायी लालायित हैं। अत: आपसे विनती है कि इसी माह रीको इण्डस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन चिह्नित कर इस कार्यवाही को आगे बढ़ावें।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली में सीवरेज निर्माण से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले कुछ माह से पाली शहर के भीतरी भाग में जहां मार्ग काफी संकड़े हैं एवं मुख्य बाजार भी स्थित है, में रूडिप द्वारा 27 गुणा 7 पेयजल पाइप लाइन बिछाने एवं सीवरेज का कार्य किया जा रहा है। संवेदक कम्पनी ने सीवरेज एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु सड़कें खोद दीं लेकिन इतना समय बीत

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जाने पर भी न तो मकानों को सीवरेज एवं पाइपलाइन से जोड़ा गया है एवं न ही सड़कों का पुन: निर्माण करवाया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र के व्यापारियों, निवासियों एवं आने वाले खरीददारों को असुविधा हो रही है। दुकानदारों द्वारा प्रतिदिन धरने दिये जा रहे हैं परन्तु रूडिप द्वारा सड़कों के पुन: निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(12.30 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

जिससे जनता में रोष व्याप्त है। वर्ष 2011 में इस कार्य का सर्वे किया गया था, परन्तु उसके बाद वहां कई नयी बस्तियां बस गयी हैं। बस्तियों में पाइपलाइन एवं सीवरेज का कार्य यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि योजना हेतु जितनी राशि स्वीकृत है, उसमें यह कार्य नहीं होगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बिछायी गयी सीवरेज एवं पेयजल लाइन से तत्काल घरों को जोड़े, तोड़ी गयी सड़कों का तत्काल नवीनीकरण कराए एवं जो कॉलोनियां राशि के अभाव में सीवरेज एवं पेयजल योजना से वंचित हैं, उन्हें अतिरिक्त राशि स्वीकृत कराकर जोड़ा जाए। साथ ही योजना के सफल संचालन हेतु जवाई बांध में पानी की पर्याप्त आवक रहे, इसके लिए जवाई बांध पुनर्भरण योजना को शीघ्र प्रारम्भ करे एवं राजीव गांधी नहर परियोजना का पानी रोहट एवं पाली शहर को उपलब्ध कराने का श्रम कराए।

श्री सभापति: माननीय श्री जे.पी. चन्देलिया।

पिलानी में पेयजल संकट

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि झुन्झुनूं जिले के पिलानी विधान सभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अण्डर ग्राउण्ड पानी की अत्यन्त कमी के कारण वहां पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पिलानी विधान सभा क्षेत्र की भूमि का जल स्तर लगभग निम्नतम स्तर पर जा चुका है। इस परिस्थिति से वर्तमान विधान सभा के गत सत्रों में मेरे द्वारा विभिन्न तरीकों से बात उठायी जा चुकी है और स्थिति की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में पिलानी विधान सभा क्षेत्र को चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से सतही पेयजल स्रोत के द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राशि 7649.38 करोड़ रुपये तैयार करायी गयी है।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उक्त पिलानी विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट विद्यमान है और उसके निराकरण के लिए बनायी गयी चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल आधारित राशि 7649.38 करोड़ रुपये के उपरोक्तानुसार बनायी गयी डीपीआर की शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति और उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करके इस योजना को पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु तुरन्त क्रियान्वित कराया जाए और जो वर्तमान प्रगति की स्थिति है, उससे मुझे भी इस विधान सभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही जो परियोजना साहवा लिफ्ट कैनाल से पेयजल लेकर मलसीसर होते हुए सूरजगढ़ की तरफ पेयजल पहुंचाने की थी, उसमें से पिलानी के लिए 6 एमएलडी पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर जल संसाधन विभाग के स्तर पर जो सहमति दी गयी थी, उस सहमति के अनुरूप तुरन्त पिलानी को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, क्योंकि पेयजल वहां एक गम्भीर समस्या का रूप ले चुका है। इस परियोजना के पिलानी विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित क्रियान्वयन की स्थिति से भी तथा प्रगति की वर्तमान स्थिति से भी पिलानी विधान सभा क्षेत्र की जनता को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मुझे पिलानी विधान सभा क्षेत्र के विधायक के रूप में शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं की क्रियान्विति मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र के निवासियों की प्यास बुझाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कृपया इन दोनों परियोजनाओं की शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्विति कराएं तथा पेयजल के गम्भीर संकट से इस विधान सभा क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान कराएं। नवीनतम प्रगति और क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी जितनी जल्दी हो सके, मुझे भी उपलब्ध कराने का कष्ट कर अनुगृहीत करें।

श्री सभापति: माननीया सुश्री दिव्या मदेरणा।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं भुगतान

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा एक

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आदेश क्रमांक 3486-92 दिनांक 26.08.2021 जारी कर समस्त जिला परिषदों को निर्देशित किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत आईईसी एवं एचआरडी की समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं होने वाले व्यय का भुगतान जिला स्तर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाओं में इस तरह के आदेश क्या सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं? अगर हां तो क्या पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि कार्यकारी एजेंसी कोई अन्य तथा भुगतान एजेंसी कोई अन्य।

अत: मैं मांग करती हूं कि

(1) ऐसे आदेश प्रशासक काल में जारी किये गये हैं तो राजस्थान में इससे पूर्व आईईसी मद का भुगतान किया गया तो किस आदेश के तहत किया गया है और जिला परिषदवार, पंचायत समितिवार कितना भुगतान किस संस्था द्वारा किया गया? जब भुगतान हो रहा था तो इस आदेश का औचित्य क्या है?

(2) बजट नियंत्रण का हवाला देकर उक्त आदेश के जारी होने से पूर्व किस जिला परिषद् व किन-किन पंचायत समितियों में उक्त आईईसी व एचआरडी मद के तहत कितना भुगतान किया गया है और किस गाइडलाइन के तहत किया गया, उसकी प्रति प्रस्तुत करें।

(3) राज्य स्तर में आईईसी गतिविधियों के तहत कोई भुगतान किया गया है या आदेश प्रसारित किये गये हैं तो उसकी सूचना और आईईसी मद के तहत व्यय के सम्बन्ध में जारी मार्गदर्शिका सदन के पटल पर रखें, अन्यथा इस तरह के पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित करने वाले आदेशों को राज्य सरकार प्रत्याहृत करे या पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन करे।

श्री सभापति: माननीय श्री खुशवीरसिंह।

पाली में पेयजल व सिंचाई की स्थायी समस्या का समाधान

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): महोदय, जिला पाली में प्रति दूसरे व तीसरे वर्ष अनावृष्टि से अकाल की स्थिति से निजात दिलवाने हेतु हमारा सरकार से अनुरोध है कि जिले में अत्यधिक भूजल दोहन से भूजल लगभग

(श्री खुशवीरसिंह)

समाप्त होने व फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जेजेएम के तहत ''घर-घर नल योजना'' स्वीकृत करवाकर कार्य प्रारम्भ भी करवा दिया गया। दूसरी ओर, पानी की कमी के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकती। अत: मेरा सुझाव है कि जवाई पुनर्भरण योजना को त्वरित गति से प्रारम्भ करें व साथ ही जोधपुर से रेल द्वारा पाली, मारवाड़ तक पानी पहुंचाने की बात की जा रही है, इसके बजाय पाइप लाइन बिछायी जाये तो वह ज्यादा कारगर व स्थायी होने के साथ खर्च भी काफी कम लगेगा और मात्र दो माह में ही कार्य पूर्ण हो सकेगा।

महोदय, इसके साथ ही मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि पाली जिले की अरावली श्रृंखलाओं से चम्बल का पानी बिना लिफ्ट किये भीलवाड़ा होते हुए भीम देवगढ़ से अरावली श्रृंखलाओं के माध्यम से पाली की नदियों में पहुंचाया जा सकता है, जो चम्बल नदी से बहकर समुद्र में चला जाता है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा बारहवीं विधान सभा में भी दिनांक 21.01.2004 को मांग रखी गयी थी। हमारे मुख्य मंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा मेरे उस सुझाव को हकीकत में बदलकर उनके प्रयासों से चम्बल का पानी भीम देवगढ़ पहुंचाया गया।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि चम्बल का अतिरिक्त पानी, जो अनावश्यक बहकर चला जाता है, उसे नहर द्वारा अरावली श्रृंखलाओं तक लाया जाए, जिससे पनबिजली भी पैदा की जा सकेगी और पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए सरकार शीघ्र डीपीआर तैयार करवाए। डीपीआर के लिए विधायक कोष की पूरी राशि देने को तैयार हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री हाकम अली खां।

(12.38 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आवारा पशुओं के कारण परेशानियां

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है। आवारा पशुओं के लिए सरकार की ओर से कोई प्रबंध नहीं है, जबकि इनसे कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। प्रदेश का किसान दिन-रात मेहनत करके फसल तैयार

(श्री हाकम अली खां)

करता है, लेकिन रात को आवारा पशु, जानवर खेतों में घुस जाते हैं तथा किसान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों के पास इतना धन नहीं होता कि वे इसका पुख्ता इन्तजाम कर सकें। किसान रात को जागकर फसलों की सुरक्षा करते हैं। मेरे क्षेत्र बीड़ में बहुतायत में हिरण व आवारा गायें बछड़े हैं, जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खास बात यह भी है कि आवारा पशुओं से फसल का नुकसान होने पर न तो सरकार मुआवजा देती है तथा न ही इन्श्योरेन्स कम्पनी क्लेम देती है। ऐसे में किसान को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है।

प्रदेश की सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण बहुत हादसे होते हैं। मेरे क्षेत्र में आठ किलोमीटर के क्षेत्र में बीड़ लगता है। उसमें सड़क किनारे पेड़ों की संख्या भी अधिक है तथा अचानक जानवर सड़क पर आ जाते हैं। इससे बहुत बार बड़े हादसे भी हो रहे हैं। बीड़ की वजह से जानवर सड़क किनारे बैठे रहते हैं। वर्तमान समय में मुख्य सड़कों पर टोल वसूल किया जा रहा है। उन टोल सड़कों पर भी आवारा पशु सामने आ जाते हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जैसे फतेहपुर में बीड़ 36 किलोमीटर परिधि का है, उस बीड़ के तारबन्दी या चारदीवारी करके उस क्षेत्र के आवारा पशुओं को वहां छोड़ा जाए तथा अन्य जगह भी जंगलों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि हादसों से निजात मिले तथा आवारा पशुओं के लिए भी व्यवस्था हो सके। अगर ऐसा होता है तो मेरा मानना है कि 50 फीसदी हादसों में कमी आ जाएगी।

पूरा देश एक ओर गाय बचाने की बात कर रहा है, हमारी हिन्दू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है लेकिन महोदय, आवारा पशुओं में सबसे ज्यादा दुर्दशा गायों की हो रही है। दूध नहीं देने वाली गायों को लोग घर से निकाल देते हैं। उसके बछड़े को बाहर निकाल देते हैं। वे गायें व बछड़े इधर-उधर घूमते रहते हैं। जब प्रदेश की गौशालाओं को अनुदान भी दिया जाता है तो इन गायों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती है? गायों के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, फिर भी सबसे ज्यादा दुर्दशा हो रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से कोई कदम उठाने होंगे, वरना अपनी मां गाय ऐसे ही ठोकरें खाती रहेगी।

प्रदेश में प्रत्येक कस्बे में, शहर में भी आवारा पशुओं का आतंक रहता है। मेरे क्षेत्र फतेहपुर व रामगढ़ कस्बे में आवारा पशुओं से दिनभर राहगीरों को परेशानी होती है। बड़ी संख्या में घूमते आवारा पशु दिनभर में कई लोगों को

(श्री हाकम अली खां)

मारकर घायल कर देते हैं। दुकानदारों व ठेला धारकों के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। नगरपालिका हर बार लाखों रुपये इन्हें पकड़ने पर खर्च करती है लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। सरकार ने नन्दीशाला बनाने की घोषणा की, लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है। ऐसे में फतेहपुर बीड़ में नन्दीशाला बना दी जाए तो पूरे जिले के आवारा पशुओं को रखा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय रोहित कुमार जी, अपनी जगह पर जाएं। यह गलत परम्परा है। श्री पुखराज।

भोपालगढ़ में पेयजल की समस्या

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की जनसंख्या 3 लाख एवं पशुधन 4 लाख के आसपास है। इतने प्राणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु विभागीय चार उपखण्डों के माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर आधारित नहरी परियोजना लिफ्ट कैनाल के फीडर घड़ाव और दातीवाड़ा के माध्यम से चिह्नित 170 राजस्व गांवों एवं ढाणियों में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में चिह्नित स्थानों पर जीएलआर के माध्यम से गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है। विभागीय योजना से जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां हैण्डपम्पों एवं परिवहन के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में पेयजल की स्थिति इतनी खराब है कि मांग अनुसार 1/3 हिस्सा भी आमजन को नहीं मिल पा रहा है। जन-सुनवाई, समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ पेयजल समस्या की जानकारी मिल रही है। भोपालगढ़ क्षेत्र में पेयजल एक ज्वलंत समस्या बन गई है। जनता जल मिशन के माध्यम से गांव तो क्या, अभी तक कस्बों की योजनाएं भी स्वीकृत नहीं हो पाई हैं और न ही कार्य प्रारम्भ किया गया है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जीएलआर से छितराई ढाणियों तक जाने वाली सभी पाइपलाइनों पर अवैध कनेक्शन होने के कारण अंतिम छोर के उपभोक्ता तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। विभागीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन की मदद से अवैध कनेक्शन काटे। भूगर्भ में पानी का स्तर गिरने से स्थानीय जल स्रोत खतम हो गये या पानी कम हो गया है। जगह-जगह ट्यूबवैल्स एवं हैण्डपम्पों पर सौर ऊर्जा आधारित या विद्युतीकरण

(श्री पुखराज)

के माध्यम से सिंगल फेज कनेक्शन कर उनको कमीशंड किया जावे। ग्राम पंचायतों के सीमित आय स्रोतों को देखते हुए जनता जल मिशन में 10 प्रतिशत स्थानीय ग्राम पंचायत की हिस्सेदारी खतम की जाए और 2024 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिशन की योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्य करने की गति प्रदान की जाए। जिन स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां नये हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल खोदने तथा परिवहन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाकर त्रस्त जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरेन्द्र निनामा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में पेंशन परिलाभ स्वीकृति में अनियमितता

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र के सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत अभियंताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवाद संख्या 542/2013, कुल पांच के विरुद्ध दायर हुआ था जिनमें श्री नरेन्द्र कुमार चौबीसा, सहायक अभियंता एवं बंगाली राम, अधिशाषी अभियंता (विद्युत) एवं श्री राजेन्द्र कुमार परमान, अधिशाषी अभियंता (सिविल) (सेवानिवृत्त) सम्मिलित थे। वर्तमान में दो अभियंता क्रमश: श्री राजकुमार सिंह चौहान, अधीक्षण अभियंता एवं दीनबन्धु रोत, सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यरत हैं। भ्रष्टाचार निरोध विभाग द्वारा इस परिवाद में अन्तिम प्रतिवेदन साक्ष्य के अभाव में उनके पत्र क्रमांक 27.02.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात् नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता एवं बंगाली राम, अधिशाषी अभियंता के सेवानिवृत्त होने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कोई न्यायिक एवं अनुशासनात्मक प्रकरण लम्बित नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी कर उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ का भुगतान किया गया। परन्तु एक ही समान मामले में श्री राजेन्द्र कुमार परमार की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2021 को होने के पश्चात् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तथाकथित परिवाद की समाप्ति एवं न्यायालय की स्वीकृति होने के पश्चात् वांछित प्रमाण पत्र संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा जारी नहीं कर उन्हें पेंशन परिलाभों से अब तक 7 माह से अधिक लम्बे समय से वंचित किया हुआ है। इस असमानता की

(श्री हरेन्द्र निनामा)

कार्यवाही का क्या कारण है? पेंशन परिलाभों को रोकने में हुए विलम्ब के लिए पेंशन नियम, 1996 के नियम 89 के प्रावधानों के अन्तर्गत वे कौन-कौनसे कर्मचारी एवं अधिकारी हैं? विलम्बित की गई धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अतिरिक्त भुगतान के लिए कौन उत्तरदायी होंगे? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: पहले रखेंगे जब। हवा में कैसे प्रश्न है? पहले ये रखेंगे तब प्रश्न आएगा न? इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं आप।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

नगरीय विकास विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से नगरीय विकास विभाग की निम्न 41 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.12(231)नविवि/3/2014 दिनांक 30.07.2019 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) (संशोधन) नियम, 2019 जारी कर राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17ए में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.18(12)नविवि/जयपुर/2018 दिनांक 31.07.2019 जिसके द्वारा एकीकृत भवन विनियम-2017 के विनियम 8.3.1 (i) एवं 5.4 (4)(i) व (ii) को संशोधित किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.17(10)नविवि/II/2019 दिनांक 16.09.2019 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 जारी कर राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 दिनांक 16.09.2019 जिसके द्वारा राजस्थान भवन विनियम-2017 के प्रावधानों को संशोधित/पुनर्स्थापित/अतिरिक्त जोड़ा गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(5) अधिसूचना संख्या: प.17(5)नविवि/नियम/2020 दिनांक 09.01.2020 जिसके द्वारा रूफ टाप रेस्टोरेन्ट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के संबंध में उपनियम बनाये गये हैं;

(6) अधिसूचना संख्या: प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014-पार्ट दिनांक 20.01.2020 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के साथ नवीन प्रावधान 3सी जोड़ा गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: प.3(50)नविवि/03/2012 दिनांक 13.02.2020 जिसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग बाबत् नियमन/आबंटन के लिए प्रीमियम की दरें निर्धारित की गई हैं;

(8) अधिसूचना संख्या: प.10(90)नविवि/3/2008पार्ट-I दिनांक 18.02.2020 जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिसूचित राजस्थान के विस्तार उप क्षेत्र (जिला भरतपुर) हेतु तैयार की गई विस्तारित राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना-2021 (सब रीजनल प्लान-2021) का अनुमोदन किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: प.10(132)नविवि/3/2009/पार्ट दिनांक 03.06.2020 जिसके द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम, 2017 को और संशोधित किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: प.1(1)नविवि/3/80 दिनांक 22.06.2020 जिसके द्वारा डूंगरपुर मास्टर प्लान-2016 की दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो रही समयावधि को दिनांक 30.06.2021 अथवा नये मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: प.10(1)नविवि/3/86 दिनांक 22.06.2020 जिसके द्वारा सुजानगढ़ मास्टर प्लान-2016 की दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो रही समयावधि को दिनांक 30.06.2021 अथवा नये मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: प.1(2)नविवि/3/84 दिनांक 22.06.2020 जिसके द्वारा सरदारशहर मास्टर प्लान-2016 की दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो रही समयावधि को दिनांक 30.06.2021 अथवा नये मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(13) अधिसूचना संख्या: प.10(38)नविवि/3/95 दिनांक 22.06.2020 जिसके द्वारा गंगापुर सिटी मास्टर प्लान-2016 की दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो रही समयावधि को दिनांक 30.06.2021 अथवा नये मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: प.2(35)नविवि/3/2018 दिनांक 20.07.2020 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) (संशोधन) नियम, 2020 जारी कर राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17 में ट्रांसजेंडर के लिए प्रावधान किये जाने का संशोधन किया गया।

(15) अधिसूचना संख्या: प.3(77)यूडीबी/3/2010पार्ट दिनांक 10.08.2020 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पालिसी-2010 (10 हैक्टेयर से अधिक) और आवासीय, ग्रुप हाउसिंग एवं निजी क्षेत्र की अन्य योजनाओं सम्बन्धी पालिसी, 2010 (10 हैक्टेयर से कम) में संशोधन/ नये प्रावधान जोड़े गये हैं;

(16) अधिसूचना संख्या: प.17(20)नविवि/नियम/2019 दिनांक 19.08.2020 जिसके द्वारा राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप नियम, 2020 विरचित किये गये हैं;

(17) अधिसूचना संख्या: प.12(2)नविवि/2020 दिनांक 08.09.2020 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 (1) के अनुसरण में नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा विनिर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए 'फार्म हाउस प्रयोजनार्थ' योजना बनायी गयी है;

(18) अधिसूचना संख्या: प.17(22)नविवि/नियम/2020 जीएसआर 241 दिनांक 04.01.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 जारी कर राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 को और संशोधित किया गया है;

(19) अधिसूचना संख्या: प.17(22)नविवि/नियम/2020 जीएसआर 240 दिनांक 04.01.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति और आबंटन) (संशोधन) नियम, 2020 जारी कर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि के गैर कृषिक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रयोजनार्थ स्वीकृति और आबंटन) नियम, 2012 को और संशोधित किया गया है;

(20) अधिसूचना संख्या: प.11(9)नविवि/2020पार्ट एसओ 450 दिनांक 18.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप विभाजन, पुनर्गठन और भूखण्डों का सुधार) (संशोधन) नियम, 2021 जारी कर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप विभाजन, पुनर्गठन और भूखण्डों का सुधार) नियम, 1975 को और संशोधित किया गया है;

(21) अधिसूचना संख्या: प.11(8)नविवि/2020 जीएसआर 252 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम, 2021 जारी कर राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 को और संशोधित किया गया है;

(22) अधिसूचना संख्या: प.12(3)नविवि/2021 दिनांक 05.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 (1) के अनुसरण में नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा ग्राम सडिया में मास्टर प्लान भू-उपयोग अनुसार बहुउद्देशीय योजना प्रस्तावित की गई है;

(23) अधिसूचना संख्या: प.12(4)नविवि/2021 दिनांक 05.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 (1) के अनुसरण में नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा विनिर्दिष्ट भूमि में आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है;

(24) अधिसूचना संख्या: प.12(2)नविवि/2021 दिनांक 08.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 (1) के अनुसरण में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा मास्टर प्लान-2031 के अनुसार 'आम्बेरी आवासीय योजना' बनाये जाने का निर्णय लिया गया है;

(25) अधिसूचना संख्या: प.12(1)नविवि/2021 दिनांक 08.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 (1) के अनुसरण में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा मास्टर प्लान-2031 के अनुसार 'धोल की पाटी आवासीय योजना' बनाये जाने का निर्णय लिया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(26) अधिसूचना संख्या: प.12(5)नविवि/2021 दिनांक 16.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 (1) के अनुसरण में नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा ग्राम अमरसागर में बहुउद्देशीय आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है;

(27) अधिसूचना संख्या: प.11(2)नविवि/पाली/2015 दिनांक 30.03.2021 जिसके द्वारा पाली मास्टर प्लान-2023 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है;

(28) अधिसूचना संख्या: प.17(16)नविवि/नियम/2021 दिनांक 10.05.2021 जिसके द्वारा मेडिकल आपूर्ति हेतु आक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किये जाने के लिए कृषि भूमि की अनुज्ञा एवं आबंटन पर प्रीमियम और लीज राशि से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

(29) अधिसूचना संख्या: प.10(3)नविवि/3/80/पार्ट-II दिनांक 10.06.2021 जिसके द्वारा कोटा मास्टर प्लान-2031 सम्पूर्ण क्षेत्र (कोटा मास्टर प्लान-2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं अधिसूचना दिनांक 22.11.2017 के द्वारा अधिसूचित कोटा नगरीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एवं कैथून मास्टर प्लान2023 के क्षेत्र को छोड़कर) का अनुमोदन किया गया है;

(30) अधिसूचना संख्या: प.10(9)नविवि/3/2011 दिनांक 30.06.2021 जिसके द्वारा हनुमानगढ़ के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन किया गया है;

(31) अधिसूचना संख्या: प.18(35)नविवि/सेक्टर प्लान/2015 एसओ 563 दिनांक 30.06.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार न्यास (जोनल डवलपमेंट प्लान) नियम, 2021 विरचित किये गये हैं;

(32) अधिसूचना संख्या: प.12(7)नविवि/2021 दिनांक 07.07.2021 जिसके द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 32 (1) के अनुसरण में नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा ग्राम बीछवाल में आवासीय/औद्योगिक मास्टर प्लान भू-उपयोग अनुसार योजना विकसित की गई है;

(33) अधिसूचना संख्या: प.11(3)नविवि/21 दिनांक 20.07.2021 जिसके द्वारा नसीराबाद (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2041 तैयार करने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को नियुक्त किया गया है;

(34) अधिसूचना संख्या: प.10(2)नविवि/3/84 दिनांक 04.08.2021 जिसके द्वारा सरदारशहर मास्टर प्लान-2016 की दिनांक 30.06.2020 को समाप्त हो चुकी समयावधि को दिनांक 31.12.2021 अथवा नये मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है;

(35) अधिसूचना संख्या: प.11(1)नविवि/सवाईमाधोपुर/2015 दिनांक 04.08.2021 जिसके द्वारा 'सवाईमाधोपुर के नगरीय क्षेत्र' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2035 का अनुमोदन किया गया है;

(36) अधिसूचना संख्या: प.11(1)नविवि/सवाईमाधोपुर/2015 दिनांक 04.08.2021 जिसके द्वारा सवाईमाधोपुर नगरीय क्षेत्र में पूर्व में सम्मिलित किये गये 38 राजस्व ग्रामों की निरन्तरता में 02 नवीन राजस्व ग्राम सम्मिलित किये गये हैं;

(37) अधिसूचना संख्या:प.17(16)नविवि/नियम/2021 दिनांक 11.08.2021 जिसके द्वारा मेडिकल सुविधाओं को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से मेडिकल संस्थान यथा मल्टी-स्पेशियलिटी हास्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डिस्पेन्सरी (ऐलोपैथी/आयुर्वेद/प्राकृतिक/होम्योपैथी/यूनानी) के लिये कृषि भूमि की अनुज्ञा और आबंटन पर देय प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;

(38) अधिसूचना संख्या: प.11(4)नविवि/3/2021 दिनांक 16.08.2021 जिसके द्वारा थानागाजी, जिला अलवर के नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2041 तक के लिए तैयार करने हेतु उप नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर को नियुक्त किया गया है;

(39) अधिसूचना संख्या: प.11(5)नविवि/2021 दिनांक 19.08.2021 जिसके द्वारा रूपवास जिला भरतपुर के नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2041 तक के लिए तैयार करने हेतु उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर को नियुक्त किया गया है;

(40) अधिसूचना संख्या: प.10(35)नविवि/3/2000 दिनांक 19.08.2021

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा तिजारा मास्टर प्लान-2021 की दिनांक 31.12.2021 को समाप्त हो रही समयावधि को दस वर्ष अर्थात् 31.12.2031 तक बढ़ाया गया है; एवं

(41) अधिसूचना संख्या: प.10(11)नविवि/3/2013 दिनांक 19.08.2021 जिसके द्वारा किशनगढ़बास, जिला अलवर के नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान-2041 तैयार करने हेतु उप नगर नियोजक, अलवर को नियुक्त किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें 1 से लेकर 17 तक जितनी भी अधिसूचनाएं यहां पर पेश की गईं, वे काफी लेट पेश की गईं। इस पर जाइंट सैक्रेटरी को बाकायदा नोटिस दिया गया और जाइंट सैक्रेटरी ने रिटन में उसके लिए माफी मांगी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब हो गया। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। डा. राजकुमार शर्मा।

समिति प्रतिवेदन

स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्रम संख्या 2 से 6)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति, 2021-2022 के निम्नांकित पांच प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हू्ं:-

(1) वर्ष 2014-15 (14वीं विधान सभा) के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक द्वितीय प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर तृतीय प्रतिवेदन।

(3) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-

(डा. राजकुमार शर्मा)

15 में समाविष्ट नगरीय विकास विभाग से सम्बन्धित (शहरी विकास प्राधिकरण) के अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.7.2 पर चतुर्थ प्रतिवेदन।

(4) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेदों (अनुच्छेद संख्या 2.1 से 3.4 तक) पर पंचम प्रतिवेदन।

(5) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.11.2 (शहरी विकास प्राधिकरण) नगरीय विकास विभाग से सम्बन्धित मामलों पर षष्ठम् प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2021-22 (प्रथम संकलन) पर मतदान एवं पारण।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12-अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,00,00,01,000/-(चार अरब एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 16-पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,91,79,00,000/- (एक अरब इक्यानवे करोड़ उन्नासी लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,000/- (चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,39,00,18,000/- (तीन अरब उनतालीस करोड़ अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,000/- (तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,74,00,00,000/- (तीन अरब चौहत्तर करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,59,61,51,000/- (सात अरब उनसठ करोड़ इकसठ लाख इक्यावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,06,15,81,000/- (दो अरब छह करोड़ पंद्रह लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,00,19,000/- (एक अरब उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,000/- (पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,50,00,000/- (सड़सठ करोड़ पचास लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,49,75,73,000/-(चार अरब उनचास करोड़ पिचहत्तर लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50- ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,75,42,84,000/- (दो अरब पिचहत्तर करोड़ बयालीस लाख चौरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य, विधेयक पर विचार एवं पारण, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

(श्री अध्यक्ष)

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव करेंगे विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे पारित किया जाए।

विधयेक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधयेक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

समय का ध्यान रखेंगे, आज ज्यादा बिल हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, बी स्पेसिफिक और स्कोप के अन्दर ही बोलें और कम समय में अपनी बात कहें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, सदन राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार कर रहा है। मूल रूप से राजस्थान अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2009 की धारा 2फ, 5, 8 और 15 में सरकार संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई।

अध्यक्ष महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि राजस्थान विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2019 की धारा 5 जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के लिए उपबंध है। अब संशोधन के माध्यम से सरकार जिला, ब्लाक स्तर पर विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान कर रही है। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 5 में 2एफ में और 15 में यथा संशोधन इन्होंने प्रस्तावित किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, विधेयक की धारा-2एफ में जिला विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी को परिभाषित किया गया और जिला विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी वह होगा जिसकी नियुक्ति अधिनियम के नियम-5 में अंकित की गई है।

(13.00 बजे)

2(एफ) को सरकार नए रूप से संशोधन करना चाहती है। जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिला रजिस्ट्रेशन अधिकारी, ब्लाक विवाह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रजिस्ट्रेशन अधिकारी और इन सबको सरकार राजपत्र में अधिसूचित करके जिला रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कर्तव्यों का एक तरह से विकेंद्रीकरण करना चाहती है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार वाकई विवाह के रजिस्ट्रेशन में विकेंद्रीकरण करके सुगमता लोगों के लिए करना चाहती तो सिंगल विंडो की तर्ज पर अगर आप पंचायत समिति में, ब्लाक में इस प्रकार का प्रबंधन कर देते कि कोई भी निर्धारित आयु पूरी करने वाला दम्पत्ति अगर विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो उनको यह सुविधा उपलब्ध होती।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अधिनियम, 2009 में सैक्शन-3 के अन्दर इस 2009 के अधिनियम के प्रचलन होने के बाद जितनी भी शादियां हो रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था और उसके साथ ही सैक्शन-11 के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसको शून्य करार नहीं करने का प्रावधान भी आप लेकर आएं। मैं समझता हूं कि इन सबके बाद मंत्री महोदय, अब सैक्शन-8(1) में एक संशोधन लेकर आए हैं और उसमें संशोधन आप यह लेकर आए हैं कि अगर कोई वर 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करता है, अगर कोई वधू 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करती है तो उसके संरक्षक यथा उसके माता-पिता एक मेमोरेंडम अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद वह विवाह एक तरह से वैध हो जाएगा।

आपने सैक्शन-8 (2) में भी प्रावधान किया कि 30 दिन का जो समय आपने निर्धारित किया है, 30 दिन के अन्दर 18 वर्ष की वधू और 21 वर्ष का वर से कम की आयु के विवाह का रजिस्ट्रेशन अगर होता हो, मेमोरेंडम प्रस्तुत नहीं किया हो तो उसके अन्दर आपने पैनल्टी देकर उसका प्रावधान किया है यानी मैं आश्चर्यचकित हूं अध्यक्ष महोदय, कि एक तरह से राजस्थान के अंदर जहां बाल विवाह एक कुप्रथा रही। मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा 1927 में राजस्थान के अन्दर शारदा एक्ट को लागू किया गया और यह शारदा एक्ट श्री हरविलास शारदा जो अजमेर के थे उन्होंने बनाया और 2006 तक यह प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 से इसको रिप्लेस किया गया और आज आंकड़े यह कहते हैं कि राजस्थान इस बाल विवाह की कुरीति की पकड़ में है। मंत्री महोदय, मैंने सारी इन धाराओं को पढ़ा है। इसमें 21 धाराएं हैं, अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि कहीं किसी धारा में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर वर की आयु 21 वर्ष से कम होगी और वधू की आयु 18 वर्ष से कम होगी तो उनका रजिस्ट्रेशन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहीं निषेध नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय, आपका ध्यान हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 के सैक्शन-8 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 सेंट्रल एक्ट है और पूरे देश के अन्दर 1955 से यह प्रचलन में है। इसके सैक्शन-8 में पहले से यह प्रावधान था कि विवाह के पंजीयन के

(13.03 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

लिए पंजीयन रजिस्टर में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाने का सैक्शन-8 हिन्दू मैरिज एक्ट में प्रावधान पूर्व में था और 8(1) में यह भी प्रावधान था कि अगर सरकार चाहे और योग्य दम्पत्ति अगर सैक्शन-8 के तहत अपने विवाह का पंजीयन नहीं कराए तो दंडात्मक प्रावधान भी हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 (2) में था। मेरी समझ में नहीं आया। होना तो यह चाहिए था सभापति महोदय, कि यह जो राजस्थान विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2009 है इसकी निरस्ती का प्रस्ताव आप लेकर आते और आप हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 के सैक्शन 8(2) के तहत आप रूल बना लेते तो मैं समझता हूं यह सारा काम पूरा हो जाता और मैं मंत्री महोदय, आपका ध्यान एक बार फिर हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 के सैक्शन-5(3) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें एक मैंडेटरी प्रावधान है। इसमें लिखा गया है कि विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि एक सेंट्रल एक्ट के कंट्रावेंशन में क्या स्टेट लेजिस्लेचर को यह अधिकार है? आपको ध्यान है संविधान के आर्टिकल 254(1) में यह प्रावधान है कि अगर यह चूंकि मैरिज और डाइवोर्स कान्करंट सूची में दर्ज हैं एंट्री नंबर-5 पर यानी, सभापति महोदय, मैरिज और डाइवोर्स पर राज्य अपनी विधि बना सकता है और केंद्र अपनी विधि बना सकती है, संसद अपनी विधि बना सकती है परन्तु आर्टिकल 254(1) यह कहता है कि जब कभी भी कोई सीमावर्ती सूची के विषय पर कोई विधि बनाई जाएगी, राज्य विधि बनाएगा और संसद विधि बनायेगी, विधान मंडल और संसद में संसद की विधि प्रचलन में आएगी और विधान मंडल की विधि शून्य हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आया आप किस प्रकार का यह संशोधन लेकर के आए हैं? मात्र कम उम्र के वर-वधू अगर 30 दिन के अन्दर विहित रीति से मैरिज रजिस्ट्रेशन अधिकारी के सामने मेमोरेंडम पेश कर दे तो एक तरह से हम लीगलाइज करने का काम कर रहे हैं कम उम्र की शादियों को, बाल विवाह को।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान प्रोहिबिशन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा दो (सी) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 2(सी) यह कह रही है, सभापति महोदय, कि अगर लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष नहीं है तो यह विवाह निषेध है, विवाह हो नहीं सकता और इसी बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के सैक्शन-15 में लिखा है कि अगर कम उम्र के वर-वधू की शादी होती है तो उसमें काग्निजेबल नोन बेलेबल आर्फेस की बात लिखी है। मैं समझता हूं कि एक ऐसा कानून जो कानून हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 के सैक्शन-8 के प्रावधानों के विपरीत हो, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के सैक्शन-2(1) के विपरीत हो, जो आर्टिकल 254(1) के कंट्रावेंशन में हो, मैं समझता हूं आप यह क्यों लेकर आए हैं, मुझे बताएं। आपको मालूम है कि अभी जो मैंने आपको कहा, सबसे पहले हिन्दुस्तान के अन्दर 1927 के अन्दर हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट बनाया सभापति महोदय, शारदा एक्ट से सब लोग परिचित हैं। 2006 तक यह रहा। 2006 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया, उसने इसको रिप्लेस किया। यह सही है कि शारदा एक्ट के अन्दर वर की आयु 18 वर्ष थी और वधू की आयु 14 वर्ष थी परंतु जब चाइल्ड मैरिज एक्ट आ गया तो उसमें निर्धारित कर दिया गया वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होगी।

सभापति महोदय, अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई मंत्री जी, The Child Marriage and Teenage Pregnancy Report - उसमें लिखा कि राजस्थान के अन्दर आज भी 16.2 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं। उसमें लिखा कि देश में सर्वाधिक बाल विवाह जहां होते हैं उन 100 जिलों में राजस्थान के 10 जिले शुमार हैं। उसमें लिखा है कि बाल विवाह के अन्दर राजस्थान का आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर सातवां स्थान है और यह जो यूनिसेफ की सर्वे रिपोर्ट थी फैक्ट फाइल शीट ऑफ चाइल्ड मैरिज, 2019 उसमें लिखा है कि कोलकाता में जहां पहले सर्वाधिक बाल विवाह होते थे, वहां बाल विवाह होने की संख्या कम हुई है और राजस्थान में यह संख्या बढ़ी है तो मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, चूंकि मुझे लम्बी बात नहीं कहनी। आसन से यही निर्देश थे। आप यह एक्ट में संशोधन लेकर आये हैं आप मुझे यह बता दो कि हिन्दू मैरिज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत, प्रोहिबिशन आफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत, आर्टिकल-254 के प्रावधानों के विपरीत आप इस सदन में, यह विधान सभा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विधान बनाने वाली सभा है, इसमें इस प्रकार का खोटा कानून क्यों लेकर आये हैं? इसको विदड्रा करो। सलेक्ट कमेटी में लेकर जाओ। बैठकर विचार कर लेंगे। अगर कोई I may be wrong. I wanted to be wrong. क्योंकि आप जिस अदा से उत्तर देते हो, कभी उस पर तो आते नहीं, जो बातें हम उठाते हैं, बस इधर-उधर की बात करके बात समाप्त कर देते हो और मैं समझता हूं कि सब लोग, सभापति महोदय, देह दान करते हैं मरने के बाद हम सब यहां से चले जाएंगे पर मंत्री महोदय से मैं जरूर कहूंगा कि ये देह दान नहीं सिर्फ शीश दान करके जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी देखे तो सही कि इनकी इस खोपड़ी में क्या चीज है जो हरेक चीज का जवाब और हरेक चीज को घुमाने की कला इनमें कहां से आ गई। इतना-सा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021, 26 मई, 2006 से राजस्थान में पहली बार विवाह सम्बन्धी नियम बनाये गये थे और 2009 में इसका एक्ट बनाया और आज लगभग 12-13 साल बाद हम इस एक्ट में संशोधन राजस्थान की विधान सभा में लाये हैं। सभापति महोदय, आज तक राजस्थान में कुल 12,84,811 विवाहों का पंजीयन हुआ है। इसमें मूल रूप से जो संशोधन है वह अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत है जो भारत के नागरिकों के बीच अनुष्ठापित प्रत्येक विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होगा। सभापति महोदय, इस धारा के संशोधित नियम में कोई प्रावधान नहीं है। जब विदेशी नागरिक भारत आकर विवाह करते हैं और एनआरआई भी भारत आकर विवाह करते हैं तो उनका पंजीयन करवाने के लिये उनको अलग से कलेक्ट्रेट में जाना पड़ता है तो जब हम पंजीयन अधिनियम बना रहे हैं तो इस अधिनियम में यह सब चीजें शामिल करके आप जो अधिकारी बनाते हो, उस अधिकारी को इन पंजीयनों का अधिकार भी एक साथ समाहित होता तो यह एक ही सिंगल विंडो पर यह सारे रजिस्ट्रेशन हो पाते वर्ना जो शादियां होती हैं उसमें उनको अलग-अलग जगहों पर, अलग- अलग शादियों के लिये रजिस्ट्रेशन का अभी तक जो यह कानून कह रहा है, उसके अनुसार होगा तो इस कानून का कोई फायदा नहीं होने वाला।

दूसरी, धारा 8 में ज्ञापन प्रस्तुत करने का कर्तव्य जिसके क्षेत्राधिकार में भीतर विवाह अनुष्ठापित किया गया है अथवा दोनों पक्षकार या उनमें कोई

(श्री अशोक लाहोटी)

निवास करता है, यह लिखा है। सभापति महोदय, जो यह संशोधित विधेयक है इसमें विवाह की 30 दिवस की कालावधि में ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा, यह कहा है। इस धारा के अनुसार जहां विवाह हुआ है, जहां पति रहता है, जहां पत्नी रहती है या जहां पर उनके कोई गार्जियन रहते हैं, उन जगहों पर इसका पंजीयन हो सकता है। इसमें जन्म-मृत्यु अधिनियमों के अनुसार जहां विवाह होता है, उसका पंजीयन यदि वहीं उसी क्षेत्राधिकार में होगा तो कानून में एकरूपता रहेगी अन्यथा अलग-अलग जगहों पर विवाहों के रजिस्ट्रेशन से अलग-अलग कंफ्यूजन में आज तक जैसे विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, वैसे आगे भी नहीं हो पायेंगे।

तीसरा, आपने इसमें लिखा है जो सबसे बड़ी बात अभी माननीय उप नेता प्रतिपक्ष ने कही, धारा 8 (1) में लिखा है कि वर एवं वधू 18 वर्ष से कम होने पर भी उनका विवाह पंजीयन करने का आपने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है और लिखा है कि इसमें वहां कौन जाकर यह प्रस्तुत करेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो आपने लिखा है कि ऐसी स्थिति में माता-पिता-संरक्षक को 30 दिवस में उप रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करना है। यहां इस एक्ट में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्या ज्ञापन प्रस्तुत करना है? क्या यह ज्ञापन प्रस्तुत करना है कि हमारे बच्चों ने बाल विवाह कर लिया? यदि बच्चों ने भाग कर शादी कर ली है और कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया तो उसके लिये भी क्या माता-पिता उत्तरदायी होंगे? यहां यह स्पष्ट तो करें कि ज्ञापन तो प्रस्तुत करना है, यह लिख दिया लेकिन यह ज्ञापन क्या प्रस्तुत करना है? मैं आज इस सदन के पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों से पूछना चाहूंगा आज इस एक्ट के माध्यम से यदि यह सदन इस एक्ट को पारित करता है तो यह राजस्थान की विधान सभा का काला दिन होगा जिसमें बाल विवाह की अनुमति राजस्थान की विधान सभा सर्वसम्मति से देने की क्या इजाजत देती है या हाथ खड़ा करके हम बाल विवाह करने की इजाजत दे रहे हैं? इस तरह का दुभाषित यह विधेयक राजस्थान में एक नया अध्याय लिख देगा, एक काला अध्याय लिख देगा। यदि मंत्री जी यह कहते हैं कि यह त्रुटिवश लिखा गया है तो भी मंत्री जी को इसको स्वीकार करके कम से कम इस धारा में संशोधन तो करना ही चाहिये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, 2009 की धारा 20 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण

(श्री अशोक लाहोटी)

बिन्दु को इस विधेयक में न तो उसको टच किया है न विधेयक में जो अमेंडमेंट करना था, वह जोड़ा है जिसकी इस विधेयक में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसमें लिखा है कि पारसी विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और ईसाई विवाह आदि पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। जब एक तरफ हम मैरिज को रजिस्टर्ड करने की बात कर रहे हैं, वहीं हम कानून में इस तरह के प्रावधान भी दे रहे हैं कि पारसी विवाह और ईसाई विवाह इस कानून के अधीन नहीं होंगे। क्या वह कानून के अधीन नहीं होंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट, जब धर्म परिवर्तन का रजिस्ट्रेशन कलेक्टर के यहां करते हैं, फिर क्या वह रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, इसका भी इसमें उल्लेख नहीं है। इस तरह से बिना तैयारी के यह जो विधेयक है, ऐसे ही इसी धारा में आगे आपने लिखा है कि सभी प्रकार के विवाहों के पंजीयन एक स्थान पर हो तो आम जनता को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जब आप उप रजिस्ट्रार को बैठा ही रहे हो और जब आपने उद्देश्य में यह लिख ही दिया तो फिर दो जगह की इसकी व्यवस्था को खतम करने का इसमें नहीं लिखा है।

सभापति महोदय, इसमें एक और लिखा है मुस्लिम विवाह काजी द्वारा करवाया जाता है। इसके लिये निकाहनामा उर्दू में जारी किया जाता है। सभापति महोदय, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब आप इसको साफ्टवेयर में ऑनलाइन रजिस्टर्ड करोगे, क्योंकि अब तो विवाह ऑनलाइन पंजीयन है, मंत्री महोदय बतायें क्या उसमें उर्दू लैंग्वेज डाली गई है और यदि उर्दू लैंग्वेज नहीं है तो फिर उर्दू में जारी किया हुआ वह सर्टिफिकेट मान्य कैसे होगा? सभापति महोदय, मैं यहां सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं कि उसके बाद में यदि इसमें कोई अमेंडमेंट करें कि वहां पर आप किसी को भी अधिकार दें, चाहे चीफ काजी को दें, चाहे किसी को अधिकार दें कि वह सर्टिफिकेट हिन्दी एवं अंग्रेजी में आना चाहिये अन्यथा रजिस्ट्रेशन करने वाला रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा?

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही पूरे सदन में एक बात रखना चाहता हूं कि पारसी विवाह का सर्टिफिकेट वह खुद जारी करेंगे। ईसाई विवाह का सर्टिफिकेट पादरी जारी करेगा। मुस्लिम विवाह का सर्टिफिकेट शादी करवाने वाला काजी जारी करेगा तो क्या यह इस एक्ट में नहीं जुड़ना चाहिये कि हिन्दू विवाह करवाने वाला पंडित भी वह सर्टिफिकेट जारी करे। यह अधिकार हिन्दुओं को क्यों नहीं मिलना चाहिये? जब सब धर्मों में आपने अलग-अलग अधिकार दिये हैं कि शादी कराने वाला व्यक्ति शादी का सर्टिफिकेट जारी करेगा तो हमारे पंडितों ने क्या गुनाह किया है। सरकार जब एक्ट में संशोधन ला रही है

(श्री अशोक लाहोटी)

तो उस संशोधन में क्या किसी शादी कराने वाले पंडित को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये कि जिसने वह शादी करवाई है उसको वह सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार हो? उसके बाद उस सर्टिफिकेट के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो जाये जैसे बाकी धर्मों का होता है। सभापति महोदय, आप तो खुद ही पंडित हो, आपसे बेहतर इस बात को कौन जान सकता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): पंडितों के साथ यह अन्याय क्यों? सभापति महोदय, यदि जोड़ना है तो इसके बाद इस धारा में कहीं नहीं जुड़ा हुआ कि यदि रजिस्ट्रार को यह आभास होता है कि यह पंजीयन गलत हुआ है, इसकी जांच पूर्ण करना आवश्यक है तो इसको स्थगित और निरस्त करने का अधिकार इसमें कहीं नहीं दिया गया। केवल रजिस्ट्रेशन करने का यदि अधिकार है तो अधिकार निरस्त करने का भी होना चाहिये। उसको जांच करने का भी होना चाहिये और स्थगित करने का भी होना चाहिये। विवाह पंजीयन की एक ही प्रति देने का प्रावधान है जबकि यह सदन जानता है कि जब भी कहीं पर कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनता है, कोई भी कनेक्शन होता है, पासपोर्ट बनता है तो जगह-जगह यह प्रति मांगते हैं तो इसकी डुप्लीकेट कापी देने का प्रावधान भी इसमें करना चाहिये। इसकी फीस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी फीस के बारे में होना चाहिये।

सभापति महोदय, अंत में मैं केवल यही कहूंगा कि बहुत ही गंभीरतापूर्वक आज सदन इस बात के लिये चिंता करे कि आज तक हमारे इस सदन ने जो पूरे देश-दुनिया में एक प्रतिष्ठा बनाई है, आज हम बाल विवाह अधिनियम को इस एक्ट के माध्यम से इस सदन में लागू करने जा रहे हैं। आज इस एक्ट में ही दो तरफा प्रोविजन दे रहे हैं कि हिन्दू मैरिज एक्ट में अलग लिखा हुआ है, शारदा एक्ट में अलग लिखा हुआ है और हम खुद एक कानून पारित करके बाल विवाह को कहीं न कहीं मान्यता देने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे मंत्रीजी को जरूर अपनी स्थिति स्पष्ट करके इस एक्ट को बिना किसी ईगो के सदन को सर्वसम्मति से इसको रोकना चाहिये ताकि सदन पर कोई ब्लैक स्पाट नहीं लगे। मैं पुन: इसे जनमत जानने के लिये, इसको पूर्ण विधेयक बनाकर लाने के लिये आपसे अनुरोध करूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने लगातार नागरिकों को बेहतर सुविधा हर बात की कैसे मिले, इस पर शुरुआत से ही काम किया है। आपको याद होगा मैं खुद अपने जिले की बात करूं तो मेरे जिले में पहले सिर्फ दो एसडीओ आफिस हुआ करते थे और पूरा जिला उसी के तहत होता था लेकिन समय के साथ पूरे राजस्थान में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि नागरिकों को नजदीक में सुविधा मिलनी चाहिये तो तहसील स्तर पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खुले। इसी तरीके से सभी महकमों में सुविधाओं का विस्तार किया गया और उसी क्रम में माननीय मंत्री जी अब जो यह विधेयक लेकर आये हैं, पहले जिला स्तर पर यह पंजीयन का काम होता था। अब इसमें आपने एडीएम को भी इन्वाल्व कर दिया है। आपने तहसील स्तर के अधिकारी को भी इन्वाल्व कर दिया है, उसको भी इसके लिए अधिकृत कर दिया है। मैं समझता हूं कि समाज में शादियों के रजिस्ट्रेशन के प्रति जो उदासीनता दिखायी पड़ रही है, उसमें फर्क आयेगा और लोग अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके लिए प्रेरित होंगे और नजदीक में उनको यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी। लेकिन साथ ही, माननीय सभापति महोदय, इसका जो दूसरा पार्ट है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें बाल विवाह करने वालों के परिवारजनों को अधिकृत किया है कि वे इसका ब्यौरा प्रस्तुत करके पंजीयन करायें। माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस तरह का कोई कानून जो नागरिकों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा हो। सरकार को उसको लाने से पहले सिर्फ इस सदन को नहीं, नागरिकों को भी विश्वास में लेना चाहिए और इस पर नागरिकों की भी राय जाननी चाहिए कि नागरिक इस प्रस्ताव के संबंध में क्या मत रखते हैं?

मैं दो छोटे से उदाहरण आपसे शेयर करूंगा। मैं अभी सिरोही में किशोर न्यायालय में उद्घाटन करने के लिए गया था। जिला कलेक्टर भी मेरे साथ थे और किशोर न्याय बोर्ड के और बाल कल्याण समिति के जो पदाधिकारी थे, वे सब भी थे। उन सब ने यह कहा कि जो बच्चे गिरफ्तार होने के बाद यहां पर रखे हुए हैं, उनसे भी एक बार मिल लीजिए तो, सभापति महोदय, मैं वहां एक ऐसे नवयुवक से मिला, जो पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार था और वह उस लड़की के साथ पिछले दो साल से रह रहा था। दो साल से बाकायदा दाम्पत्य संबंधों में रहते हुए, उसके साथ जीवन बिताया। उस लड़की

(श्री संयम लोढ़ा)

ने बाद में बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वह माइनर थी। जो नवयुवक है, जो दो साल उसके साथ रहा है, पूरे समाज के बीच में रहा है, समाज के साथ में रहा है, वह पोक्सो एक्ट में 376 में गिरफ्तार है। अब आप इस तरीके की चीजों को इसमें जस्टिफाई कर रहे हो। आपने तो रजिस्ट्रेशन भी कर दिया और वह लड़की माइनर है। पोक्सो एक्ट में सहमति और असहमति क्या होती है? उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया तो आप तो जेल में गये।

एक और उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आबू रोड तहसील में हमारे दोस्त हैं, श्री जीवाराम जी गरासिया, उनके यहां उनके बच्चों की शादी में गया। उनके दो-तीन बच्चों की एक-साथ शादी थी। आप ताज्जुब करेंगे, जब मैं शादी में गया तो मुझे पता चला कि चूंकि बच्चों की शादी है, इसलिए जीवाराम जी गरासिया भी अब शादी कर रहे हैं। मतलब, इतना लम्बा साथ उन्होंने बिना शादी के बिताया और बच्चे बड़े हो गये। बच्चों की शादी हुई तो वे भी शादी कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप वहां बाल विवाह में गये? आप दोषी हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पिछले जन्म में आपका भी बाल विवाह ही हुआ था। माननीय सभापति, यह एक ट्रेडिशन है। आदिवासी समुदाय में यह ट्रेडिशन है कि बिना शादी किये हुए भी साथ में रहते हैं और बाद में जब बच्चों की शादी का वक्त आता है तब अनिवार्य रूप से मां-बाप को भी शादी करनी होती है तो ये सारी पृष्ठभूमि मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सदन, जिसने अनेक प्रगतिशील कानून देकर इस देश को दिशा दी। भूमि-सुधार कानून सबसे पहले लागू करने वाला यह पवित्र सदन था। सती विवाह के खिलाफ कानून लाने वाला यह पवित्र सदन था। जैसाकि मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने जिक्र किया कि बाल विवाह के खिलाफ जो शंखनाद समाज में किया गया है, उसमें भी इस सदन ने बहुत महती भूमिका निभायी है। हमारे मुख्य मंत्री बेहद प्रगतिशील हैं, नये विचारों के हैं। आपने देखा होगा कि हमने इसी 15वीं विधान सभा में अनेक प्रगतिशील कानून स्त्री-पुरुषों के संबंधों को लेकर बनाये हैं, जिसमें आनर किलिंग वाला कानून भी है। वह क्या प्रदर्शित करता है? वह नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है और हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने बच्चों को वैसा जीवन दें जैसा जीवन वे जीना चाहते हैं। अब आप जो चाइल्ड मैरिज को

(श्री संयम लोढ़ा)

जस्टिफाइड कर रहे हो। यह बहुत गलत है, जन विरोधी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं, चूंकि मंत्री जी खुद इसमें कानून प्रस्तुत कर रहे हैं, वे एक विधिवेत्ता हैं, लेकिन या तो उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है और जैसा कोंट्राडिक्शन है, चाइल्ड मैरिज का हो, हिन्दू मैरिज एक्ट का हो। उनके कोंट्राडिक्ट्री प्रोविजन पर आप लेकर आये हैं, समाज आपको अच्छा नहीं कहेगा। आज राजस्थान में बहुतायत पर लोग इससे सहमत हैं और मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। वे सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वे अब पसंद नहीं करते कि चाइल्ड मैरिज हो लेकिन अगर आप इस तरह से चाइल्ड मैरिज को जस्टिफाई करेंगे तो देश के सामने गलत उदाहरण जाएगा। राजस्थान विधान सभा की पूरे मुल्क के सामने भारी बदनामी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, जल्दबाजी नहीं करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसा गलत कानून पारित नहीं होने दें। अभी भी काफी समय है। सरकार जब भी चाहे नये तरीके से सुधार कर वापस बिल ला सकती है, जिससे सदन की जो प्रगतिशील छवि है, वह प्रगतिशील छवि कायम रहे। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने खुद के जीवन के माध्यम से भी और अनेकानेक सरकार के निर्णयों के माध्यम से भी जो एक प्रगतिशील छवि इस सरकार की बनायी है, वह छवि कायम रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 में वैसे सदन में अब तक जो विषय रखा है, वह अपने आपमें बहुत स्पष्ट है। मैं सोचता हूं कि रजिस्ट्रेशन का क्षेत्र आपने और बढ़ाया है, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, पर 2009 में कानून बन गया है और इस विधान सभा ने पास किया। उसमें हम भी शरीक हैं क्योंकि मैं 2009 में भी इस सदन का सदस्य था।

मैं कई बार कहता हूं कि कानून बनाते समय हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि ऐसा कानून बना रहे हैं जो हमारे स्वयं के कानून के खिलाफ है। उस समय भी आपने यही की यही भाषा डाली थी और आज भी यही भाषा डाल रहे हैं, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि हम कम उम्र के बच्चों और बच्चियों को शादी करने के लिए अधिकृत कर रहे हैं। उनको केवल इतना पाबंद कर रहे हैं कि उनके परिवारजनों को 30 दिन में सूचना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

देनी है। इसका मतलब यह तय हो गया कि आप केवल सूचना दे दो, आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन पक्का। इस कानून को जब 2009 में बनाया था, उस समय भी एक प्रोविजन डाला हुआ था, उसमें सज़ा का प्रावधान था। मान लीजिए, उसे सज़ा दे भी दें तो क्या इस बात के लिए यह हाउस सहमत है कि चाइल्ड मैरिज हो सकती है? मैं सोचता हूं कि यह कानून अपने आपमें बिल्कुल गलत है। बनाने वालों ने इसको नहीं देखा और दुर्भाग्य यह है कि हम भी उस सदन में थे। यह कैसे पास हुआ और कैसे पास नहीं हुआ, इसकी जो धारा-8 है, वह निश्चित रूप से हमारे कानून की अवहेलना कर रही है। हमारे चाइल्ड मैरिज एक्ट की अवहेलना कर रही है और हम एक बार गलती कर चुके हैं। एक बार यह चला गया, अब इसमें हम उसी रूप में जो संशोधन कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि यह बहुत बड़ी भूल होगी। मंत्री जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इसकी जो धारा-8 है, उसमें आप इतना तो पाबंद कर रहे हैं कि उसके परिवारजनों को, माता-पिता को या उनकी मृत्यु हो जाने पर, उनके और जो संरक्षक हैं, उनको 30 दिन में सूचना देनी पड़ेगी। यह तो इसमें लिखा हुआ है। उससे कम उम्र के बच्चों को, जो 21 और 18 उम्र से कम के हैं, उनको आपकी यह धारा अधिकार दे रही है। पहले जो कानून था, उसमें तो बच्चे की 21 साल लिखी हुई थी, लड़की की उम्र नहीं लिखी। वह संशोधन तो आप इसमें करें। वह संशोधन तो ठीक है, लेकिन इस संशोधन के आधार पर क्या आप इससे कम उम्र के बच्चे और बच्चियों की शादी को वैलिड प्रमाण-पत्र के रूप में देने के लिए क्या यह कानून लेकर आ रहे हैं। कृपा करके जिद मत कीजिए।

हमारे भी ध्यान में नहीं आया, क्योंकि मैं 2009 में भी मैम्बर था। अब ये पता नहीं किस तरह से पास हुआ, क्या नहीं हुआ, इतना डिटेल मालूम नहीं लेकिन वास्तव में हमने बिलकुल एक तरह से कानून को ऐसा बनाया है जिससे जनता हम पर लांछन करती है तो ठीक ही करती है। यह सदन उन बच्चों की शादी को अधिकृत, पंजीकृत करने के लिए इस कानून में जो प्रावधान कर रखा है, वह उचित होगा क्या? रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्टेप था केवल जिले पर, उसको आप नीचे तक ले गये, तीन स्टेप पर भी, तहसील पर भी आपने रजिस्ट्रेशन किया, यह बहुत अच्छी बात है। कम से कम लोगों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यह तो समझ में आ सकता है लेकिन यह कैसे समझ में आएगा कि 18 साल और 21 साल की कम उम्र के भी बच्चे और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बच्चियों ने शादी कर ली तो उनको जो प्रमाण पत्र ये एजेंसी जो तीनों देंगी कानून के तहत, ये सही कैसे हो जाएगा, ये समझ के परे हैं।

मैं सोचता हूं विषय को और अधिक लम्बा करने की जरूरत नहीं है। इसमे सैक्शन 12 में आपको नियम बनाने का था, 19 में, 2009 से लेकर अब तक 12 बरस में तो इसमें नियम बना नहीं पाए। अगर उसमें नियम होते तो शायद आप उसमें कुछ चीज डाल सकते थे कि इसका कुछ होगा या नहीं होगा, परन्तु नियम अभी तक बने नहीं। जो कुछ भी आज है इसमें, उसके आधार पर सूचना देने का तो आपने उनको पाबंद कर दिया लेकिन अगर सूचना नहीं दी, सपोज, मैंने सूचना ही नहीं दी तो मेरे ऊपर दंड क्या होगा? मेरे को सज़ा क्या मिलेगी? अगर वह सूचना ये दे भी देता है कि मेरी लड़की 14 साल की है और लड़का 21 साल का है तो क्या ये शादी वैलिड शादी हो जाएगी और इसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। कृपा कीजिए, कम से कम आप और हम सब इस जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। अगर कहीं गलती हो गयी डिपार्टमेंट के लोगों से भी जो इतने बड़े विद्वान, कानून के ज्ञाता आपके डिपार्टमेंट में बैठते हैं। हम लोग तो शायद इतना माइन्यूटली नहीं देख पाए होंगे उस समय या ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन यह हमारे सदन के लिए बहुत अफसोस का दिन होगा कि हम उस शादी को भी वैलिड सर्टिफिकेट देने के लिए इस कानून में जो संशोधन हमको करना चाहिए था, कि इससे नीचे तो शादी हो ही नहीं सकती और जो भी शादी कर लेगा उसको 30 दिन में सूचना अवश्य देनी ही पड़ेगी, उसके लिए कानून में आप डालकर उसको सज़ा देने का प्रावधान डालेंगे तो यह बिलकुल परफेक्ट कानून बन जाएगा लेकिन इससे कम उम्र की शादी को अलाउ कर लेंगे तो मैं सोचता हूं बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित)। श्री बाबु लाल झाडोल।

श्री बाबु लाल (झाडोल): सभापति महोदय जी, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं कि हमारे आदिवासी एरिये में कई लोगों की शादियां नहीं होती हैं और उनकी कुछ भी रही हो लेकिन शादियां जीवन अंत तक नहीं होती हैं, उनको आप इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? क्योंकि आपने ये कहा कि इसमें अनिवार्य रूप से करना है तो वह कैसे करेगा, वह थोड़ा-सा मंत्री जी स्पष्ट

(श्री बाबु लाल)

करें। इतना ही कहकर मेरे प्रस्ताव को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए प्रचालित किया जाए।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 लाने के बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि मैं आपको सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान में क्या होता है कि विवाहों के रजिस्ट्रेशन का अधिनियम जो 2009 में बना था, जिला स्तर पर जिला विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी ही कर सकता था इसको। अब इसमें ये प्रोविजन किया है कि इसके अतिरिक्त जिला विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी और ब्लाक विवाह रजिस्ट्रेशन अधिकारी का प्रावधान भी जोड़ा गया है जिससे कि विवाह पंजीकरण के कार्य जिला स्तर के साथ-साथ ब्लाक स्तर पर भी प्रभावी होंगे। जैसा राठौड़ साहब ने कहा कि साहब ब्लाक स्तर पर भी इसका दफ्तर होना चाहिए तो ब्लाक स्तर पर होगा।

दूसरी बात, वर्तमान में वर को 21 साल और उसको 18 कर दिया, एक तो यह कारण था। तीसरा यह था कि विवाह पंजीकरण के पूर्व वर व वधू में किसी एक अथवा दोनों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गयी और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, नहीं करवाया तो उनके मां-बाप को, संरक्षक को, बच्चों को यह अधिकार दे दिया गया है कि आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि चूंकि यह मैरिज सर्टिफिकेट एक लीगल डाकूमेंट है और इस लीगल डाकूमेंट के अभाव में उस विधवा महिला को राज्य सरकार की सेवा में नहीं लिया जा सकता। इसलिए उत्तराधिकार के प्रकरणों के निस्तारण में भी समस्याएं आती थीं, वह दूर होगी। अधिनियम में संशोधन के पश्चात् आमजन को विवाह पंजीकरण में आ रही समस्याओं का आसानी से निराकरण होगा। यह तो इसका कारण रहा।

अब कारण के बाद में जो आपने बात उठाई, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। पहला तो आपने यह कह दिया कि आर्टिकल 256, आपने फरमाया, राठौड़ साहब ने कि राज्य विवाहों का रजिस्ट्रेशन संशोधन कम उम्र के अवयस्कों का वैध हो जाएगा। आपने ये ही बताया, कटारिया साहब ने भी ये ही फरमाया कि साहब ये तो वैध हो जाएगा जबकि इनवेलिड होना चाहिए ये रजिस्ट्रेशन, अगर कम उम्र का है तो। यह संशोधन 2021 में कहीं पर भी यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं कहता कि ऐसे विवाह वैध होंगे। यह कहीं पर भी नहीं कहता। हो गया रजिस्ट्रेशन, मेरी अर्ज सुनो साहब, मेरी अर्ज सुनो आप। विवाह हो गया, कम उम्र का विवाह हो गया परन्तु रजिस्ट्रेशन तो करवाना आवश्यक है उसके लिए। रजिस्ट्रेशन हो गया, परन्तु उस रजिस्ट्रेशन के बाद में यह वैध नहीं माना जाएगा, कलेक्टर चाहे तो उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है चाइल्ड मैरिज एक्ट में, जिस तरह से अवयस्क लोगों के वर-वधू के खिलाफ कार्यवाही होती है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। अब इनका रजिस्ट्रेशन करना क्यों आवश्यक है, यह मैं आपको बता देता हूं। हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 में आयु सिर्फ 18 वर्ष लिखी हुई थी। हिन्दू मैरिज एक्ट में आवश्यक विवाह शून्य नहीं अपितु वोइड माना गया है लेकिन लड़की अगर मान लीजिए 14 साल की है और लड़का 21 साल का है, लड़की अगर उसके बाद में ये कहती है, पंजीकरण के बाद में यह कहती है कि मैं शादी कैंसिल करती हूं तो वो ही मानी जाएगी, कैंसिल हो जाएगी वह। कैंसिलेशन हो जाएगा। वाइडेबल का जहां तक सवाल है, वाइडेबल का शून्यीकरण कैंसिल होने जैसा ही है। शून्यीकरण जो शब्द लिखा है, वह कैंसिल होने जैसा ही है। अवयस्क बालिका 18 वर्ष की होने पर शादी कैंसिल कर सकती है। ज्यों ही वह 18 साल की हुई वह लिखकर दे देगी कि मैं इस शादी को कैंसिल करती हूं। अब आप बताओ इसमें क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या दलील है? क्या कर रहे हैं आप? मतलब 14 साल की शादी हुई, 18 साल की उम्र होगी तब वह कहेगी कि मैं शादी कैंसिल कर रही हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने खुद ने कहा है कि बाल विवाह आज भी हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बिलकुल करवा रहे हैं आप। यह काला कानून है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यहीं नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में हो रहे हैं। सवाल यही है कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वह वैलिड नहीं माना जाएगा, वोइड होगा और वोइड होने पर बाकायदा कलेक्टर उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री जी, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया क्या, यह बता दें केवल? आपने शादी की, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया क्या, यह बता दें। बिल तो रख रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसकी कापी भेज दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नहीं, आप तो बता दो, मैं मान जाऊंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिसके साथ...

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नहीं आप...

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। प्लीज, विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिसके साथ मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, वह तो चली गयी ऊपर। अब आप क्या कर लेंगे मेरा?

आपने कहा कि सेन्ट्रल एक्ट कान्करंट है। सेन्ट्रल एक्ट को मानना पड़ेगा। सेन्ट्रल एक्ट से भी यह कहीं विरोधाभास में नहीं है, कहीं उसको उल्लंघन नहीं करता है। सेन्ट्रल एक्ट में सज़ा का प्रावधान है, किन्तु शादी शून्य घोषित करने का प्रावधान नहीं है उसमें। हमने प्रावधान डाला है। हमने बाकायदा प्रावधान डाला कि वह इनवेलिड हो जाएगा तो उसको कैंसिल करने का अधिकार होगा। इसी के साथ-साथ, शादियां रजिस्टर्ड होने, महिला का राशन कार्ड वगैरह बनाना, कई चीजें होती हैं।

दूसरा, मैं एक और निवेदन कर देता हूं, बाकायदा यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे कैसी भी हो, माइनर की हो, मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। (व्यवधान) आपने कहा 30 दिन के अन्दर-अन्दर करवा दो। कोई बात नहीं, 30 दिन के बाद 100 रुपये का जुर्माना ही तो ठोका है और क्या किया है। अगर कोई वर-वधू 30 दिन तक किसी एक स्थान पर रहते हैं, तो उसी स्थान पर वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मान लीजिए देर हो गई, तो 30 दिन के बाद भी रास्ता तो खुला हुआ है, फीस जमा करवा देगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। आपने जितनी भी बातें कहीं कि यह 254 चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन है, यह है, वह है, सब गलत है। कपोल कल्पित बातें करने में आपसे बड़ा माहिर कोई है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री जी, पोक्सो एक्ट के मुक़दमे बढ़ा रहे हो आप। आप कुतर्क कर रहे हो। (व्यवधान) कुतर्क कर रहे हो। पोक्सो एक्ट के अन्दर गर्ल चाइल्ड से शारीरिक संबंध बना लिए, उसकी सहमति की कोई वैधता है क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या कह रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कह रहा हूं पोक्सो एक्ट के अन्दर, किसी गर्ल चाइल्ड से किसी ने संबंध स्थापित कर लिए, उसकी सहमति की कोई वैधता है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका नम्बर आए, तब बोलना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गलत कर रहे हैं ...(व्यवधान) आप बहुत गलत कर रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका नम्बर आएगा, तब मैं इसका जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप पूरी तरह से गलत कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका जवाब दे दूंगा आपका...(व्यवधान) आप खण्ड-2 ले लें, अब खण्ड-2 में सिर्फ इतनी-सी बात लिखी हुई है कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी की परिभाषा क्या होगी। वह तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नम्बर तीन ले लें, तीन में भी उनका क्षेत्राधिकार ही लिखा हुआ है कि क्षेत्राधिकार ...(व्यवधान) क्षेत्राधिकार विवाह के पंजीयन का है। खण्ड-4 में भी वही है कि 21 साल की बजाय उसकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए। उसको अधिकार दे दिया आवेदन पत्र देने का। इसी तरह से विधेयक में, एक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद का भी प्रोविजन मैं आपको बता चुका। इसी प्रकार से आठ-(एक) में आपने जो बात बताई कि उस रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह सम्पन्न हुआ है वर-वधू में से कोई निवास करता है, तो क्या गलत है, वहीं देगा। वर-वधू दोनों ज्ञापन प्रस्तुत करके 30 दिवस जिसमें निवास कर रहे हों उस क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा।

इसी प्रकार से खण्ड-5 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भिजवाने का

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त ब्लाक में भी किया गया है और वहां पर भी किया गया है, यह भी आपके सामने आ गया। उसी प्रकार से सैक्शन-6 में राज्य सरकार विवाह अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए ज्ञापन के रूप में प्रारूप, फीस, प्रमाण पत्र का प्रारूप आदि की अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नया खण्ड A A इसमें जोड़ा गया है। ज्ञापन को प्रस्तुत करने का तरीका उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। इस हेतु स्पष्ट नियम बनाए जाकर, उसके कार्य में सरलता और पारदर्शिता लाई जाएगी। कुल मिलाकर एक्ट यह है। (व्यवधान) मैं आपकी सब बातों का जवाब दे चुका। फिर दुबारा से आपको बता देता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय वर्ष 2006 में यह स्पष्ट किया गया है कि सिविल पिटीशन 291 सीमा वर्सेज अश्विनी कुमार के निर्णय में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रकार के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। (व्यवधान) रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर कोई माइनर है तो वह वैलिड नहीं होगा, वह वैलिड नहीं होगा, मैं आपसे पुन: कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप केवल एक शब्द इसमें डाल दो, अगर आपने, वह बदलना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन को आपने और सरल किया, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। केवल और केवल इसमें यह डाल दीजिए कि अगर इस उम्र से नीचे के कोई भी जांचेगा तो वह मान्य शादी नहीं होगी। इतना डाल दो, खतम हो गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सैक्शन 6 में दे रखा है राजस्थान में राज्य सरकार को अधिकार। राज्य सरकार विवाह अधिनियम को क्रियान्वयन करने के लिए ज्ञापन के प्रारूप, प्रारूप में भी यह बात आ सकती है कि यह वैध नहीं माना जाएगा, अवैध होगा। इसीलिए उसी में यह प्रोवीजन डाला जाएगा, कलेक्टर बाकायदा उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, जो बाल विवाह में होता है। उससे ज्यादा क्या होगा। (व्यवधान) माफ करना, आपके समझ में तो सब बातें आ गई, लेकिन आपको तो कुछ न कुछ कहना है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 5 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गए।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, वी वांट डिवीजन। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वी वांट डिवीजन। (व्यवधान) वी वांट डिवीजन, वी वांट डिवीजन। (व्यवधान) काला कानून है। हम डिवीजन की मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन ... (व्यवधान) डिवीजन, डिवीजन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वी वांट डिवीजन ...(व्यवधान) काला कानून है। हम डिवीजन मांग करते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वी वांट डिवीजन ... (व्यवधान) डिवीजन, डिवीजन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वी वांट डिवीजन ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री सभापति: ऐसे करने से कोई मतलब नहीं। जाओ अपनी जगह। (व्यवधान) बिजनस है आपका, ऐसा करने से क्या फायदा...(व्यवधान) श्री शान्ती कुमार धारीवाल। राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व....

विधेयक पर विचार

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) बिल पास हो चुका, दूसरा बिल मैंने ले लिया। राजेन्द्र सिंह राठौड़। श्री अशोक लाहोटी। श्री बिहारीलाल।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

प्रभारी मंत्री।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): थर्ड रीडिंग है, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: खण्डश: विचार।

खण्ड 2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं थर्ड रीडिंग में बोलना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, आप विराजिये। श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का इतिहास साक्षी है कि आज जिस बिल, एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संशोधन पर हम चर्चा कर रहे हैं, 2008 से 2013 तक जब राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार रही, वह एक आदर्श उदाहरण है कि किस तरीके से हमारे वित्त विभाग ने वित्तीय अनुशासन का उस वक्त पालन किया था। जो इस एक्ट के माध्यम से सीमा लगाई गई थी, उस सीमा का पूरी तरह से पालन हुआ।

राजस्थान सरकार का रिकार्ड इस बात का भी साक्षी है कि 2013 के पश्चात् जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गयीं। यह एक्ट जिस राजकोषीय घाटे की सीमा के पालन की अपेक्षा करता है, बाध्यता निर्धारित करता है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन हुआ।

आज जो राजस्थान सरकार यह संशोधन ले करके आई है, एफ.आर.बी.एम. एक्ट की धारा 6(बी) में प्रावधान है कि जी.एस.डी.पी. का 3 परसेंट राजकोषीय घाटा निर्धारित किया गया है लेकिन भारत सरकार के द्वारा इंगित सीमा तक यह राजकोषीय घाटा बढ़ाया भी जा सकता है। कोरोना के इस कठिन काल में तमाम वित्तीय दबावों के बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, विधायक दल की हमारी बैठक थी तब राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा था कि तुम मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा।

राजस्थान का पिछले पौने तीन साल का यह शासन इस बात का साक्षी है कि विकास को ले करके राजस्थान की जनता के मन में जो ख्वाहिशें थीं, चप्पे-चप्पे में, कोने-कोने में कोई ऐसा विभाग नहीं है, क्या स्कूल, क्या सड़क, क्या पानी, क्या सिंचाई, हर क्षेत्र के अन्दर नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इन कठिन परिस्थितियों में भी राजस्थान के 35 लाख परिवारों के खातों में अशोक गहलोत साहब ने सीधा पैसा डाला। भारत सरकार के संसाधन असीमित हैं। जैसा सदन की चर्चा में पूर्व में कहा भी गया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, सैस, इन्फ्रास्ट्रक्चर टैक्स इन सबके जरिये अरबों रुपये की आय भारत सरकार की बढ़ी है। सैस और इन्फ्रास्ट्रक्चर टैक्स में जो पैसा भारत सरकार को प्राप्त होता

(श्री संयम लोढ़ा)

है, उसके 5 पैसे भी स्टेट को प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन भारत सरकार ने 31 मार्च को यह कहा कि 2021-22 में अब जी.एस.डी.पी. का 4 परसेंट वार्षिक उधार सीमा तय की जाएगी, जो राजस्थान के लिये 41,487 करोड़ रुपये हुई। लेकिन इसके ठीक बाद भारत सरकार ने 9 जून, 2021 को विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिये जी.एस.डी.पी. का आधा परसेंट अतिरिक्त उधार सीमा के लिये अनुमत किया और इस शर्त के साथ किया कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संशोधन स्टेट गवर्नमेंट ले करके आएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पैसा दिया गया है, आधा परसेंट राजकोषीय घाटे की यह सीमा बढ़ाई गई है, आधा परसेंट तो बढ़ाई गई है अन्टाइड फंड के लिहाज से और आधा परसेंट बढ़ाई गई है यह अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिये।

बी.जे.पी. की सरकार के वक्त, माननीय सभापति महोदय, उदय योजना में, 2015-16 और 2016-17 में 62,421.96 करोड़ रुपये का ऋण दायित्व राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने टेकओवर किया जिसके कारण, माननीय सभापति महोदय, ऋण भार में वृद्धि हुई। राजस्थान की सरकार लगातार इसका भुगतान कर रही है। लेकिन कोविड के कारण, आपकी जानकारी में है कि वित्तीय दबाव बढ़ा है, और अब यह अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के लिये यह आधा परसेंट का संशोधन लाना पड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में फिस्कल डेफिसिट कांग्रेस की तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार 2013-14 में 2.76 परसेंट छोड़ करके गयी थी, जो 3 परसेंट के निर्धारित दायरे के भीतर था। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, पूरे पांच साल के दौरान अशोक गहलोत की सरकार ने उस वित्तीय अनुशासन का पालन किया लेकिन उसके बाद राजस्थान में हुकूमत बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पहले साल में ही राजस्थान का राजकोषीय घाटा बढ़ा करके 2014-15 में 3.09 परसेंट कर दिया। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, 2013-14 में जो 18,999.52 करोड़ रुपये घाटा था, वह 2015-16 में वसुन्धरा राजे ने बढ़ा करके 63,069.96 करोड़ पर पहुंचा दिया। राजस्थान के वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाने का काम बी.जे.पी. की सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, जो 3.9 परसेंट 2014-15 में फिस्कल डेफिसिट था, 2015-16 में बी.जे.पी. ने बढ़ाकर 9.25 परसेंट कर

(श्री संयम लोढ़ा)

दिया, जो राजस्थान की स्थापना के बाद का एक रिकार्ड है। आज तक कभी राजस्थान के इतिहास में फिस्कल डेफिसिट राजस्थान का 9.25 परसेंट कभी नहीं हुआ।

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 2016-17 में भी जब राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत होना चाहिए था, राजस्थान की बी.जे.पी. की सरकार ने इसे 6.09 परसेंट पर रखा और 46,317.95 करोड़ रुपये राजस्थान का राजकोषीय घाटा रहा। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में 2017-18 में 3.06, 2018-19 में 3.74 परसेंट तो इस तरीके से राजस्थान की पूरी वित्तीय व्यवस्था को उन्होंने पटरी से उतार दिया।

(14.00 बजे)

इसके बाद ऐसे-ऐसे निर्णय केन्द्र की तत्कालीन सरकार ने लिये, नोटबंदी, जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं। जो आदमी दुकान चलाता था, वह नौकरी करने पर मजबूर हो गया। पूरी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा धक्का लगा और यह अनुमान था कि बहुत बड़ी मात्रा में काला धन सामने आएगा लेकिन जब भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने नोट गिने तो पता चला 99.3 परसेंट नोट रिजर्व बैंक और हिन्दुस्तान की बैंकों के पास जमा हो चुके हैं और जो नए नोट छापने का 20 हजार करोड़ रुपये का खर्चा हुआ, वह भी हिन्दुस्तान की जनता के माथे पर आकर पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, फिर जी.एस.टी., जिसको कांग्रेस सरकार एक ऐसी सर्वानुमति सोच के रूप में लेकर आई थी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगी लेकिन जिस रूप में आधे-अधूरी तैयारी के साथ जी.एस.टी. को लागू किया गया, पूरे देश में आक्रोश उत्पन्न हुआ, अर्थव्यवस्था को गम्भीर धक्का लगा। एक नहीं सैकड़ों की संख्या में संशोधन इनको लाने पड़े और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद लगातार राज्यों को कमजोर करने का काम हुआ। माननीय सभापति महोदय, जो योजनाएं सालों-साल तक 90:10 रेश्यो पर चलती रहीं और प्रदेशों को एक आर्थिक ताकत देने का काम विगत 70 साल में केन्द्र की सरकारों ने किया, उस निर्णय से यह पीछे हट गये और उन सारी योजनाओं को 10 फीसदी स्टेट शेयर से हटाकर या तो 30 फीसदी पर लेकर आ गये या 40 फीसदी पर लेकर आ गये और 50 फीसदी पर लेकर आ गये। राज्यों की वित्तीय हालत, माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि अच्छी है नहीं और उसका

(श्री संयम लोढ़ा)

नतीजा यह हुआ कि ऐसी अनेक मनमोहन सिंह सरकार के वक्त जो राजस्थान की स्वीकृत योजनाएं थीं, चाहे वह एग्रीकल्चर सैक्टर की थीं, चाहे वह इरिगेशन सैक्टर की थीं, उनको बंद होना पड़ा क्योंकि भारत सरकार ने पैसा दिया नहीं, राजस्थान सरकार उतना शेयर डिपोजिट कर नहीं सकती तो एक तरीके से केन्द्र अधिनायकवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है और राज्य के हितों का कुठाराघात कर रहा है।

आज भी राजस्थान के जो जी.एस.टी. के पेटे के करोड़ों रुपये बकाया है, उसको यह अदा नहीं कर रहे हैं और मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार अपना खजाना लगातार भर रही है। फ्यूल सब्सिडी, 2020-21 का मैं इनका बजट एस्टीमेट आपको निवेदन करूं कि 40,915 करोड़ रुपये बजट एस्टीमेट रखा गया फ्यूल सब्सिडी के लिए और रिवाइज्ड एस्टीमेट में उसको 39,055 करोड़ रुपये किया गया और इस साल, माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में फ्यूल सब्सिडी घटकर 14,073 करोड़ रुपये पर लाकर इन्होंने खड़ी कर दी। आप आज इससे यह अंदाजा लगाइये कि यह सारी चीजें चाहे गैस हो, डीजल हो, पैट्रोल हो, इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आप लगातार सब्सिडी घटा रहे हैं और अपना मुनाफा अपनी कम्पनियों को दे रहे हैं, इन सब कारणों से यह स्थितियां बनी हैं और अब यह जो एफ.आर.बी.एम. एक्ट लाये हैं इसमें भी क्या है कि सारी कम्पनियों की जितनी लायबिलिटी है, यह चार साल का आपको वक्त दिया है 2024-25 तक, वह आपको टेक-ओवर करनी है और इसीलिए आपको यह पैसा दे रहे हैं तो फिर आप कम्पनियां रखते ही क्यों हो? अगर सारा कुछ स्टेट को ही लेना है तो स्टेट का डिपार्टमेंट ही बना दो उसको। जब सारी हानि, सारा लोन, सब आपको ही उठाना है तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि यह तो केन्द्र सरकार की बाध्यता है, लाना ही पड़ेगा लेकिन मैं आपके माध्यम से खास तौर से हमारे बी.जे.पी. के मित्रों से यह विनती करना चाहता हूं कि 25 सांसद राजस्थान के लोगों ने जिताकर दिये हैं, पूरे हिंदुस्तान से 300 से ज्यादा लोग आपके जीतकर गये हैं, यह इस तरीके की लायबिलिटी बी.पी.एल., कमजोर आर्थिक हालात वाले प्रदेशों पर अगर आप डालेंगे और डंडे के बल पर डालेंगे तो इससे देश का और देश की जनता का भला होने वाला नहीं है।

यह जो आपने आधा परसेंट राजकोषीय घाटा बढ़ाने की सहूलियत दी है, वह तो ठीक है लेकिन बिजली कम्पनियों की लायबिलिटी भारत सरकार को उठानी चाहिए। पहले भी उदय योजना के अंतर्गत जो लायबिलिटी स्टेट पर

(श्री संयम लोढ़ा)

डाली गई है, उसका भारी नुकसान हुआ है। पूरा हमारा ऊर्जा क्षेत्र चरमरा गया है इसलिए मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि प्रधान मंत्रीजी को विपक्ष के नेता जाकर बात करें जिससे इस दिशा में स्टेट को सुविधाएं मिल सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सदन फिस्कल रेस्पॉंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पर बात कर रहा है। मैं अभी बैठा-बैठा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुन रहा था। मैं यह सोच रहा था कि यह बिल के परव्यू में कुछ अपनी बात कहेंगे। विधायक दल की बैठक से आपने बात प्रारम्भ की। नोटबंदी, जी.एस.टी., पैट्रोल-डीजल, फ्यूल सब्सिडी और केन्द्र सरकार को कोसने की बात आपने कही पर मैं एक बात जरूर कहूंगा क्योंकि आप मेरे मित्र हैं तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गये, वह समय कभी नहीं आएगा, जब आपको मैं वहां बैठा देखूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल आया है एफ.आर.बी.एम. एक्ट ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप सात बार विधायक बन गये, आपका नेता बनने का सपना कब पूरा होगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह आपके साथ-साथ ही होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल आया है एफ.आर.बी.एम. एक्ट जो 2005 का मूल अधिनियम है, इसके सैक्शन 6 (ई) के बाद में 6 (एफ) एक नया सैक्शन इन्सर्ट करने के लिए संशोधन सरकार लेकर आई है और उसमें यह लिखा है कि विद्युत क्षेत्रों में निष्पादन मानदंड, फिर बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्रों में निष्पादन मानदंड के आधार पर 2021-22 से 2024-25 तक की कालावधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको जी.एस.डी.पी. कहते हैं, का पाइंट पांच फीसदी अतिरिक्त उधार लिये जाने की अनुज्ञा करने के लिए प्रस्ताव सरकार लाई।

माननीय सभापति महोदय, 2005 में राज्य सरकारें अंधाधुंध ऋण ले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रही थीं। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट आगे बढ़ता जा रहा था। पूरे देश के अन्दर सारी राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन में लाने के लिए तत्कालीन सरकार एक एक्ट लेकर आयी, एफ.आर.बी.एम. एक्ट, जिसको इसी सदन के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में अंगीकार किया गया और उसमें इंडिकेटर निर्धारित किये गये, जिसकी चर्चा अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने की।

एफ.आर.बी.एम. एक्ट, 2005 के सैक्शन 6 (2) के अन्दर ये इंडिकेटर तय किये गये कि राज्य का वित्तीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 3 परसेंट के दरम्यान रहेगा और मैं यह समझता हूं कि इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान जब हमारा बजट सत्र था, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, उस समय राज्य वित्त विधेयक, 2021 हमने पारित किया, उस वित्त विधेयक के माध्यम से भी इसी सदन ने एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया था, वह संशोधन प्रस्ताव था एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संशोधन का था।

आज हम एफ.आर.बी.एम. एक्ट के सैक्शन 6 (ई) के बाद में 6 (एफ) को, नए सैक्शन को इन्सर्ट करने के लिए संशोधन लेकर आये हैं। उस समय लेकर आये थे सैक्शन 6(सी) में संशोधन और संशोधन क्या था? मैं कोट करना चाहूंगा, यह वित्त विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, इसके पृष्ठ-3 में यह संशोधन प्रस्तावित किया गया था कि 1 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाले 31 मार्च, 2026 के समय तक, छह वर्ष की कालावधि में, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अपने कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 38.2 फीसदी तक सीमित करेगा। यह संशोधन इस सदन ने पास किया जिसमें सरकार ने यह कहा इस फाइनेंस बिल के माध्यम से कि हम आने वाले छह साल तक, 31 मार्च, 2026, मतलब 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2026 तक हमारा जी.एस.डी.पी. का जो ऋण का अनुपात है, इसको 38.2 प्रतिशत तक सीमित करेंगे और उसके पश्चात् इस अनुपात को बनाये रखेंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपका एफ.आर.बी.एम. एक्ट कह रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एफ.आर.बी.एम. एक्ट के पृष्ठ 15 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने यह बड़ी लम्बी चौड़ी बात कह दी। पूर्ववर्ती सरकार को आपने कोसा, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने की बात आपने कही। आपने केन्द्र सरकार के पैट्रोल से लेकर सब्सिडी कम करने की बात कही पर आपका यह एक्ट क्या कहता है? ये मेरे आंकड़े नहीं हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपके राज्य का बकाया ऋण क्योंकि यह मूल रूप से आज का प्रस्ताव है कि जो निर्धारित मापदंड है, उससे पाइंट पांच फीसदी जी.एस.डी.पी. का अतिरिक्त ऋण विद्युत सुधार के निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकार लेना चाहती है, इसका प्रस्ताव है तो GSDP से आपका अनुपात, यह 2020-21 का बजट हमने नहीं रखा, आपने रखा। उसकी बी.ई. में 33.12 परसेंट, मतलब इन्होंने वादा किया कि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे और हम 33.12 परसेंट पर जी.एस.टी. और ऋण के अनुपात को रखेंगे और आपके आर.ई. के आंकड़े, जो इसमें लिखे हैं, ये क्या कहते हैं, यह बढ़कर हो गया 42.72 परसेंट। सभापति महोदय, यह 38.05 परसेंट की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं फिर आप 2021-22 में बी.ई. लेकर आये, इसमें 38.15 परसेंट की आपने बात कही, क्योंकि पाबंदी है। अब आप मुझे बताओ, जो संशोधन आप लेकर आये हो, उस संशोधन में आप पाइंट पांच फीसदी अतिरिक्त उधार की बात कर रहे हो, आपने तो सारे मापदण्डों से पहले ही कई ऊंची छलांग लगा दी।

माननीय सभापति महोदय, अब यक्ष प्रश्न यह है कि आज सदन के अन्दर जो अभी एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संशोधन पेश हुआ है, मुझे यह बता दें कि आपके पास क्या मैकेनिज्म है? पाइंट पांच फीसदी आप ऋण और ले लोगे, पर आपको ऋण के GSDP का रेशो पहले 42.72 परसेंट पर तो पहुंच गया, उसको ठीक करने का आपके पास क्या प्रावधान है? मंत्री महोदय, अपनी रिप्लाई में आप मुझे बताना। मैं समझता हूं कि यह GSDP के पांच परसेंट में ऋण लेने की बात आपके लिये बेमानी इसलिए साबित होगी कि आप चाहे पिछली सरकार पर कितना ही आरोप लगाओ, आपके आंकड़े यह कह रहे हैं कि 2019-20 की आर.ई. में राजस्थान पर 3 लाख 41 हजार करोड़ का कर्जा था। 2020-21 की बी.ई. में 3.75 का और आर.ई. में आये तो 4 लाख 09 हजार का और 2021-22 में आपने प्रपोज किया है कि 4 लाख 57 हजार करोड़ का कर्जा हमारे पर है 2021-22 के बजट एस्टीमेट में और यदि रिवाइज एस्टीमेट में आओगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह 6 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। मैं समझता हूं कि जिस GSDP की बात आप कर रहे हैं, GSDP में इसका अनुपात 3 परसेंट की जो लिमिट तय की है राजस्व घाटे की, आज आपकी किताब के आंकड़े यह कह रहे हैं कि 2020-21 की आर.ई. में 41,700 करोड़ का घाटा यानी GSDP का 6.12 परसेंट है। कहां पाइंट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

फाइव परसेंट की बात कर रहे हैं हम। यह राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुका है स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप मानो चाहे मत मानो।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, यह आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो GSDP के अन्दर 2 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने की बात रखी, पांच प्रतिशत अतिरिक्त तक की, और माननीय सभापति महोदय, यह ऋण लिया जा रहा है एक "additional borrowing space of 0.50 percent for GSDP linked to performance in the power sector." आपकी किताब है। आपने हस्ताक्षर किये हैं। पाइंट पांच परसेंट लोन लेने के लिये भारत सरकार के इस दस्तावेज पर मंत्री महोदय, आपने हस्ताक्षर किये हैं। यह दस्तावेज क्या कहता है? यह दस्तावेज यह कहता है कि डिस्कॉम का जितना घाटा है, आप मुलाहिजा फरमाएं, माननीय सभापति महोदय, यह सारा घाटा 2025-26 तक सरकार वहन करेगी। यानी 2022-23 में डिस्कॉम का जितना भी घाटा है, वह उसका साठ परसेंट, 2023-24 में 75 परसेंट, 2024-25 में 90 परसेंट और 2025-26 में पूरा 100 परसेंट। आपने इसी में यह लिखा है, आपने ही दस्तखत किये हैं कि आप रिडक्शन इन क्रोप सब्सिडी, एग्रीकल्चर की सब्सिडी को आप कम करोगे, इंडस्ट्रियल की सब्सिडी को कम करोगे। आपने वादा क्या किया था कि पांच साल में हम किसान की विद्‌युत दर को नहीं बढ़ाएंगे। डाकूमेंट का यह कागज, जिस कागज पर आपके अधिकारी दिल्ली के अन्दर जाकर हस्ताक्षर करके आये हैं, आपको एडिशनल बोरोइंग मिल रही है, उसमें आप किस-किस पर हस्ताक्षर कर आये? आपने यह भी कर दिया कि अब डिस्कॉम की जो सब्सिडी की राशि है, हर तीन महीने में एडवांस में सरकार देगी, दोगे आप और 2022-23 और 2023-24 में 100 प्रतिशत जितनी भी सब्सिडी है, वह सरकार को एडवांस में डिस्कॉम्स को देनी पड़ेगी, यह दस्तखत इन्होंने किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें इन्होंने यह भी कह दिया कि जितनी भी सब्सिडी है और डी.बी.टी. के माध्यम से सीधा पेमेंट होगा। आपने यह भी कह दिया कि आप इसके अन्दर प्राइवेटाइजेशन करोगे। विद्‌युत कम्पनियों का वितरण का कार्य निजी हाथों में सौंपोगे 25 नम्बर लेने के लिये। कोटा में KDPL का आपने विरोध किया था न, आज राजस्थान के अन्दर आप वह गेट खोल रहे हो, मेरा आरोप है सरकार पर, आप दस्तखत करके आये हो कि राजस्थान में विद्‌युत वितरण कम्पनियों का हम निजीकरण करेंगे। अगर मैं असत्य बोलूं तो यह किताब आपकी है, मेरी नहीं है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह समान प्री-पेड मीटर, आपने लिखा है इसमें, प्रदेश में समान प्री-पेड मीटर लगेंगे। मतलब पहले पैसा, फिर बिजली मिलेगी। आप कौनसे युग को प्रारंभ कर रहे हैं? आपने यह भी कहा कि 2022-23 तक जो 1841 करोड़ रुपया तीनों डिस्कॉम्स का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल बाडीज का बाकी है, आप वह भी चुकाओगे। मैं समझता हूं टी एण्ड डी लोस को आप 15 परसेंट पर करेंगे। रिडक्शन आफ क्रॉप सब्सिडी करेंगे आप। आप पावर परचेज एग्रीमेंट, जो पिछली बार कर दिया, उससे आप बैक-आउट नहीं होंगे। आप एवरेज कोस्ट आफ सप्लाई पर विद्युत उपलब्ध कराएंगे। सदन में जिम्मेवारी से कह रहा हूं रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, अब वह समय प्रारम्भ हो जाएगा इस हस्ताक्षर के बाद, जब डोमेस्टिक बिजली 15 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी और किसान को मिलने वाली बिजली की सब्सिडी बंद करेंगे। यह किस प्रकार का आप बिल के अन्दर ला रहे हैं। मतलब आप एफ.आर.बी.एम. एक्ट में पाइंट पांच परसेंट ऋण लेने की एडिशनल अनुमति के नाम पर पावर सैक्टर के रिफार्म्स के नाम पर ली और क्या-क्या दस्तखत कर दिये?

मंत्री महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, परन्तु आपको यह बलि का बकरा क्यों बनाते हैं क्योंकि आपकी वह अदा, वह चिर-परिचित अदा मेरे बैठते ही, क्योंकि इसमें भी दम नहीं, आपको लम्बा भाषण करना है, इसलिए यह कह दिया। पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालत क्या है। माननीय सभापति महोदय, विद्युत कम्पनियों का घाटा 80 हजार करोड़ को पार कर गया। यह माननीय विद्युत मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। इसके अन्दर विद्युत उत्पादन कम्पनियों का घाटा जोड़ लें, 25 हजार करोड़ का शोर्ट लोन और 24,600 करोड़ का लोंग टर्म लोन, तो मंत्रीजी जोड़-बाकी में, मैं जानता हूं मैथेमेटिक्स में सप्लीमेंट्री आती रहती है, उसमें क्या है पर 49,600 करोड़ रुपये होते हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो कभी पढ़ाई करके पास हुए ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इससे गम्भीर आरोप कभी मेरे पर सदन में नहीं लग सकता। मैं मेधावी छात्र, मेरे पर यह आरोप लगा है। मैं वह पुरानी बात बता दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि 24 हजार के बॉण्ड अभी मैच्योरिटी पर आ रहे हैं। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): राठौड़ साहब, हम पुरानी बातें बता देंगे फिर क्या होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फिर निकलेगी तो बहुत दूर तलक तक जाएगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक रोज अलग से पुरानी बातों पर बहस हो जाए।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पुरानी वह यूनिवर्सिटी वाली क्या?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पुरानी बातों की बात कर रहे हैं, पुरानी बातों के डाकूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं अभी भी। अगर वह आ जाएं न, तो पता नहीं क्या से क्या भूचाल आ जाएगा राजनीति में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप तो ले आना, अब विराजो आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह समस्या राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्स-प्रेसीडेंट की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था आज की तारीख में विद्युत वितरण कम्पनियों पर एक लाख 37 हजार करोड़ का घाटा है। अब जो बॉण्ड मैच्योरिटी पर आ रहे हैं, वह बॉण्ड भी 24 हजार करोड़ के ही हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के आर्थिक आपातकाल में राजस्थान बढ़ चुका है और जिस तरह एडिशनल बोरोइंग स्पेस के नाम पांच परसेंट GSDP का परफोर्मेंस पावर सैक्टर में ऋण लेने की बात इन्होंने कही। राजस्थान में एक तरह से यह सारी कंडीशन जो आप मानकर आए हो, राजस्थान के उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। अत: इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। समय का ध्यान रखेंगे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, एफ.आर.बी.एम. एक्ट (संशोधन) विधेयक, 2021, कहने को तो मंत्री महोदय यही कहेंगे कि बिल में एफ.आर.बी.एम. एक्ट में कोविड महामारी के कारण 2021-22 से लेकर 2024-25 तक तीन फाइनेंशियल ईयर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको GSDP का पाइंट फाइव परसेंट एक्स्ट्रा लोन लेने की जो राज्यों को छूट दी है, यह उसका बिल लेकर आये हैं लेकिन माननीय सभापति महोदय, यह इतनी छोटी बात नहीं है। यह लोन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?

(श्री अशोक लाहोटी)

इस एक्ट में माननीय मंत्री महोदय को यह भी साथ में रखना चाहिए कि राजस्थान की फाइनेंशियल स्थिति क्या है और इस लोन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?

आज यदि हमारी रेवेन्यू रिसीट्स लगातार कम हो रही हैं और खर्चे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उसके कारण हमारा लोन का स्ट्रक्चर एक भयावह स्थिति में पहुंच गया, सभापति महोदय। 2019-20 का जो पहला बजट था उसकी रिसीट्स के जो एक्चुअल देखें तो 1 लाख 64 हजार करोड़ के अगेंस्ट में रिसीट्स हुई हैं 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये, उस समय कोरोना भी नहीं था, माइनस 14 परसेंट। 2020-21 की रिसीट भी सामने आ गयी है, उसके भी एक्चुअल्स आ गये हैं, जो यह अगले बजट में ले आएंगे। 1 लाख 73 हजार करोड़ के अगेंस्ट में 1 लाख 32 हजार 830 करोड़ रुपये की रिसीट है, माइनस 23 परसेंट।

सभापति महोदय, अभी 2021 की यह 4 महीने की जो चौमाही गयी है इसमें 1 लाख 84 हजार करोड़ का जो प्रोजेक्शन था, उसका अभी तक केवल 25 परसेंट टारगेट अचीव हुआ है, 46 हजार करोड़ रुपये और इसी में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक यह सब 30 परसेंट से ऊपर रिसीट चल रही है। सभापति महोदय, बजट में, इसी सदन में जब यह बजट था तब सरकार ने कहा था कि हम इस बार की रिसीट 30.72 परसेंट की ग्रोथ के साथ करेंगे।

सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि किस प्रकार से लोन बढ़ा और बी.जे.पी. गवर्नमेंट में बढ़ गया था। सभापति महोदय, मैं सदन को इस सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान पर 2020-21 के समाप्ति वर्ष पर जो कर्जा था, वह 4 लाख 9 हजार करोड़ का कर्जा था और 4 लाख 57 हजार करोड़ के कर्जे का प्रोजेक्शन सरकार ने किया था, इसमें से कितना कर्जा था? 2018-19 तक यह कर्जा 3 लाख 11 हजार करोड़ था, जिसमें से भा.ज.पा. की सरकार में पांच साल में मात्र 1.64 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया था। बाकी का कर्जा ढाई साल की इस सरकार ने अब तक, ढाई साल के छोटे से पीरियड में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा ले चुकी है। यदि इसका आकलन देखो तो आज तक की सरकारों ने जितना कर्जा लिया है उसका 25 प्रतिशत कर्जा सरकार केवल इन ढाई साल में ले चुकी है इसलिए इनको इस एफ.आर.बी.एम. एक्ट की जरूरत पड़ रही है कि इस लोन का स्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। इन्होंने यह नहीं बताया कि

(श्री अशोक लाहोटी)

पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना की प्रथम लहर में जब छूट दी थी, जो 2 परसेंट की छूट दी, उसमें राजस्थान ने स्टेट डवलपमेंट बॉन्ड जारी करके रिजर्व बैंक से 47 हजार 911 करोड़ का कर्जा लिया इन्होंने, इसके अलावा 1 हजार 44 करोड़ नाबार्ड से लिये, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से 52 करोड़ का कर्जा लिया। जैसा माननीय उप नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बताया, यदि मैं बिजली कंपनियों का कर्जा और इसमें जोड़ दूं तो सरकार की धरती ही खिसक जाएगी, सभापति महोदय, यह रास्ते में ही झूलती नजर आएगी।

सभापति महोदय, प्रति वर्ष इनको कर्जे की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, यह नहीं बता रहे कि प्रति वर्ष 25 हजार करोड़ रुपये केवल ब्याज में चुका रहे हैं, केवल ब्याज में। वर्ष 2020-21 में पूरे वर्ष में राजस्थान के विकास के लिए केवल 14 हजार 988 करोड़ था, यह जो 2020-21 गया है, केवल 14 हजार 988 करोड़ का विकास हुआ था और यह ऐसा समय था जब कोरोना काल की परिस्थितियां थीं लेकिन उस समय भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय बैठे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसके डवलपमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत थी, यदि हम उस अकाउंट को भी देखें, यदि उस सोशल सैक्टर को देखें तो उसमें मात्र 7641 करोड़ रुपये खर्च किये थे जबकि एस्टीमेट था 9749 करोड़ रुपये का।

सभापति महोदय, सरकार बिलकुल बेपटरी हो गई है। कहां पर खर्च करना था और कहां पर खर्च हो रहा है, कहां पर डवलपमेंट करना था और कहां ब्याज में पैसा जा रहा है, यह सरकार के बूते की बात नहीं रही। इसमें यदि आप देखो यह सबसे प्रायोरिटी सैक्टर था उसके बाद भी। और, सभापति महोदय, सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां हुई कि यह 0.5 परसेंट जी.एस.डी.पी. का लोन लेंगे। मैं आपके सामने वह आंकड़ा बता रहा हूं जिसको पूरा झूठ के आधार पर यह प्रोजेक्शन की बैलेंस शीट बनाई। जो 2021-22 की बैलेंस शीट थी उसमें सरकार ने जी.एस.डी.पी. की ग्रोथ मानी है, 25.10 परसेंट की ग्रोथ मानकर बजट बनाया और बजट का स्ट्रक्चर 2 लाख 50 हजार करोड़ किया ताकि जी.एस.डी.पी. बढ़ाकर दिखाकर यह ज्यादा लोन ले सकें। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 2023-24 के बजट में 11 परसेंट की ग्रोथ पहले से बतायी है जबकि हिन्दुस्तान में आज तक, केन्द्र सरकार अभी पहली बार इस कोरोना के बाद 20 परसेंट की जी.एस.डी.पी. ग्रोथ पर आई है, वह भी खर्चा कम किया है

(श्री अशोक लाहोटी)

और 20 परसेंट की और राजस्थान सरकार ने 25.10 परसेंट की ग्रोथ रेट पर पूरा बजट ही बना लिया ताकि लोन ज्यादा ले सके।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट का भा.ज.पा. सरकार उल्लंघन कर चुकी इस झूठे प्रोजेक्शन को निकालकर देखो तो यह रेट 3 परसेंट, 9 परसेंट, 15 परसेंट, कहां जाएगा यह लोन, सभापति महोदय, इसकी गिनती ही नहीं होगी।

सभापति महोदय, इसके रिकार्ड कलेक्शन के बाद भी इन्होंने 2022-23 में जो 4 प्रतिशत वृद्धि की संभावना इसमें जोड़ दी जबकि 2020-21 जो जी.एस.डी.पी. थी, एक्चुअल जी.एस.डी.पी. जो थी वह थी चालू कीमतों पर माइनस 4.11 परसेंट और और कोन्स्टेंट प्राइस पर भी चले जाएं तो माइनस में जी.एस.डी.पी. थी, माइनस 6.61 परसेंट और 2021-22 में यह माइनस कवर करके 25 परसेंट का प्रोजेक्शन और उससे बैलेंस शीट बनाई। पहली चौमाही में उधार लेने में राजस्थान सबसे आगे है। अब तक इस 4 महीने में हम 18 हजार 500 करोड़ रुपये सालाना लक्ष्य का 38 परसेंट कर्ज ले चुके हैं आलरेडी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह निवेदन करूंगा, जबकि उत्तर प्रदेश ने 21 परसेंट कर्जा लिया है जबकि हमसे चार गुना ज्यादा आबादी है, तमिलनाडु 18 परसेंट, मध्य प्रदेश 21 परसेंट, गुजरात 32 परसेंट, कर्नाटक 11 परसेंट और महाराष्ट्र 8 परसेंट पर है।

सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर पिछले कोरोना के काल में ...(व्यवधान)

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य हमको पता है आप सी.ए. हैं पर कभी-कभी हमको भी बोलने दिया करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका नाम दिया हुआ है। मैं नाम काट दूंगा बीच में इंटरवीन करेंगे तो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में जो सरकारों ने लोन लिया है उस लोन का स्ट्रक्चर जो है, मंत्री महोदय, एक बार आप इसकी तरफ झांकें। राजस्थान स्टेट ने 53 हजार 411 करोड़ रुपये लोन लिया। उत्तर प्रदेश हम से कितना गुना बड़ा है, 4 गुना आबादी, उन्होंने लिया है 65 हजार 281 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश ने लिया है

(श्री अशोक लाहोटी)

38 हजार 100 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र ने लिया है 67 हजार करोड़ रुपये और राजस्थान छोटा स्टेट होने के बाद भी हमने लिया है 53 हजार 411 करोड़ रुपये, आपने यह लोन कोरोना में लिया है।

सभापति महोदय, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह सरकार एक बार यह देखे कि आप कब तक उधार से भी पीते रहेंगे? मंत्री महोदय, ज्यादा घी पीने से भी सेहत बिगड़ जाती है। घी पीना तो जरूरी है लेकिन सेहत बिगाड़ना ठीक नहीं है। मैं यह कहूंगा कि

"आप बड़े-बड़े ऐलान करते हैं,
आप बिना किसी नियोजन के बखान करते हैं,
लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी क्षमता नहीं,
सिर्फ रेत का महल बनाने का आप काम करते हैं।"

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस एफ.आर.बी.एम. एक्ट को आप मंत्री महोदय को समझाएं कि यह लोन लेने की आदत कम डालें, यह इस गति से लोन नहीं लें कि केवल लोन ही लेते रहें और बाकी सब चीजें भूल जाएं।

आज राजस्थान की आडिट रिपोर्ट भी आ गयी है। यदि मंत्री जी इस आडिट रिपोर्ट पर एक बार नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कौनसे सैक्टर में आपने अचीव किया है। आप एक भी सैक्टर उठाकर बता दो। पूरे राजस्थान के बजट को आप 7 सैक्टर्स में डिवाइड करते हो, मंत्री महोदय, आप जवाब में जरूर बताएं कि किसी भी एक सैक्टर से एक्चुअल्स में आपने जो एस्टीमेटेड ग्रोथ थी उससे ज्यादा अचीव किया है? यह आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021, एफ.आर.बी.एम. एक्ट में (संशोधन) विधेयक, 2021 में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

जी.एस.डी.पी. का आधा प्रतिशत अधिक ऋण लेने की छूट देने के लिए लाया गया विशेष राज्य की आर्थिक स्थिति का भला करने वाला लगता नहीं है, माननीय सभापति जी और वह भी जब राज्य की आर्थिक स्थिति कु-

(श्री बिहारीलाल)

प्रबंध का शिकार हो और खास तौर पर बिजली के क्षेत्र में। धारा 6 में एक नई धारा (च) को इन्सर्ट किया जा रहा है। बिजली के क्षेत्र में लॉकडाउन की परिस्थितियों को हमने देखा कि न तो किसानों को, न उद्योगों को, न घरेलू उपभोक्ताओं को किसी को किसी भी प्रकार की छूट न देते हुए भी उस कठिन परिस्थिति में भी बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ता ही गया। कु-प्रबंधन के शिकार का आलम यह है कि पीछे जब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, बरसात का सीजन बरसात नहीं, अनावृष्टि का समय था, उस वक्त जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमने बिजली कंपनियों की और सरकार की मैनेजमेंट की स्थिति देखी कि हमारी थर्मल यूनिटें बंद पड़ी थीं, कोयले की आपूर्ति नहीं थी और ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय प्रबंध देखिये कि देश की सबसे महंगी बिजली राजस्थान की सरकार को खरीदनी पड़ी और अब हम आधा प्रतिशत जी.एस.डी.पी. का लोन लेने की सीमा बढ़ाने का एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संशोधन का एक्ट लेकर आये हैं। इससे क्या भला हो जाएगा, यह समझ से परे है। वित्तीय स्थिति को सुधारने की जरूरत है और इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई वित्तीय संकट दूर होगा। यह उधार लेने की प्रवृत्ति, उधार लेकर घी पीने की प्रवृत्ति चार्वाक के सिद्धांत पर चलने की बात राजस्थान सरकार किये जा रही है। इससे राजस्थान का भला होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आज धारीवाल जी यहां पर विराजमान हैं। धारीवाल जी, 2 दिन पहले आपने वादा किया था कि जीएसटी की कौंसिल में जाऊंगा। आज जीएसटी कौंसिल की 45वीं मीटिंग है। जीएसटी में डीजल, पैट्रोल को लाएंगे। डोटासरा जी बैठे हैं। पैट्रोल पंपों पर पूरे प्रदेश में आग लगा रहे थे। इसका मतलब, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जीएसटी के दायरे में आप पैट्रोल और डीजल को लाना नहीं चाहते। आज कौंसिल की मीटिंग में होते और आप यहां बाल विवाह निषेध कानून के खिलाफ भी बिल लेकर आ रहे हैं। ऐसा काला कानून पास कर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में फर्क है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रोहित बोहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज हम सब एफआरबीएम एक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज डिस्कशन का मुद्दा है कि एफआरबीएम एक्ट लाया कौन था? एफआरबीएम एक्ट एक सेन्ट्रल का एक्ट था जो स्टेट्स पर लागू किया गया, for their fiscal management कि किस तरह से राजकोषीय घाटा ज्यादा नहीं बढ़े। उसका मेन मुद्दा था।

जब से 2014 में बीजेपी सरकार आई, तब से उन्होंने राज्य सरकारों का किस तरह से गला घोंटा जाता है, वह एक नई प्रथा जो पूरे हिन्दुस्तान में कभी नहीं थी, शुरू कर दी। उसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। फिर मैं एफआरबीएम एक्ट पर आता हूं।

आज 4 लाख करोड़ की पैट्रोल और डीजल पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। 4 लाख करोड़ में से जो पहले एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से पैसा राज्य सरकार को आता था, वह आना बंद हो गया। टोटल 26 हजार करोड़ रुपया राज्य सरकार का डी-वैल्युएशन में आता है। 3 लाख 75 हजार करोड़ का सेन्ट्रल गवर्नमेंट घी पी जाती है। फिर हमें यह समझाते हैं चूरू से आने वाले विधायक कि आप लोन क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हो? आपकी जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी 90:10, वह आपने खतम कर दी बीच में, एक दिन आता है, यह भी नहीं कि जो पैसा ऑनगोइंग वर्क्स हैं, वह खतम हो जाएं, वह भी खतम नहीं करने देती है। वह भी एक दिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टाप कर देती है।

आज एफआरबीएम एक्ट में आपको स्टेट्स को क्यों यह छूट देनी पड़ी? किसी ने मांगा थोड़े ही था। आपको अपने आप देनी पड़ी क्योंकि आप खुद इकॉनामी नहीं संभाल पा रहे। 70 साल में यह पहली बार हुआ। यह लोग कहते हैं न कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैं बिलकुल यही कह रहा हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। फिस्कल डेफिसिट 9 परसेंट पहुंच गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब से हमारी आजादी हुई है 9 परसेंट फिस्कल डेफिसिट किसी भी कंट्री का नहीं गया होगा। मैं कहता हूं कि इतना गंदा मैनेजमेंट आज के 70 साल में किसी ने नहीं करा होगा जो सेन्ट्रल के फाइनेन्स मिनिस्टर ने किया।

चूरू से आने वाले विधायक क्या बोले कि राजस्थान का फिस्कल डेफिसिट 6.2 परसेंट हो गया। यह तो देखिए कि सेन्ट्रल का फिस्कल डेफिसिट क्या था? कंपेयर तो करो। आपने यह क्यों लगाया कि .5 आपको एक्सट्रा हम दे देते हैं और आप पावर सैक्टर को रिफार्म्स ले आओ? क्यों लगाया आपने यह? किसी ने कहा था आपको लगाने को? आप अलाउ कर देते न स्टेट्स को

(श्री रोहित बोहरा)

करने के लिए, who stopped you? लेकिन इनकी मंशा, इनकी कथनी और करनी में इतना डिफरेंस है कि आप संभाल भी नहीं सकते। इनकी कथनी और करनी में क्या डिफरेंस है? जो एनटीपीसी का पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहता है! जो ऑनगोइंग वर्क प्रोसेस पर रहता है, बिजली खरीदते हैं, कोयला खरीदते हैं, कोल इंडिया से खरीदते हैं। यह चाहती है सेन्ट्रल गवर्नमेंट, इतनी वित्तीय स्थिति खराब है सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कि वह उधार देने में सक्षम नहीं है। इस कारण ही आपके जो नवरत्न हैं एलआईसी, उसको क्यों बेच रहे हो?

श्री सभापति: एफआरबीएम एक्ट पर आइए। एफआरबीएम एक्ट पर आ जाइए सीधे-सीधे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, यह एफआरबीएम एक्ट का ही है। It is a part of FRBM Act. यह क्यों पास हो रहा है एफआरबीएम एक्ट?

श्री सभापति: इनवाइट मत करिए आप उनको।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं कोई चीज ऐसी नहीं बोल रहा हूं जो आउट आफ एफआरबीएम एक्ट है। यह क्यों पास कर रहे हैं? यह जानना सभी मैम्बर्स के लिए जरूरी है कि एफआरबीएम एक्ट क्यों पास हो रहा है? यह इसलिए पास हो रहा है कि इनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि वह स्टेट्स को बाध्य कर रहे हैं कि आप एफआरबीएम एक्ट लाओ और यह पावर सैक्टर्स के रिफार्म्स करो।

आप ऐसे भी दे सकते थे न हमको। बिना पावर सैक्टर के रिफार्म्स के भी आप हमें यह परमिशन दे सकते थे। क्यों नहीं दी? आपने सब सब्सिडीज खतम कर दी। स्टेट्स कहां से पैसा जनरेट करेंगी? अगर टोटल रेवेन्यू में 47 परसेंट पैसा सेन्ट्रल से आता है तो 53 परसेंट हम खुद कमाते हैं जो कि पहले उलटा था। हमें सेन्ट्रल से पैसा ज्यादा आता था लेकिन कैसे आप स्टेट्स को बाध्य करो कि वह कैसे सेन्ट्रल पर आश्रित हो जाएं। यह एक माध्यम निकला है कि एफआरबीएम एक्ट में आपने इस तरह का कर दिया। आपने उदय योजना में पैसा क्यों लिया? हमने कहा था कि आपसे उदय योजना में पैसा लो? क्यों आपने ले लिया? जो आप समझा रहे थे। चूरू से आने वाले विधायक हमें समझा रहे थे कि यह कहां से लाओगे? इतना लोन क्यों लिया? आपने उदय योजना में पैसा क्यों लिया? किसी ने कहा था आपको?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह तो ऐसे ही बोल देते हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): किसी ने कहा था क्या आपको? यह सिर्फ चिल्लाकर और मिथ्या भाषण देकर के हमें गुमराह मत करो। यह जो आपने कहा न कि क्यों साइन करे? यह आपने इसलिए साइन किया है कि आप बाध्य कर रहे हो स्टेट्स को साइन करवाने के लिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरी तरफ देखकर बात करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): स्टेट्स से साइन कराने के लिए बीजेपी की सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर रही है। हम नहीं कर रहे हैं। यह 15 रुपये की बिजली आप कराना चाह रहे हो। हम नहीं कर रहे हैं1 स्मार्ट मीटर्स किसने कहा लाने के लिए? हम पैसा दे रहे हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? सेन्ट्रल गवर्नमेंट पूरा स्मार्ट मीटर्स का पैसा दे रही है और बाध्य कर रही है कि आप लगाइए, नहीं तो हम आपकी सब्सिडी खतम कर देंगे। यह पूरा काम बीजेपी की सरकार सेन्टर से कर रही है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सब चीज मुमकिन है। अगर कोई और होता तो मुमकिन नहीं होता। मनमोहन सिंह जी थे, कम बोलते थे, लेकिन इकॉनामी को अच्छी तरह से लेकर के गए। वह इनके पेट में दर्द हो जाता है।

आज एफआरबीएम एक्ट आपके लिए बाध्य हो गया है। आप पैसा कहां से लाओगे? 53 लाख करोड़ रुपये का हम ऋण छोड़कर गए थे, जब हमारी मनमोहन सिंह की सरकार गई थी। आज की डेट में वह 1 लाख 36 हजार करोड़ हो गया 7 साल में that means it has increased not by 100 percent. It has increased by more than 150 percent all over the country. That means every man in this Country has to pay 1 lakh rupees as loan. What have they done? करा क्या है इन लोगों ने? फिर हमें यह समझा रहे हैं कि एफआरबीएम एक्ट को जनमत के लिए भेज दो। आप ही का एक्ट है। सरकार ने ही भेजा है। साइन करो, नहीं तो तुम्हारा गला घोट देंगे। ऐसा मत करवाओ। कम से कम इस गरीब जनता का गला मत घोंटो आप इस तरीके से। तथ्यों में अन्दर जाओ। ऊपर से पढ़कर के तथ्य मत बताओ और आप यहां पर गुमराह मत करो। तथ्यों की आप अच्छी तरह से हम सबको जानकारी दो। आप सीनियर हो। आप नहीं समझाओगे तो हम सीखेंगे कैसे? गलत मत सिखाओ।

(श्री रोहित बोहरा)

मानननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें यह कहना है कि एफआरबीएम एक्ट हमें लाना पड़ेगा क्योंकि हमें बाध्य कर दिया गया है। हम कोई अपनी मर्जी से नहीं ला रहे हैं। आज हमारी जो रेवेन्यू है, 5600 करोड़ नहीं दे रहे। उज्ज्वला योजना की गैस की सब्सिडी आपने बंद कर दी। आपका वह फ्लैगशिप प्रोग्राम था। किसने कहा था? They were part. एफआरबीएम एक्ट का पार्ट हो जाता न यह। हमें लोन और लेना पड़ रहा है। सब सब्सिडीज बंद कर दीं। फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दी। गैस सब्सिडी कम कर दी। आप ही का यह प्रोग्राम है। पावर मिनिस्ट्री का ही यह प्रोग्राम है that all the loans of the power sector companies have to go to the State Government. यह हमारा नहीं है। यह स्ट्रक्चरल रिफार्म्स सेन्ट्रल की पावर मिनिस्ट्री कर रही है जो कि हमें फालो करना पड़ रहा है। यह हम कर रहे हैं? हमने बाध्य किया? बताओ आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप विकसित करो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): करना पड़ेगा। नहीं तो आप कोयला रोक देते हो। फिर आप कहते हो कि बिजलीघर चलाओ बिना कोयले के। हमें करना पड़ेगा। आप किसी न किसी तरह से घुमाकर के यह सब चीजें कर देते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोयला आपने रोका।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): कोयला आपने रोका। जनता हमारी मर रही है बिना बिजली के।

श्री सभापति: बैठ जाओ, बैठ जाओ। विराज जाओ। विराज जाओ ... (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह फाइनेन्स की बात है बाबा, एग्रीकल्चर की बात नहीं है।

मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली हमें एफआरबीएम एक्ट तो पास करना पड़ेगा। पावर सैक्टर रिफार्म्स यह पास कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया कि एफआरबीएम एक्ट तो इन स्टेट्स को करना ही पड़ेगा। हमारे पावर सैक्टर्स के रिफार्म्स को कोई स्टेट्स पास नहीं होने देंगी तो इससे हम उसको मिला दें। यह इनका तरीका है काम करने का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): बेईमानी है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बेईमानी है ही। दिख ही रही है साफ। मैं तो बोल ही रहा हूं। यदि मैं कहीं गलत हूं तो यह बता दें। इनका असली चेहरा उघाड़ने का टाइम तो अब आया था। इसीलिए मैं चुपचाप बैठा था, मैंने इनका असली चेहरा उघाड़ दिया। एफआरबीएम एक्ट हमारी मजबूरी है, जिसमें हमें बाध्य किया गया कि हम इसे पास करें, एक्स्ट्रा लोन लें, उदय योजना में आलरेडी पावर सैक्टर कम्पनीज के लोन खतम कर दिये थे, हमें अपने बाकी बचे हुए लोन और जो लिए हैं वो इस वजह से लेने पड़ेंगे तो मैं सोचता हूं कि चूंकि हमें बाध्य किया है केन्द्र सरकार ने तो हमको पास कर देना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि एफआरबीएम एक्ट हम लाए हैं। ये 2005 का है। ये केन्द्र सरकार लाई थी। (व्यवधान) केन्द्र सरकार लाई थी और उसी के तहत हम भी यहां 2005, मई में लाए थे और इस कारण से लाए थे कि कोई भी सरकार कर्जा ले तो उसको किसी लिमिट में रखा जाए, यह केवल राजस्थान के लिए नहीं था, सारे हिन्दुस्तान के लिए था और एक सीमा तय की थी 3 परसेंट तक आप ले सकते हैं अपनी जीएसडीपी का। पिछली बार आपने और बाकी सब स्टेट ने बार-बार यह आग्रह किया कि चूंकि इस समय कोविड के समय में स्टेट की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है इसलिए यह जो 3 परसेंट है इसको बढ़ाया जाए। केवल राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के अधिकांश राज्यों ने इस मांग को उठाया और उसके आधार पर ही केन्द्र सरकार ने इस महामारी के समय में 3 परसेंट से लेकर 5 परसेंट तक आप अगर कर्ज लेना चाहो तो आपको अधिकृत किया इस एफआरबीएम एक्ट के तहत। मैं सोचता हूं कि आज आप जो इसमें राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021, एफआरबीएम एक्ट जो ला रहे हैं, यह आपको अधिकृत भी केन्द्र सरकार ने किया है, यह आपने उददेश्यों में स्पष्ट लिखा है। आप जो अमेंडमेंट ला रहे हो वह भी उनके दिए हुए अधिकार के तहत ही ला रहे हो। 0.5 परसेंट, आपकी जीएसडीपी का आप कर्जा ले सकते हो। मैं सोचता हूं कि कर्जा लेने में अगर कर्जा हमसे चुक सकता है, कर्जे से हम व्यवस्था सुधार सकते हैं, कर्जा लेकर भी हम अपनी इन बिजली कम्पनियों की हालत अच्छी कर सकते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस समय आपको यह जो उदय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

योजना के तहत 2015 में, यह कोई हमने निमंत्रण नहीं दिया था, वह तो केन्द्र ने आपको स्पेशल एडवांटेज देने की कोशिश की थी कि उदय योजना में अपने जो कर्जा है उसमें से एडजस्ट करने के लिए अगर आप तैयार हो तो केवल अकेले राजस्थान ने नहीं किया, मैं सोचता हूं कि लगभग 27 राज्यों ने और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस उदय योजना का लाभ लिया था और इस उदय योजना के तहत हम लोगों ने भी 82 हजार करोड़ रुपये का जो कर्जा था इन विद्युत कम्पनियों पर, उसमें से लगभग 62 हजार करोड़ रुपया हमने इस उदय योजना के तहत एडजस्ट किया और उसके कारण से ये जो लाइन शटअप होने वाली थी, राजस्थान इस स्थिति में आ गया था कि बिजली कम्पनियां चलेंगी या फेल हो जाएंगी, बिजली कम्पनियां फेल न हों, राजस्थान के लोगों को बिजली मिलती रही, उसके कारण से उदय योजना का लाभ लेकर राज्य सरकार ने उस समय इस उदय योजना के मानदंडों को अपनाना स्वीकार किया था कि हम इन मानदंडों को स्वीकार करते हैं।

जो उदय योजना में आपको स्वीकृति दी थी, यह है कि उदय योजना इम्प्रूवमेंट पोजीशन एज 30 जून, 2021, क्या-क्या आपको करने के लिए, चाहे हमारी सरकार थी, हम लोग उनसे कहकर आये थे कि इस उदय योजना का पैसा ले रहे हैं, हम अपने यहां इन-इन सुधारों को करेंगे, उसका कमिटमेंट किया और उस कमिटमेंट के आधार पर हमको इस उदय योजना का लाभ मिला। उसमें यह जो आपका फीडर मीटरिंग था वह 100 परसेंट कर लिया, जहां से आपकी बिजली इन ग्रिड स्टेशनों तक जाती है वहां तक का काम कम्पलीट हो गया लेकिन ये जो मीटरिंग का जो शहरों का था 100 परसेंट का, वह अभी भी आप 44 परसेंट कर पाये हो। आपने वादा तो किया कि हम 100 परसेंट कर देंगे लेकिन 44 परसेंट किया है। इसी तरह से मीटरिंग रूरल का है उसमें अभी तक अपने यहां 0 परसेंट है। अपन तय करके आये थे कि हम 100 परसेंट ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे उसको अपन नहीं कर पाये। इसी तरह से आपके फीडर रिग्रेशन में हम जो वादा करके आये 100 परसेंट का, उसमें से केवल 44 परसेंट पालन कर पाये। हमने दो जगह जरूर किया है कि हमने गांव तक बिजली पहुंचाने वाला जो तय किया था टारगेट वह राजस्थान में 100 परसेंट अचीव कर लिया। जो वादा किया था उसके अनुसार सभी गांवों में हमारी बिजली पहुंच गई। इसी तरह से रूरल फीडर को भी अलग-अलग बांटना था, हमने दोनों फीडर को अलग बांटने का काम कर लिया लेकिन एग्रीकल्चर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फीडर जो हमको अलग करना था जिसका हम वादा करके आये थे वह एग्रीकल्चर फीडर का अभी तक नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि यह जो हमारा टी एण्ड डी लोसेज था, वह हमने वादा किया था कि हम इसको 15 परसेंट पर लाएंगे, लेकिन अभी 15 परसेंट नहीं ला पाये। जितने भी इसमें लोसेज हैं वह आज भी हमारा 20 परसेंट है जबकि हमने इसको कम करने का वादा किया था। इसके कारण से उदय योजना का हमने लाभ लिया और उस उदय योजना के बाद आपने जो इस समय लाभ लिया है, मैं सोचता हूं कि आप इसको थोड़ा सा देख लें कि हमारी लोन लेने की क्षमता कितनी है और कितनी हमारी स्थिति है।

राजस्थान इतना जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, लेना आसान है लेकिन उसको चुकाना और उसको स्टैंड करना बहुत कठिन काम लग रहा है। मुझको लग रहा है कि राजस्थान की जो हमारी टोटल जीएसडीपी है जो आपने इस साल की अनुमानित की है वह 11,98,335 करोड़ रुपये की, एक्चुअल बाद में आएगा, अभी हमारा जो टोटल कर्जा है उसका 30 परसेंट राजस्थान में आज की तारीख में कर्ज के रूप में आपने अनुमानित किया है। इससे पहले वाला जो वर्ष है जो 2020-21 की आरई थी, उसमें आपका जो कर्जा था वह 42 परसेंट के रूप में था। अभी आपने माना 38 परसेंट है। पिछली बार भी आपने माना तो था जब आर बीई में गये थे उस समय 2020-21 का जो बजट बनाया था उसमें आप गये थे कि हम कर्जा 33.12 परसेंट तक स्टैंड करेंगे, यह आपका अनुमान था लेकिन यह पहुंचा कितना 42 परसेंट, 33 की जगह पर 42 परसेंट। एक्चुअल आज की तारीख में आ गया। आज की तारीख में राजस्थान पर कर्जा है वह 4,57,129 करोड़ रुपये और आप जो बार-बार कहते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी है वे आंकड़े ये सब बता रहे हैं कि जिस तेज गति से आपने 2.5 साल में कर्जा लिया है उस पर एक निगाह डालने का प्रयास करें। अगर आपकी ताकत है इसको चुकाने की तो ठीक बात है, मैं समझता हूं कि यह चुकना आसान बात नहीं है क्योंकि आपको सरकार हमने दी थी, उस समय कर्जा था राजस्थान पर जो एक्चुअल था 2018-19 में वह 3,11,000 करोड़ रुपये था, जो हमने आपको कर्जे पर छोड़ा था, वह भी एक्चुअल जो कर्जा था वह था। आज की तारीख में आपका 4,57,000 करोड़ रुपया हो गया, इसका मतलब आप 2.5 साल के अन्दर 1,46,000 करोड़ रुपये तो कर्जा ले चुके हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह तो केवल आपका बजट का कर्जा है, यह जो आपकी कम्पनियां हैं उनका कर्जा और अलग छोड़ दीजिए। अगर इन सबको मिलाएंगे तो ये कर्जा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अभी आप जो प्रस्ताव लेकर आए हैं वह प्रस्ताव लेकर आए हैं कि हम 0.5 यानी आधा परसेंट हम इस बिजली के लिए अतिरिक्त ले सके, इस आपके एफआरबीएम एक्ट के तहत केन्द्र सरकार ने आपको इजाजत दी है। केन्द्र सरकार के डाइरेक्शन के आधार पर ही आप ले रहे हो लेकिन आप इस बारे में विचार करना कि यह कर्जा किस तरह से आपका आगे बढ़ेगा और आपकी कम्पनियां आज की तारीख में, हमने जो आपको 82 हजार करोड़ में से 62 करोड़ रुपये उदय योजना में लेकर इन सारी कम्पनियों को मुक्त कर दिया था और आज की तारीख में इन कम्पनियों पर वापस 86 हजार करोड़ रुपये का कर्जा तो आज की तारीख में हो गया है इन ढाई साल में जो हमने 20 हजार करोड़ रुपये ले जाकर छोड़ा था, वह आज की तारीख में वापस 86,000 करोड़ रुपये कर्जा आपके हो गया। आपके जीएसडीपी के आधार पर 0.5 परसेंट हर साल आप जो कर्जा लेने का अधिकार ले रहे हो, वो कानून के तहत ले रहे हो, इस कारण से कर्ज का भार किस गति से बढ़ेगा, यदि हम मानते हैं कि जीएसडीपी हर साल 10 परसेंट बढ़ता है तो अभी आपके 2020-21 में, 2021-22 का आपका जो बजट है इसमें आ रहा है, 5,991 करोड़ रुपया, आप कर्जा लेने का एक्सट्रा अधिकार ले रहे हो इस बिल के द्वारा।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगले साल और 6590 तक, जो मैंने अनुमानित किया कि 10 परसेंट की ग्रोथ अगर हमारी जीडीपी में होगी तो उसके आधार पर होगा तो यह सारा कर्जा मिलाकर 24 तक का जो आपको अधिकार दिया है, वह इन कर्जों को इसी गति से यदि लेते रहे तो जैसे कोयला नहीं मिलने के कारण शट डाउन हुआ, वैसे ही राजस्थान का बिजली विभाग शट डाउन हो जाएगा।

कर्जा लीजिए, लेकिन लेने के बाद उसे चुकाने के लिए भी तो आपके पास कोई तरीका हो। मैं सोचता हूं, यह कानून आप लाये हैं, यह केन्द्र सरकार का आपको निर्देश है कि आप इतनी सीमा तक ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप इतना ही ले लें। यह सीमा तो तय है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 5 परसेंट कर सकते थे, अब यह केवल आलोचना, इन्होंने कर्जा ले लिया, उन्होंने कर्जा ले लिया, पर मैं सोचता हूं कि आज की तारीख में जीएसटी की जितनी आय केन्द्र सरकार को हो रही है, आप भी इतने सालों से हैं, मैं भी इतने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सालों से हूं और जितने लोग आज टैक्स के दायरे में हैं, जितने लोगों की टैक्स देने की कैपेसिटी बढ़ी है, क्या पर मन्थ 1 लाख 15 हजार से 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के किसी भी समय में किसी सरकार ने टैक्स के द्वारा अर्जित किया क्या?

छूट देने के बाद टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं। पहले लिमिटेड लोग थे, आज उसका दायरा बढ़ा है। मैं सोचता हूं, यह सब्सिडी, सब्सिडी, सब्सिडी, इस सब्सिडी को रैगुलराइज करने का फैसला किया है। अगर इस सब्सिडी को आप और मैं नहीं छोड़ते तो ये जितने कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब आदमी को मिले, मैंने एमएलए होते हुए भी पहली बार गैस का कनेक्शन एमएलए कोटे में जब शुरू हुआ, तब लिया, बाकी तो नूतन स्टोव पर ही खाना बनाते थे हम लोग। वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूं कि हमें इस प्रकार से पैसे को लुटाने की बजाय गरीब को उसके पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करना होगा। कठोर निर्णय जरूर है, लेकिन यह जो हेरा-फेरी का धंधा है सब्सिडी के नाम पर, इस पर अंकुश लगना चाहिए, लोगों को अपनी मेहनत का कमाकर खाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा तो करें।

उन्हें इस तरह से न कर दें कि जिंदगी भर बैसाखी से ही चलते रहेंगे और खाते रहेंगे। उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। मैं सोचता हूं, इस कानून के द्वारा जो कुछ भी आप लेना चाह रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब और बदतर होती जा रही है कि राजस्थान की जीडीपी का लगभग आज 38 परसेंट तो आप मान रहे हैं, पिछले साल 42 परसेंट कर्जे में था। उस कर्जे की किस्तें 25 हजार करोड़ रुपये जो साल की बनती हैं, वही चुकाने में चली जाएंगी। हमारा ब्याज ज्यादा और डवलपमेंट का पैसा कम। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस बारे में अगर आपको अधिकार दे रहे हैं तो अधिकार का उपयोग राजस्थान की कैपेसिटी को देखकर, राजस्थान के हालात को देखकर होना चाहिए।

इन बिजली कम्पनियों, इन बड़े-बड़े हाथियों को ठीक तरह से काबू करें, मैंने उस दिन भी यह कहा था। केवल और केवल उपभोक्ताओं को लूटने के रास्ते मत निकालें। इस उदय योजना में जो बात हमने तय की थी, उसमें यह भी है कि हम जितना कमाएंगे, उतना ही खर्च करेंगे, उसी सीमा में रहेंगे, लेकिन वह सीमा आज की तारीख में भी आ नहीं रही है। आज भी हमारे रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के अन्तर में बहुत बड़ा गैप है, जो बढ़ता ही जा रहा है। इसे कन्ट्रोल करें।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एफआरबीएम की धारा 6(बी) के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3 परसेंट या उससे कम का रखा जाएगा, इस प्रकार का प्रोवीजन पहले था। इसके साथ-साथ धारा 6 के परन्तुक में भारत सरकार द्वारा इंगित सीमा तक राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। यही एक कारण था, जिसकी वजह से यह लाया गया है। भारत सरकार के पत्र 09.06.2021 के द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए जीएसडीपी की 0.5 परसेंट अतिरिक्त उधार सीमा इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी गयी कि राज्य सरकार एफआरबीएम में संशोधन कर भारत सरकार को सूचित करेगी और भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप राज्य सरकार एफआरबीएम में संशोधन करके प्रभावित कर रही है।

मेरा निवेदन यह है कि जब यह बात उठी कि साहब, इस तरह से जो है, वह किया जाना चाहिए, 3 से 5 परसेंट की मांग सभी राज्य सरकारों द्वारा की गयी। हमने भी की, लेकिन उन पर शर्तें लगायी गयीं। 3 परसेंट तक कोई शर्त नहीं थी, भारत सरकार ने 0.3 परसेंट तक कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन 5 परसेंट पर सब राज्यों के द्वारा मांगने के बावजूद उन्होंने शर्तें रखीं। वे शर्तें क्या हैं, मैं बताता हूं आपको। उन शर्तों के विरोध में मुख्य मंत्री जी ने 04.08.2021 को माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा। राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को यह कहते हुए उन्होंने विरोध दर्ज करवाया और कहा कि राज्य सरकार के राजकीय घाटे को यह बढ़ाएगा। साफ-साफ बता दिया कि यह घाटे को बढ़ाएगा एवं इसकी शर्तें राज्य के हितों के अनुरूप नहीं हैं।

यह साफ-साफ भारत सरकार को बता दिया गया था कि 5 परसेंट आप कर रहे हैं, 3 परसेंट पर आपने कोई शर्त नहीं लगायी, लेकिन 5 परसेंट तक बढ़ाते ही आपके द्वारा इतनी सारी शर्तें ठोंकने की वजह से राज्यों के हित के अनुरूप नहीं रहेंगी। इसी प्रकार पूर्व में भी केन्द्र सरकार ने 2015, 2016, 2017 और 2018, यानी आपके वक्त में उदय योजना के अन्तर्गत 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक के डिस्कॉम के ऋणों का दायित्व राज्य सरकार पर डाल दिया। डाला कि नहीं आपके टाइम पर? साथ ही उसका ब्याज भी देना पड़ रहा है। इससे राज्य के ऋण में काफी वृद्धि हुई। वृद्धि होने का एक कारण यह भी तो है। आप कहते हैं कि साहब, आपने विद्युत कम्पनियों को

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इतने घाटे में पहुंचा दिया, घाटे में किसने पहुंचा दिया, यह 62 हजार करोड़ रुपये तो आपके टाइम में यूं ही डल गये। 62 हजार करोड़ रुपये का इजाफा तो उसी वक्त हो गया। इससे ऋण में काफी वृद्धि हुई और इस तरह केन्द्र सरकार राज्य सरकार के ऋण को बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

दूसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अतिरिक्त शर्तें क्या लगायी हैं, 2020 से लेकर 2024, 2025 तक ग्रेडेड मैनुअल डिस्कॉम का 60 परसेंट पहले वर्ष में लोस राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। यह शर्त लगा दी और फिर उसके बाद आगामी वर्षों में यह 75 परसेंट होगा, राज्य सरकार के ऊपर लगा दिया और 2024-25 तक 90 परसेंट लगा दिया कि 90 परसेंट तक का खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके बाद 2025-26 तक 100 परसेंट राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। ये शर्तें लगा दी गयीं। ये शर्तें किसके द्वारा लगायी गयीं? किससे पूछकर लगायी गयीं? एक राज्य भी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये शर्तें लगा दी गयीं।

डिस्कॉम के अकाउण्ट में जो रिसीवेबल्स हैं, उनकी आय को ही नहीं माना। जो पैसा अकाउण्ट में आया है, उस आय को ही नहीं माना और इसे राज्य के राजकोषीय घाटे में मानने के लिए केन्द्र सरकार ने बाध्य कर दिया। कटारिया साहब, डिस्कॉम के अकाउण्ट में जो रिसीवेबल्स हैं, उन्हें अपनी आय में नहीं माना गया केन्द्र सरकार के द्वारा। इसे राज्य के राजकोषीय घाटे में मानना पड़ेगा, यह शर्त और लगा दी गयी। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा एंट्री कण्डीशंस मानने पर भी यह अतिरिक्त ऋण 0.5 परसेंट का दिया जाएगा। यह तभी दिया जाएगा, जब ये सब शर्तें पूरी होंगी। इस प्रकार ड्यूज, सब्सिडी इत्यादि के बकाया दायित्वों को भी सरकार को डिस्कॉम को भुगतान करना पड़ेगा। इतनी शर्तें डाल दीं। यह पहली बार हुआ है। फर्स्ट टाइम। हमारे साथ ही नहीं हुआ, दूसरे राज्यों के साथ भी किया गया है।

फिस्कल डैफिसिट की बात की आपने, राठौड़ साहब, फिस्कल डैफिसिट समझ तो गये न आप। मैं फिस्कल डैफिसिट पर बोल रहा हूं, यह तो समझ गये न।

(15.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कागज यों ही पढ़ दो आप तो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राज्य सरकार का 2020-21 बी.ई. 3.98 परसेंट है और भारत सरकार का कितना है, यह आपको याद है? भारत सरकार 6.08 परसेंट। यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हाल है। आप हमारे फाइनेंस की ही बात कर रहे हो, उनके फाइनेंस की तो बात करो। आज हम कम से कम 16 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी जनता को दे रहे हैं। पावर में रिफार्म सुनिश्चित किया जाएगा और बिजली की दरें महंगी नहीं हो, यह कोशिश हमारी होगी। यह हमारी कोशिश होगी कि हम किसी प्रकार से बढ़ाएंगे नहीं।

आपने बता दिया कि चार लाख करोड़ रुपये का कर्जा है। भारत सरकार पर कितना है, यह याद है? 150 लाख करोड़ का, देश के हर नागरिक पर एक लाख रुपये का कर्जा है। आप हमारे फाइनेंस की क्या बात कर हो, उनके फाइनेंस की बात करो न जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट लेकर बैठे हुए हैं, रिजर्व बैंक लेकर बैठे हुए हैं, सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं। कहां तो हमारा जीएसडीपी 3.98 और कहां उनका जीडीपी का 6.08 परसेंट, यह तो हाल है। मेरा आपसे यही निवेदन है और मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। वास्तविकता में जो कुछ हुआ है यह सब भारत सरकार के द्वारा जो शर्तें लगाई गईं उन्हीं की वजह से हुआ है। जो एडिशनल बोरोईंग की शर्तें भारत सरकार के द्वारा थोपी गईं तो हमें मजबूर होकर यह सब कुछ लाना पड़ा। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब सवाल यह है कि 0.5 परसेंट तक की उन्होंने इजाजत दी है, हम लेंगे या नहीं लेंगे, वहां तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, यह तो हम पर डिपेंड करता है। सुधार कर रहे हैं, लगातार कर ही रहे हैं। आपने कहा कि आप कितना चुका दोगे, तीन-साढ़े तीन लाख करोड़ तो आप कर्जा छोड़ गये और आपने कितना चुका दिया, यह बता दो। कितना चुका दिया आपने? हम भी चुकाएंगे, निश्चित तौर पर चुकाएंगे। सभापति महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया गया।

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह सदन रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, मूलत: जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है उसकी 22 धाराओं में, धारा 17, धारा 22 से 28, 32 से 35, 39, 52, 60 से 62, 64 से 66 और 69, इन 22 धाराओं में सरकार व्यापक संशोधन लेकर आई है। सभापति महोदय, 1908 का सेंट्रल एक्ट है। इससे पहले भी कई बार संशोधन इसमें आए हैं। इसमें कुल 91 धाराएं हैं और मंत्री महोदय 22 धाराओं में संशोधन लेकर आए हैं। मैं समझता हूं अच्छा रहता कि नये राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट 2021 को सदन में रखा जाता क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी रूबरू होता है। अत्यधिक संशोधन होने से मूल एक्ट की प्रवृत्ति बदल जाती है। सभापति महोदय, अगर मैं इन संशोधन की श्रेणी में बांटू तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 11 सैक्शन में जो संशोधन मंत्री जी, आप लेकर आए हैं वे डिजिटलाइजेशन के बारे में हैं, निश्चित तौर पर डिजिटल इण्डिया का जमाना है। सैक्शन 7 में आप अधिकारिता का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं यानी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी लगाने के स्कोप को बड़ा कर रहे हैं और सैक्शन 7 और 22 में आपके वैधानिक संशोधन हैं, लीगल संशोधन हैं।

सभापति महोदय, सही बात है कि आज जिन सैक्शन 11 में मंत्री जी, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण के आप अलग-अलग सैक्शन में प्रस्ताव लेकर आए हैं। चाहे वह सम्पत्ति का रजिस्ट्रेशन हो, लीज हो, किरायानामा हो, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। मैं समझता हूं कि धन्यवाद देना चाहिए देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को, डिजिटल इण्डिया के नये युग का एक तरह से इस देश में शुभारम्भ हुआ। मंत्री जी, यह डिजिटल इण्डिया का ही कमाल है कि अभी जुलाई महीने में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की किश्त एक क्लिक से राजस्थान के किसानों के खाते में 1402 करोड़ रुपये चले गये, यह कमाल उसी का है। अगर मैं यह कहूं कि इसके पीछे आपकी मन्शा दो अक्टूबर से दस लाख पट्टों की रेवड़ी बांटकर, अभी जिस प्रकार सदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में चित्रण हुआ, राजस्थान के आर्थिक हालात की विवेचना हुई, यह आर्थिक आपातकाल में जाने वाले राजस्थान में आप इससे खजाना भरना चाहते हैं। इसके लिए नगर मित्र, कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, उनको आप कोड भी दे दोगे, उनकी बड़ी भारी भरकम फीस भी होगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको भी आपके मकान का कभी न कभी पट्टा मिला ही होगा। अभी नहीं मिला होगा, बीस साल, चालीस साल पहले कभी तो मिला होगा, क्या वह भी रेवड़ी ही है? वह भी रेवड़ी है? क्या तमाशा है, बताओ आप। आम जनता का जो आदमी परेशान है, आज 50-50 साल से जिसके पास अपने मकान के दस्तावेज नहीं हैं, उसके बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे बाद हम क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे और आज हम जब उसको पट्टा दे रहे हैं तो आप उसको रेवड़ी बता रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री जी, यह जो अभियान आप छेड़े हो, वोट की फसल काटने का जो आपका इरादा है यह कामयाब नहीं होगा और इसी सदन में दुबारा जब हम मिलेंगे तो इसी पर चर्चा करेंगे कि इस पट्टा वितरण अभियान के माध्यम से किस प्रकार आप लोगों ने कुछ लोगों की आर्थिक हालत को मजबूत कर दिया, किस प्रकार एक माफिया को जन्म दे दिया कि कब्जा करो, धारीवाल साहब आएंगे और नियमित कर देंगे।

मंत्री जी, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूं कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आप सही संशोधन लेकर आ रहे हैं पर आपने पिछले महीने समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा होगा कि एक महीने में 5 लाख 65 हजार मोबाइलधारकों की संख्या राजस्थान में कम हो गई। आज राजस्थान में 17 परसेंट लोग ऐसे हैं जो मोबाइल, टेलीफोन से जुड़े हुए नहीं हैं। राजस्थान में साक्षरता की दर 66.11 परसेंट है। 34 परसेंट के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मैं डिजिटलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहा, यह ट्रांजिट फेज है। आज आपको इसको भी याद रखना चाहिए कि इंटरनेट में जो व्यवधान हुआ देश में, राजस्थान उसमें दूसरे नम्बर पर है। आपने खुद ने अभी 17 निकायों को ऑफलाइन पट्टा वितरण करने के लिए अधिकृत किया। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही आग्रह है कि आपको दोनों व्यवस्था रखनी चाहिए।

(15.10 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री जी, इस विधेयक के पृष्ठ 40 पर आपने उद्देश्यों और कारणों के कथन को स्पष्ट किया है। आपने उसमें लिखा, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान से 1908 के एक्ट से वंचित रह गये। इस स्कोप में नहीं आए, राज्य की राजस्व हानि हो गई। एक तरह से आप राजस्थान के कुछ और वर्गों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने का काम कर रहे हैं।

आपने 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के सैक्शन (17) की उपधारा 1 में एक नया खण्ड प्रतिस्थापित किया है, के। उसके माध्यम से मुख़्तारनामा, चाहे उसमें कंसीडरेशन हो या नहीं हो, लेनदेन हुआ या नहीं हुआ। उसका रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्यता आप कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप 1908 के एक्ट की धारा 11(जी) को पढ़ लेते। उसमें साफ लिखा है कि अगर इकरारनामा, मुख़्तारनामा, खंडीय है और पावर आफ अटार्नी अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है तो 17(1)(क) मैं ऊपर गलत कोट कर गया, 17(1)(क) में आपके लिए प्रावधान था। अब नये सिरे से प्रावधान आप लेकर आए हैं। मेरी समझ के बाहर है।

मंत्री महोदय, एक और संशोधन आप रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की मूल धारा 17(1) के खण्ड-डी में कर रहे हैं। यह जो मूल धारा है 17(1) इसमें प्रावधान था। सभापति महोदय, अचल सम्पत्ति की लीज वर्ष दर वर्ष होगी। यानी, एक वर्ष से लेकर 99 वर्ष तक लीज होगी। आप संशोधन करके लीज की अवधि की समय सीमा हटा रहे हैं। यानी, अब 17(1) खण्ड-डी के अन्दर संशोधन हो जाएगा तो एक वर्ष से कम एक महीने की लीज, एक दिन की लीज भी। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, आप यह संशोधन लेकर आए हैं। आप ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट, सैन्ट्रल एक्ट है। उसके सैक्शन 106 और 107 को पढ़ लेते। उसमें साफ लिखा है कि अचल सम्पत्ति जिसका पंजीयन अनिवार्य हो, उसकी लीज अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए। यानी, ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के कंट्रावेंशन में सेन्ट्रल एक्ट के विरोध में, आप ये संशोधन लेकर आ रहे हैं।

मंत्री जी, कोटा में एजुकेशन का हब है, बच्चे आते हैं, कोई 6 महीने के कोर्स के लिए आता है, किराये पर मकान लेता है, कोई आठ महीने के आता है, गम्भीर बीमारी से कोई ग्रसित हो गया। महानगरों में अपने परिजनों को लेकर आते है, किसी को तीन महीने के लिए किराये के मकान की जरूरत है, किसी को दो महीने के लिए जरूरत है। आप इस संशोधन के माध्यम से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लोगों के सामने परेशानी का सबब खड़ा कर देंगे क्योंकि, अब उसको एक महीने के लिए भी मकान चाहिए तो वे कहेंगे किरायानामा करें, किरायानामा करें तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं तो स्टाम्प ड्यूटी करें। मैं समझता हूं, ईज आफ डूइंग बिजनस के अन्दर इस प्रकार के प्रावधान करना कतई उचित नहीं है।

मैं निवेदन करूं, आप एक और संशोधन लेकर आए हैं। आप धारा 12 में एक संशोधन लाए हैं। रजिस्ट्रार आफ डिस्ट्रिक्ट, यह तो पहले से हैं। अब उनका नाम बदल रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन, इस नाम से क्या प्यार है आपको। आप इस नाम पर चर्चा सदन में करते, एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट को तो देख लेते, इन्हीं इंस्पेक्टर आफ जनरल की वजह से राजस्थान दुष्कर्म के अन्दर पूरे देश के अन्दर पहले पायदान पर चला गया है। मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है। आप यह नाम क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं समझता हूं यह रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा में पहले से ही विद्यमान है, यह धारा जो पहले से है जिसके अन्दर आप लेकर आए हैं। इस धारा के अन्दर पहले से धारा 3 आफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में पहले से ही यह इंस्पेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन का नामांकरण किया हुआ है।

मंत्री जी, एक और अमेंडमेंट बहुत जोरदार लेकर आए है। 17(1) में खण्ड-एच को आप संशोधित कर रहे हैं, क्या संशोधित कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को बैंक में या वित्तीय संस्थाओं को स्क्रूटनाइज करेगा, ऋण लेगा तो उस करार को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, आज एजुकेशन लोन लेना है, किसी को व्यापार प्रारम्भ करना, मतलब वह अपनी सम्पत्ति मोर्गेज कर रहा है, पर उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मुझे आप उत्तर दें तो स्पष्ट करना, इसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी है, 3 परसेंट है या 0.25 परसेंट है। इसके बारे में भी आप स्पष्ट करें तो अच्छा है।

एक संशोधन आप लेकर आए हैं कि राज्य सरकार द्वारा विक्रय पत्र या पट्टा जो जारी होगा, उसका पंजीयन भी आवश्यक है। मतलब 17(1)(आई) के अन्दर यह संशोधन लेकर आए हैं। स्टेट ग्रांट एक्ट का पट्टा हो, ग्राम पंचायत का पट्टा हो, अब उनका पंजीयन प्रारम्भ हो जाएगा। आप एक तरह से मकड़जाल के अन्दर गांव वाले लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसी तरह आप रियायती दरों पर, जो ग्रांट के अन्दर जमीन देते हैं, रियायती करार उसके लिए करते हैं। जिस तरह आज कियोस्क के लिए जमीन जयपुर डेयरी ने दे दी बेरोजगार को। उसने अस्थाई तौर पर अपना कियोस्क लगा लिया, अब 17(1) के उपखण्ड-एल में जो नया सैक्शन आप लगा रहे हैं। ये सारे बेरोजगार जिनको आप एक तरह से ग्रांट में रियायती एग्रीमेंट पर जमीन दे रहे हैं। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दे रहे हैं। उसको भी आप रजिस्ट्रेशन के परव्यू में ला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम बड़े वेलफेयर स्टेट को देख रहे हैं।

अभी एक और बड़ा अजीबोगरीब संशोधन लेकर आए हैं। मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह संशोधन है, आपका सैक्शन 22(ए) में रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, ये इसमें संशोधन क्या लेकर आए हैं। एससी-एसटी का कोई व्यक्ति अपने ही समुदाय को, एससी और एसटी को भी, कोई जमीन विक्रय करें, गिरवी रखें, किराये पर दें, परस्पर एक्सचेंज करें तो भी उस भूमि का रजिस्ट्रेशन तब होगा, तब कम्पीटेंट अथोरिटी से आप अनुमति ले लेंगे। आज हो क्या रहा है। हमारे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के सैक्शन 42 में, एससी-एसटी की जमीन, एससी-एसटी के अलावा कोई दूसरा नहीं ले सकता, सामान्य आदमी नहीं ले सकता, ये प्रतिबंध है। परन्तु, ये कैसा प्रतिबंध आज एससी-एसटी का कोई व्यक्ति अपने वर्ग के, अपने ही भाई को, अपने रिश्तेदार को अपनी जमीन किराये पर देना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, क्यों पहले कम्पीटेंट अथोरिटी के पास वह जाए, यानी नौकरशाह के मकड़जाल में उस गरीब को फंसाना चाहते हो आप। आज वैसे भी बाजार मूल्य इनका कम है।

सभापति महोदय, आप एक और एक्ट में संशोधन 1908 के 22(ए) खण्ड-एफ में लेकर आए हैं, माइनर की सम्पत्ति हो। उसके विधिक संरक्षक द्वारा न तो उसको विक्रय किया जाएगा, न दान में दिया जाएगा, न पांच वर्ष से ज्यादा किराये पर दिया जाएगा और न ही एक्सचेंज किया जाएगा। सभापति महोदय, बात बिलकुल ठीक है। हिन्दू माइनर एवं गार्जियन्स एक्ट, 1956 है तो यह तब किया जाएगा जब वह सक्षम न्यायालय से अनुमति ले। अब संशोधन क्या लेकर आए हैं 22ए(एफ) में, आप मुलाहिजा फरमाएं, या तो वह सक्षम न्यायालय से अनुमति ले ले, वरना रजिस्ट्रेशन अधिकारी इस बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से संतुष्ट हो जाए कि सक्षम न्यायालय से अनुमति की जरूरत नहीं। यानी, मंत्री महोदय चले गये, आप लिख रहे हैं। आप यह बताओ हिन्दुस्तान में कोई कानून है क्या? न्यायालय को और कम्पीटेंट अथोरिटी को, न्यायालय को और आपके उच्च पद पर बैठे नौकरशाह को दोनों को अधिकार समान दे रहे हैं।

मैं समझता हूं हिन्दू माइनर गार्जियनशिप एक्ट, 1956 में सक्षम न्यायालय की अनुमति जब लेनी होती है किसी माइनर की जमीन को विक्रय करने के लिए उसके संरक्षक को, तो उसका बड़ा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में समय लगेगा। अब आपने रजिस्ट्रेशन आफिसर को जब संशोधन के माध्यम से अनुमति दे दी तो यह भ्रष्टाचार की गंगोत्री कल्ला साहब, बहेगी कहां से कहां तक जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से सारी बात कह रहा हूं और कल्ला साहब, आप बीकानेर से आते हैं, यहां कासनियां जी भी विराजे हैं, कासनियां जी, इस रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22(1) के (जी) खण्ड में एक संशोधन लेकर आए हैं कि कालोनाइजेशन क्षेत्र में जितनी भी जमीन है वह चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू कहीं हो, उसका विक्रय दस्तावेज जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक पंजीकृत नहीं होगा। यानी कालोनाइजेशन में किसान अपनी जमीन को अगर बेचना भी चाहेगा तो पहले सरकार से अनुमति, पहले कलेक्टर से अनुमति। मैं समझता हूं आप अभी मंत्री महोदय, कुछ न कुछ कहकर इसको पारित कराएंगे, ब्रूटल मेजोरिटी आपके पास है पर राजस्थान का किसान, कालोनाइजेशन का किसान, राजस्थान का एससी/एसटी का व्यक्ति अपने समुदाय को जमीन बेचना चाहे, तो यह प्रतिबंध कतई ठीक नहीं है।

मंत्री महोदय और एक बहुत ही जोरदार और बड़ा ही हास्यास्पद संशोधन आप लेकर के आए हैं। मंत्री महोदय, आप नोट करें रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा-33 में उप धारा-4 खण्ड-2 एक नया परंतुक जोड़ रहे हो, कोई भी व्यक्ति मुख्तारनामा निष्पादित करता है, मैं करता हूं तो मुझे सबूत देना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं। मैं कहीं दूसरी जगह से सड़क से उतरकर भूत के रूप में नहीं आ गया हूं। मैं कोट कर रहा हूं जो शब्द इसमें लिखे हैं 'इस आशय का कोई सबूत पेश किया जाएगा कि मुख्तारनामा निष्पादित करने वाला व्यक्ति जीवित है।' क्या मजाक है? इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है। इस धरती पर मुझे सबूत देना पड़ेगा, राजेंद्र राठौड़ बोल रहा है तू जिंदा है। मैं अगर मुख्तारनामा निष्पादन कराने जाऊं तो मैं जिंदा हूं इसका सबूत देना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पड़ेगा। है क्या? सभापति महोदय, यह रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो मूल धारा-32ए है, इसमें पहले से प्रावधान है कि मुख्तारनामा का निष्पादन कोई करता है तो दोनों पक्षों की फोटो लगती है, दोनों पक्षों के अंगूठा निशान लगते हैं उसके बाद मुख्तारनामा का पंजीयन होता है। मैं समझता हूं कि जिंदा रहने का सबूत, लोहिया जी ने कहा था ना कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती। शायद कुछ न कुछ लोग करेंगे राजस्थान के। 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे पहले ही विदाई कर देंगे, इस तरह के कानून लेकर आओगे तो।

मैं निवेदन करूं कि यह रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा-22(ए) में एक दंडात्मक प्रावधान लेकर आए हैं। सभापति महोदय, रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की 89 जो धारा है उसमें पहले यह प्रावधान था कि किसी संपत्ति के बारे में न्यायालय कोई निर्णय करे या बैंक में कोई संपत्ति गिरवी रखी जाए, मोरगेज रखी जाए या कोई राजस्व अधिकारी किसी संपत्ति के बारे में निर्णय करें तो निर्णय की सूचना सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के रजिस्ट्रेशन अधिकारी जो रजिस्ट्री करता है उसको पंजीयक को बताएंगे यह सब लोग। बिलकुल ठीक है। अब आप धारा-88 (1) के माध्यम से क्या लेकर आए हो, एक महीने तक अगर नहीं बताई, जुडिशल कोर्ट का फैसला हो गया, मजिस्ट्रेट ने एक महीने तक अगर रजिस्ट्रेशन आफिसर को नहीं बताया तो आप 25000 रुपये जुर्माना करोगे। यह तो मैं पहली बार देख रहा हूं। मतलब राजस्थान के अंदर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका न्यायपालिका पर जुर्माना करे। इस प्रकार का खोटा संशोधन यहां पारित हो जाए मैं समझता हूं कि इसके बारे में सोचना चाहिए।

आपके सैक्शन-35, 49, 52, 60, 61, 64, 65, 66, 59 प्रक्रियात्मक हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा पर यह जरूर कहूंगा मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैंने बहुत से कानूनों में संशोधन होते देखा है सभापति महोदय, पर इस प्रकार का मकड़जाल नहीं देखा। मतलब आपने एक व्यक्ति को, स्थाई वित्त मंत्री आप बना नहीं सकते, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की हिम्मत नहीं है, नौकरशाह आपके नियंत्रण में नहीं हैं। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो राजस्थान के प्रमुख नौकरशाह मुख्य सचिव अपने 12 से 14 प्रमुख शासन सचिवों के साथ बीकानेर में मीटिंग कर रहे हैं। सदन के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। मंत्री महोदय इसलिए सही जवाब नहीं दे सकते आफिसर गैलरी में इनको सलाह देने वाले अधिकारी विधान सभा में आने की बजाय राजस्थान के मुख्य सचिव की चीपोलोपी में लगे रहते हैं। मैंने ऐसा मंजर कहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं देखा है नौकरशाह के आधार पर इस प्रकार के संशोधन लेकर आओगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनमत जानने के लिए इस बिल को परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नमस्कार सभापति महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, रजिस्ट्रेशन (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, 2021, इस बिल में सैक्शन-12 सेंट्रल एक्ट 16 आफ 1908 में लिखा है। सबसे पहले किसी भी सब रजिस्ट्रार का अपाइंटमेंट या कैजुअल नियुक्ति केवल इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा ही की जा सकती है किंतु पूर्व में इस प्रकार की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार भी कर सकता था। अब शोर्ट अपाइंटमेंट या एक दिन में शोर्ट पीरियड की नियुक्ति भी राजस्थान के इंस्पैक्टर जनरल के द्वारा होने से पब्लिक को परेशानी होगी और परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा और केवल इंस्पैक्टर जनरल के द्वारा आर्डर निकालने में देरी भी सम्भव है तथा सम्पूर्ण राजस्थान की नियुक्तियों के लिए भी उनके पास एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। जहां हम पावर्स के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं उसके विपरीत गवर्नमेंट का यह स्टेप जनता में विपरीत प्रभाव डालेगा।

सभापति महोदय, इसी के सैक्शन-17 के डी में अब किराएदार का एग्रीमेंट चाहे किसी भी पीरियड का हो, वह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। पूर्व में केवल एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के किरायेनामे थे उनका रजिस्ट्रेशन होता था, जैसा माननीय उप नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा छोटे व गरीब तबके पर पड़ेगा क्योंकि गांव का वह विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी करने के लिए, कोचिंग करने के लिए जो जयपुर आता है या शहरों में जाता है वहां कम अवधि के लिए कमरा किराए पर लेता है और उस कम अवधि में और सभापति महोदय, आप भी कभी पढ़ने आए हो तो आपने भी लिया होगा और जो मंत्री जी बिल लाए हैं गहलोत साहब, वह भी कहीं पढ़ने गए होंगे तो उन्होंने भी लिया होगा तो वह भी बताएं कि उन्होंने कभी किराए पर लिया था तब उसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था क्या? आज वह हम उन गरीब विद्यार्थियों पर डाल रहे हैं जैसा उन्होंने बताया कि यह फाइनेंशल बर्डन भी आएगा और इससे जटिलता भी बढ़ेगी। आज कोई मरीज एसएमएस में आता है जहां एशिया का सबसे ज्यादा फुटफाल है। पूरे देश और दुनिया के

(श्री अशोक लाहोटी)

सबसे ज्यादा मरीज यहां जयपुर में आते हैं उन मरीजों के लिए 15 दिन के लिए या एक महीने के लिए यदि कहीं कमरा किराए पर लेना पड़ेगा तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रार आफिस भागना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि वह किराए पर उसको कमरा मिलेगा नहीं। सभापति महोदय, किस तरह के अमैंडमेंट हम ला रहे हैं हम सदन में, केवल जटिलता के कारण अधिकारियों ने जो बताया वह करने के लिए तो सदन नहीं है। यह मनमर्जी से बिना पढ़े, बिना देखे, हम मानते हैं कि मुख्य मंत्री जी बीमार हैं और देखने का टाइम नहीं मिला होगा लेकिन मंत्रीजी तो देख सकते थे। इसको देख कर लाते तो मैं समझता हूं कि इस तरह का अमैंडमेंट आता ही नहीं। किसी भी सूरत में कोई सरकार इस तरह के अमैंडमेंट कभी नहीं लाएगी जिससे प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को, मरीजों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़े।

सभापति महोदय, इसी के सैक्शन-17 (एफ) में आपने लिखा है - “agreement to sell immovable property whether possession whereof has been or is handed over or not to the purported purchaser.” यानी आपने लिखा है बिना पजेशन कब्जे वाले सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। 1% सेल वैल्यू का अतिरिक्त भार क्रेता पर आएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से दूसरे स्टेट्स में क्या फर्क है और हम आलरेडी क्या ले रहे हैं, इसमें हमने एक परसेंट और जोड़ दिया। सभापति महोदय, पूर्व में केवल सेल एग्रीमेंट के द्वारा पजेशन ट्रांसफर होने पर रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी। अब इसमें क्या कर दिया, कोई भी प्रोपर्टी का सौदा करने पर हम अपनी सुरक्षा के लिए एक इकरारनामा करते हैं जिसकी सेल डीड रजिस्ट्रेशन तक खरीदार व विक्रयकर्ता को बांधती है। इसके द्वारा प्रोपर्टी का कब्जा ट्रांसफर नहीं किया जाता। उक्त एग्रीमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के चलता है किंतु अब उस एग्रीमेंट पर एक परसेंट रजिस्ट्रेशन फीस खरीददार पर एक्स्ट्रा बर्डन होगा इससे प्रोपर्टी के सौदों में जहां स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेंडली ईको एनवायर्नमेंट डवलप कर रहे हैं वहां इसका विपरीत फर्क पड़ेगा। जटिलताओं के बढ़ने से खरीददार और विक्रेताओं का मनोबल टूटेगा। इकरारनामे पर पहले स्टांप ड्यूटी 0.5% जो चार्ज की जाती थी उसका दुगुना अतिरिक्त भार सौदे पर पड़ेगा और फिर भी मैं सरकार से कह रहा हूं कि यदि फिर भी आपको लगता है कि यह करना अति आवश्यक है तो इसमें इतना जरूर संशोधन करें कि उक्त रजिस्ट्रेशन फीस को नॉमिनल

(श्री अशोक लाहोटी)

करके उक्त रजिस्ट्रेशन के पीछे सेलर और बायर की सुरक्षा करे। हम इसको रजिस्ट्री में सैटआफ कर दें कि ठीक है हमने यह चार्ज लगाया लेकिन जब रजिस्ट्री होगी तो यह पैसा हम रजिस्ट्री में सैटआफ कर दें। उससे आपका इंडस्ट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट का जो वातावरण बनना शुरू हुआ है वह रुकेगा नहीं।

सभापति महोदय, धारा 17 (H) में लिखा है अब लोन डाकूमेंट का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। पूर्व में केवल रिक्वायर्ड स्टांप ड्यूटी का पेमेंट ही अनिवार्य था किन्तु अब रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है जिससे लोन की जटिलताओं में वृद्धि होगी और इसका फर्क क्या पड़ेगा, इन प्रावधानों में छोटे लोन लेने वाले लोग काफी परेशान होंगे। मुख्य रूप से जो ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और मुद्रा लोन लेने वाले लोग हैं, बड़ा लोन लेने वालों के पास तो सीए, सीएस, एडवोकेट, सबकी एक फौज होती है। वह जो डाकूमेंट चाहते हैं उसको तैयार करने के लिये एक पूरी टीम होती है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और मुद्रा लोन लेने वालों पर, छोटे व्यापारियों पर। सरकार को इसकी सीलिंग फिक्स करनी चाहिये कि किस लेवल तक का लोन तो फ्री होगा और किस लेवल के लोन के ऊपर चार्ज लगेगा, सरकार को इसमें यह सीलिंग करनी चाहिये।

सभापति महोदय, 17 (I) से लेकर (M) तक के कई प्रावधान आपने किये। उक्त डाकूमेंट को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाकर फीस का अतिरिक्त भार जनता पर डाला जा रहा है। उक्त सभी डाकूमेंट पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था, इनमें डवलपर एग्रीमेंट पर रजिस्ट्रेशन फिर भी कुछ हद तक ठीक है। यदि कोई डवलपर एग्रीमेंट हो रहा है तो ठीक है, वह बिजनस के लिये कर रहा है, उसमें रजिस्ट्रेशन आपका ठीक है, उसमें आप करें। इससे आपसी विवाद को कुछ हद तक रोका जा सकता था किन्तु बिना सेल वेल्यू की पावर आफ अटार्नी पर रजिस्ट्रेशन फीस से ऐसे व्यक्ति अतिरिक्त भार से ग्रसित होंगे जो पारिवारिक व्यवस्थाओं के चलते पावर आफ अटार्नी से काम चलाते हैं, उस पर आपका यह अतिरिक्त भार पड़ने से जटिलताएं भी बढ़ेंगी और इससे विवाद भी बढ़ेंगे। जहां फाइनेंशल लेन देन का कोई उद्देश्य नहीं होता, केवल पारिवारिक तालमेल के अनुसार कोई काम करने के लिये बाध्य होते हैं, उनमें इससे जटिलता बढ़ेगी। इस प्रकार सभी प्रकार के कंसीसनर एग्रीमेंट जो कि मुख्यत: वर्क कांट्रेक्ट और एग्रीमेंट निष्पादित करवाये जाते हैं,

(श्री अशोक लाहोटी)

जिसमें सरकारी एग्रीमेंट ज्यादा होते हैं, उनमें स्टांप ड्यूटी तो प्रोजेक्ट कोस्ट की 0.2 परसेंट जबकि रजिस्ट्रेशन फीस 5 गुणा वसूली जायेगी, यह उनके साथ अन्याय होगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार क्लाज (M) के द्वारा किये जा रहे संशोधन से सभी डाकूमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने जा रहा है। पूर्व में केवल सैक्शन 17 में दिये हुए डाकूमेंट ही रजिस्ट्रेशन के लिये अनिवार्य थे किन्तु अब सैक्शन 17 (1) (M) के द्वारा सभी डाकूमेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है जो कि किसी अन्य कानून में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उक्त संशोधन से जटिलताओं में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और जनता सरकारी विभागों के चक्कर काटते हुए केवल सरकार को कोसेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार धारा 17 (3) में "authorities to adopt a son or a daughter, and not conferred by a will, shall also be registered" मैं इस धारा का सम्मान करता हूं कि आपने यह बहुत अच्छा संशोधन किया है। इस संशोधन के द्वारा अब पुत्री का गोदान भी रजिस्ट्रर्ड होगा जो कि निःसंदेह स्वागत योग्य है क्योंकि इससे गलत प्रयोजन के लिये लड़कियों को गोद लेने व देने की कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। इस संशोधन का मैं स्वागत भी करता हूं।

सभापति महोदय, सरकार ने धारा 22 में जो संशोधन रखे हैं, कुछ डाकूमेंट के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है जिनमें केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित लेन देन एससी, एसटी के लेन देनों को सक्षम अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफाइड होने पर ही रजिस्टर्ड होने लायक माना है।

इसी प्रकार क्रिमिनल लॉ के द्वारा नोटिफाइड एरिया में यदि कोई लैंड विद्यमान है तो उसके लेन देन पर भी बेरियर लगाये हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सैक्शन 22 (A) के क्लाज (E) के द्वारा किये जा रहे हैं। यदि किसी जमीन के लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही शुरू हो जाती है, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सैक्शन 22 (A) के क्लाज में जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन आप कर रहे हैं और जो मैं समझता हूं कि सरकार का एक विरोधी चेहरा इसमें सामने आ रहा है कि लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही शुरू हो जायेगी तो वह लैंड आनर अपनी जमीन नहीं बेच सकता। यानी किसी भी एरिये में आपने लिख दिया कि यहां लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही शुरू हो गई है, उस एरिया

(श्री अशोक लाहोटी)

का कोई भी किसान, कोई भी भूधारक, कोई भी जमीन मालिक वहां अपनी जमीन को तब तक नहीं बेच सकता है जब तक कि सरकार उस लैंड एक्वीजीशन का फैसला नहीं कर देती। पृथ्वीराज नगर का मामला अभी 30 सालों से पैंडिंग है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पचासों मामले जयपुर में हैं। पूरे राजस्थान में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनका लैंड एक्वीजिशन अभी तय नहीं हुआ। यदि सरकार ने नोटिफाइड कर दिया कि हम लैंड एक्वीजिशन करेंगे, इस आधार पर यदि बेचान रुक जायेगा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा। यदि किसानों को पैसे की जरूरत है, उस पर अपनी ही जमीन बेचने पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया जायेगा तो निःसंदेह ही यह अब तक का सबसे क्रूरतम कानून माना जायेगा, यह मेरा निवेदन है।

Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 की धारा 25 के अंतर्गत कलेक्टर 12 माह तक ही अवार्ड इश्यू कर सकता है। यदि एक बार लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही शुरू हो जाती है तो 12 माह तक किसान अपनी जमीन किसी को भी नहीं बेच सकता।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को कुछ बताऊंगा कि हो सकता है यह बिल अधिकारी लाये हों और आपने पढ़ा नहीं हो पर अब तो हम आपको बता रहे हैं कि इस बिल में यह गलती है। यह किसान विरोधी बिल है। यह छोटी जमीन मालिक किसानों का विरोधी बिल है। जिस एरिया में आज राजस्थान में सैकड़ों जगहों पर किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं मुआवजे को लेकर चल रहे हैं, कहीं एक्वीजिशन को लेकर चल रहे हैं, कहीं किसी और चीज को लेकर चल रहे हैं, एक बार सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया कि यहां से यहां तक हम एक्वीजिशन करेंगे, उस एक्वीजिशन को जब तक आप पूरा नहीं करोगे तब तक वहां का किसान अपनी जमीन किसी को नहीं बेच सकता। वहां का किसान अपनी जमीन का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। वहां का किसान अपनी जमीन का कहीं पर रहन नहीं कर सकता। यदि इस तरह का क्रूरतम कानून आप लाते हो तो एक तरफ आपकी सरकार जो किसान हितैषी सरकार का चेहरा जनता के सामने रख रही है, दूसरी तरह इस कानून के माध्यम से आप किसानों का गला घोंटने का काम कर रहे हो, यह इस कानून की धाराओं में आपने स्पष्ट किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार वाकई किसानों की हितैषी है, यदि किसान हितों की बात करती है, यदि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो इस बिल के इस सैक्शन में

(श्री अशोक लाहोटी)

जरूर परिवर्तन करे और किसानों के हित में इस परिवर्तन को वापस विथड्रा करे जिससे राजस्थान का किसान, राजस्थान का आम व्यक्ति इस तरह की चीजों से बचे।

सभापति महोदय, इस बिल की जब चर्चा हो रही है तो मंत्री महोदय यह भी देखें कि हम आलरेडी कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं, नई-नई तरह की चीजें लगा रहे हैं। आज गुजरात में स्टांप ड्यूटी 3.5 परसेंट, रजिस्ट्रेशन 1 परसेंट, सरचार्ज 1.40 परसेंट, टोटल 5.9 परसेंट। कर्नाटक में 3-5 परसेंट और रजिस्ट्रेशन 1 परसेंट। आंध्रप्रदेश में 5 परसेंट, रजिस्ट्रेशन 1 परसेंट, टोटल 6 परसेंट। महाराष्ट्र में 5 परसेंट इनक्लूडेड 1 परसेंट मैट्रो सेस, टोटल 5 परसेंट और राजस्थान में हम स्टांप ड्यूटी 6 परसेंट ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस 1 परसेंट, सरचार्ज 1.8 परसेंट और हाइएस्ट इन इंडिया 8.8 परसेंट। इतना लेने पर भी यदि हम रुक जाते तो भी ठीक था जबकि हमारे दूसरे स्टेट, अभी महाराष्ट्र ने स्कीम निकाली, पहले निकाली 31 दिसम्बर, 2020 तक जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसमें 2 परसेंट की छूट की गई। फिर कहा 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक 3 प्रतिशत की छूट दी और उससे वहां रिकार्ड सौदों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और महाराष्ट्र सरकार को जबरदस्त रजिस्ट्रेशन फीस मिली है। हमारे यहां पर, इसकी बजटिंग भी देख लें कि 2019 में आपने स्टांप और रजिस्ट्रेशन से 5350 करोड़ रुपये प्रोजेक्शन किया था और आपने 4320 करोड़ रुपये अचीव किया, माइनस 21 परसेंट। अगले साल आपने यहां घोषणा की कि हम 2 परसेंट स्टांप ड्यूटी घटा रहे हैं लेकिन वह 2 परसेंट पुरुषों के तो घट गई लेकिन महिलाओं के नहीं घटी। यह भेदभाव आपने किया, महिलाओं के साथ भेदभाव किया। जब वसुन्धरा जी यहां मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने महिलाओं की रजिस्ट्रेशन ड्यूटी पहले ही कम कर रखी थी और आपने कुल में से तो कम कर दी लेकिन महिलाओं को उसका फायदा नहीं मिला। राजस्थान में क्या हुआ, 2020-21 में आपने रखा कि हम 5600 करोड़ रुपये अचीव करेंगे, आप 5200 करोड़ ही अचीव कर पाये। 2021-22 में आपने लिखा कि हम 6100 करोड़ करेंगे, अब पूत के पांव पहले ही पालने में दिख गये, आने वाले मार्च के बजट सैशन में फिर दिख जायेगा। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को सुझाव भी दें, आसन से व्यवस्था भी दें कि इस प्रकार के किसान विरोधी, राजस्थान के युवा और छात्र विरोधी, राजस्थान के जो मरीज यहां पर आते हैं, उनकी देखभाल करने वाले आने वाले

(श्री अशोक लाहोटी)

परिजनों के विरोधी इस प्रकार के बिल में से यह धाराएं या तो संशोधित करें या फिर इस बिल को वापस लेकर ठीक कर लाएं, यही मेरा आपसे कहना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बिहारीलाल जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, कोरम का अभाव हो रहा है, चाहे आप गिन लें। उनको बुलाओ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यहां पर बीस से ज्यादा हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप यही चाहते हो न, अभी कम कर देते हैं।

श्री सभापति: माननीय, जरा बुला लें, इन्फोर्म कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हमारे ही दम पर कोरम हो रहा है। उप मुख्य सचेतक जी के अलावा आपमें से कोई और नहीं बैठता है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप बैठे हैं।

श्री बिहारीलाल (नोखा): रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 1908 के सेंट्रल एक्ट में कुल 91 धाराएं हैं, उनमें से 22 धाराओं में संशोधन लेकर आये हैं। इससे अच्छा होता कि ये पूरा एक्ट ही नये सिरे से संशोधित हो जाता और नया बिल आता।

माननीय सभापति जी, 1908 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16 की धारा 12 का संशोधन- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा 12 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'उस जिले का रजिस्ट्रार' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक' प्रतिस्थापित करना उचित नहीं है, क्योंकि उस जिले का रजिस्ट्रार जिला कलेक्टर होता है जिसके नियंत्रण में उप रजिस्ट्रार, स्वतंत्र प्रभार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की एक बड़ी फौज होती है। यदि उस जिले के जिला कलेक्टर के बजाय नियंत्रण सीधा आई.जी. का हो जाएगा तो राजस्थान के 33 जिलों में करीब 600 से ज्यादा सब-रजिस्ट्रार कार्यालय हैं जिनका कार्य एकमात्र आई.जी. के यहां से हो, यह व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। कभी भी आईजी के अधीन काम करने वालों को उप तहसीलदार, सब-रजिस्ट्रार, कोई भी अचानक किसी वजह से छुट्टी पर जाए, बीमार हो जाए तो कलेक्टर के पास तो एक फौज

(श्री बिहारीलाल)

होती है, वह उसको नियुक्त कर सकता है, किसी को रिप्लेस कर सकता है, अतिरिक्त प्रभार दे सकता है। इसकी जगह कलेक्टर को ही रखा जाना चाहिए। यह उचित प्रतीत होता है, इसमें आप संशोधन करने का प्रयास करें।

1908 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16 की धारा 17 में भी आप संशोधन लेकर आये हैं। 1908 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16 की धारा में स्वैच्छिक पंजीयन को अनिवार्य किया जाना भी उचित नहीं है। जैसे किसी भी अवधि के लिए स्थावर सम्पत्ति के पट्टे विक्रय करने का करार, चाहे जिसका कब्जा क्रेता को नहीं दिया हो तो भी पंजीयन अनिवार्य करना कतई सही नहीं माना जा सकता। इसी के बिंदु 'ज' में किसी उधार या किसी वर्तमान या भावी ऋण के तौर पर दिये गये या दिये जाने वाले धन के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया यह संशोधन भी व्यावहारिक नहीं लगता। माननीय सभापति जी, जिस भी मंशा से यह विधेयक लाया गया है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा। बहुत बड़ा संशोधन, 22 धाराओं में संशोधन आप लेकर आये हैं। इन सब बातों को पुनर्विचार करते हुए इनको जनमत के लिए भेजा जाना उचित रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बाबु लाल (अनुपस्थित), माननीय श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित), माननीय श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 23, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 23 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 2 से 23 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि संशोधन विधेयक को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सर, मेरा भी नाम था, क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, थर्ड रीडिंग में बोलने का मौका दें।

श्री सभापति: यदि कोई सदस्य बोलना चाहते हैं तो उसे अनुमति देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, थर्ड रीडिंग में बोलना माननीय सदस्यों का अधिकार है।

श्री सभापति: मैंने उसके लिए कह दिया है। माननीय deputy leader of the opposition, I have already told. आप बोल सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह जो रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को लेकर आये हैं। निश्चित तौर पर हम यह विधेयक लेकर आये हैं। लेकिन क्या हमने इसमें यह देखा है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए हम विधेयक को लेकर आ रहे हैं। यह 1908 के जो हमारे नियम हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को कहीं न कहीं इस पर विचार करना चाहिए कि यह जो हम संशोधन लेकर आए हैं या इसमें

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जो संशोधन करने जा रहे हैं। नम्बर 1, हम धारा-12 में 'इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-12 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'उस जिले के रजिस्ट्रार' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक' प्रतिस्थापित किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं कहूंगी कि यह बहुत गलत है और निश्चित तौर हम देखें कि आज आई.जी. की बात कर रहे हैं। जहां जेलों में इतने अपराध बढ़ रहे हैं। राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, फिर भी हम ऐसे अधिकारी को यह दायित्व देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भी कहीं न कहीं हम लोगों को विचार करना चाहिए और इसमें पुन: संशोधन करना चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन है कि उप धारा (1) के 'ज' में हम संशोधन लेकर आये हैं कि 'किसी स्थावर सम्पत्ति के हक विलेखों या उनके हक का साक्ष्य गठित करने या साक्ष्य होने सम्बन्धी लिखतों के निक्षेप सम्बन्धी करार या कोई अन्य दस्तावेज, जहां ऐसा निक्षेप, किसी उधार या किसी वर्तमान या भावी ऋण के तौर पर दिये या दिये जाने वाले धन के प्रतिसंदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाएगा, निश्चित तौर पर यह बहुत गलत है।

सभापति महोदय, धारा-22 में आपने जो संशोधन किया है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य की कृषि भूमि के विक्रय, दान में वसीयत, भोग बंधक, पट्टे या उप पट्टे या विनिमय की कोई लिखत, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, इस आशय का कोई प्रमाण-पत्र की अंतरीती अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का है, रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर के समक्ष पेश न किया जाये। निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहती हूं कि सरकार को इसमें कहीं न कहीं दुबारा विचार करने की जरूरत है। अगर हम ऐसे नियम बनायेंगे, एससी, एसटी का जो हमारा किसान है, उसे हम अधिकारियों के मकड़जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए परेशानी पैदा करने का हम लोग कर रहे हैं। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, हमने पंचायतों को अधिकार दिया है, निश्चित तौर पर आपका जो विचार है कि हम पंचायतों को मजबूत करें, लेकिन हम इस बात पर विचार करें कि क्या आज तक पूरे राजस्थान का हम रिकार्ड उठाकर देखें कि पंचायतों ने कितने पट्टों के बंटवारे किये हैं। जब पंचायत पट्टों का बंटवारा नहीं कर सकती है। उनके पास किसी तरह का कोई नक्शा नहीं होता, उनके पास कोई रिकार्ड नहीं होता, तो हम जो विधेयक लेकर आ रहे हैं, इस विधेयक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। निश्चित तौर पर इसमें इतना

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जरूर हो सकता है कि जिस तरह से हम देखते थे कि एक आफिस में भीड़ लगी हुई रहती थी, उस भीड़ को भले ही हमने पाटने का काम किया है, लेकिन इसमें परेशानी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अगर पंचायतें बंटवारे नहीं कर सकतीं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक बाप के चार बेटे हैं और एक पट्टा दे दिया। मुझे लगता है कि आज तक हमने कहीं भी नहीं देखा, चाहे हमारे यहां शिविर लगे हों। हम लोग इस बात के लिए हमेशा बोलते आये हैं, लेकिन ऐसा कतई सम्भव नहीं है। मेरा इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन है कि हम जो विधेयक आज लेकर आ रहे हैं। इसके जो रूल हैं, क्या उनको क्लीयर किया है? मुझे लगता है कि हमने कोई रूल इसमें क्लीयर नहीं किया है। पंचायतों की परेशानी को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। पंचायतें पटवारियों के पीछे भागेंगी नक्शे के लिए और कहीं न कहीं अधिकारियों के यहां चक्कर काटने पड़ेंगे। यह बहुत बड़ी परेशानी उनकी बढ़ सकती है।

दूसरा, मेरा इसमें एक और निवेदन है कि इस विधेयक को तो हम लोग लेकर आए, बिलकुल सही है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी पूरी मेहनत बेकार जा रही है, कुछ हो ही नहीं और हमने सब कुछ कर दिया। एक निवेदन मैं यह भी करना चाहती हूं कि जो हमारा नगरपालिका और पंचायत का एरिया है, जिसे हम कहते हैं पेरीफेरी एरिया, अगर वहां तक पंचायत की सीमा आती है और पेरीफेरी एरिये में वह एरिया पड़ता है तो निश्चित तौर पर वहां हमें इतनी बड़ी प्रोब्लम खड़ी हो जाएगी कि उसमें किसी भी हालत में कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं हो पायेगा, बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों के लिए इसमें होगी। मेरा यह भी निवेदन है कि अगर पंचायतों को हमें यह काम देना है तो निश्चित तौर पर पहले हम पंचायतों को मजबूत करें वरना क्या होगा जो बाहुबली लोग होंगे, कहीं न कहीं गरीब लोग इसमें पिसकर रह जाएंगे, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि 6 माह के लिए जो हम नियम लेकर आए हैं, जो विधेयक लेकर आए हैं, उसे परिचालित करने के लिए मैं मांग करती हूं।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक पर मैं दो-तीन बातें रखना चाहूंगा। जो आवासीय

(श्री बलवान पूनियां)

भूखण्ड बेचान हुए हैं स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों में इनका अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसकी पारदर्शिता रखी जाए। नम्बर दो बात, बाजार दर व डीएलसी में कई जगह काफी डिफरेंस है, इसमें सुधार किया जाए। चकों में अलग-अलग डीएलसी रेट हैं। एक चक जो पास लगता हुआ है उसके डीलएसी रेट में भारी फर्क है।

दूसरा, यह कि जो हक त्याग में 10 लाख से ऊपर 5 हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी है, जबकि हक त्याग में ये व्यवस्था रही है राजस्थान में कि हक त्याग फ्री में किया जाता था। इसको नि:शुल्क किया जाए। इसमें स्टांप ड्यूटी बिलकुल नहीं ली जाए। जो डीएलसी कमेटी है, उसकी प्रतिवर्ष पूरे राजस्थान में मीटिंग होनी चाहिए।

दूसरा, यह कि हम जो डीआईजी को पावरफुल बना रहे हैं, मैं समझता हूं यह सही नहीं है। इससे हमारे प्रशासनिक ढांचे में गड़बड़ होगी। डीआईजी के पास आम जन-प्रतिनिधि, आम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तहसीलदार अगर काम नहीं करता है, अगर सब-रजिस्ट्रार काम नहीं करता है तो लोग कलेक्टर के यहां शिकायत करने जाते हैं। इस रजिस्ट्रेशन में जो अच्छी बात मुझे लगी, वह यह है कि इससे बिलकुल भूमाफियों पर लगाम लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने कोई मुख्तारनामा लिखवा लिया, उसको आप रजिस्ट्रेशन के बजाय दूसरी जगह भेज नहीं सकेंगे। इससे तो ये बात ठीक है लेकिन जो डी.आई.जी. की परम्परा हम नयी पैदा कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव इन सुझावों के साथ वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, रजिस्ट्रेशन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 ये केन्द्रीय अधिनियम 1908 का आप संशोधन ला रहे हैं, वैसे आपका अधिकार है लेकिन आपको इसको कंसेंट के लिए फिर केन्द्र को भेजना पड़ेगा, यह केवल आपके बूते पर ही नहीं हो जाएगा।

मैं सोचता हूं कि इसमें कुछ धाराएं जो मुझे तकलीफ देने वाली लग रही हैं, केवल उतने तक ही मैं अपने आप को सीमित कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 केन्द्रीय अधिनियम को राजस्थान राज्य में लागू करने हेतु 22 विभिन्न धाराओं में संशोधन के प्रस्ताव पेश किये हैं। अधिनियम के खण्ड 3 के तहत धारा 7 में संशोधन, मूल अधिनियम की धारा 17 के संबंध में ऐसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दस्तावेजों से जिनका रजिस्ट्रीकरण किया जाना अनिवार्य है, मूल अधिनियम की उपधारा (1) में क से लेकर छ तक, 7 खण्ड वर्तमान में हैं। उसमें नये (ज) से लेकर (ड) तक कुल 8 नये जोड़े गये। विद्‌यमान खण्ड (ग) में एक वर्ष से अधिक की लीज की अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री का प्रावधान था, वह संशोधित कर किसी भी अवधि के लिए, मैं सोचता हूं इस बारे में आपको कोई लीगली तरीका निकालना चाहिए। आपकी भावना ठीक हो सकती है, लेकिन इसके कारण से छोटे-छोटे लोगों को भी परेशानी होगी क्योंकि चाहे वह बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे वह हास्पिटल में इलाज के लिए आते हैं या किसी को दो महीने के लिए मकान किराया लेना है या दो महीने के लिए कोई काम करना है, उन सबको भी इसमें आपने ला दिया। पहले क्या होता था, निश्चित रूप से लोग इसका दुरुपयोग करते थे कि किराया तो लेते थे परन्तु 11 महीने की लीज करते थे और उससे बाहर निकल जाते थे। इसके कारण से सरकार की मंशा हो सकती है कि उनका भी कम से कम पैसा लगे और रिकार्ड पर आए। मंशा ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें जो अवधि आपने हटा दी, पहले कम से कम एक वर्ष था, अब कोई अवधि नहीं है। इसके कारण से इस बारे में सामान्य लोगों को परेशानी आएगी और विभाग के इस दायरे में फंसेगा।

इसी तरह से खण्ड (ग) में एक वर्ष की लीज की अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री का प्रावधान था, संशोधन कर किसी भी अवधि के लीज की रजिस्ट्री का प्रावधान कर दिया, ये मैंने अभी बताया। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आप एक माह के लिए कोई सम्पत्ति किराये पर लें या एक साल से अधिक के लिए किराये पर लें, उसकी स्टांप ड्‌यूटी के रूप में अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य का, आप इसमें विचार करना, बाजार मूल्य का 2 पैसा तथा पंजीयन शुल्क के रूप में 1 प्रतिशत, मान लो मैं जिस मकान को किराया ले रहा हूं, वह 3 लाख का है या 5 लाख का है, तो मुझे आपको दो पैसे के हिसाब से उस 3 लाख का मतलब स्टांप लगाना पड़ेगा, वह 60 रुपये का लगाना पड़ेगा और उस पर 1 परसेंट, अगर मेरा 3 लाख का है तो मुझे उसमें 3 हजार रुपया आपको पंजीकरण के लिए देना पड़ेगा जो किसी भी व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं होगा। इसके कारण से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। आपने ये जो एक प्रतिशत लगाया है, आपकी अचल सम्पत्ति का मूल्य दस लाख रुपये माने तो आपको स्टांप ड्‌यूटी के रुप में 200 रुपये तथा पंजीयन शुल्क के रूप में 10 हजार रुपये देने होंगे। इसके लिए जिस प्रकार की परेशानी होगी, छोटे-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
छोटे मकानों में जो किराये पर रहने वाले बच्चे आते हैं, उन सबको दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ेगा और उससे परेशानी बढ़ेगी।

इसी तरह से विद्यमान खण्ड (च) अचल सम्पत्ति के इकरारनामे जिसमें क्रेता को सम्पत्ति का कब्जा दे दिया गया है कि रजिस्ट्री अनिवार्य है, को संशोधित कर रहे है अब आप, ऐसे इकरारनामे भी अनिवार्य रजिस्ट्री के दायरे में डाल दिये गये हैं, जिनमें कब्जा नहीं लिया गया। इस संशोधन के बाद ऐसे इकरारनामों पर जिस पर पहले ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये स्टांप पेपर का शुल्क सरकार को दिया जाता है, वहां अब सम्पत्ति के क्रय-विक्रय का तीन प्रतिशत, मैं सोचता हूं कि ये सामान्य नहीं होता है तीन प्रतिशत का मतलब बहुत बड़ा, इस प्रकार की जो सम्पत्तियां हैं जिसमें लेने देन तो नहीं हुआ, लेकिन उनका निर्णय हुआ। जिसमें उसका पजेशन दे दिया, वहां तक तो फिर भी समझ में आता है लेकिन जिसने पजेशन अभी लिया ही नहीं, उसके पहले ही उसको तीन प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और 25 पैसा प्रति सैकड़ा के हिसाब से स्टांप उसके ऊपर लगेगा तो निश्चित रूप से यह आर्थिक भार सर्व-साधारण जनता के ऊपर पड़ेगा। इस पर आप फिर से विचार कर सकते हैं तो कीजिए और आप पास करना चाहें तो कीजिए, सामान्य जनता को इससे बहुत परेशानी होगी।

अनिवार्य किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची में धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में जोड़ते हुए अचल सम्पत्ति के ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री भी अनिवार्य कर दी है जो ऋण लेने वाला व्यक्ति प्रतिभूति के रूप में रखेगा। मान लो मुझे बैंक से कोई लोन लेना है और मैंने अपनी कोई प्रोपर्टी रखी तो उस प्रोपर्टी के ऊपर भी आपने एक तरह से टैक्स लगा दिया। इसके कारण से निश्चित रूप से इस पर लगने वाला स्टांप ड्यूटी, वह है 25 पैसा, इसका मतलब अगर 100 रुपये का कोई करेगा तो 25 पैसा देना पड़ेगा और अगर मान लो एक लाख का करेगा तो 250 रुपया स्टांप लगाना पड़ेगा और उसके साथ ही शुल्क 1 प्रतिशत लगेगा। अब मान लो मैं किसी 30 लाख की प्रोपर्टी के लिए कोई कर्जा ले रहा हूं तो मुझे 30 लाख का एक प्रतिशत, इसका मतलब मुझे 30 हजार रुपया इसके लिए शुल्क लगेगा, जो सामान्यत: अब तक कभी इस प्रकार से नहीं था। किसी भी केन्द्रीय अथवा राज्य के कानून के तहत जारी किये गये प्रमाण पत्र जो पहले अनिवार्य रजिस्ट्री वाले दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं था, को भी खण्ड (ज) द्वारा जोड़ा गया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी प्रकार किसी डवलपर पर किये गये करार चाहे वह निर्माण अथवा विकास के लिए हो अथवा विक्रय या हस्तांतरण के लिए भी खण्ड (ज) द्वारा अनिवार्य रजिस्ट्री वाले दस्तावेजों की श्रेणी में जोड़ा जाएगा। इन दोनों पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी सामान्य नहीं है, ड्यूटी 6 पैसा और पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत होगा।

(16.00 बजे)

मैं सोचता हूं, आपने यह सारा आदेश जारी किया है, आपने आठवें महीने में रजिस्ट्री आफिस को यह कापी दी है, उसमें यह सब आपने मेंशन किया है। उसके कारण से यह सामान्य नहीं है। केवल यह है कि अधिक से अधिक लोगों से पैसा, लोगों के पैसा देने में जितना नहीं है, जितना इन अधिकारियों के चंगुल में फंसकर मरेगा। आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही, मैं सोचता हूं कि सबसे बड़ा करप्शन का अगर कोई अड्डा है तो वह जगह है। वहां आपने हर आदमी को उलझाया है, उसके कारण उसको तकलीफ होगी।

अचल सम्पत्ति के संबंध में संपादित की जाने वाली पावर आफ अटार्नी को भी खण्ड-ट के तहत अनिवार्य रजिस्ट्री वाले दस्तावेजों की श्रेणी में जोड़ा है। अगर पावर आफ अटार्नी उस अचल सम्पत्ति की कीमत देकर संपादित की है तो उस पर कीमत का छह प्रतिशत स्टाम्प डयूटी और एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क देना होगा। यदि बिना कीमत के संपादित किया गया है, वह परिवार का सदस्य भी नहीं है, तो स्टाम्प डयूटी 2 प्रतिशत और पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत लगेगा। परिवार से परिवार में जो ट्रांसफर करते हैं, उसके बारे में भी सोचो।

अब पावर आफ अटार्नी के संबंध में धारा 33 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है कि पावर आफ अटार्नी की रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति ऐसा सबूत भी पेश करेगा कि मुख्तारनामा निष्पादित करने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री की तिथि पर भी जीवित है। अब मान लीजिए उनका निर्णय पहले हो गया, बीच में गैप रहा, तो कौनसे दिन की, वह जिंदा है इस बात का सर्टिफ़िकेट चाहिए। अगर मान लीजिए, मैं आज रजिस्ट्री करने गया तो मुझे आज का सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो दफ्तर में भीड़ लगी रहेगी। रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को कितने समय पहले, वह जिंदा है इसका सर्टिफिकेट होगा। मैं सोचता हूं सर्टिफिकेट जोड़ना भी आसानी नहीं रहेगी। आप कोई तरीका निकालिए कि एवीडेंस कैसे आए। हर व्यक्ति को केवल मैं जिंदा हूं, इसका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सर्टिफिकेट लेने के लिए, जिसके पास भी वह जाएगा, उसकी क्या दशा होगी, क्या उस दफ्तर की दशा होगी, क्योंकि डेली इस प्रकार के काम होते हैं, इतनी भीड़ लगी रहती है। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी कौन होगा। यह कौन आदमी कहेगा कि मैं जिंदा हूं। उसका अधिकार आपने किसको दिया है। किस स्तर के अधिकारी से मुझे यह प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, यह कहीं स्पष्ट नहीं है। आदमी को यह पता नहीं है कि वह कहां जाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पावर आफ अटार्नी निष्पादित करने की तारीख और रजिस्ट्री करने की तारीख के अंतर है, तो जिंदा होने का सबूत किस तारीख का लाना होगा। पावर आफ अटार्नी पहले करा रहा है, रजिस्ट्री उसके बाद करा रहा है, तो पावर आफ अटार्नी के दिन जिंदा है वह सर्टिफ़िकेट चल जाएगा या रजिस्ट्री के दिन भी जिंदा है का सर्टिफ़िकेट लाना पड़ेगा, यह स्पष्ट नहीं है। कानून पेचीदगी से होते हैं। उसके एक-एक शब्द का अर्थ लोगों की परेशानी बढ़ाता है और लोगों को रिलीफ देता है। आप यह ला रहे हो, आपने इसको ठीक तरह से देखा नहीं है। जैसा इन्होंने बनाया है, उस आधार पर।

मान लीजिए मुझे कल मकान खरीदना है, मैं उसका एग्रीमेंट पहले करूंगा, 5 लाख रुपये डिपोजिट उसको पहले दूंगा, जब वह मुझे रजिस्ट्री कराएगा और दो महीने बाद मुझे कब्जा सुपुर्द करेगा, तब मैं उसको 50 लाख की रजिस्ट्री कराऊंगा तो मुझे पहले दिन भी मैं जिंदा हूं इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और रजिस्ट्री कराऊंगा उस दिन भी सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा, तो मेरे चार घंटे तो उस दिन सर्टिफिकेट लेने में ही खतम हो जाएंगे, फिर मैं रजिस्ट्री करवाने कब जाऊंगा।

सबूत तारीख का लाना होगा। यदि पावर आफ अटार्नी लिखने वाला व्यक्ति कहीं दूर अन्य किसी गांव में या देश में रहता है और आया है, तो कितने समय तक इस बात का इंतजार करता रहेगा कि मैं जिंदा हूं, इस बात का सर्टिफिकेट मुझे किस दिन देना पड़ेगा, यह स्पष्ट नहीं है। जिंदा होने का सबूत, यदि उसे खुद ही रजिस्ट्री कराने आना है तो फिर पावर आफ अटार्नी कराने का मतलब ही नहीं रहता है। अगर वह स्वयं ही आकर रजिस्ट्री कराता है तो सीधे ही रजिस्ट्री के लिए, लेकिन इतना बड़ा अमाउण्ट, उसको कब्जा लेना है, बाकी सब काम करना है। कई बार क्या होता है कब्जा नहीं देता, तब देता है जब आप रजिस्ट्री का सारा पैसा व चैक दे दोगे तब जाकर वह कब्जा सुपुर्द करता है।

मूल अधिनियम की 22-क के नई धारा प्रस्तावित की गई है, जिसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तहत सब-रजिस्ट्रार को अनेक मामलों में रजिस्ट्री से इंकार करने की शक्तियां भी दी हैं। अब उसकी करने की मंशा नहीं है, वह कहेगा यह नहीं है, तो आदमी फिर घूमता रहेगा। पहले ही आपके जो रजिस्ट्री आफिस है, वह एक तरह से जनता के लूटने के खजाने हैं। चाहे वह आपके जमाने में रहे हो या मेरे। यहां की पोस्टिंग के लिए लोग कितने घूमते हैं, कितने आपके पास आते हैं, मेरे पास भी आए होंगे। इस परेशानी को आपने इस कीमत पर बढ़ाया कि वह इसको रजिस्ट्री करे या ना करे, इसके लिए भी ना कर दे, कोई अलग स्टेप बना दो, जो उसके डोक्यूमेंट देखकर पहले क्लीयर कर दे कि यह रजिस्ट्री होगी, यह रजिस्ट्री नहीं होगी,तो कम से कम उस दिन तो उसके सामने यह समस्या खड़ी नहीं होगी। मूल अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है।

यह संशोधन सब-रजिस्ट्रार को ऐसी न्यायिक शक्तियां दे देगा जिसकी आम जन को परेशानी होगी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, केन्द्रीय कानून है, इसमें संशोधन करने का राज्य को अधिकार है। हमारा यह सारा संशोधन होने के बाद यह केन्द्र सरकार के पास जाएगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही यह कानून के रूप में आएगा, इस दृष्टि से आप विचार करिए। विशेषकर तीन-चार समस्या जो मैंने बताई, डे-टू-डे छोटे-छोटे लोगों को परेशानी होगी, इस परेशानी का कोई निदान निकालने का तरीका हो तो ठीक, इसलिए मैंने कहा कि इसको जनमत जानने के लिए भेजो।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: लीडर आफ अपोजिशन के बाद क्या बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दो मिनट।

श्री सभापति: लीडर आफ अपोजिशन बोल चुके। (व्यवधान) माननीय प्रभारी मंत्री जी दो मिनट। आप बोलिए, आपको दो मिनट दे रहा हूं। ओनली टू मिनट।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): दो मिनट में, तो बैठ जाऊं पहले ही। (व्यवधान) सभापति महोदय, रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 ... (व्यवधान) मेरा यह सुझाव है कि एक्ट 1908 की धारा (22) के खण्ड एफ में माइनर, अवयस्क की सम्पत्ति बेचे जाने के संबंध में सक्षम न्यायालय से एक समय अवधि तय की जाए। सक्षम न्यायालय से ही अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए, जो न्यायहित में नहीं है।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

दूसरा, इसी प्रकार संशोधन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 22 में खण्ड-जी जोड़कर नया खण्ड प्रस्तावित किया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि राजस्थान कोलोनाइजेशन एरिया के अंदर आप एक ऐसा कानून लागू करने जा रहे हो, जो आपके समय में पहले भी था। वह था, जो जमीन खातेदारी नहीं है, गैर खातेदारी है, उनको बेचने की परमिशन लेने का प्रावधान आपके टाइम था। बाद में बीजेपी की सरकार आई, वह कानून हटाया। खातेदारी की रजिस्ट्री कोई भी व्यक्ति कालोनाइजेशन में कहीं भी करवा सकता है। आपने पूरे कालोनाइजेशन क्षेत्र के अन्दर यह प्रावधान कर दिया कि सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर रजिस्ट्री करवाएंगे। क्यों, खातेदारी किसलिए दी? जब मेरे पास खातेदारी अधिकार है, तो फिर मैं आपके आगे हाथ क्यों जोड़ता फिरूं? इसका क्या औचित्य है? सक्षम अधिकारी कौन होगा, लूटने वाला? मेरा आपसे यही अनुरोध है कि यह तालिबानी कानून लागू मत करो। पूरा कालोनाइजेशन एरिया आपको माफ नहीं करेगा।

आपने इसी तरीके से एससी, एसटी के लोगों को भी अनुमति लेने की बात कर दी। चाहे एससी, एससी का ही रजिस्ट्री करवाए या एसटी में करवाए, अपने परिवार में करवाए, उसको भी अनुमति लेनी पड़ेगी। बड़े-बड़े जो भूमाफिया हैं, वह इंडस्ट्री के नाम पर, गरीब के नाम कन्वर्ट करवाकर, औने-पौने दामों में भूमि खरीदते हैं, ऐसे कानून आपको दिखाई नहीं देते। गरीब जब अपनी जमीन बेचता है तो उसको कभी भी पूरा मूल्य नहीं मिलता है, उसकी भूमि औने-पौने दामों में ही बिकती है। यह भेदभाव, विरोधाभास, दो तरह के कानून मत बनाओ। 22-22 धाराओं में संशोधन करने की आपको क्यों आवश्यकता पड़ गई? खजाना भरना है। गांव के अन्दर जो प्लाट है, उनकी रजिस्ट्री नि:शुल्क की जाए। अन्यथा गांव के लोग इसमें लुट जाएंगे। शहर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, पट्टों की रजिस्ट्री का जो प्रावधान है उसमें आप नि:शुल्क रजिस्ट्री करने की अनुमति दो, ऐसा कोई कानून लेकर आओ।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): साहब, मेरा दिल वैसे ही कमजोर है। टोक देते हो तो मैं भटक जाता हूं। इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूं।

श्री सभापति: नहीं, अच्छा बोलें आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अच्छा बोलने से हो क्या, बोलने नहीं देते।

श्री सभापति: आप जल्दी करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि सरकार कानून बनाये, संशोधन लाये, पर जनहित में लाये। कुठाराघात किसानों पर, जनता पर नहीं हो, इस तरह के कानून लाओ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह मंजूरी वाला शब्द जो सक्षम अधिकारी वाला है, यह बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। सभापति महोदय, मैं इसलिये जनमत जानने के लिये 6 माह के परिचालित करने के लिये निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) करो न आप, लागू करो, मैं अभी वापस ले लूंगा पर हमें पता है कि आप करने वाले नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कि काश्तकार के कहां पीड़ा होती है, कहां दर्द होता है, कहां नुकसान होता है। आपको अधिकारी बनाकर दे देते हैं, उसी पर ठप्पा लगा देते हो। थोड़ा-बहुत दिमाग तो लगाते नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं कारणों पर तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि कारण तो स्पष्ट हैं या अगर कोई सदस्य कहें कि साहब, कारण भी बताएं तो मैं कारण भी बताने को तैयार हूं, लेकिन बात लम्बी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। सवाल यही है कि जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, बहुत अच्छे उनके सुझाव भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक्ट को पढ़ना तो एक अलग बात है, और पढ़ करके समझ जाना एक अलग बात है। अगर आप एक्ट को पढ़ करके बोलेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है लेकिन अगर समझ कर बोलेंगे तो बाकायदा डिबेट हो जाएगी। आपको उसका जवाब भी मिलेगा। कटारिया साहब ने कहा कि साहब, पेंशनर्स के मामले में जीवित होने का प्रमाण-पत्र लिया जाता है। पेंशनर्स के लिये नहीं लिया जाता क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पेंशनर्स नहीं कहा मैंने।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं, आपने कहा कि जीवित होने का प्रमाण-पत्र लिया जाता है। मैं यह कह रहा हूं कि क्या पेंशनर्स के लिये अनिवार्य नहीं है? उनके लिये भी जीवन प्रमाण पत्र लिया जाता है।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के विधेयक में भी ये समान

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रोविजन हैं। हमने कोई अलग से प्रोविजन नहीं किया है। हमने तो उस बात को माना है कि भारत सरकार ने जो प्रोविजन कर रखा है वह अच्छा प्रोविजन है। हम भी उसको अपनाते हैं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): ये नहीं करते।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं?

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): ये नहीं करते भारत सरकार के प्रोविजनों को।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई बात नहीं।

आपने लिखा कि पावर देने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत उसकी पावर आफ अटार्नी निष्प्रभावी हो जाएगी। उसका दुरुपयोग न करें, इसीलिए तो यह प्रावधान किया गया है। मृत्यु हो गई उसकी और मृत्यु होने के बाद में उसने पावर आफ अटार्नी बनवा ली, बनवा करके उसको काम में ले रहा है तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिये ही तो यह कहा गया है कि जिस तारीख में तुमने पावर आफ अटार्नी ली थी, उस तारीख में वह जिंदा था या नहीं था, उसका सर्टिफिकेट ला दे।

आपने कहा कि एक वर्ष के नीचे, 11 महीने का जनरली किराये का आज जो प्रचलित है वह 11 महीने की किरायेदारी करवाते हैं। एक वर्ष से कम की अवधि के पट्टों के रजिस्ट्रीकरण से आमजन को परेशानी होगी, यह आपका निवेदन है। इस तरह के पंजीकरण सब-ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है, जाना तो कहीं पड़ेगा नहीं। ऑनलाइन होंगे और सब-रजिस्ट्रार के आफिस में जाने की उसको आवश्यकता ही नहीं रहेगी, यह ऑनलाइन रखा गया है।

दूसरा है कि किरायेनामे के पंजीकरण से किरायेदारों की पहचान, कम से कम किरायेदारों का पंजीकरण होगा, तो किरायेदारों की पहचान तो हो पाएगी। कोई भी बात होती है, कोई घटना घटती है तो पुलिस के लिये कितना आसान हो जाएगा कि किरायेदार कौन था, कहां का था। मोटे तौर से मैं कोटा से आता हूं। वहां पर करीबकरीब 3,500 हास्टल्स बने हुए हैं। हर हास्टल में कम से कम भी 20-22-25-40-60-70 कमरे बने हुए हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग किसी मकान में एक कमरे का किराया ले करके देते हैं। वह कहता है कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
साहब, मैं बिहार से आया हूं और मेरा नाम यहयह है। अब उसको क्या पता मकान मालिक को कि वाकई यह बिहारी है या महाराष्ट्रियन है या कहां का है, कहां का नहीं है। वह अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखा देता है। आइडेंटिटी कार्ड भी आजकल फर्जी बनते हैं, आधार कार्ड भी फर्जी बनते हैं। कुछ भी दिखा देगा, तो कम से कम, मान लीजिये कि उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन से यह सुविधा तो हो जाएगी कि पुलिस बाकायदा उसका आइडेंटीफिकेशन करेगी। वह उसका पूरा रिकार्ड अपने पास रखेगी, ताकि कभी कोई वारदात होती है तो वह पकड़ा तो जाए।

इससे कम से कम अचल सम्पत्ति के विवाद कम होंगे, किरायेनामे से। मान लीजिये चार भाई हैं। अब चार भाइयों में वर्बली तो यह तय हो गया कि ये तीन कमरे तुम्हारे, तीन कमरे तुम्हारे, तीन कमरे तुम्हारे और तीन कमरे तुम्हारे। अब तीन कमरे वाले एक ने अपना एक कमरा किराये पर दे दिया। अब किराये पर दे दिया और उसका किराया लेता रहा, लेता रहा। जिस रोज वह खाली हुआ, बाकी के तीन भाई कह दें कि हटा, अब यह तेरा नहीं है, हमारा है तो विवाद तो कम होंगे। कम से कम उसके पास यह तो सबूत होगा कि देखो मैंने यह किराये पर दिया था और किरायेनामे पर मेरे ही दस्तखत हैं, किसी और दूसरे भाई के नहीं हैं।

किरायेनामे पर, आपने जो मुख्य बात कही कि वर्तमान में किरायेनामे पर 0.02 स्टाम्प ड्यूटी है। आपने बढ़ा-चढ़ा करके उसको कितना बता दिया। 10 लाख रुपये तक की कोई दुकान है या कोई भी सम्पत्ति है, उस पर सिर्फ दो सौ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसके अलावा एक परसेंट और कर रखा है, आप अपना यह आर्डर पढ़ना। यह जो आपने भेजा है न, इसके ऊपर एक परसेंट, उसकी जो वैल्यू है, उसके ऊपर लगेगा। वह तो स्टाम्प है, दो सौ रुपये का। यह एक परसेंट और लगेगा उसके ऊपर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं स्टाम्प ड्यूटी की बात कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, स्टाम्प ड्यूटी तो दो सौ रुपये लगेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो सौ रुपये लगेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो मैं भी कह रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, आपने स्टाम्प ड्यूटी के लिये भी बोला।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ना-ना। मैंने स्टाम्प ड्यूटी के साथ वह भी बताया था कि आपको इस पर एक प्रतिशत के हिसाब से ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो, मैं तो यह स्टाम्प ड्यूटी की बात कह रहा हूं, साहब, मैं रजिस्ट्रेशन पर तो आया ही नहीं हूं।

राठौड़ साहब, आपने मोदीजी को डिजिटल इंडिया का धन्यवाद दिया है। वह तो रोज देना पड़ता है। वह तो रोज देना पड़ेगा। जब तक उधर बैठेंगे, तब तक देना पड़ेगा। आपको ध्यान है, यह राजीव गांधी ही वह व्यक्ति था जो वास्तव में कम्प्यूटर, इंटरनेट और संचार क्रांति भारत में लाया।

(16.19 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

निश्चित तौर पर उस बात को मोदीजी ने बढ़ाया है। जैसे स्वच्छ भारत का आपने अभियान चलाया है। स्वच्छ भारत पहले कांग्रेस के जमाने में भी चल रहा था। कई चीजें चल रही थीं, उनका नाम बदल-बदल करके आपने उनका प्रचार किया, प्रसार किया, यह किया, वह किया। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि कम्प्यूटर कब आया था। जब कम्प्यूटर आया था न तब तो मोदीजी का पता ही नहीं था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह भी बिल में है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं, साहब?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह भी बिल में है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, बिल में नहीं, भाषण में है। जो आपने बोला उसका यह जवाब है। बिल में तो कई चीजें नहीं हैं, लेकिन आप जो इधर-उधर की बात बोलते हैं न तो उसको करैक्ट करने का काम मेरा है।

यह डिफाइन किया गया है बाकायदा कि ऑनलाइन डिजिटल, दोनों प्रकार की व्यवस्था रहेगी। रजिस्ट्रेशन में भी लागू रहेगी, ऑनलाइन तो केवल सिर्फ एक अतिरिक्त सुविधा दी गयी है, एडिशनल फैसेलिटी दी गयी है, एक तरह से।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आपने कहा कि साहब, रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी को कंफ्यूज कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में केवल रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रस्ताव है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रस्ताव है, कंफ्यूज करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है न कि किसी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी में बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव ही नहीं किया गया स्टाम्प ड्यूटी में। सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है।

आई.जी. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल का पदनाम पूर्व से ही प्रचलित है। कोई नया नाम थोड़े ही दे रहे हैं हम? इनका आफिस अजमेर में है और मुझे राठौड़ साहब के ज्ञान पर हैरानी है कि ऐसे आप अनर्गल बातें करते हो कि साहब, कौन है, कौन नहीं है, कहां का आदमी आ गया, कहां का नहीं आ गया।

एस.सी. और एस.टी. की जमीन को एस.टी., एस.टी. के व्यक्ति को नहीं बेच सकता, आपने यह कहा। आपने यह कहा कि एस.सी., एस.टी. एस.सी. एस.टी. को ही नहीं बेच सकता। यह बिलकुल गलत है। राठौड़ साहब, आप एक्ट को अच्छी तरह से पढ़िये। 'Shall not register' वर्ड लिख हुआ है साफ-साफ, प्रावधान है कि नेगेटिव वर्डेज हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या अर्थ हुआ इसका? 'Shall not register'.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): समझने में दिक्कत है। आपसे वही अनुरोध मैं कर रहा हूं कि पढ़ो, पढ़ते तो हो आप लेकिन समझने में ही थोड़ा सा, फर्क यही है।

दूसरे माननीय सदस्य लाहोटी साहब हैं, इन्होंने पता नहीं क्या-क्या कह दिया अपने भाषण में, कहां से कहां पहुंच गये? इकरारनामा, एग्रीमेंट टू सेल, स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ जीरो पाइंट फाइव है। सिर्फ जीरो पाइंट फाइव है व रजिस्ट्रेशन चार्जेज जीरो ट्वेंटी फाइव परसेंट या अधिकतम दस हजार रुपया है। सिर्फ दस हजार रुपया है। पांच वर्ष की अवधि के लिए यदि इकरारनामा सम्पत्ति सेल हो जाती है तो इकरारनामा के द्वारा दी गई राशि जीरो पाइंट फाइव परसेंट स्टाम्प ड्यूटी को समायोजित करके उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। अलग से नहीं लिया जाएगा उसको। समायोजित करके लिया जाएगा, अतिरिक्त कोई भार नहीं पड़ेगा उससे। साथ ही डिस्प्युट भी कम होंगे और न्यायालय में न्यायालय के प्रकरण भी कम होंगे। यह कुल मिलाकर मोटी-मोटी बात जो आपने बताई, वह मैंने बता दी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कोलोनाइजेशन, वह चले गये कासनियां साहब, चले गये। कोलोनाइजेशन एक्ट में 1954 के सैक्शन 13 में पहले से ही यह प्रावधान है कि कोलोनाइजेशन एरिया में स्थित भूमि के हस्तांतरण में सरकार की अनुमति आवश्यक है। वह यह कहते हैं कि सक्षम अधिकारी को बैठा दिया। सक्षम अधिकारी पहले तो जेब भरेगा, जेब भरने के बाद में फिर वह अनुमति देगा। यह कहां है? कोलोनाइजेशन एक्ट में तो, आप भी तो कोलोनाइजेशन एरिया से ही निकले हुए हैं। चूरू तो बाद में गये हो आप हनुमानगढ़ में डंड पेले हैं बहुत तो यह पहले से यहां पर है। इस संशोधन से कोई नया प्रावधान इसमें कहीं नहीं डाला गया।

कुल मिलाकर मेरा निवेदन यह है कि इस रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो कुछ किया गया है वह जनता के हित में किया गया है, राजकोषीय कुछ न कुछ इंतजाम हो और जनता को राहत भी मिले। कई तरह की परेशानियां मकान मालिक और किरायेदार के बीच में होती हैं, वह पारदर्शी हो, इन सब बातों के प्रोविजन को लेकर यह एक्ट लाया गया है।

मेरा यह निवेदन है और मैं आपसे यह अनुमति चाहता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया गया।

श्री भंवर सिंह भाटी।

विधेयक पर विचार

एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सदन में एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है। इसके उद्देश्य और कारणों के कथन में यह स्पष्ट किया गया है कि एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज, जो जोधपुर में स्थापित है, पुराना इंजीनियरिंग कालेज है, उसको अपग्रेड करने के साथ उसको मल्टी-फैकल्टी विश्वविद्यालय बनाये जाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान बजट 2020-21 पैरा 104, वर्ष 2020-21 यानी, 2021-22 के बजट को भी काफी समय हो गया है, डेढ़ साल पहले इसी सदन में मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा- '104. प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रदेश के प्रथम MBM Engineering College को upgrade करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है।' बहुत अच्छा किया। आपने फरवरी, 2020 के अन्दर यह प्रस्ताव बजट में रखा। बजट के अन्दर रखे गये बजट घोषणा की एक सैंक्टिटी है, एक पवित्रता है और डेढ़ साल बाद मंत्री महोदय, लगभग डेढ़ साल बाद आपकी तंद्रा टूटी और आपके मन में यह आया कि मुख्य मंत्रीजी का निर्वाचन क्षेत्र है, यह हालात तो बजटीय घोषणा की, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र की है।

मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि बजट 2019-20, बजट घोषणा 2020-21, बजट घोषणा 2021-22, अगर पचास परसेंट भी पूरी हो जाए तो आप जो दंड दो वह दंड का भागी मैं बनने को तैयार हूं और फिर आपने क्या किया? विडम्बना देखिए, मैं आपका पृष्ठ-45, जो वित्तीय ज्ञापन है, उसमें क्या किया आपने? दस करोड़ रुपये आधारभूत संरचनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके बिल का वित्तीय ज्ञापन कह रहा है। तीन करोड़ रुपये विश्वविद्यालय के संचालन के लिए है। यानी, डेढ़ साल की यात्रा, माननीय सभापति महोदय, और डेढ़ साल की यात्रा के बाद, इस घोषणा के, बजट घोषणा के अनुरूप राजस्थान की विधान सभा के अन्दर आप यह बिल लेकर आये और बिल में 20 करोड़ की घोषणा को कम करके 10 करोड़ करे तो मैं समझता हूं कि यह गंभीरता, मंत्री महोदय, अगर वास्तव में मुख्य मंत्रीजी के अपने निर्वाचन क्षेत्र में एम.बी.एम. विश्वविद्यालय खोलने की इच्छा है तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप मुझे यह बताएं कि आपने एक इंजीनियरिंग कालेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय का दर्जा दे रहे हैं आप, आपको यू.जी.सी. के मापदंड मालूम हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशंस को 2010 के अन्दर सरकार ने अंगीकार किया, 13 में संशोधन आये, 18 में संशोधन आये और उन संशोधनों के माध्यम से यू.जी.सी. के मापदंड हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी लाइब्रेरी होनी चाहिए, कितना खेल मैदान होना चाहिए, क्या फैकल्टी होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि अगर भौतिक रूप से आप इस बिल को लाने से पहले, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, बाकी जगह पर विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, यह पहला मौका है, माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान) इन मंत्रायणजी को और इनको बात करनी है तो इनको बाहर भेज दो न। सदन की कोई गरिमा भी रहती होगी?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): सिर्फ कागज ले रही हूं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): मंत्रायणजी नहीं, मंत्रीजी बोलें।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): हां, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, यह पहला मौका है...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आप माफी मांगो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माफी मांग ली, हाथ जोड़कर।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): Very good.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह पहला मौका है जब एक कालेज को अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर यह बिल लेकर आये हैं।

अगर नया विश्वविद्यालय खोलने की बात होती तो मैं कहता जमीन का आबंटन होगा, यूजीसी के मापदण्ड के अनुसार जमीन होगी, खेल मैदान होगा, सारी सुविधाएं होंगी पर मुझे अफसोस है और मुख्य मंत्रीजी के मन में बड़ी अभिलाषा है, जोधपुर विश्वविद्यालय का शहर बन जाए, सारे विश्वविद्यालय वहीं जाएं। वहां पहले से ही पांच विश्वविद्यालय हैं। मंत्रीजी है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि नहीं वहां? यह छठा विश्वविद्यालय है। रिफाइनरी खुल रही है बाड़मेर में और शोध करेंगे जोधपुर में। यह बाड़मेर की आवाज धीमी पड़ी है, यह घटनाएं कई बार ऐसी होती रहती हैं, पर बाड़मेर के नेतृत्व को इतना कमजोर मत समझो आप। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर विद्रोह की चिंगारी जब ज्वाला बनेगी, बाड़मेर का जो हक मार रहे हो, मंत्रीजी वह हक आपको ले डूबेगा, छोटी बात नहीं है। वैसे तो सबसे अच्छी बात लगती है, यह मेरे सामने बैठे लोग मुख्य मंत्रीजी को मारवाड़ का गांधी कहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है इस पर, पर गांधीजी ने क्या कहा था, विकेन्द्रीकरण की बात, स्वराज की परिकल्पना तब पूरी होगी जब विकेन्द्रीकरण होगा। यहां क्या हो रहा है? मुख्य मंत्री हैं, सदन के नेता हैं, सब कुछ हैं। सारे विश्वविद्यालय लाकर जोधपुर में खोल दिये। मैं इसलिए कह रहा हूं और फिर बजट 2021-22 के बिन्दु संख्या 47 में मुख्य मंत्रीजी ने कहा था सदन में 'तकनीकी शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिये मैं जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से फेंटिक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा करता हूं। स्कूल आफ कम्प्यूटर साइंस एण्ड आई.टी., फाइनेंस एण्ड अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस, एनालेटिकल मैथेमेटिक्स की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्राइवेट सैक्टर के कोलोबरेशन से विभिन्न लेटेस्ट टैक्नोलोजी के कोर्स उपलब्ध कराये जाएंगे।' हो गया क्या? बजट की घोषणा है न यह तो। मार्च तक का है। मैं असत्य बोल रहा हूं तो बताओ। बजट की घोषणा, सिर-पैर नहीं है, माननीय सभापति महोदय, यह कपोल-कल्पित कल्पनाओं के आधार पर की गयी घोषणा, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कितनी ही कोशिश कर लेना, ले डूबेगी इस सरकार को।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, मानकर बैठे हैं विश्वविद्यालय खोल दो, सब-कुछ हो जाएगा। मैं बहुत छोटा-सा आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। यह जो साक्षरता है न, यह पैमाना है कि हमारे उस जिले के अन्दर कितने लोग साक्षर हैं। छोड़ो उच्च शिक्षा की, साक्षरता अपने राजस्थान की है 61.1 प्रतिशत, भारत की है 72.99 प्रतिशत और जोधपुर की कितनी है, 65.94 प्रतिशत।

अभी मंत्री महोदय, आल इंडिया सर्वे आन हायर एजुकेशन, 2019-20 की रिपोर्ट आपने जरूर पढ़ी होगी, उसमें क्या है? विश्वविद्यालय-दर-विश्वविद्यालय खोलते चले जाएं, पर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन, जिसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जी.आई.आर. कहते हैं, राजस्थान में सिर्फ 24 प्रतिशत है और देश में 27 प्रतिशत है यानी, माननीय सभापति महोदय, 100 में से 24 बच्चे राजस्थान में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिये अलग-अलग विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाते हैं। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। आज उच्च शिक्षा विभाग आपके पास है। यह आपने पिछली बार जो वार्षिक रिपोर्ट यहां रखी थी, उसमें आपने कहा था कि आपके कितने पद खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के, मैं जोड़कर बताऊं तो 50 प्रतिशत हैं। नहीं खाली हो तो आप सौगंध खाकर मुझे बता देना। असिस्टेंट प्रोफेसर के 37 प्रतिशत और यूजीसी रेगुलेशन, माननीय सभापति महोदय, जिसको 2013 में अमेंडमेंट रूप में, 2018 में अमेंडमेंट रूप में इस राजस्थान में अपन ने स्वीकार किया, वह क्या कहता है? उसके जो मापदण्ड बने हैं, विद्यार्थी असिस्टेंट, लेक्चरार के रेशो का विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में राजस्थान में बीस हजार असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद होने चाहिए। आज आपका खुद का वार्षिक प्रतिवेदन यह कह रहा है 6,949 में सिर्फ 4,367 पद भरे हुए हैं। यानी 16 हजार पद सरकार और क्रियेट करे, तब इस प्रकार के विश्वविद्यालय को खोलने की मानकता रहेगी। आज आपके 350 कालेज हैं। नैक में 37 के अलावा 38वां आया क्या? आज हालात क्या हैं?

माननीय सभापति महोदय, अभी यूजीसी का सर्वे आया। राजस्थान पत्रिका और दूसरे अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा। यूजीसी का सर्वे कह रहा है कि 33 जिलों में से 30 जिले राजस्थान में शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी 90 प्रतिशत जिले। आज विश्वविद्यालय-दर-विश्वविद्यालय के बिल ला रहे हो, खोल रहे हो, पर आज राजस्थान की हालत क्या है? तीन जिले- जयपुर, जोधपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सब पिछड़े हैं। देखा जाए तो राजस्थान में आज 89 विश्वविद्यालय, माननीय सभापति महोदय, सरकारी और गैर-सरकारी हैं और 3,380 महाविद्यालय हैं। संख्या की दृष्टि से देश में चौथा स्थान है। मैं समझता हूं आप इंजीनियरिंग कालेज का विश्वविद्यालय ला रहे हैं। आप यह तो देख लेते कि पिछले ढाई वर्ष से राजस्थान में 51 इंजीनियरिंग कालेज सिर्फ इसलिए बंद हो गये कि वहां पर छात्रों की संख्या नहीं थी। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, अभी यह बिल लेकर आये हैं। इस बिल के सारे प्रोविजन को मैं पढ़ूंगा तो सभापतिजी मुझे डांटकर बिठा देंगे। मैं मोटे-मोटे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किस प्रकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। एक सैक्शन-37 सरकार का नियंत्रण, यही हैडिंग है और 37(क) में आपने कहा कि अगर विश्वविद्यालय में अध्यापक, अधिकारी, कर्मचारियों का पद सृजित होगा तो सरकार से अनुमति। विश्वविद्यालय 37(ख) में कहा कि अधिकारियों के, कर्मचारियों के, अध्यापकों की वेतन परिलब्धियां, सेवानिवृत्ति परिलब्धियां। कितनी दोगे, किसको दोगे, क्या वेतनमान होगा, राज्य सरकार की अनुमति बिना नहीं कर सकते। 37(ग) में अतिरिक्त भत्ते और विशेष वेतन, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास भी चलानी पड़ी तो भी सरकार की अनुमति होगी। अगर आपको विश्वविद्यालय के लिये कोई सम्पत्ति या चीज खरीदनी पड़ी तो भी सरकार की अनुमति चाहिए। यानी पूरी सरकार, पूरा विश्वविद्यालय सरकार की निगहबान बनकर उनकी मिजाजपुर्सी में लगेगा, क्योंकि आपने उसका नियंत्रण सैक्शन-37 में ले लिया। सैक्शन 38 में आप क्या कर रहे हो? आप इस एक्ट के माध्यम से अधिकार ले रहे हो कि अगर किसी वित्त सम्बन्धी प्रकरण के अन्दर आप उचित समझो तो जांच बिठा सकते हो। 38(2) के अन्दर आप यह कहकर विश्वविद्यालय में वित्तीय प्रबन्धन ठीक नहीं है, आप पूरा नियंत्रण ले लोगे। यानी विश्वविद्यालय के अन्दर कुलपतियों को कठपुतली बनाकर अपने मनचाहे तरीके से नचाने का प्रयास आप लोग करोगे।

मैं, मंत्री महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपका ध्यान एम.बी.एम. विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक, 2021 की धारा 51 -'अंतकालीन उपबंध ट्रांजिटरी प्रोविजन' 51(1) क्या कहता है- 'जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1962 के अधीन बनाये गये सभी परिनियम, आर्डिनेंस, रेगुलेशन इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये हुए समझे जाएंगे।' यानी एम.बी.एम. विश्वविद्यालय का एक्ट यह कहता है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अन्दर जितने नियम, परिनियम बने हैं, वह हम पर लागू हैं।

इससे आगे आप क्या कहते हैं, कमाल ही कर दिया आपने। बलिहारी जाऊं आप पर मैं। आपने 51(2) में क्या कर दिया, आपने कहा कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन किसी भी प्राधिकारी, वाइस चांसलर हो, उप कुलपति हो, कुल सचिव हो, किसी ने कोई भी नोटिस जारी कर दिया, आर्डर जारी कर दिया तो यह माना जाएगा कि वह आपके एम.बी.एम. विश्वविद्यालय के अन्दर भी उसको माना जाएगा। उसको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्राधिकार के द्वारा जारी किया हुआ समझा जावेगा विश्वविद्यालय के। इस प्रकार का काम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को आप आदर्श मानते हो। आप बड़ा आदर्श मानते हो उनको। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपको याद होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी सिंडीकेट में आपने क्या किया है? सिंडीकेट की बात मानोगे न आप, क्योंकि आपने 51(2) में कह दिया जे.एन.यू. विश्वविद्यालय ने, उसको मानोगे आप। उन्होंने क्या किया, 114 लेक्चरार, जिनको इसी सदन के अन्दर सदन के प्रतिपक्ष ने मामला उठाया था, अयोग्य लोगों की भर्ती, बिना योग्यताधारी भर्ती, बिना नैट के, बिना स्लैट के और उसके बाद इसी सदन में मुख्य मंत्रीजी ने वहां से घोषणा की थी। चीफ सैक्रेटरी और एडिशनल सीएस, प्रमुख शासन सचिव की कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट आयी। बिना योग्यताधारी लोगों को, बिना पीएचडी को, बिना नेट स्लैट किये लोगों को, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र का समय निकलने के बाद जिनकी योग्यता नहीं थी उनको भी और शार्टलिस्टिंग में आपने जिस प्रकार किया, कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि यह बड़ा खोटा काम हुआ। इस प्रकार की सलेक्शन के अन्दर बंदर बांट हुई भाई भतीजा हुआ। बड़े लोग बड़ी बातें, मोटे लोग मोटी बातें। कौन-कौन के, किस-किस के रिश्तेदार उसमें सलेक्ट हो गये। पर उसके बाद क्या हुआ? 2014 में 269 नम्बर एफ.आई.आर. दर्ज हुई, कुलपति और कई जो इस चयन समिति में लोग थे सब जेल गये, सक्षम न्यायालय में चालान हो गया और गिरफ्तारियां हुईं। अब सैंया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का, आपने रेगुलराइज कर दिया।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस विश्वविद्यालय के इन्होंने 51(2) के अन्दर कहा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये या जारी किये गये तमाम नोटिस आर्डर अंतर्गत इस विश्वविद्यालय में प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये समझे जाएंगे तो यही करोगे आप? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं आप थोड़ा सोचो।

आज विश्वविद्यालय की जिस प्रकार की स्थिति है, उच्च शिक्षा के अन्दर हम मानकों को पूरा नहीं कर रहे, यू.जी.सी. के मापदंड को पूरा नहीं कर रहे, हमारे पास फैकल्टी नहीं और उसके बाद बजट की घोषणा पर, भगवान आपका भला करे, डेढ़ साल बाद लौटे, मुख्य मंत्री जी ने डांट पिलाई होगी तब लौटे होंगे। अगर मुख्य मंत्री जी के विधान सभा, जहां खुद का है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वहां हालत यह है तो फिर हमारा तो, प्रभु, हो गया ही क्या? हमारे तो पुराने समय में जो चूरू के अन्दर कन्या महाविद्यालय का भवन स्वीकृत हुआ आप उसके अन्दर भी पधार आये, वह भी पूरा नहीं करोगे, हमारी तो आप पर वह करो ही क्या। इसलिए, महानुभाव, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि समय का कालचक्र घूम रहा है, यह कालचक्र किस ओर ले जा रहा है, उससे बचो और इस विश्वविद्यालय का जो अधिनियम लेकर आये हो खोटा और इसके अन्दर कम से कम आप 51 (1) और 51 (2) यह धाराएं, इनको तो डिलीट करने का गवर्नमेंट का यहीं से आप संशोधन ले आओ। इतना ही मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): संयम जी, एक मिनट।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के विधेयक के पारित होने और कार्य सूची के पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री संयम लोढ़ा।

विधेयक पर विचार

एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर, विधेयक, 2021

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एम.बी.एम. यूनिवर्सिटी, जोधपुर के बिल, 2021 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। अभी प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता के विचार हम सबने सुने।

माननीय सभापति महोदय, जिस जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के लगभग मातहत इस यूनिवर्सिटी को स्टैबलिश किया जा रहा है, 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे, इस जोधपुर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, हर संस्था के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं। समय सदा एक सा नहीं रहता। मैं प्रतिपक्ष के उपनेता को निवेदन करना चाहूंगा कि यही वह जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर था जहां विख्यात शिक्षाविद वी.वी. जॉन जैसे कुलपति हुए और इतना ही नहीं, इस मुल्क के हिन्दी जगत के नामवर हस्ताक्षर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और डाक्टर नामवर सिंह जैसे ख्यातनाम साहित्यकार और विद्वान इस विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे और इन 50-60 वर्षों की यात्रा में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ने अपनी एक प्रतिष्ठा अर्जित की है। यह ठीक है, यह गिरावट हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ जोधपुर में नहीं आयी, पूरे मुल्क में आयी है जबसे हम लोगों ने एक शिक्षक को उस सम्मान की नजर से देखना बंद कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक बहन जर्मन भाषा में मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वह मुझे बताती है कि जर्मनी में कोई मिनिस्टर हो, कभी कोई प्रोफेसर उससे मिलने नहीं जाता। अगर किसी प्रोफेसर से मिनिस्टर को भी मिलना है तो वह मिनिस्टर टाइम लेकर के उस प्रोफेसर से मिलने जाते हैं और हमने हमारे मुल्क में उस प्रोफेसर की क्या गति कर दी। प्रोफेसर तो छोड़िए, हम यूनिवर्सिटी के कुलपति को भी किस रूप में देखते हैं, किस नजर से देखते हैं और हमारे चयन के आधार क्या हो गये हैं?

हमने देखा, अभी आप जोधपुर यूनिवर्सिटी की गाथा बता रहे थे, जब आप सरकार में मंत्री थे तब आपने यह क्यों नहीं सोचा कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों के स्तर को कैसे इम्प्रूव किया जाए? आप राजस्थान में पहले वह व्यक्ति थे, पहली वह सरकार थी जिसने एक नोन-पीएचडी को राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी संस्था में वाइस चांसलर बनाकर के बैठा दिया और लोगों ने बहुत ही विरोध किया, आपसे शैक्षिक जगत के लोगों ने बहुत आग्रह किया पर आपकी हठधर्मिता थी, आपकी हेकड़ी थी कि नहीं, हमने जो कर दिया सो कर दिया। क्या हुआ? लोग उस वक्त हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने आपके निर्णय को क्वैश किया और उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बदलना पड़ा। इसके अलावा क्या अजमेर यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ? किस तरह का छापा पड़ा, किस तरह की गिरफ्तारियां हुईं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में किस तरह की जांचें हुईं? जांच प्रमाणित हुईं, लोकायुक्त ने जांच की और वह जांच वहां राजभवन में जाकर के दफन हो गयी, माननीय सभापति महोदय।

(श्री संयम लोढ़ा)

अगर उच्च शिक्षा के प्रति हमारा मन साफ है, अगर हम उच्च शिक्षा की तस्वीर बदलना चाहते हैं तो यह दलगत राजनीति के संकुचित दायरे से नहीं बदलेगी। हमें उस सोच के आधार पर इस पूरे सदन को मिलजुल करके एक राय बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए बहुत अच्छा होगा, माननीय सभापति महोदय, कोई इस तरह का समागम रखें जिससे इसमें निकलने का रास्ता सोचा जाए, और सबसे बेहतर तो यह होगा कि आप पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटी का एक एक्ट लाओ और जितनी भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी हैं वह उस एक्ट के अधीन करो, तो-तो कोई आप नियंत्रण कर सकेंगे और नहीं तो किस जगह है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन लग रहा है, कौन हट रहा है, कोई धणीधोरी नहीं और कोई देखने वाला नहीं। जिस तरह से कुछ साल पहले वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट में भी आपने जो तरीका बदल दिया, राजस्थान के लोग, राजस्थान के प्रतिभाशाली लोग क्या राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति लग पा रहे हैं? दूसरे राज्यों के उठा-उठाकर ला-लाकर के इधर-उधर पटक रहे हो और पूरे मनमाने तरीके से और जो चर्चाएं कुलपतियों के चयन में सुनते हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस-इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि इतने पैसे देकर के फलां कुलपति बन गया। जब वह पैसे देकर के कुलपति बन रहे हैं तो फिर वह क्या निहाल करने वाला है? इसलिए पूरी व्यवस्था को बदलने का सोचो, जो कमियां आयीं हैं उनको ठीक कैसे करोगे, वह सोचो।

अभी आप यूनिवर्सिटी की चर्चा कर रहे थे। मैं कहता हूं आप नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हो, जिस दिशा में देश को ले जाया जा रहा है उसमें नई यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत पड़ रही है। सभापति महोदय, अभी आपने और हमने देखा कि गुजरात में मंत्रिमंडल का फेरबदल हो गया, 12 मंत्री तो ऐसे बने हैं जो कभी कालेज गये ही नहीं। हम 21वीं सदी में इस पर चर्चा कर रहे हैं और किस तरह का नेतृत्व हम विकसित कर रहे हैं? कई तो ऐसे हैं जो पांचवीं तक से भी आगे नहीं बढ़े और वह सरकार में मंत्री बन गये। (व्यवधान) गुजरात में 12 मंत्री ऐसे हैं जो कालेज नहीं गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बिल में लिखा है क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बिल में नहीं तो क्या है? यह आप किस तरह की नजीर पेश कर रहे हो लोगों के सामने, किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हो और उच्च शिक्षा पर भाषण दे रहे हो और वह भी उस स्टेट के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्दर जो देश के अन्दर माडल रूप में आपने प्रस्तुत किया है, गुजरात पूरे हिन्दुस्तान में सुशासन का माडल है। आप इस तरह के लोगों से सुशासन की अपेक्षा करते हैं? माननीय सभापति महोदय, ऐसे हुक्मरान बैठे हैं कि पहले तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्य मंत्री हटा रहे थे, उनको मुख्य मंत्री बदलने की आदत पड़ गयी, कर्नाटक में हटा दिया, मध्य प्रदेश में हटा दिया, वहां हटा दिया। अब कांग्रेस शासित राज्यों के नहीं हटा पा रहे हैं तो खुद के राज्यों के हटा रहे हैं, उत्तराखण्ड में हटा दिया, कर्नाटक में हटा दिया, गुजरात में हटा दिया अब पता नहीं आगे और किसकी बारी है? (व्यवधान) तो इनका उच्च शिक्षा से लेना-देना क्या है, उच्च शिक्षा से मतलब क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि हमको चिंतित होना चाहिए। हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा के हालात ठीक नहीं हैं। राजस्थान की तमाम यूनिवर्सिटी, टीचर्स कहां हैं? कितने फीसदी टीचर्स नहीं हैं वह देखिए आप। आप कालेज की हालत देखिए। कहां टीचर्स हैं? आप एक-एक, दो-दो लेक्चरर के बूते कालेज चला रहे हैं। ठीक है, अच्छी सोच है कि आपने नए कालेज खोले। बच्चे उन कालेजों में नजदीक के जगह पर पढ़ने जाएंगे। मां-बाप लड़कियों को दूर पढ़ने नहीं भेजते हैं। वह पढ़ने भेज पाएंगे लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का क्या होगा? कैसे हमारे बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? यह विचार का विषय है।

अब यह जो यूनिवर्सिटी आप खोल रहे हैं, इसका मूल रूप से जब बजट में प्रस्ताव किया था तो विचार क्या था? आप पेट्रोलियम बेस यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एजुकेशन बेस इसको बनाएंगे। अब आपने इसको बहुसंकाय विश्वविद्यालय कर दिया और आप जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में इसको कर रहे हो। जोधपुर यूनिवर्सिटी की प्रोपर्टी को आप शेयर करोगे। क्या आप दोयम दर्जे का विश्वविद्यालय खोलने का मन रखते हो?

इस दौर में, 21वीं सदी में नई यूनिवर्सिटी यदि आपको एस्टेब्लिश करनी है तो आपको हमारे आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत से सीखना चाहिए। जो राजस्थान के अन्दर, जयपुर के अन्दर 700 करोड़ का स्टेडियम बना रहे हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना रहे हैं। अब 21वीं सदी में आप कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो आपको इस सोच के साथ आना चाहिए कि हम अगले 50 साल तक की सोचकर के यूनिवर्सिटी खड़ी कर रहे हैं। इसमें आपने 10 करोड़ का प्रावधान किया है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने मेरे यहां मेडिकल कालेज स्वीकृत किया। बाकायदा पहले टीम आई देखने के लिए कि जमीन कहां लें। जब कलेक्टर और हमने जमीन सजेस्ट की बालदा के अन्दर तो उस टीम ने आकर के देखा तो, नो, नो, इसके पीछे वाटर बाडी है, हम यह नहीं ले सकते। फिर हमने वापस जमीनें छानी। तब जाकर नेशनल हाई वे पर हमको एक गोचर भूमि मिली। वहां हमने उसको एस्टेब्लिश किया। एक मेडिकल कालेज के लिए कितने फंड का प्रोविजन है? 330 करोड़ रुपये का। आप यूनिवर्सिटी खोल रहे हो, 10 करोड़ रुपये में। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है? क्यों सफेद हाथी आप खड़े कर रहे हो? पहले आपने यहां भरतपुर, सीकर वगैरह सब जगह यूनिवर्सिटी खोली। उनकी क्या हालत है? हम कोई तमगा लेना चाहते हैं कि हमने एक शहर में 2 यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। इससे हमें कोई फायदा मिल जाएगा, क्या कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसका आवृत्ति व्यय भी 3 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यह जिस रूप में आप उच्च शिक्षा को आगे ले जा रहे हो, यह ठीक नहीं है। प्रदेश के बच्चों के हित में नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि वह एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज एक ब्रांड नेम है। उसकी पूरे देश में प्रतिष्ठा है। इस जगह से पढ़े हुए लोगों ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। जो भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उस एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज के प्रोडक्ट हैं। एक ऐसे कालेज को, एक ऐसे इंस्टीट्यूट को उसी रूप में आप रहने दीजिए। मैं नहीं समझता हूं कि यह बहु संकाय विश्वविद्यालय वहां खोलने की कोई आवश्यकता है। अपने आपमें जेएनयू उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर आपको करना ही है तो जिस रूप में बजट अनाउंसमेंट हुआ है, जैसा गुजरात में भी एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी चलती है, उसी तर्ज पर आप विशिष्ट शिक्षण की सुविधा देने वाली यूनिवर्सिटी यहां पर खोलिए।

अभी आप जिक्र कर रहे थे डिजिटल यूनिवर्सिटी की, वह यूनिवर्सिटी बेसिकली गवर्नमेंट आफ इंडिया की है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तय किया है कि हम कंट्री के हर राज्य के अन्दर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। वह

(श्री संयम लोढ़ा)

जिस 400 करोड़ रुपये का जिक्र कर रहे हैं, वह भी गवर्नमेंट आफ इंडिया को ही देना है। वह तो खुलेगी ही। उससे ही जोधपुर में बहुत कुछ एड हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि आप यह जो लाए हैं, यह सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए लाए हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उच्च शिक्षा मंत्री की योग्यता क्या है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किसकी?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उच्च शिक्षा मंत्री की।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूछ लो आप। यह बैठे हुए हैं। मुझे क्या पता।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आपसे तो ज्यादा ही है।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि किसी तरह से जरूरी नहीं है कि आपने बजट में अनाउंसमेंट किया है तो उसको आप उस रूप में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अनाउंसमेंट किया है तो उसको करें ही। आपको यह देखना चाहिए कि उस पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं होगा? हमारे बच्चों के लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा? उन तमाम बातों पर विचार करके करना चाहिए। फिलहाल इसको आप पैंडिंग रखो और मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कराएं जिससे एक अच्छा निर्णय आप कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, एम.बी.एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जोधपुर को एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का यह बिल लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आज यह सोचने की आवश्यकता है कि हम 21वीं सदी की शिक्षा की बात कर रहे हैं। उस 21वीं सदी की शिक्षा में हम राजस्थान की जनता को, युवाओं को, छात्रों को वापस 19वीं सदी की ओर ले जा रहे हैं।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इस यूनिवर्सिटी को यदि बनाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि 2700 वर्ष पूर्व भी भारत में तक्षशिला के विश्वविद्यालय में 10,500 विद्यार्थी पूरी दुनिया के पढ़ने आते थे। हम विश्व गुरु भारत उसी कारण से थे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के कारण।

1948 में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में यूजीसी कमीशन बना था। उस समय यूनिवर्सिटीज के सारे मापदंड तय किए गए थे। 21वीं सदी की यूनिवर्सिटी में यदि 1948 के वह नियम, जो तत्कालीन पहली कांग्रेस सरकार थी, उनके यूजीसी कमीशन के जो नियम बनाए गए थे, माननीय मंत्री महोदय, उन नियमों को तो इस यूनिवर्सिटी की आधारभूत संरचना में कम से कम शामिल कर लेते।

सभापति महोदय, यदि हम आज बात करें कि विश्वविद्यालय का रूप क्या हो तो इस बिल में यह कहीं स्पष्ट निर्धारित नहीं है और न ही यह निर्धारित है कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार के पाठ्यक्रम, विषय प्रारंभ किए जाएंगे। यह प्रश्न केवल विश्वविद्यालय खोलने का नहीं है। यह प्रश्न राजस्थान के और इस राष्ट्र के उत्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, जहां आज एक तरफ 21वीं सदी के भारत की आधारशिला तैयार करने के लिए खुद देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। उसमें क्या-क्या चीजों का समावेश किया है जो इस यूनिवर्सिटी के एक्ट में होना चाहिए था। जो पूर्ण रूप से शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षाविदों की योग्यता, रुचि, वर्तमान विश्व में मांग, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, रचनात्मक जिज्ञासा, स्किल डवलपमेंट, What to think को बदलकर How to think, नवीन खोज, चर्चा आधारित विश्लेषण, वर्चुअल लैब, आधुनिक रिसर्च, प्रशिक्षण के संस्थान जिससे उत्कृष्ट मूल्यों पर आधारित किसी शिक्षण संस्थान की नींव यदि राजस्थान में रखी जाती तो आज इस विश्वविद्यालय खोलने की खुशी में हम भी विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र ताली बजाकर आपका स्वागत करते।

सभापति महोदय, विद्यार्थियों की सुविधा और जरूरत का ख्याल भी 21वीं सदी की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के कारण जैसा अभी माननीय उप नेता महोदय ने बताया कि राजस्थान का 24 परसेंट स्टूडेंट बाहर पढ़ने केवल इसलिए जा रहा है क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज में इन सारे कोर्सेज के साथ-साथ, स्टूडेंट्स की रुचि के अनुसार सारा काम होता है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, संकाय पद्धति से मुक्त शिक्षा की बात आज सारा संसार कर रहा है और हम किस तरीके से केवल एक फार्मलिटी पूरी करने के लिए राजस्थान को कहां लेकर जा रहे हैं। शिक्षकों के सम्मान का भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रीय मूल्यों को जोड़ते हुए अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता में वृद्धि के विशेष आधार पर स्किल पर फोकस किया जाना चाहिए था, जो इसमें कहीं नजर नहीं आता है।

भारतीय श्रम रिपोर्ट के अनुसार आज 53 परसेंट स्टूडेंट जो हैं, उनमें स्किल्स की कमी है। स्किल बेस यूनिवर्सिटी, जैसे आज सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी ही खोलनी थी तो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खोलते जो मूल घोषणा थी बजट की। अगर मारवाड़ में वहां के युवाओं को, नौजवानों को आवश्यकता थी तो वह पेट्रोलियम बेस यूनिवर्सिटी की थी क्योंकि वहां रिफाइनरी आ रही है। उस रिफाइनरी में जो हजारों लोग नौकरी करेंगे, वह बाहर से आकर के करेंगे। मारवाड़ का भला तभी होता जब मारवाड़ के अपने आपको गांधी कहने वाले मुख्य मंत्री, वहां पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खोलते। 330 करोड़ में एक मेडिकल संकाय खुलता है तो कम से कम 2-3 हजार करोड़ की व्यवस्था करके 21वीं सदी का कोई विश्वविद्यालय खुलता तो पूरा देश और दुनिया देखने आती कि यह पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में खुली है, वह दुनिया में नायाब है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि आज देश में 170 यूनिवर्सिटीज केन्द्र सरकार की हैं और 384 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं। उसमें आपने एक संख्या राजस्थान में और बढ़ा दी। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। केवल एक संख्या बढ़ाने के अलावा आपने यूनिवर्सिटी कहने के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं आज याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 में जब पूरी दुनिया में शोध और गुणवत्ता की बात की जा रही थी, उस समय भी इस तरह की यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया गया था। यही कांग्रेस की सरकार थी, जब राजस्थान की एक होटल में 4 कमरों में 4 यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया गया था। आज भी राजस्थान का नौजवान उन यूनिवर्सिटीज को तरस रहा है।

(17.00 बजे)

एक-एक कमरे में एक-एक यूनिवर्सिटी को अनुमति दी गई और इस एफिडेविट के आधार पर दी गई कि ये भविष्य में इतने दिनों में अपना

(श्री अशोक लाहोटी)

कैम्पस तैयार कर लेंगे। माननीय मंत्रीजी आज आपने जितनी 2013 में यूनिवर्सिटियों की घोषणा की उनके कहां-कहां पर कैम्पस तैयार हो गये, जो आपने बजट में घोषणा की उन कालेजों के कहां-कहां कैम्पस तैयार हो गये। सांगानेर में आपने महाविद्यालय की घोषणा की, स्कूल के चार कमरे लेकर आप वहां कालेज चला रहे हैं, न वहां पर टीचर्स हैं, न फैकल्टी है, न कम्प्यूटर है। न आज तक जमीन चिह्नित की गई और न आज तक वहां पर बजट आबंटित किया गया। इस प्रकार की यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं आप? किस प्रकार की उच्च शिक्षा का वातावरण तैयार कर रहे हैं? हम इक्कीसवीं सदी की बात कर रहे हैं। मैं ज्यादा पुरानी रिसर्च में नहीं जा रहा हूं। अभी पांच-सात दिन पहले ही एनआईआरएफ की जो रिपोर्ट आई है माननीय सभापति महोदय, इस रिपोर्ट को आप पढ़ें, इस रिपोर्ट में टाप टेन में राजस्थान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है और टाप हण्डरेड में केवल तीन यूनिवर्सिटीज आई हैं जो 2016 में आपसे पहले 7 यूनिवर्सिटी थीं। आज केवल तीन ही यूनिवर्सिटीज आई हैं और तीन भी कौनसी? सरकार की नहीं है, एक बिरला टैक्नोलॉजी आफ साइंस, पिलानी, दूसरी वनस्थली विद्यापीठ और तीसरी एमएनआईटी, जयपुर। यह हम सबके लिए एक सोचने की बात है। राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता के लिए शर्म की बात है कि जिस प्रदेश का 58 परसेंट युवा, 2.66 करोड़ युवा अपने मताधिकार का उपयोग करके राजस्थान में सरकार का निर्माण करता है, उस युवा के साथ राजस्थान के नौजवान के साथ यह सरकार किस प्रकार की दुर्भावनाओं के साथ, किस प्रकार के बैड इंटेंशन के साथ, किस प्रकार के एक दोहरेपन के साथ, किस प्रकार की दोहरी नीति के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह सोचने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे शिक्षा जगत की छवि कई स्तरों पर बदलने की जरूरत है। उचित होगा कि पाठ्यक्रमों में कुछ शब्द, कुछ अध्याय और केवल कुलपति बदलने और लगाने के लिए और केवल बजट घोषणा मुख्य मंत्रीजी की थी इसलिए जयनारायण व्यास जैसे बड़े नेताओं का कद छोटा करके उस यूनिवर्सिटी की जमीन काटकर उसमें नई यूनिवर्सिटी इम्प्लांट करके इस तरह का दोहरा काम आपकी सरकार, मंत्री महोदय, कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि राजस्थान के युवाओं को आप आसन के माध्यम से बचाएं और राजस्थान के नौजवानों को आप शिक्षा का वातावरण दें, राजस्थान के नौजवानों को इक्कीसवीं सदी में आगे बढ़ने का

(श्री अशोक लाहोटी)

काम करें क्योंकि यही वह भारत देश है जहां के युवाओं के लिए कहते थे कि भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से और आज वे ही युवा देश, वी आर द यगेंस्ट कंट्री आफ द वर्ल्ड, हम चाइना से भी ज्यादा यंगेस्ट कंट्री हैं, हमारी एवरेज पापुलेशन जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है। आज दुनिया की यदि विश्व गुरु बनने की ताकत भारत यदि पैदा कर रहा है तो इस देश के नौजवानों के दम पर कर रहा है, इस देश की शिक्षा नीति के दम पर कर रहा है। इस प्रकार की शिक्षा नीति, इस प्रकार से शिक्षा के पाठ्यक्रम और इस प्रकार की शिक्षा के विश्वविद्यालय बनाकर इस देश के नौजवानों के साथ राजस्थान की कांग्रेस सरकार खिलवाड़ न करे, यह मेरा आपसे निवेदन है। आप इस बोझिल बिल को, इस टूटे-फूटे बिल को हटाकर एक नया बिल राजस्थान की नई शिक्षा नीति के साथ लाए, यही आपके माध्यम से निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज इस एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है। यह एम.बी.एम इंजीनियरिंग कालेज राजस्थान का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कालेज है, प्रतिष्ठित कालेज है और मुझे भी इसमें पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं वहीं का विद्यार्थी हूं। उस समय माना जाता था कि राजस्थान में केवल दो ही इंजीनियरिंग कालेज थे, एक पिलानी का और एक जोधपुर का। इनमें 120-120 सीटें थीं और एडमिशन के लिए भी मारामारी होती थी, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित, जिसका नाम शायद पूरे भारत में रूड़की के बाद यदि किसी इंजीनियरिंग कालेज का नाम लिया जाता था तो एम.बी.एम. का लिया जाता था। वर्तमान में यह सरकार इस विश्वविद्यालय का जो विधेयक लेकर आई है, इससे दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की भी एक प्रकार से तौहीन हो जाएगी क्योंकि उसको आधा किया जा रहा है। जोधपुर में मल्टी फैकल्टी विश्वविद्यालय तो पहले से ही है। नया विश्वविद्यालय करने की क्या आवश्यकता है? यदि करना ही है तो कोई इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों को आगे करते।

जहां तक मुझे ध्यान है, इस इंजीनियरिंग कालेज के अन्दर पैट्रोलियम विभाग खोलने को मंजूरी सरकार ने दी थी, आज उस पैट्रोलियम विभाग को

(श्री वासुदेव देवनानी)

भी इन्होंने गम्भीरता से नहीं लिया। उसमें विभागाध्यक्ष तक नहीं है। उसमें पढ़ाने का अलग से कोई भी स्टाफ नहीं है और आप रिफाइनरी के आधार पर एम.बी.एम. को विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। जिस एक विभाग को भी आप नहीं संभाल पाये, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाये, तो उस विश्वविद्यालय की क्या व्यवस्था करेंगे। बाकी हमारे उपनेता ने बताया कि किस प्रकार से पिछले बजट के अन्दर इसकी घोषणा हुई, बीस करोड़ रुपये की घोषणा हुई और उसको दस करोड़ रुपये तक ले आये? यानी राजस्थान में आप क्या स्थिति लाना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आता। आखिर यह विश्वविद्यालय चलेगा कैसे क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अन्दर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की लगभग 160 एकड़ जमीन एम.बी.एम. विश्वविद्यालय में समायोजित करनी पड़ेगी और उसके साथ उस कालेज का जो नोर्थ कैम्पस है उसकी कामर्स फैकल्टी का एक मैनेजमेंट विभाग का भवन भी है। ये भवन एम.बी.एम. में मर्ज होगा या भवन खाली करवाएंगे, कहीं कोई स्पष्टता नहीं है, यानी केवल होचपोच में एक विश्वविद्यालय खोलना है, उसको लेकर हमने कुछ किया। इसके साथ कितने महाविद्यालय सम्बद्ध किये जाएंगे, इसका भी उल्लेख नहीं है। यदि आप देखें कि राजस्थान में उच्च शिक्षा का हाल क्या है, बड़ा बेहाल है। अभी हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य गुजरात के मंत्रियों की तो चर्चा कर रहे थे लेकिन अपने राजस्थान के मंत्रियों की भी जरा चर्चा कर लेते कि कौन विश्वविद्यालय में गया और कौन नहीं गया और किसके पास शिक्षा विभाग है, किसके पास नहीं है, मैं विस्तार से किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो अपने घर पर, अपने अन्दर अंतर्मन में भी तो कुछ सोचो कि आप क्या कर रहे हो?

माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी के बारे में चर्चा की। देखिये पिछले पचास-साठ साल में कांग्रेस राज में विश्वविद्यालय के कुलपति कौन-कौन हुए, जरा इसका इतिहास पढ़ूंगा और दिखाऊंगा तो दिखेगा कि एक लेक्चरर रैंक के आदमी को आपने वीसी बना दिया, वे इतिहास तो भूले नहीं और एक जो किसी प्राइवेट कालेज के प्राचार्य को बनाया, वह कोर्ट का निर्णय है उस पर मैं विस्तार से नहीं जाता लेकिन अपने गिरेबान में झांककर देखो, कांच के महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर मत फेंको। इसको देखो कि आपने किस प्रकार का किया है। उसमें यूनिवर्सिटी

(श्री वासुदेव देवनानी)

का स्तर क्या है आज राजस्थान में, पद कितने खाली हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का मूल मकसद है रिसर्च करना, रिसर्च से तो दूर हट गए, ये केवल एक एग्जामिनेशन बाडी बन गये, केवल यूजी के एग्जामिनेशन कराने वाले बन गये। कितने रिसर्च हो रहे हैं, कितने पीजी हैं? मैंने पिछली बार शिक्षा पर बहस के समय कहा था कि यदि राजस्थान की उच्च शिक्षा को सुधारना है तो आप यहां पर बोर्ड की तरह एक कालेज एग्जामिनेशन बोर्ड बना दो, यूनिवर्सिटीज में केवल पीजी और रिसर्च कराओ, तब जाकर यूनिवर्सिटीज की स्थिति सुधरेगी और वहां पर वास्तव में यूनिवर्सिटीज का जो कंसेप्ट है वह क्लीयर हो पाएगा। आज देश की यूनिवर्सिटीज के छात्रों की रिसर्च को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए आपको ध्यान होगा शोध गंगा एट इन्फ्लिबनेट (INFLIBNET) सेंटर शुरू किया। यह तय हुआ कि सारे देश भर के की यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी करेंगे, वो थिसिस उस पर अपलोड करेंगे, उस अपलोड के आधार पर आपको मालूम पड़ जाता, उस वेबसाइट पर कि किस स्टेट की क्या स्थिति है, किस यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है? ताकि उससे कापी और डुप्लीकेशन होने से बचाया जा सके। राज्य में 27 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से 10 यूनिवर्सिटीज के टोटल रिसर्च पेपर जो अपलोड हुए हैं वो 3598 और देश में अकेले कोलकाता यूनिवर्सिटी के अपलोड हुए हैं वो 12572 हुए हैं। यानी एक यूनिवर्सिटी के 12 हजार और राजस्थान की दस यूनिवर्सिटीज के केवल साढ़े तीन हजार। उसमें भी देखेंगे कि देश में 476 यूनिवर्सिटीज में इस समय 3 लाख से अधिक थिसिस हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के उसमें कितने हैं, केवल 366. यानी क्या स्थिति है विश्वविद्यालय की, 3 लाख में से 366, क्या आप उच्च शिक्षा को, यूनिवर्सिटीज को बनाना चाह रहे हैं? फिर एक और नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे। पुरानी तो आपसे संभाली ही नहीं जा रही हैं और आप नई यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। आपके टाप 100 में आपका नाम है नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आज आपके स्टाफ की जो हालत है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 61 में से 58 प्रोफेसर्स के पद खाली हैं और आपके सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 26 में से 20 खाली हैं, कोटा यूनिवर्सिटी में 6 में से 3, बीकानेर गंगासिंह यूनिवर्सिटी में 9 में से 8 और जेएनयूवी में 53 में से 45, प्रोफेसर के पद खाली हैं। क्या आप रिसर्च कराना चाह रहे हो, क्या आप यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हो? यदि इसी के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर देखेंगे तो इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 135 में से 113 पद खाली हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 51 में से 26, जेएनयूवी में 119 में से 93, अर्थात् केवल 26 एसोसिएट प्रोफेसर हैं 119 में से। इस स्थिति में क्या यूनिवर्सिटी चलाएंगे? लड़कों की पढ़ाई नहीं हो रही है, कक्षाएं नहीं लग रही हैं। न तो कोई कक्षा है, न कहीं कुछ है और फिर कई बार तो कुछ विश्वविद्यालयों ने तो नो सैशन भी कुछ विषयों में शुरू कर दिया। यानी इस प्रकार की दयनीय स्थिति आज आपने खड़ी की है। जेएनयू में तो केवल 7 ही रिसर्च पेपर दिये गये हैं। मैं समझता हूं, इस प्रकार की स्थिति, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, जरा आकलन कीजिए। हम राजस्थान को इस 21वीं शताब्दी में कहां ले जाना चाह रहे हैं? आपके 27 में से 21 विश्वविद्यालयों में तो परीक्षा कंट्रोलर ही नहीं हैं, कौन परीक्षा करवाएगा? शिक्षकों को जिम्मेदारी दे दी कि तुम सम्भालो। बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है और विश्वविद्यालयों की साख पर धब्बा लग रहा है। आखिर शिक्षक पढ़ाएगा या नोन-टीचिंग का काम करेगा? इसलिए परीक्षा की गुणवत्ता और मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

आज राजस्थान में लगभग 20 लाख सामान्य शिक्षा और दस लाख अन्य, 30 लाख विद्यार्थी हैं, उनके जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? यदि परीक्षा कंट्रोलर नहीं होगा तो परीक्षाएं लेट होंगी, पेपर धड़ा-धड़ आउट हो रहे हैं, आपकी मार्क्स-शीट पर गलतियों की भरमार है। देश में उच्च शिक्षा के नाम पर सबसे फिसड्डी सामने आ रहा है तो राजस्थान आ रहा है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं, हम नये कालेज खोल रहे हैं। आप नये कालेज खोलें, कोई मनाही नहीं है, शिक्षा का विस्तार होना ही चाहिए, लेकिन 123 नये कालेज जो आप खोल रहे हैं, वे सोसाइटीज के अंतर्गत खोल रहे हैं। आपने इंजीनियरिंग कालेजों को पहले सोसाइटीज के अंतर्गत शुरू किया। क्या स्थिति बनी, उनका वेतन देने को पैसे नहीं मिले। आखिर अब जाकर सरकार ने उनमें से कुछ कालेजों को सरकारी बनाने का तय किया।

अगर कालेज आपको खोलने हैं तो सरकारी खोलिए न। क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? एक झुनझुना जनता और नेताओं को दे रहे हैं, वहां का विधायक वहां पर कहे कि मैंने कालेज खोल दिया। इस प्रकार की स्थिति है कि 79 में से 51 में तो कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं हैं। बिना प्रिंसिपल्स के कैसे कालेज चलेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस प्रकार की तो कालेजों की स्थिति, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी की स्थिति। राजस्थान

(श्री वासुदेव देवनानी)

यूनिवर्सिटी के तो सबसे बुरे हाल हैं। रूसा प्लान के तहत आपको 50 करोड़ की ग्राण्ट मिली, लेकिन पिछले दो वर्षों से एम.फिल. और पी.एच.डी. में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। पैसा पड़ा है, पैसा इस शर्त पर आया था कि रिसर्च होगी, ग्राण्ट मिलेगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं, आपने तीन-तीन कन्वीनर बदल दिये, फिर भी ढाक के तीन पात। कहीं भी किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं। ऐसी ही स्थिति होगी, जब वाइस चांसलर ऐसे होंगे, शिक्षक नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे।

एक शर्मनाक बात तो अभी जेएनयू की और हुई है कि एक पीड़ित संविदा कर्मचारी से स्थायीकरण के नाम पर अस्मिता मांग ली। इससे ज्यादा शेमफुल बात और हो सकती है क्या? किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्दबाजी में विश्वविद्यालय न खोलें। जैसा अभी उप-नेता जी ने कहा कि आप जोधपुर में छठा विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, क्या अजमेर ने आपकी कोई भैंस मारी है? आज अजमेर में केवल एक ही विश्वविद्यालय है महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय। जोधपुर में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और बाकी सम्भाग केन्द्र? अजमेर भी शिक्षा नगरी रहा है। उसमें दूसरे विश्वविद्यालय की कभी सोचते ही नहीं हैं। अजमेर के लिए किसी प्रकार की कोई सोच ही नहीं है। यानी उसके साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मुझे यह समझ में ही नहीं आता।

इस प्रकार की यदि बात करेंगे तो यह केवल एक ढकोसला होगा और यदि वास्तव में एमबीएम कालेज की आप इज्जत करते हैं, उसकी रैपुटेशन आप पहले जैसी बनी रहने देना चाहते हैं तो उसे एक तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा देते। इसकी साख तकनीकी दृष्टि से है और इसे केवल मल्टी फैकल्टी बनाकर छोड़ रहे हैं। कहां से नये बच्चे आएंगे? कोई स्पेशलाइजेशन होता है तो ही नये बच्चे बाहर से आते हैं, नहीं तो जोधपुर के बच्चे जोधपुर में ही रहेंगे, आधे इधर हो जाएंगे, आधे उधर जाएंगे। केवल मुख्य मंत्री को खुश करने के लिए। पता नहीं आप इस पद पर रह भी पाएंगे कि नहीं, कितने दिन रहेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन केवल अपना पद बचाने के लिए मुख्य मंत्री को आप खुश करें, यह तो शिक्षा के साथ एक धोखा है।

आपका पद बचे या नहीं, यह आपकी पार्टी का विषय है, लेकिन केवल उन्हें खुश करने के लिए छठा विश्वविद्यालय, वह भी ऐसा खोल रहे हैं जो कि एक मल्टी फैकल्टी का विषय होगा, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्रकार से यदि आप खोलेंगे तो यह शिक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, यदि आप राजस्थान को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो। राजस्थान के 33 में से 30 जिले केन्द्र की रिपोर्ट में पिछड़े हुए माने जा रहे हैं। 20 हजार पद चाहिए, जिनमें से कुल 6400 सैंक्शन्ड हैं, उनमें भी पद खाली।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): राजनीतिक चेतना में तो आप जोधपुर को नम्बर वन मानते हैं कि नहीं?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह ठीक है, राजनीतिक चेतना में आप हैं, लेकिन यहां शिक्षा की बात हो रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): शिक्षा को ठीक करें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप यूजीसी के मापदण्डों के आधार पर विश्वविद्यालय नया जो खोलने जा रहे हैं, बिलकुल अनफिट होगा। न तो इसके पास अपनी जमीन है, न खेल मैदान है, न फैकल्टी है। अत: इसे आप छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें, जल्दबाजी न करें। मुख्य मंत्री वैसे ही आपसे खुश हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा के साथ तो कम से कम आप अन्याय न करें। इतना ही निवेदन करके अपनी बात को पूरा करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा 2020-21 में प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल सम्भावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रथम इंजीनियरिंग कालेज एमबीएम इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधा प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी थी।

एमबीएम इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना 15 अगस्त, 1951 में हुई। यह देश के सबसे पुराने इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में से एक है, जिसमें 28 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को एआईसीटीई की मान्यता भी प्राप्त है। सत्र 2020-21 से पैट्रोलियम विभाग प्रारम्भ किया जा चुका है उक्त महाविद्यालय में। इस सम्बन्ध में एआईसीटीई से अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में इस विभाग में 60 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

सभापति महोदय, 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी। उसके बाद एमबीएम इंजीनियरिंग महाविद्यालय को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर की फैकल्टी बना दिया गया। वर्तमान में एमबीएम इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग फैकल्टी के रूप में संचालित है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना 24 अगस्त, 1962 में जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। विश्वविद्यालय के लक्ष्य को परिभाषित करते हुए तत्समय उन्होंने कहा था कि युवा लोग जो इस विश्वविद्यालय में शिक्षित होंगे, वे अतीत के कैदी नहीं, बल्कि भविष्य के तीर्थ यात्रियों के रूप में आगे बढ़ेंगे।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में संचालित पाठ्यक्रमों के और क्षेत्राधिकार के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर 38 पाठ्यक्रम और योजनाएं तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 72 पाठ्यक्रम संचालित हैं। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में पांच जिले- जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर आते हैं। इन जिलों के सरकारी महाविद्यालयों की संख्या 55 हैं और निजी महाविद्यालयों की संख्या 217 हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के अनुसरण में एमबीएम इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर को बहुविधा विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है और इसकी स्थापना से जोधपुर सम्भाग सहित सम्पूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा हेतु एक और विकल्प प्राप्त होगा।

यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करेगा व मारवाड़ अंचल की उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। एमबीएम इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त ब्राण्ड नेम है और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने देश और दुनिया में इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए 10 करोड़ रुपये तथा आवृत्ति व्यय के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विश्वविद्यालय वर्तमान में एमबीएम इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर के

(श्री भंवर सिंह भाटी)

भूमि व भवन पर संचालित किया जाएगा जहां पर 162 एकड़ भूमि एवं 49604 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भवन भी उपलब्ध है। सभापति महोदय, प्रस्तावित विधेयक के बारे में कुछ नवीन प्रावधान इस प्रकार हैं:-

विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है, जबकि विभाग के अधीन अब तक स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में प्रथम कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष है। प्रथम कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष इसलिए रखा जा रहा है कि तीन वर्षों में कुलपति नवीन स्थापित विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में स्थापना सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। नवीन विश्वविद्यालय में नवीन पदों के सृजन, नये कोर्स प्रारम्भ करना, आधारभूत सुविधाएं जुटाना एवं विकसित करना एवं अन्य स्थापना सम्बन्धित कार्यों आदि को पूर्ण किये जाने में काफी समय लगता है। इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय का स्वरूप बहुविधा विश्वविद्यालय होगा एवं इसमें इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित पाठ्यक्रम भी यथावत संचालित होंगे। अत: विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में तकनीकी शिक्षा सचिव एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा को भी पदेन सदस्य रखा गया है।

यह विश्वविद्यालय वर्तमान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में स्थापित किया जा रहा है अत: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से परिसम्पत्तियों एवं कार्मिकों का प्रस्तावित विश्वविद्यालय में अन्तरण का भी प्रावधान किया गया। इसके लिए अधिनियम अस्तित्व में आने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना के बाद क्षेत्राधिकार के लिए अलग से आदेश प्रसारित किए जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने बिल में तो कुलपति का कार्यकाल तीन साल रखा है। सभापति महोदय, अभी कहा कि पांच साल कुलपति की कार्यावधि रहेगी, जबकि बिल में तीन साल लिखा हुआ है। आप देख लो 11.7 में। क्या सही है, यह तो क्लियर कराओ आप।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं क्लियर करूंगा उससे पहले अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले ढाई सालों में जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जो विजन है, उस विजन को पिछले ढाई साल में राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

उच्च शिक्षा की पहुंच ग्रामीण अंचल तक सुलभ करवाने के लिए गत तीन वर्षों में लगभग 123 राजकीय महाविद्यालय खोले गए जिससे ग्रामीण अंचल तक उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है। हमने पिछले तीन बजट वर्ष में 32 नये गर्ल्स कालेज खोले हैं। सत्र 2005-06 में जहां 100 छात्रों पर 63 छात्राएं अध्ययनरत थीं वहीं सत्र 2020-21 में यह संख्या बढ़कर 105 हो गई है। महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 100 करोड़ रुपये का मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, जहां तक खाली पदों की बात है, कई वर्षों से विभाग में सहायक आचार्य के पद की रिक्तियों को भरने के लिए सहायक आचार्यों के 918 पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी गई जिसके क्रम में माह सितम्बर में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इससे न केवल नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो पद खाली पड़े हैं उनको भी भरा जाना सम्भव होगा। सत्र 2020-21 में नवसृजित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था के लिए विद्या सम्बलन योजना प्रारम्भ की जा रही है। सभापति महोदय, खाली पदों की समस्या कोई तत्काल नहीं हुई है। काफी लम्बे समय से, 2014 के बाद कोई भर्ती नहीं हो पाई थी, उस वजह से हमारे राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में पद रिक्त हुए हैं, लेकिन 918 पदों को भरने की जो प्रक्रिया अब फाइनल स्टेज पर है। इससे ये पद भी भरेंगे और जब तक ये पद नहीं भरे जाते हैं जो विद्या सम्बलन योजना के माध्यम से राजस्थान के जितने भी कालेजेज में रिक्त पदों की समस्या है, उस समस्या का समाधान होगा।

इसके साथ-साथ विभाग द्वारा छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु राज्य में चल रही विभिन्न स्कूटी योजनाओं को एकजाई कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना आरम्भ की गई है और इसके तहत 2019-20 में भी पात्र छात्राओं को इस शैक्षणिक सत्र में वितरित कर दिया गया है और इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। सभापति महोदय, पहले जहां ढाई हजार स्कूटी वितरण प्रतिवर्ष पूर्व के वर्षों में की जाती थी और अब स्कूटी वितरण का दायरा माननीय मुख्य मंत्री जी.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यूनिवर्सिटी में भी स्कूटी वितरित करोगे क्या? बिल यूनिवर्सिटी का है। यह अच्छी घोषणा है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता ने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की, बहुत सारी कमियां निकालीं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां आपके समय में ढाई हजार स्कूटियां दी जाती थीं, अब 12 हजार 500 स्कूटियों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है और प्रतिवर्ष इस साल से दी जाएंगी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, 12 लाख दें पर यह बिल में स्कूटी कहां से आ गई?

श्री सभापति: विराजें। विराजिये।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उसके साथ-साथ वर्षों से जो लम्बित प्राचार्य की डीपीसी की बात है तो वर्षों से लम्बित प्राचार्य स्नातकोत्तर, स्नातक तथा उपाचार्य पदों की डीपीसी भी सम्पादित की गई और उसमें प्राचार्य पीजी के 70 और प्राचार्य यूजी के 99 और उपाचार्य के 118 पदों की डीपीसी सम्पादित की गई।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो 500 से अधिक बालिकाओं वाले राजस्थान के सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को सरकारी महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की इस बजट में घोषणा की है तो निश्चित रूप से सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का जो विजन है, वह माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा से स्पष्ट होता है और इससे गवर्नमेंट के बहुत सारे सीनियर सैकण्डरी बालिका विद्यालय हैं जो गवर्नमेंट कालेज के रूप में तब्दील होंगे।

इसके साथ-साथ कोरोना जैसी महामारी के समय में भी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ई-लर्निंग के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे कालेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको ई-कंटेंट्स के माध्यम से लेक्चरर्स ने अलग-अलग अपने वक्तव्य रिकार्ड करके, नोट्स बनाकर विद्यार्थियों को लगातार जोड़ने रखने का काम किया है।

माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जो 'नो मास्क नो एंट्री' अभियान की शुरुआत की थी। उसमें भी हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।

कोविड के कारण गत तीन वर्षों में राज्य के विश्वविद्यालयों और

(श्री भंवर सिंह भाटी)

महाविद्यालयों में किसी भी प्रकार की फीस में वृद्धि नहीं की गई। हर वर्ष जिस प्रकार से फीस वृद्धि की जाती है वह कोरोना की वजह से पिछले तीन सालों में फीस वृद्धि भी नहीं की है।

इसके साथ-साथ हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो अलग-अलग सारी बातें कही हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में नये विश्वविद्यालय, नये सरकारी विश्वविद्यालय, नये कालेजेज खोलने से निश्चित रूप से उच्च शिक्षा का दायरा हमेशा बढ़ता रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय देश की आजादी से पहले 1946 में खोला गया और उसके बाद 26 विश्वविद्यालय बाद में पूरे प्रदेश में खोले गये। उनको यदि हम देखें कि किस सरकार के समय कितने विश्वविद्यालय राजस्थान में खोले गये तो मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में 21 सरकारी विश्वविद्यालय कांग्रेस की जब सरकार रही उस समय खोले गये और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जब सत्ता में रहे या इनको जब काम करने का मौका मिला, होना यह चाहिए था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नये विश्वविद्यालय खुलवाते लेकिन सिर्फ 5 राजकीय विश्वविद्यालय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की या प्रतिपक्ष की जब सरकार रही तो उस समय खोले गये।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाहूंगा कि 2013 से 2018 के बीच में पिछली वसुन्धरा जी की सरकार के कार्यकाल के समय में पिछले पांच वर्षों में 81 नये कालेज खोले गये और 2013 में जब हमारी सरकार थी तो उस समय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पढ़ा हुआ मान लिया, सभापति महोदय।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, आप उप नेता महोदय थोड़ा सुनने का धैर्य रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं बड़ी एकाग्रता से सुन रहा हूं आपको।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आप सुनिए, हम आपको सुबह से सुन रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कल आपने प्रताप सिंह खाचरियावास को टोका, आज भंवर सिंह भाटी को टोक रहे हो। सभापति महोदय, मेरा आरोप है, ये अपने बाद में किसी को नेता पनपने नहीं देना चाहते। ये टोका-टाकी बंद करिए, मेहरबानी करिए इस हाउस के ऊपर।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि 2008 से 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी।

श्री सभापति: पूरा इनको ही समर्पित कर दीजिए आप तो।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, उस समय 46 सरकारी कालेज खोले गये थे, लेकिन इनकी जो सोच है। इनकी सरकार दिसम्बर, 2013 में बनती है तो उन 46 कालेजों को समीक्षा के नाम पर बंद कर दिया जाता है पूरे राजस्थान में और न सिर्फ उन 46, प्रतिपक्ष के माननीय नेता से भी कहना चाहूंगा कि न सिर्फ ये 46 कालेज आपने बंद किये, बल्कि जो दो सरकारी यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय और विधि विश्वविद्यालय, उन दोनों को भी आपने 2014 में बंद करने का काम किया।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): देवनानी साहब, आपने काफी लम्बा-चौड़ा वक्तव्य दिया। किसी भी योजना में बजट शुरू में नहीं दिया जाता है। आप 2018 में जो कालेज खोलकर गये, उसका बजट आपने दिया है क्या? आप खुद देख लीजिए, एक भी कालेज का आपने बजट दिया हो। 2014 में राजस्थान के 46 कालेज बंद करते हो और 2018 के बजट में आप उन कालेजेज को पुन: चालू करने का, लास्ट में जाते-जाते घोषणा करते हो और उसमें बिल्डिंग का प्रावधान आपने क्या किया, विधायक कोटे से किया जाएगा। विधायक कोटे से कोई कालेज की बिल्डिंग बनती है क्या या भामाशाहों के सहयोग से किया जाएगा?

2013 से 2018 के जो कालेज हैं, उनकी बिल्डिंग्स की आप स्थिति देखिए। उसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि 2013 से 2018 में चाहे अंतिम साल में आपने खोलें, लेकिन 81 कालेज आपने खोले, पिछले पांच सालों में, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में। सभापति महोदय, मैं ढाई साल का आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगा, 2019-20 और 2021 तीन सालों के बजट में राजस्थान के इतिहास में पहली बार 123 सरकारी कालेज खोले गये। सभापति महोदय, ये सरकारी कालेज उन स्थानों पर खोले गये।

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज, शांत रहें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जब 2013 में आये थे तो इन्होंने कहा था कि हम उपखण्ड स्तर पर कालेज खोलेंगे, इन्होंने नहीं खोले। राजस्थान में माननीय

(श्री भंवर सिंह भाटी)

मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी जिनकी भावना है कि गांव में रहने वाले किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जो जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में आकर पढ़ नहीं सकता, प्राइवेट कालेज में एडमिशन नहीं ले सकता। उसके गांव में या तहसील पर कोई कालेज नहीं है। ये 123 कालेज उपखण्ड मुख्यालय पर तहसील मुख्यालय पर खोले गये हैं। इन कालेजेज में एडमिशन लेने वाले जो विद्यार्थी हैं। सभापति महोदय, उनकी संख्या देखिए 100 सीटें हैं और 500-500 आवेदन आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बालिकाओं का जो आंकड़ा मैंने पहले भी निवेदन किया कि आज से दस साल पहले 100 एडमिशन में से सिर्फ 56 बालिकाएं एडमिशन लेती थीं। आज 100 में 106, मतलब इस तरह से आंकड़ा शत-प्रतिशत बालिकाओं का आंकड़ा बढ़ा है। मेरा निवेदन यही रहेगा कि बालिका शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जो विजन है, निश्चित रूपसे आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। निश्चित रूप से मैंने पहले भी अपने व्यक्तव्य में बात कही है कि जो 500 से ज्यादा की संख्या वाले राजस्थान के बारहवीं तक के स्कूल हैं। उन सबको, कितना बड़ा निर्णय राजस्थान के इतिहास में कि उन सभी स्कूलों को सरकारी कालेज में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं रखा गया है।

सभापति महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र में भी, जिस स्कूल में 500 से ज्यादा छात्राएं हैं, उनको कालेज बनाया जाएगा। 25 स्कूल ऐसे हैं जिनके प्रस्ताव बनाकर कालेज बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज गति से चालू कर दी गई है। मेरा पुन: प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन रहेगा कि हम सब लोग राजस्थान की 8 करोड़ जनता के ट्रस्टी के रूप में यहां बैठे हैं। कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी महाविद्यालय हो, जब शुरुआत की जाती है तो उस समय अस्थाई भवन में की जाती है, टीचर्स की कमी होती है तो अलग-अलग तरीके से गैस्ट फैकल्टी के रूप में, विद्या सम्बलन से किसी भी तरीके से अरेंज करते हैं लेकिन, किसी भी संस्थान को खोलने का जो माद्दा होना चाहिए और इच्छाशक्ति होनी चाहिए और वह इच्छाशक्ति राजस्थान के जननायक मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी में है, जिन्होंने यह महसूस किया कि राजस्थान के हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक का स्कूल तो है लेकिन 12वीं पास करने के बाद में वह छात्रा और छात्राएं कालेज में नहीं जा सकते, प्राइवेट कालेज की फीस ज्यादा होती है।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

एक बात और कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने बजट में पहले ही घोषणा की थी कि हम बालिका शिक्षा को नि:शुल्क करेंगे उच्च शिक्षा में भी और इस दिशा में कदम उठाते हुए हमारे विभाग ने सरकारी कालेजों में पढ़ने वाली तमाम जो बालिकाएं हैं, जो एडमिशन लेने वाली बालिकाएं हैं, उनसे जो राजकीय शुल्क जो सरकारी शुल्क लिया जाता है, वह 2019 से माफ कर दिया गया। उससे बालिका शिक्षा को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हम सबका दायित्व बनता है कि हमारी युवा पीढ़ी को हमारे भविष्य को आगे लेकर के जाए।

निश्चित रूप से राजस्थान के विश्वविद्यालय ही पिछड़े हुए नहीं हैं, आपने जिस प्रकार से कहा कि राजस्थान के विश्वविद्यालय रैंकिंग में पीछे हैं, लेकिन राजस्थान के विश्वविद्यालय लगातार यह प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। यह एक दिन में कोई रैंकिंग नहीं बनती है लेकिन, मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर के राजस्थान के भविष्य को राजस्थान की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कदम उठायें। जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर का जो एमबीएम विश्वविद्यालय है, आज हम बनाने जा रहे हैं। यह कालेज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखता है। चूंकि, बाड़मेर में डिवीजन में रिफाइनरी का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। पैट्रो केमिकल्स के क्षेत्र में हमने नये कोर्सेज शुरू किये हैं और ये विश्वविद्यालय आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि किसी भी एक शहर में एक से ज्यादा विश्वविद्यालय नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां दो-दो विश्वविद्यालय हैं तो दूसरा विश्वविद्यालय खुलने से निश्चित रूप से शिक्षा का और ज्यादा प्रसार होगा और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जो विजन है कि मारवाड़ और मरु क्षेत्र है, जोधपुर सम्भाग, वहां के विद्यार्थी भी शिक्षा में और ज्यादा आगे आएं। उस सोच के साथ में यह विश्वविद्यालय खोला गया है।

मैं यही निवेदन करना चाहूंगा और आप सभी माननीय विधायकों के जो भी सुझाव आए हैं, आप सब ने जो बातें कही हैं, जो कमियां हैं, कमियां एक दिन में नहीं सुधारी जा सकती हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इन कमियों को सुधारें और हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें, धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि एम.बी.एम विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक 2021 को जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 54 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 54 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 54 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती मनीषा पंवार। एक मिनट विराजिये आप। प्रभारी मंत्री। पहले आप प्रस्ताव कर दीजिये।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो बात कही वीसी के कार्यकाल के संबंध में...

श्री सभापति: अब आप जो है सीधे-सीधे प्रस्ताव करिये पारित करने के लिए। पारित का प्रस्ताव रखिए आप।

विधेयक का पारण

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: श्रीमती मनीषा पंवार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आज एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 के लिए मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमारे इंजीनियरिंग कालेज में एक हॉल है, जिसमें हमारे हाईफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी की जन्मस्थली है। मैं निवेदन करूंगी कि जिस तरह पूरे विश्व में मेजर दलपत सिंह जी की शौर्य गाथा, गौरव गाथा गायी जाती है और खुद हाईफा जहां क्षेत्र है वहां जब मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत पधारे थे तो उन्होंने वहां उनको श्रद्धासुमन अर्पित किये। दिल्ली की त्रिमूर्ति में भी उनकी एक मूर्ति हाईफा हीरो जी की है तो मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमारी काफी लम्बे समय से मांग आ रही है कि जो इंजीनियरिंग कालेज का हाल है जहां उनकी जन्मस्थली है वहां एक उनका स्मारक बनाया जाए और उस हॉल का नामकरण मेजर दलपत सिंह जी के नाम से किया जाए, ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मेरा भी नाम था। मुझे दो मिनट का समय दे दें, प्लीज सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को हम आज यहां पर लाए हैं और जैसा कि सभी ने अपनी बात रखी कि किस तरह से जो कालेज 1962 में वहां पर शुरू हुआ और आज भी हम देख रहे हैं कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से इसकी संबद्धता थी लेकिन हमने बिना विचारे, बिना सोचे समझे इस तकनीकी विश्वविद्यालय को अलग करने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है यह बहुत गलत है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा क्योंकि बिल्डिंग और सारी सुविधाएं हम लोगों को इसमें देखनी थीं और हमने यह भी नहीं देखा कि वर्तमान में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थिति क्या चल रही है जैसा कि मुझे जानकारी में आया है, वहां पर पेन्शन, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसेज वहां पर बढ़ेगा इसको अलग करने से, वहां पेन्शन भी उपलब्ध नहीं हो पाती, वहां के हमारे स्टाफ का तो यह बहुत-बड़ा गम्भीर विषय है और जैसा कि सम्माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सरकार कोई बात बोलती है तो वास्तव में वह काम होना चाहिए। मैं कोटा से आती हूं। आरटीयू की बात करूंगी कोटा टैक्निकल यूनिवर्सिटी की कि सरकार ने आठ महीने पहले आदेश दिया था कि वहां पर पेन्शन नीति लागू की जाए लेकिन आठ महीने से वहां के अधिकारी/कर्मचारी किस तरह से उसको दबा कर बैठे हैं, हमारे कर्मचारी वहां पर परेशान हो रहे हैं। क्यों नहीं, इस आदेश को लागू किया जा रहा है? यह मेरा आपसे निवेदन है और एक निवेदन मैं और करना चाहूंगी। मात्र तीन-चार सुझाव मैं देना चाहती हूं। विश्वविद्यालय का जो प्रबंधक मण्डल है जिस तरह से उसमें चुने हुए शिक्षकों का एक प्रतिनिधि होता है उसी तरह से कर्मचारियों का भी विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ की तरफ से एक प्रतिनिधि आता है तो निश्चित तौर पर वहां के विश्वविद्यालय मंडल में उसके आने से कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी। यह मेरा मंत्री जी से आग्रह है। इसमें यह भी अगर जोड़ा जाएगा इस विधेयक में तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए बहुत-बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा, मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी व शिक्षकों की भर्ती, आरपीएससी का पहले घोटाला मिटाएं उसके बाद आरपीएससी के माध्यम से होनी चाहिए और सही समय पर भर्ती हो, सुचारु रूप से हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं इसी के सुझाव दे रही हूं विश्वविद्यालय के। मैं विश्वविद्यालय के ही दे रही हूं। मेरा ऐसा कोई किसी पर कोई आरोप-प्रत्यारोप कभी कोई मेरा मन नहीं रहा, आपने देखा होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा इसलिए निवेदन है कि विश्वविद्यालय की जो भर्ती प्रक्रिया अपनायी जाती है वह एक्ट 1974 का जो हमारा बना हुआ है जबकि इस विश्वविद्यालय में यूजीसी के द्वारा किये गए नियमों के अनुसार भर्ती होनी चाहिए। इसमें काफी बदलाव हो चुका तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? यह भी हम लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें मेरा यह भी निवेदन है कि वर्तमान में जो हमारी नयी शिक्षा नीति को हम लोग लागू करने जा रहे हैं विश्वविद्यालय में आने वाले समय में जब यह लागू होती है तो उसी के अनुरूप...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं सुझाव दे रही हूं। मात्र चार सुझाव मुझे देने हैं, साहब।

श्री सभापति: प्रश्न यह है एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): उसी के लिए।

श्री सभापति: ऐसे नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय जो एम.बी.एम. है, एम.बी.एम. तकनीकी विश्वविद्यालय में यह प्रावधान रखा जाए और साथ ही साथ मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिये अब आप। प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, एम.बी.एम. तकनीकी महाविद्यालय की बात कर रही हूं अगर उसमें यह प्रावधान रखेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): यह प्रावधान रखेंगे तो आने वाली हमारी नयी जनरेशन, हमारे स्टूडेंट्स को लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ मेरा...

श्री सभापति: विराजिये। सहयोग करिये। विराजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, मेरी बात को ... (व्यवधान) ऐसे क्या कर रहे हो, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय, कृपया शांत रहें।

प्रश्न यह है कि एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 पारित किया गया।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.46 बजे शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

किशनगढ़ में बंद निगम की बसें

473. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ से पूर्व में संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की कई बसें वर्तमान में बंद हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बंद बसों के संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधि द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक, अजमेर आगार तथा अजयमेरू आगार को वर्ष 2020 तथा 2021 में पत्र लिखे गए हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जन प्रतिनिधि के उक्त पत्रों पर कार्यवाही नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोरोना महामारी के कारण वाहनों को पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने एवं निगम के सीमित संसाधनों के कारण पूर्व में संचालित किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कुछ बसें वर्तमान में बंद हैं। विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है ।

(2) स्थानीय जन प्रतिनिधि (माननीय किशनगढ़ विधायक) द्वारा वर्ष 2020 एवं 2021 में अजमेर आगार तथा अजयमेरू आगार के मुख्य प्रबन्धकों को लिखे गये पत्र एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है ।

(3) निगम द्वारा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर तत्समय ही कार्यवाही की जाती है परन्तु निगम के सीमित संसाधनों के कारण वाहन संचालन की मांग पर वाहन संचालन किये जाने संबंधी कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा सकी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने हेतु छात्रवृत्ति का वितरण

474. श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है?

(2) उक्त अल्पसंख्यक छात्राओं को विगत तीन वर्षों में किस-किस योजना के तहत छात्रवृत्ति की कितनी राशि वितरित की जा चुकी है व कितनी शेष है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने व इस वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित प्रकार की छात्रवृतियां दी जाती हैं:-

केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना:-

1. पोस्ट मैट्रिक
2. मेरिट कम मीन्स
3. प्री-मैट्रिक

राज्य प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना:-

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

उक्त छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में वितरित छात्रवृत्ति राशि वर्ष 2018-19 से 2020-21 की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

उक्त छात्राओं को अभी तक राशि वितरित की जानी व शेष के संबंध में विवरण निम्नानुसार है -

1. पोस्ट मैट्रिक, मैरिट कम मीन्स तथा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कोई राशि वितरित की जानी शेष नहीं है।
2. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2019-20

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

तथा 2020-21 हेतु छात्राओं को लाभान्वित करने की कार्यवाही नोडल विभाग (कालेज शिक्षा) के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

अजमेर से मसूदा रोडवेज बसों का संचालन

480. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर से मसूदा आने-जाने के लिए वर्तमान में कितनी रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त मार्ग पर अतिरिक्त बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ब्यावर से भीलवाड़ा वाया मसूदा के लिए रात्रि 7.00 बजे पश्चात् बस संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में अजमेर से मसूदा आने-जाने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित बसों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल परिशिष्ट "1" में वर्णित बसों के अतिरिक्त बस संचालित करने का कोई विचार नहीं है।

(2) वर्तमान में रात्रि 7.15 बजे मसूदा होकर ब्यावर से भीलवाड़ा तक संचालित निगम वाहन की समय सारणी का विवरण निम्नानुसार है:-

ब्यावर	मसूदा	विजयनगर	गुलाबपुरा	भीलवाड़ा
19.15 बजे	20.00 बजे	20.45 बजे	20.55 बजे	22.15 बजे

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उपरोक्त संचालित बस के अतिरिक्त अन्य बस संचालित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सहकारी बैंक कर्मियों के वेतन समझौते हेतु गठित कमेटी

485. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 2019 से सहकारी बैंक कर्मियों का 16वां वेतन समझौता व कमेटी की कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब सहकारी बैंक कर्मियों के 16वें वेतन समझौते हेतु कमेटी गठित कर उक्त वेतन समझौता लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य के सहकारी बैंक कार्मिकों को वेतन समझौते हेतु कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी गठन के आदेश की प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य के सहकारी बैंक कार्मिकों को वेतन समझौते हेतु कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार समझौता लागू किया जायेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिवहन सेवा के निजीकरण से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

486. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में परिवहन सेवा के निजीकरण को बढ़ावा देने से आमजन पर आर्थिक भार बढा है?

(2) क्या यह भी सही है कि निजीकरण के पश्चात् सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो माह जनवरी 2019 से माह जनवरी 2021 तक की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मृतकों, अपाहिजों की संख्या कितनी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा निजीकरण की आड़

(श्री जगसी राम)

में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। माह जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक दुर्घटनाओं का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की वृद्धि को रोकने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये।)

राजसमन्द में इंदिरा महिला शक्ति निधि में आबंटित राशि

487. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति निधि में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कितनी राशि आबंटित की गई एवं उक्त अवधि में महिला उद्यमिता एवं सशक्तीकरण के लिए कितनी सहायता राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला राजसमन्द के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में उक्त निधि से कितने व्यक्तिगत एवं कितने संस्थागत लाभार्थियों को सहायता दी गई एवं सहायता की कुल राशि कितनी थी?

(3) प्रदेश के प्रत्येक संभाग में उक्त निधि से उक्त अवधि में व्यक्तिगत एवं संस्थागत लाभार्थियों की संख्या एवं सहायता राशि क्या थी?

(4) उक्त निधि से उद्यम स्थापना में सहयोग, आधुनिक अनुसंधान सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, जागृति हेतु शिक्षा, पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और अन्य उद्देश्यों पर वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कितना परिव्यय किया गया एवं लाभार्थियों की संख्या क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इंदिरा महिला शक्ति निधि में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के तहत उक्त अवधि में महिला उद्यमिता एवं सशक्तीकरण के लिए दी गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(2) राजसमन्द जिले की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20, 2021 एवं 2021-22 में उक्त निधि से व्यक्तिगत एवं संस्थागत लाभार्थियों की संख्या एवं दी गई कुल सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में प्रत्येक संभाग में उक्त निधि से उक्त अवधि में व्यक्तिगत एवं संस्थागत लाभार्थियों की संख्या एवं सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) उक्त निधि से उद्यम स्थापना में सहयोग, आधुनिक अनुसंधान सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, जागृति हेतु शिक्षा, पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और अन्य उद्देश्यों पर वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में किया गया परिव्यय एवं लाभार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना

488. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालय के लिए कितनी भूमि कब और कहां आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सात वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विश्वविद्यालय को प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को जारी अधिसूचना क्रमांक प. 2(35) विधि/ 2/2013 के अनुसार झुंझुनूं में राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) जिला कलेक्टर, झुंझुनूं के आबंटन आदेश क्रमांक प.12(3)(78) राज/13/3916-22 दिनांक 21.08.2013 से ग्राम दोरासर में 50.58 हैक्टेयर भूमि राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनूं की स्थापना हेतु युवा मामले एवं खेल विभाग जयपुर को नि:शुल्क आबंटित की गयी थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट क पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में जारी अधिसूचना क्रमांक प. 2(35) विधि/2/2013 के अनुसार झुंझुनूं में राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।

गत सरकार द्वारा राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, के स्थान पर राज्य क्रीड़ा संस्थान झुंझुनूं स्थापित किये जाने की मंत्रिमण्डल आज्ञा दिनांक 14.12.2017 को जारी की जा चुकी है। परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में बजट बहस पर जवाब में मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में राज्य क्रीड़ा संस्थान झुंझुनूं के स्थान पर राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनूं को पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

राज्य क्रीड़ा संस्थान झुंझुनूं के स्थान पर राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनूं खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। विश्वविद्यालय पुन: प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जनजातीय क्षेत्रों में रासायनिक एवं जैविक उर्वरक का वितरण

489. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए विगत पांच वर्षों में रासायनिक एवं जैविक उर्वरक कितनी मात्रा में क्रय किये गये एवं कितने किसानों को वितरण किया गया? उक्त क्रय पर कितना व्यय किया गया? वर्षवार रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में कुल कितने कृषक हैं जो जैविक उर्वरक एवं कीटनाशी, हरी फास्फेट रिच आर्गेनिक मैन्योर एवं वर्मी कम्पोस्ट

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

का उपयोग कर रहे हैं? ऐसे कितने कृषकों को परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता प्रदान की गयी है? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आदिवासी कृषक के लिये उसकी जमीन ही आजीविका का स्थाई विकल्प है इसलिए क्या सरकार द्वारा प्रत्येक आदिवासी कृषक के खेत में मृदा के स्वास्थ्य वृद्धि हेतु जैविक कार्बन के घटक सुनिश्चित हो सकें, इसके लिये पंचायत स्तर पर क्या व्यवस्था की गयी है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में वितरण के लिये रासायनिक एवं जैविक उर्वरक का किसानों को वितरण करने हेतु क्रय नही किया गया है, यद्यपि परम्परागत कृषि विकास योजना में जैविक उर्वरकों का सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करवाया गया है। उक्त योजनान्तर्गत विगत 5 वर्षो में जैविक उर्वरक वितरण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

कृषि विभाग द्वारा जिलों की मांग अनुसार रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता निजी एवं सहकारी तंत्र के अनुज्ञापत्रधारी खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।

(2) परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्षवार जिलेवार गतिविधिवार, लाभान्वित कृषकों एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी कृषकों के खेतों में मृदा के स्वास्थ्य वृद्धि एवं जैविक कार्बन के घटक सुनिश्चित करने के लिये किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

गाय के नाम पर स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त राजस्व

490. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गाय के नाम पर स्टाम्प ड्यूटी व मदिरा पर टैक्स लगा कर राजस्व प्राप्त करने हेतु विभाग के क्या निर्णय हैं?

(2) प्रदेश में गायों के नाम पर उक्त प्रकार के टैक्स से वर्ष 2018-

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

19, 2019-20 व 2020-21 में कुल कितना राजस्व प्राप्त किया गया? स्टाम्प ड्यूटी व मदिरा पर अधिभार व वैट से जिलेवार पृथक-पृथक कितना राजस्व प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त से प्राप्त राजस्व व इसमें से व्यय में व्यापक असंतुलन है? संभागवार व जिलेवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या गाय के नाम पर प्राप्त राजस्व से सरकार ने सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कर दिया है? यदि नहीं, तो क्या उक्त समस्या का समाधान गौशालाओं को अनुदान देने से हो सकता है? यदि नहीं, तो सरकार के पास उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या विकल्प हैं?

उत्तर

(1) वित्त (कर) विभाग द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निधि में राजस्व की प्राप्ति हेतु स्टाम्प डयूटी एवं मदिरा की बिक्री के वैट पर अधिभार लगाया गया।

(2) सरकार को गौ सैस से प्राप्त राजस्व का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से**	**मदिरा की बिक्री के वैट पर अधिभार से**	**गौ सेस से प्राप्त राजस्व**
1.	2018-19	26613.05	27011.63	53624.68
2.	2019-20	29197.92	42468.25	71666.17
3.	2020-21	34979.32	38944.00	73923.32

गौ सैस से प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा मदिरा की बिक्री के वैट पर अधिभार से प्राप्त राजस्व का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों के आधार पर निधि में राशि के वित्त लेखे महालेखाकार कार्यालय द्वारा फाइनल किये जाने के उपरान्त आगामी वित्तीय वर्ष में ही यह राशि निधि में हस्तानान्तरित की जाती है। उसके उपरान्त ही वित्त विभाग द्वारा बजट का प्रावधान किया जाता है। गौ सैस से प्राप्त राजस्व के व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

(गोपालन मंत्री)

1. गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 अंतर्गत प्रदेश की पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 में दी गई सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**वर्ष**	**सहायता राशि (लाखों में)**
1.	2018-19	24057.45
2.	2019-20	46245.05
3.	2020-21	56548.39

संभागवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

2. गौसंरक्षण एवं सवंर्धन निधि नियम, 2016 अंतर्गत आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु निम्नांकित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की पात्र गौशालाओं में किये गये कार्यो पर व्यय राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	**योजना**	**2019-20**	**2020-21**
1.	गौशाला विकास योजना	–	344.60
2.	गौशाला बायो गैस सहभागिता	–	20.00
3.	नंदी गौशाला जन सहभागिता	225.00	495.00

जिलेवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत योजना का अनुमोदन किया जाकर दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2021 को जारी किये जा चुके हैं।

आवारा एवं निराश्रित नर गौवंश के संरक्षण हेतु नंदीशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत जिला स्तरीय नंदीशाला खोले जाने हेतु 16 जिलों (अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, करौली, हनुमानगढ़, दौसा, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर,

(गोपालन मंत्री)

पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बारां, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर, नागौर एवं जालौर) को राशि रु. 45-45 लाख आबंटित किये गये हैं। कुल राशि रु. 720.00 लाख आबंटित की गई।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 से सृजित निधि द्वारा गौशालाओं में आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए गौशाला जनसहभागिता विकास योजना अन्तर्गत अधिकतम राशि रु. 10 लाख प्रति गौशाला दिये जाने का प्रावधान है जिससे गौशालाएं अपने गौवंश संधारण क्षमता का विस्तार कर सकें। वर्ष 2020-21 में 60 गौशालाओं की स्वीकृति जारी कर राशि रु. 344.60 लाख के निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं।

गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में 90-90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिये वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रु. तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रु. प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

हनुमानगढ़ में राजस्थान लोक परिवहन बसों का संचालन

491. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ में राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा संचालित है? यदि हां, तो कितनी बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियां सफर करती हैं? यदि हां, तो कितनी बसों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बस सेवा की गति सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा गति सीमा से अधिक चल रही बसों के विरुद्ध क्या -क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त बसों से विगत दो वर्ष में उक्त जिले में कितनी दुर्घटनाएं हुई तथा इनमें कितने जन मानस की हानि हुई एवं कितने लोग प्रभावित हुए

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान लोक परिवहन सेवा की 45 बसें संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों पर क्षमता से अधिक सवारियां पाई जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पुलिस विभाग द्वारा जिला हनुमानगढ़ में (वर्ष 2018 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में) राजस्थान लोक परिवहन की बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियां सफर करने पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	**बसों की संख्या**	**की गई कार्यवाही**
2018	02	एम.वी. एक्ट
2019	18	
2020	08	
2021	—	—

(3) लोक परिवहन बस सेवा के लिए पृथक् से कोई गति सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 अप्रैल, 2018 में मोटरयानों के वर्ग के संबंध में अधिकतम गति नियत की गई है। प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) गति सीमा से अधिक गति से चल रही बसों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। विगत 3 वर्षों में गति सीमा से अधिक गति से चल रही बसों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

पुलिस विभाग द्वारा जिला हनुमानगढ़ में (वर्ष 2018 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में) राजस्थान लोक परिवहन की बसों के विरुद्ध गति सीमा से अधिक गति से चलने पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है-

(परिवहन मंत्री)

वर्ष	**बसों की संख्या**	**की गई कार्यवाही**
2018	14	एम.वी. एक्ट
2019	21	
2020	06	
2021	–	–

(5) राजस्थान लोक परिवहन की बसों से जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2018 में एक दुर्घटना में एक व्यक्ति तथा वर्ष 2019 में एक दुर्घटना में एक महिला कुल 2 दुर्घटनाओं में 02 लोगों की मृत्यु हुई है।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

पुलिस विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ब्लैक स्पाट चिन्हित कर उनका दुरुस्तीकरण करवाया जा रहा है, जगह-जगह यातायात संकेत लगाये गये हैं, यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जायल में पंजीकृत बेरोजगार

492. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्तमान में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितनी महिलाओं व कितने पुरुषों को वर्ष 2019-20 व 2020-21 तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया है एवं कितनों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला रोजगार कार्यालय, नागौर में 30 जून, 2021 तक विधान सभा क्षेत्र जायल के कुल 6902 बेरोजगार आशार्थियों द्वारा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है। उक्त पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों में से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत आवेदन करने एवं निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 1048 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया जिनमें 422 महिला तथा 626 पुरुष आशार्थी सम्मिलित हैं तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 842 आशार्थियों को

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया जिनमें 330 महिला तथा 512 पुरुष आशार्थी सम्मिलित हैं। उक्त योजनान्तर्गत 1 लाख 60 हजार (बजट घोषणा 2021-22 में 2 लाख प्रस्तावित) लाभार्थियों की अधिकतम सीमा निर्धारित है। उक्त अधिकतम सीमा निर्धारित होने के कारण पात्रता की जांच में सही पाये जाने के उपरान्त भी 30 जून, 2021 तक कुल 1814 आवेदन बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। इनकी सूची क्रमश: परिशिष्ट अ, ब तथा स पर उपलब्ध है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मारवाड़ जंक्शन में पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों में रिक्त पद

502. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में किन-किन पशु चिकित्सालयों एवं उप केद्रों में किस-किस श्रेणी के पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय व उप केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? चिकित्सालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2019 में अब तक कितने नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले गये तथा इनमें कितने किस-किस श्रेणी के पद स्वीकृत कर पदस्थापन कर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में संचालित पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों में रिक्त पदों का श्रेणीवार एवं तिथिवार का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2019 से अब तक विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कुल 06 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। उक्त पशु चिकित्सा उप केन्द्रों में एक-एक पशुधन सहायक एवं एक-एक जलधारी के पद स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर पदस्थापन होना शेष है।

विभाग में रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पशुओं पर प्रतिबंधित दवाइयों के प्रयोग पर रोक की कार्ययोजना

503. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डाइक्लोफेनिक सहित ऐसी कई दवाइयां हैं

(श्री नारायण बेनीवाल)

जिनका विश्व के कई देशों में प्रतिबंध के उपरात भी प्रदेश में पशु चिकित्सा में प्रयोग में ली जा रही है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में गिद्धों सहित पक्षियों की कई अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने व कम होने के कारणों का अध्ययन किया है या उक्त सम्बन्ध में विशेषज्ञों की कोई रिपोर्ट सरकार के पास है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। डाइक्लोफेनिक औषधि का पशुओं की चिकित्सा में उपयोग प्रतिबंधित है। इस संबंध में दिनांक 19.06.2006 से परिपत्र जारी कर समस्त चिकित्सा कर्मियों को पाबंद किया हुआ है।

पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना अन्तर्गत पशुपालन विभाग में वर्तमान में उक्त औषधि का क्रय भी नहीं किया जा रहा है।

(2) जी हां। प्रदेश में गिद्धों सहित विलुप्त होने के कगार पर अन्य पक्षियों की कई प्रजातियों के विलुप्त होने व कम होने के कारणों का अध्ययन किया गया है, जिसका विवरण निम्नांकित है:-

1. मरुधर विज्ञान संस्थान ने श्री ए. के. छगानी एवं श्री एस. एम. महनोत द्वारा वल्चर रिपोर्ट 2006 प्रस्तुत की है, जिसमें प्रदेश में गिद्धों के प्रजनन क्षेत्रों में खनन कार्यों को रोकने, दुर्घटनाग्रस्त व घायल गिद्धों के उपचार की व्यवस्था हेतु रेस्क्यू केन्द्र स्थापित करने तथा गिद्धों के संरक्षण व संवर्धन के क्रम में विस्तृत गहन अध्ययन करने की अनुशंसा की है।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गिद्ध संरक्षण पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन किया, जिसकी रिपोर्ट में पशु चिकित्सा में डायक्लोफेनिक औषधि के उपयोग को रोकने गिद्धों के संरक्षण एवं संवर्धन केन्द्र स्थापित करने, क्षेत्रवार-राज्यवार तथा देश में गिद्धों की वास्तविक गणना करने, गिद्धों के संरक्षण के लिये आमजन को शिक्षित व जागरूक करने तथा क्षेत्रीय टास्क फोर्स के गठन की सिफारिश की है।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में नियुक्तियां

504. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना के उपरांत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो किन पदों पर नियुक्तियां पूर्ण कर ली एवं कितने पद रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं होने के कारण संविदा पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो कितने अधिकारी, कर्मचारियों की नियुक्तियां संविदा पर कब-कब की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 में नियमित नियुक्ति किये जाने का प्रावधान नहीं होने से नियम 15(3)(।।)(बी) व नियम 19(3) के प्रावधानों के तहत अस्थायी तौर पर विभिन्न कार्यालयों में आवश्यकता अनुसार संविदा कार्मिक लगाये गये हैं। अधिकारी/कर्मचारियों की संख्या एवं संविदा पर लगाने की तिथि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा तहसील के तलवाड़ा क्षेत्र में मार्बल खदानों का आबंटन

505. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा के अधीन तलवाड़ा क्षेत्र के त्रिपुरा सुंदरी, कोठारा, भूरी तलाई, कालिका माता आदि स्थानों पर कुल कितनी मार्बल खदानें आबंटित हैं? प्रति खदान कितनी बीघा भूमि आबंटित है तथा किस खसरा नंबर में आबंटित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश का किसान कई वर्षों से सरकारी भूमि पर खेती करता आ रहा है व जुर्माना भी भर रहा है? क्या सरकार किसानों के हक में भूमि आबंटन करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की तहसील बांसवाड़ा के तलवाड़ा क्षेत्र त्रिपुरा सुंदरी, कोठारा, भूरी तलाई, कालिका माता आदि जगहों पर खनिज मार्बल के 32 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। उक्त खनन पट्टों के खसरा संख्या, क्षेत्रफल एवं भूमि की किस्म का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) भूमिहीन लोगों द्वारा कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही सिवायचक भूमि को नियमन करने के लिए राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के तहत उप-खण्ड स्तर पर आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर 1970 के नियम 13 के तहत भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को योग्य पाये जाने पर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर के खनिज प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत

506. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में खनिज प्रभावित क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं व कौन-कौन सी सड़कें नई बनानी हैं? क्या सरकार उक्त सड़कों को डीएमएफटी योजना में निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में खनिज प्रभावित क्षेत्र में पूर्ण क्षतिग्रस्त डामर सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित नई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। खनन प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण/नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर डी.एम.एफ.टी. की संबंधित जिला गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदन उपरांत कार्यवाही की जाती है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किसानों को ऋण हेतु ऑनलाइन सुविधा

507. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसानों के लिए ऋण वसूली व नये ऋण

(श्री अमृतलाल मीणा)

की स्वीकृति व वितरण में फिंगर प्रिंट द्वारा उनके खातों में ऋण राशि जमा किये जाने का प्रावधान है?

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के झल्लारा, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद पंचायत समिति क्षेत्र के लैम्पस में किसानों को फसली ऋण वसूली व सम्पादित करने हेतु क्या व्यवस्था है?

(3) क्या विभाग द्वारा किसानों को उनके खातों में रजिस्टर मोबाइल नम्बर पर ऑनलाईन सुविधा से ओटीपी सुविधा देने हेतु कोई व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था क्या होगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सहित प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में फसली ऋण वितरण कार्यक्रम में स्थानीय विवेकाधीनता को समाप्त कर एकरूपी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिकोण से किसानों को सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 अन्तर्गत माह जुलाई, 2019 से ऋण वितरण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत नये ऋण हेतु कृषक सदस्य का ऋण स्वीकृति के समय बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा आधार अभिप्रमाणन पश्चात् ही ऋण दिये जाने का प्रावधान है। किसानों के ऋण खाते में वसूली पर फिंगर प्रिंट लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के झल्लारा, सराड़ा, सेमारी, जयसमंद पंचायत समिति क्षेत्र के लैम्पस में व राज्य के अन्य पैक्स/लैम्प्स में किसानों से फसली ऋण वसूली हेतु निम्नानुसार प्रावधान है-

1. ऋणी सदस्य संबंधित बैंक की शाखा में ऋण राशि जमा करवा सकता है।
2. संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में FIG के माध्यम से ऋण राशि जमा करवाकर कम्प्यूटर जनित रसीद प्राप्त कर सकता है।
3. समिति में राशि जमा करवाकर समिति की रसीद प्राप्त कर सकता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में योजना प्रावधान अनुसार कृषक सदस्य के बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा आधार अभिप्रमाणन पश्चात् ही पूर्ण पारदर्शिता के साथ ऋण की स्वीकृति की जा रही है। आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया में ऋणी कृषक की व्यक्तिशः उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार से पात्र कृषक का

(सहकारिता मंत्री)

स्वयं का लाभान्वित होना सुनिश्चित हो जाता है। साथ ही ऋण स्वीकृति से ऋण वितरण तक की सभी प्रकार की जानकारी कृषकों को उनके खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर मैसेज के माध्यम से दी जा रही है।

सहकारी संस्थाओं के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में वृद्धि का आदेश

508. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर ने वर्ष 2008 में एक आदेश जारी करके सहकारी संस्थाओं के सभी संवर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अधिवार्षिकी आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष तय कर दी थी? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की पालना पूरे प्रदेश में की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विगत बारह वर्ष में राज्य की कई सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही सेवानिवृत्त किया जाता रहा है? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा ऐसा किया गया है व किन-किन कर्मचारियों को उक्त आदेश का लाभ नहीं दिया गया है? संस्थावार कर्मचारियों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आदेश की अवहेलना के कारण से प्रभावित कार्मिकों को नियमानुसार समुचित राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 17.09.2008 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-"ए") के द्वारा सहकारी समितियों के विभिन्न संवर्गों के मद्देनजर कुछ शर्तों के साथ विभिन्न सहकारी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 58 से 60 वर्ष किये जा सकने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। अधिरोपित शर्तों की पूर्ति करने वाली सहकारी संस्थाओं द्वारा आदेश की पालना की गई।

(2) जी नहीं। सहकारी संस्थाओं पर तद्समय लागू सेवा शर्तों के अनुसार अधिवार्षिकी आयु पूर्ण किये जाने पर सेवानिवृत्त किया जाता रहा है।

(सहकारिता मंत्री)

राज्य में विभिन्न सहकारी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु के क्रम में राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लि. जयपुर एवं 30 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में दिनांक 17.09.2008 के आदेश के क्रम में एवं अन्य 6 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में दिनांक 26.05.2015 के द्वारा अधिवार्षिकी आयु 58 से 60 वर्ष निर्धारित की गई। (जिन प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में 58 वर्ष की आयु में गत 12 वर्षों में कार्मिकों को सेवानिवृत्त किया गया, उनकी सूची परिशिष्ट-"बी" पर उपलब्ध है।)

राज्य के 25 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कार्मिकों की अधिवार्षिकी आयु 58 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक भरतपुर, नागौर, श्रीगंगानगर एवं टोंक में आदेश दिनांक 17.09.2008 की शर्तें पूर्ण न होने से प्रवर्तनीय नहीं है। (जिन केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 58 वर्ष की आयु में गत 12 वर्षों में कार्मिकों को सेवानिवृत्त किया गया, उनकी सूची परिशिष्ट-"सी" पर उपलब्ध है।) राज्य की सभी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कार्मिकों की अधिवार्षिकी आयु 58 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। (जिन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 58 वर्ष की आयु में गत 12 वर्षों में कार्मिकों को सेवानिवृत्त किया गया, उनकी सूची परिशिष्ट-"डी" पर उपलब्ध है।)

(3) राज्य की सहकारी संस्थाएं स्वतंत्र निगमित निकाय हैं जो अपने कार्मिकों हेतु तत्समय प्रवर्तित सेवा नियमों के अनुरूप निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम हैं।

(प्रति व सूचियां पुस्तकालय में रखे गये)

नेशनल हाईवे 148-डी पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन

509. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार यात्रीभार को देखते हुए नेशनल हाईवे 148-डी पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हिण्डोली-नैनवां वाया जजावर, गोठडा एवं हिण्डोली/ जहाजपुर वाया ओवण बसोली मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण नेशनल हाईवे 148-डी पर वाहन संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण हिण्डोली-नैनवां वाया जजावर, गोठडा एवं हिण्डोली जहाजपुर वाया ओवण बसोली मार्ग पर वाहन संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

बून्दी व कोटा जिले में आंगनबाड़ी व कार्यालयों हेतु भूमि का आबंटन

510. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बून्दी व कोटा जिले में विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु नियमानुसार राजकीय भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां? स्थानवार मय पट्टा रजिस्टर्ड पंजीयन की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटित भूमि में से खसरा नंम्बर 90/114 ग्राम शिवपुरा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की राजकार्य के लिए आरक्षित भूमि को 25 फरवरी, 2003 को महिला बाल विकास परियोजना कोटा को सरकार द्वारा आबंटित कर कब्जा सौपा गया था? यदि हां, तो कितनी भूमि का तथा विभाग द्वारा भूमि का उपयोग नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में विगत 5 वर्षों में महिला एंव बाल विकास विभाग के पास ग्राम पंचायतों द्वारा 41 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु राजकीय भूमि आबंटित की गई है जिनके पट्टे/अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

कोटा जिले में विगत 5 वर्षों में कार्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु विभाग को कोई भूमि आबंटित नहीं हुई है।

(2) जी हां। उक्त आबंटित भूमि में से राजकीय खसरा

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

नम्बर 90/114 ग्राम शिवपुरा तहसील लाडपुरा कोटा राजस्थान की राजकार्य के लिए आरक्षित भूमि को 25 फरवरी, 2003 को महिला बाल विकास परियोजना कोटा को सरकार द्वारा आबंटित कर कब्जा सौंपा गया था।

तहसीलदार लाडपुरा के पत्र दिनांक 12.07.2021 के अनुसार हल्का रामचन्द्रपुरा रिपोर्ट ग्राम शिवपुरा का खसरा नम्बर 90/114 रकबा 6.81 है। भूमि किस्म गै. मु. पठार वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त ख.नं. में श्रीनाथपुरम स्टेडियम एवं जी.ए.डी. कॉलोनी बसी हुई है। मौके पर महिला एवं बाल विकास कोटा के नाम से कोई भूमि या इमारत नहीं बनी हुई है।

रिकार्ड में शिवपुरा ग्राम में इस नाम से भूमि उपलब्ध नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आहोर में कुपोषित बच्चों को पोषाहार का वितरण

511. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पोषाहार वितरण की क्या प्रक्रिया है तथा पोषाहार में क्या-क्या दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहोर में कुल कितने कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान की गई है? नाम एवं गांव सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 6 माह से 6 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं, गर्भवती/धात्री महिलाओं व 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पोषाहार से लाभान्वित किया जाता है। वर्तमान में कोविड-19 के आसन्न संकट के कारण सभी लाभार्थियों को साबुत खाद्य सामग्री में गेहूं, चावल व चना दाल आंगनबाड़ी मातृ बाल विकास समिति के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहोर के अन्तर्गत 2 परियोजनाएं क्रमश: आहोर एवं जालौर संचालित हैं जिनमें कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व किशोरियों का विवरण निम्नानुसार है-

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

परियोजना का नाम	कुपोषित बच्चे	अति कुपोषित बच्चे	किशोरी बालिकाएं
आहोर	31	0	0
जालौर	28	4	0

उक्त कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व किशोरियों का ग्रामवार व नामवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रतापगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित योजनाएं

512. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रतापगढ़ में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित हैं? उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिला एवं बालकों के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? उक्त सभी योजनान्तर्गत लाभान्वित महिला एवं बालकों की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 2019-20 में योजनावार व प्रति इकाईवार कितनी राशि व्यय की गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले में 1100 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 139 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 1239 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिला एवं बालकों के विकास हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 2019-20 में लाभार्थियों को सीधे ही उनके खाते में 2,23,60,000 रुपये स्थानान्तरित किये गये।

इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना वर्ष 19.11.2020 से प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों को सीधे ही उनके खाते में 11,000 रुपये स्थानान्तरित किये गये हैं।

(2) विभाग द्वारा पंचायत समितिवार व्यय का विवरण का संधारण नहीं किया जाकर परियोजनावार संधारित किया जाता है। प्रतापगढ़ जिले में

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

वर्ष 2019-20 में परियोजनावार एवं मदवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। प्रति इकाई व्यय का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

लाडपुरा में कौशल विकास केन्द्रों से प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार

513. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में कौशल विकास केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? उक्त केन्द्रों में विगत तीन वर्षो में अब तक कितने लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना किसी कम्पनी के माध्यम से संचालित की जाती है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त केन्द्रों का संचालन का दायित्व किसके पास है व उसका कार्य क्षेत्र क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा तीन राज्य पोषित योजनाओं क्रमश: रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP), नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) एवं मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY) तथा दो केन्द्र पोषित योजनाओं क्रशषः दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का संचालन किया जा रहा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्तमान में कोई कौशल विकास केन्द्र क्रियाशील नहीं है। पूर्व में संचालित केन्द्रों में 923 युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। इन प्रशिक्षित युवाओं में से 506 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। निगम द्वारा सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

निगम के अंतर्गत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के द्‌वारा निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदाता सम्पूर्ण राजस्थान में कही भी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकता है, तथापि प्रशिक्षण प्रदाता की नियुक्ति जिलेवार नहीं की जाकर प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता एवं स्थानीय रोजगार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण केन्द्रों का आबंटन किया जाता है।

कौशल केन्द्र के संचालन का दायित्व सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता के पास होता है एवं उसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान के युवाओं को आबंटित क्षमता अनुसार उस कौशल केन्द्र पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगंज में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार

514. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में वर्ष 2019 से अब तक कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं? उक्त पंजीकृत बेरोजगारों का क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से अब तक कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, शाहबाद में माह जून, 2021 तक विभागीय पोर्टल पर कुल 3139 बेरोजगार युवाओं ने पंजीयन करवाया है। उक्त विधान सभा क्षेत्रों में पंजीकृत आशार्थियों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) रोजगार विभाग रोजगार का सृजन नहीं करता अपितु बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है। कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता विभाग के अधीन शिक्षित बेरोजगारों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्‌वारा प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, आई.टी.आई. में उद्‌योग आधारित प्रशिक्षण प्रदान कर एवं रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में निर्मित आई.टी.आई. भवन

515. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की बड़गांव पंचायत समिति में निर्मित आई.टी.आई. के भवन तैयार कर दिया गया है? यदि हां, तो सरकार उक्त भवन में प्रशिक्षण का कार्य कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की बड़गांव पंचायत समिति में निर्मित आई.टी.आई. का भवन तैयार कर दिया गया है। दिनांक 18-03-2021 से अपने नव निर्मित भवन में इलैक्ट्रीशियन व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण सत्र 2021-22 हेतु इलैक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल तथा वैल्डर व्यवसाय हेतु में प्रवेश का कार्य प्रक्रियाधीन है।

बिछीवाड़ा एवं डूंगरपुर पंचायत समितियों में खेल स्टेडियम का निर्माण

516. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा एवं डूंगरपुर में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु खेल मैदान व स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित खेल मैदान स्पोर्ट्स काम्पलेक्स व स्टेडियम का नामकरण राष्ट्रीय तीरंदाज स्व. श्री जयंतीलाल ननोमा के नाम किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत उपखण्ड/तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/ जनप्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

छोटी उन्दरी ग्राम पंचायत (उदयपुर ग्रामीण) में शहीद रतन लाल मीणा के नाम से खेल मैदान का निर्माण

517. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत छोटी उन्दरी में शहीद रतन लाल मीणा के नाम से खेल मैदान के लिये जमीन आबंटन की गई है? यदि हां, तो कब व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त खेल मैदान की जमीन को सीमांकन कराकर बाउण्ड्रीवाल बनवाकर उक्त खेल मैदान को शहीद रतन लाल मीणा के नाम से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलेक्टर, उदयपुर के आबंटन आदेश क्रमांक प. 12 (3)(10)राज/आंव/18/362-67 दिनांक 30.01.2018 द्वारा शिक्षा विभाग के नाम उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत छोटी उन्दरी के ग्राम उन्दरी खुर्द के आराजी नम्बर 133 रकबा 0.7500 हैक्टेयर भूमि, शहीद रतन लाल मीणा राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय छोटी उन्दरी में खेल मैदान के लिये जमीन का आबंटन नामान्तकरण संख्या 1281 दिनांक 14.02.2018 दर्ज की गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में खेल विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल मैदान निर्माण का विचार किया जाता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिये समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least One Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक सांसद निधि/जनप्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

बस्सी में खेल मैदानों का निर्माण

518. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में किस-किस ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाये जा चुके हैं? खेल मैदानों का खसरा नं. एवं क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति तूंगा में रोजवाडी ग्रामीण स्टेडियम कब एवं कितनी लागत से बनाया गया? अब तक उक्त की मरम्मत एवं संधारण पर कब-कब कितनी-कितनी राशि, किस-किस के द्वारा व्यय की जा चुकी है? क्या सरकार उक्त स्टेडियम पर प्रभावी नियंत्रण, मरम्मत एवं खेल आयोजन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खेल मैदानों एवं स्टेडियम पर व्यय हेतु कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में खेल मैदान नहीं बनाये गये हैं।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति तूंगा में रोजवाड़ी ग्रामीण स्टेडियम खेल विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है।

जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा खेल मैदानों एवं स्टेडियम पर व्यय हेतु कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।